प्रस्ताव 2

2023–2024 के सामान्य सत्र के विधानसभा बिल 247 द्वारा प्रस्तावित इस कानून (अध्याय 81, 2024 का विधान) को California संविधान की धारा XVI के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

यह प्रस्तावित कानून शिक्षा संहिता के अनुभागों में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह संकेत देने के लिए, कि वे नये हैं, *इटैलिक टाइप* में प्रिंट किया गया है।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 28. भाग 72 (अनुभाग 101400 से शुरू होते हुए) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए शिक्षा संहिता के शीर्षक 3 के प्रभाग 14 में जोड़ा जाता है:

भाग 72. किंडरगार्टन से ग्रेड 12 के स्कूलों और स्थानीय सामुदायिक कॉलेज सार्वजनिक शिक्षा सुविधा-स्थलों के आधुनिकीकरण, मरम्मत और 2024 का सुरक्षा बॉन्ड संबंधी अधिनियम

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान

101400. इस भाग को किंडरगार्टन से ग्रेड 12 के स्कूलों और स्थानीय सामुदायिक कॉलेज सार्वजनिक शिक्षा सुविधा-स्थलों के आधुनिकीकरण, मरम्मत और 2024 के सुरक्षा बॉन्ड संबंधी अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और इस रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

101401. विधानमंडल निम्नलिखित सभी को पाता है और इनकी घोषणा करता है:

(a) University of California, Berkeley की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि California में 85 प्रतिशत कक्षाएँ 25 साल से अधिक पुरानी हैं, 30 प्रतिशत कक्षाएँ 50 से 70 साल पुरानी हैं, और लगभग 10 प्रतिशत कक्षाएँ 70 साल या इससे भी अधिक पुरानी हैं।

(b) स्कूल की इमारतों की स्थिति और विद्यार्थियों के परिणामों पर शोध में खराब सुविधा-स्थलों और विद्यार्थियों के खराब प्रदर्शन के बीच निरंतर संबंध देखा गया है। साफ-सुथरे, अच्छी हालत वाले, और उच्च शैक्षणिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए तैयार किए गये स्कूल के सुविधा-स्थलों से विद्यार्थी द्वारा बेहतर उपलब्धियाँ प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है चाहे विद्यार्थी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। अच्छी पर्यावरणीय स्थितियों वाली इमारतों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी खराब स्थिति वाली इमारतों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में 5 से 17 प्रतिशत अधिक टेस्ट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं।

(c) California में लगभग एक-तिहाई नई नौकरियों के लिए हाई स्कूल के बाद लेकिन चार-वर्ष की डिग्री से कम के किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी। करियर तकनीकी शिक्षा, जिसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है, विद्यार्थियों को उद्योग-आधारित कौशल प्रदान करके इन करियर अवसरों के साथ जोड़ती है।

(d) स्कूल सुविधा-स्थल प्रोग्राम का निधिकरण लगभग समाप्त हो गया है। पूरे California में स्कूल ज़िलों ने नए निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं में कुल $3,300,000,000 का खर्च प्रस्तुत किया है और वे इन परियोजनाओं को वित्तपोषित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(e) California में 1,000 से अधिक चार्टर स्कूल हैं, और ये चार्टर स्कूल मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। चार्टर स्कूल अक्सर पर्याप्त सुविधा-स्थल सुरक्षित करने में काफी अधिक वित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए चार्टर स्कूलों को सहयोग देना अनिवार्य है कि सभी विद्यार्थियों को सीखने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाला वातावरण सुलभ हो। चार्टर स्कूल की इमारतों के निर्माण और पुनर्वास में निवेश करके हम यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि ये स्कूल सीखने के लिए सुरक्षित, आधुनिक, और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा सकें। शैक्षणिक नवाचार को बढ़ावा देने और सभी विद्यार्थियों के लिए समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए यह सहयोग महत्वपूर्ण है।

(f) छोटे और वंचित स्कूल ज़िले अपने सुविधा-स्थलों को बनाए रखने और अपग्रेड करने में अधिकतर बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। ये ज़िले कुछ वंचित विद्यार्थी आबादियों को सेवाएँ प्रदान करते हैं और इनके पास बेहद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का अधिकतर अभाव होता है।

(g) संयुक्त राज्य अमेरिका में California सामुदायिक कॉलेज सबसे बड़ी पोस्ट-सेकंडरी शिक्षा प्रणाली है, जो ऐतिहासिक रूप से हर वर्ष लगभग 2,100,000 विद्यार्थियों को सेवाएँ प्रदान करती है। California सामुदायिक कॉलेज को दाखिले में होने वाली बढ़त के लिए नए सुविधा-स्थलों के निर्माण और मौजूदा सुविधा-स्थलों के आधुनिकीकरण के लिए कई बिलियन डॉलरों की आवश्यकता है।

101402. (a) इस भाग में राज्य के सांविधिक कानून के किसी प्रावधान को शामिल किए जाने में, या इसके संदर्भ में इस प्रावधान के संशोधन से जुड़े और इसके पूरक सभी अधिनियम शामिल हैं।

(b) इस भाग के उद्देश्यों के लिए "राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून" का मतलब राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होते हुए) से है, जैसे कि इसमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

101403. अनुभाग 101420 और 101442 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए कुल दस बिलियन डॉलर ($10,000,000,000) की राशि के बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, और इनमें अनुभाग 101430 और 101451 के अनुसार जारी किए गए किन्हीं भी धनवापसी बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं है। बॉन्ड्स, जब बेचे, जारी किए और वितरित किए जाते हैं, तो California राज्य का एक वैध और बाध्यकारी दायित्व गठित करेंगे, और California राज्य का पूरा विश्वास और साख बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज के निर्धारित समय पर भुगतान के लिए एतद्द्वारा गिरवी रखे जाते हैं जब भी मूलधन और ब्याज देय और भुगतान योग्य हो जाते हैं।

अध्याय 2. किंडरगार्टन से ग्रेड 12

धारा 1. किंडरगार्टन से ग्रेड 12 स्कूल सुविधा-स्थलों संबंधी प्रोग्राम के प्रावधान

101410. अनुभाग 101430 के अनुसार जारी किए गए किन्हीं भी धनवापसी बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन को शामिल न करते हुए इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन को अनुभाग 17070.42 के अंतर्गत राज्य के कोषागार में स्थापित की गई 2024 राज्य स्कूल सुविधा-स्थल निधि में जमा किया जाएगा, और इस अध्याय के अनुसार राज्य आबंटन बोर्ड द्वारा इनका आबंटन किया जाएगा।

101411. इस अध्याय के उद्देश्य से 2024 राज्य स्कूल सुविधा-स्थल निधि में जमा की गई संपूर्ण राशियाँ विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत 2024 को अग्रिम या ऋण के रूप में दी गई किसी राशि का, और उस अधिनियम में प्रावधान किए गए अनुसार ब्याज का भुगतान करने, और सरकारी कोड के अनुभाग 16724.5 के अनुसार सामान्य बाध्यता बॉन्ड व्यय परिक्रामी निधि की प्रतिपूर्ति करने के लिए वर्ष 1998

के Leroy F. Greene स्कूल सुविधा-स्थल अधिनियम (शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 का अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से शुरू होते हुए) के अनुसार स्कूल ज़िलों, काउंटी स्कूल अधीक्षकों, और राज्य के काउंटी शिक्षा बोर्डों को सहायता देने के लिए उपलब्ध होगी।

101412. (a) इस अध्याय के उद्देश्य से जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त धन को निम्नलिखित समयसारणी के अनुसार आबंटित किया जाएगा:

(1) (A) शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से शुरू होते हुए) के अनुसार आवेदनकर्ता स्कूल ज़िलों में स्कूल सुविधा-स्थलों के नए निर्माण के लिए तीन बिलियन तीन सौ मिलियन डॉलर ($3,300,000,000) की राशि। इस पैराग्राफ के अंतर्गत आबंटित की गई राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 की धारा 11.5 (अनुभाग 17078.35 से शुरू होते हुए) के अनुसार छोटे स्कूल ज़िलों को उपलब्ध होगी।

(B) इस पैराग्राफ के अंतर्गत आबंटित की गई राशि में से, बॉन्ड प्राधिकरण सूची से परे प्राप्त आवेदन पर प्राप्त आवेदनों का निधिकरण करने के लिए आवश्यक राशि तक, 31 अक्तूबर, 2024 को या इससे पहले 1998 के Leroy F. Greene स्कूल सुविधा-स्थल अधिनियम के अनुसरण में स्कूल सुविधा-स्थलों के नए निर्माण के लिए आवेदनों को सहायता देने के लिए उपलब्ध होगी।

(2) (A) शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से शुरू होते हुए) के अनुसार स्कूल सुविधा-स्थलों के आधुनिकीकरण के लिए चार बिलियन डॉलर ($4,000,000,000) की राशि। इस पैराग्राफ के अंतर्गत आबंटित की गई राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 की धारा 11.5 (अनुभाग 17078.35 से शुरू होते हुए) के अनुसार छोटे स्कूल ज़िलों के लिए उपलब्ध होगी।

(B) इस पैराग्राफ के अंतर्गत आबंटित की गई राशि में से, बॉन्ड प्राधिकार सूची से परे प्राप्त आवेदनों पर आवेदनों का निधिकरण करने के लिए आवश्यक राशि तक, 31 अक्तूबर, 2024 को या इससे पहले 1998 के Leroy F. Greene स्कूल सुविधा-स्थल अधिनियम के अनुसरण में स्कूल सुविधा-स्थलों के आधुनिकीकरण के लिए आवेदनों को सहायता देने के लिए उपलब्ध होगी।

(C) इस पैराग्राफ के अंतर्गत आबंटित की गई राशि में से एक सौ पंद्रह मिलियन डॉलर ($115,000,000) की राशि शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 की धारा 10.7 (अनुभाग 17077.60 से शुरू होते हुए) के अनुसार पानी में सीसे के शोधन के लिए उपलब्ध होगी।

(3) शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 की धारा 12 (अनुभाग 17078.52 से शुरू होते हुए) के अनुसार छह सौ मिलियन डॉलर ($600,000,000) की राशि चार्टर स्कूलों को स्कूल सुविधा-स्थल उपलब्ध करवाने के लिए होगी।

(4) शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 की धारा 13 (अनुभाग 17078.70 से शुरू होते हुए) के अनुसार छह सौ मिलियन डॉलर ($600,000,000) की राशि करियर तकनीकी शिक्षा प्रोग्रामों के लिए होगी।

(b) स्कूल ज़िले उप-प्रभाग (a) के पैरा (2) के अनुसार आबंटित की गई निधि का इस्तेमाल शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से शुरू होते हुए) के अनुसार केवल निम्नलिखित से में किसी एक या अधिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं:

(1) एयर-कंडीशनिंग उपकरणों और इंसुलेशन सामग्रियों की खरीद और संस्थापन, और इससे जुड़े खर्चे।

(2) स्कूल की सुरक्षा खेल के मैदान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के निर्माण और फ़र्नीचर या उपकरणों की खरीद।

(3) स्कूल सुविधा-स्थलों में खतरनाक एस्बेस्टस की पहचान, आकलन, या इसे हटाना।

(4) उच्च-प्राथमिकता वाली छत बदलने से जुड़ी परियोजनाओं के लिए परियोजना का निधिकरण।

(5) शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से शुरू होते हुए) के अनुसार सुविधा-स्थलों का कोई भी अन्य आधुनिकीकरण।

(c) उप-प्रभाग (a) के पैराग्राफ (1) के अनुसार आबंटित की गई निधियों का इस्तेमाल अत्यधिक विकलांग शिक्षार्थियों के लिए कक्षाओं के निधिकरण, या काउंटी सामुदायिक स्कूल के शिक्षार्थियों के लिए कक्षाओं के निधिकरण के लिए शीर्षक 1 के प्रभाग 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से शुरू होते हुए) के अंतर्गत पात्र आवेदक काउंटी शिक्षा बोर्ड्स के लिए नए निर्माण से संबंधित अनुदान प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।

(d) उप-प्रभाग (a) के पैराग्राफ (1) और (2) के अंतर्गत आबंटित की गई राशि में से राज्य आबंटन बोर्ड अनुभाग 17078.46 के अनुसार राज्य शिक्षा विभाग को पाँच मिलियन डॉलर ($5,000,000) का अनुदान प्रदान कर सकता है।

धारा 2. किंडरगार्टन से ग्रेड 12 स्कूल सुविधा-स्थलों संबंधी वित्तीय प्रावधान

101420. (a) अध्याय 1 (अनुभाग 101400 से शुरू होते हुए) के अनुसार जारी किए जाने और बेचे जाने के लिए प्राधिकृत बॉन्ड्स की कुल राशि में से 8 बिलियन पाँच सौ मिलियन डॉलर ($8,500,000,000) की राशि के बॉन्ड, जिनमें अनुभाग 101430 के अनुसार जारी कोई भी धनवापसी बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं है, इस अध्याय में व्यक्त उद्देश्यों के लिए निधि का इस्तेमाल करने और इन्हें पूरा करने और सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार सामान्य दा यत्व बॉन्ड खर्च परिक्रामी कोष की प्रतिपूर्ति के लिए जारी किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में कोषाध्यक्ष आबंटन के अनुसार आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी समय अनुभाग 15909 के अनुसार स्थापित राज्य स्कूल भवन वित्त समिति द्वारा प्राधिकृत बॉन्ड्स को बेचेगा।

101421. अनुभाग 15909 द्वारा स्थापित की गई राज्य स्कूल भवन वित्त समिति, जिसमें राज्यपाल, नियंत्रक, कोषाध्यक्ष, वित्त निदेशक, और अधीक्षक, या उनके नामित प्रतिनिधि शामिल हैं, जो सभी बिना किसी क्षतिपूर्ति के अपनी सेवाएँ देंगे, और उनमें से अधिकतर को शामिल करते हुए कोरम बनाया जाएगा, को इस अध्याय के उद्दश्यों के लिए राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून (सरकारी कोड के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होते हुए) में परिभाषित किए गए अनुसार समिति के रूप में कार्य करने के लिए अस्तित्व में जारी रखा गया है। कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नियमों के संबंध में सीनेट समिति द्वारा नियुक्त किए गए सीनेट के दो सदस्य, और विधानसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त किए गए विधानसभा के दो सदस्य बैठक करेंगे और इस सीमा तक समिति को सलाह देंगे कि परामर्श भागीदारी विधानमंडल के सदस्यों के रूप में उनकी संबंधित स्थितियों के

प्रतिकूल न हो। इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए विधानमंडल के सदस्य इस अध्याय के विषय पर एक अंतरिम अन्वेषण समिति गठित करेंगे और, उस समिति के पास सीनेट के संयुक्त नियमों और विधानसभा द्वारा गठित समितियों के जैसे ही अधिकार दिए जाएँगे, और कर्तव्य सौंपे जाएँगे। वित्त निदेशक समिति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जिसकी ज़रूरत होगी। अटॉर्नी जनरल समिति का कानूनी सलाहकार है।

101422. (a) इस अध्याय द्वारा प्राधिकृत बॉन्ड, राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होते हुए) में की गई व्यवस्था के अनुसार बनाए, निष्पादित, जारी किए, बेचे जाएंगे, भुगतान किए जाएंगे और भुनाए जाएंगे। उन कानून के प्रावधान, जिसमें इसके संशोधन किए जाने वाले और पूरक सभी अधिनियम शामिल है, उन अधिकृत बॉन्ड्स और इस अध्याय पर लागू होंगे और उन्हें इसके द्वारा इस अध्याय के भीतर निर्धारित किए अनुसार इस अध्याय में शामिल किया जाता है, सिवाए इसके कि सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के उप-प्रभाग (a) और (b) इस अध्याय द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स पर लागू नहीं होंगे।

(b) राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून के उद्देश्यों के लिए, राज्य आबंटन बोर्ड को 2024 राज्य स्कूल सुविधा-केंद्र निधि के प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए "बोर्ड" के रूप में पदनामित किया गया है।

101423. (a) राज्य आबंटन बोर्ड के अनुरोध पर, राज्य स्कूल भवन वित्त समिति संकल्प के जरिए निर्धारित करेगी कि संबंधित भागों का निधिकरण करने के लिए इस अध्याय के अनुसार प्राधिकृत बॉन्ड्स जारी करना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं, और, यदि ऐसा है, तो जारी किए जाने वाले और बेचे जाने वाले बॉन्ड्स की राशि कितनी होगी। उन भागों का प्रगामी रूप से निधिकरण करने के लिए बॉन्ड्स के क्रमिक इश्यू अधिकृत किए और बेचे जा सकते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि जारी किए जाने के लिए अधिकृत सभी बॉन्ड्स किसी एक समय में ही बेचे जाएँ।

(b) उप-प्रभाग (a) के अनुसरण में राज्य आबंटन बोर्ड के अनुरोध का अनुभाग 101412 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किए गए और किए जाने वाले हिस्सों के संबंध में एक वक्तव्य द्वारा समर्थन किया जाएगा।

101424. उन्हें प्रत्येक वर्ष, उसी तरीके से और उसी समय एकत्र किया जाएगा जैसे कि राज्य के अन्य राजस्व को एकत्र किया जाता है, राज्य के सामान्य राजस्व के अलावा, मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रत्येक वर्ष बॉन्ड्स के लिए आवश्यक राशि में एक रकम रखी जाएगी। राजस्व संग्रह के संबंध में कानून द्वारा कोई भी कर्तव्य सौंपे गए अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे उस अतिरिक्त राशि को एकत्रित करने के लिए ज़रूरी हर कार्रवाई करें।

101425. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए राज्य के कोष में सामान्य निधि से, इसके द्वारा ऐसी राशि विनियोजित की जाती है, जो निम्नलिखित के योग के बराबर हो:

(a) मूलधन और ब्याज के बकाया और देय हो जाने पर, इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स के मूलधन और उन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक वार्षिक रकम।

(b) वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना, विनियोजित अनुभाग 101428 को लागू करने के लिए आवश्यक रकम।

101426. राज्य आबंटन बोर्ड इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार, पूल किए गए धन संबंधी निवेश खाते से ऋण लेने के लिए या आंतरिक वित्तपोषण के किसी भी अन्य रूप के लिए पूल किए गए धन संबंधी निवेश बोर्ड से अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि उन अनबिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिन्हें राज्य स्कूल निर्माण वित्त समिति ने संकल्प के द्वारा, इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से बेचे जाने के लिए अधिकृत किया है, अनुभाग 101430 के अनुसरण में, अधिकृत बॉन्ड्स की वापसी को छोड़कर, इस अनुभाग के अनुसार उधार ली गई किसी भी उस राशि को घटाकर जो अनुभाग 101428 के अनुसार अभी तक भुगतान नहीं की गई है और सामान्य कोष से निकासी की गई है और अभी तक वापस नहीं की गई है। राज्य आबंटन बोर्ड ऋण प्राप्त करने और चुकाने के लिए पूल किए गए धन संबंधी निवेश बोर्ड के द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ों को निष्पादित करेगा। ऋण ली गई कोई भी राशि इस अध्याय के अनुसार राज्य आबंटन बोर्ड द्वारा आबंटित किए जाने वाली 2024 की राज्य स्कूल सुविधा-स्थल निधि में जमा की जाएगी।

101427. इस अध्याय के या राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अध्याय के अनुसार बॉन्ड्स बेचता है जिनमें बॉन्ड परामर्शदाता की इससे संबंधित राय शामिल है कि बॉन्ड्स पर ब्याज निर्धारित शर्तों के अंतर्गत संघीय टैक्स उद्देश्यों के लिए सकल आय से बाहर रखा गया है या किसी भी संघीय टैक्स लाभ के लिए पात्र है, तो कोषाध्यक्ष बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के निवेश और उन धनराशियों पर अर्जित निवेश के लिए अलग खाते बनाए रख सकता है। कोषाध्यक्ष संघीय कानून के अंतर्गत आवश्यक रियायत, जुर्माना, या अन्य भुगतान को चुकाने के लिए या उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के निवेश और इस्तेमाल के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए या उन बॉन्ड्स की टैक्स मुक्त स्थिति को बरकरार रखने और इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के अंतर्गत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का इस्तेमाल कर सकता या उसके लिए निर्देश दे सकता है, जो संघीय कानून के अंतर्गत आवश्यक या वांछनीय है।

101428. इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से, वित्त निदेशक सामान्य निधि से अनबिके बॉन्ड्स की राशि से कम की राशि को निकालने को अधिकृत कर सकता है जिसमें अनुभाग 101426 के अनुसार ऋण ली गई और अभी तक चुकाई न गई और इस अनुभाग के अनुसार सामान्य निधि से निकाली गई और अभी तक वापस न की गई कोई भी ऐसी राशि घटाकर अनुभाग 101430 के अनुसार अधिकृत धनवापसी बॉन्ड्स शामिल नहीं हैं जिसे राज्य स्कूल भवन वित्त समिति द्वारा इस अध्याय को लागू करने के उद्देश्य से अधिकृत किया गया है। निकाली गई कोई भी राशि इस अध्याय के अनुसार 2024 राज्य स्कूल सुविधा-स्थल निधि में जमा की जाएगी और राज्य आबंटन बोर्ड द्वारा आबंटित की जाएगी। इस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया कोई भी धन और इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से, पूल किए गए धन संबंधी निवेश खाते में इस धनराशि द्वारा अर्जित ब्याज के बराबर राशि को सामान्य निधि में लौटा दिया जाएगा।

101429. इस अध्याय के अनुसार बेचे गए बॉन्ड्स पर प्रीमियम और अर्जित ब्याज से प्राप्त 2024 राज्य स्कूल सुविधा-स्थल निधि में जमा किया गया सारा धन इस निधि में आरक्षित होगा और बॉन्ड पर ब्याज के लिए खर्च के क्रेडिट के रूप में सामान्य निधि में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध होगा, सिवाय इसके कि प्रीमियम से प्राप्त राशि को आरक्षित किया जा सकता है और सामान्य निधि में किसी भी हस्तांतरण से पहले बॉन्ड जारी करने की लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

101430. इस अध्याय के अनुसार जारी किए और बेचे गए बॉन्ड सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 की धारा 6 (अनुभाग 16780 से शुरू होते हुए) के अनुसार वापस किए जा सकते हैं, जो कि राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून का एक हिस्सा है। इस

अध्याय में वर्णित बॉन्ड्स को जारी करने के लिए राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदन में मूल रूप से इस अध्याय के तहत जारी किए गए किसी भी बॉन्ड्स के लिए वापसी करने या पहले जारी किए गए किसी भी धन-वापसी बॉन्ड्स को जारी करने का अनुमोदन शामिल है। इस अनुभाग के द्वारा अधिकृत, धन-वापसी बॉन्ड्स की धनराशियों से वापस किए गए किसी भी बॉन्ड को कानूनी रूप से कानूनन अनुमत सीमा तक और संशोधित संकल्प में निर्धारित सीमा तक, उस धनवापसी किए गए बॉन्ड को अधिकृत करते हुए समाप्त किया जा सकता है।

101431. इस अध्याय के द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से मिला धन "टैक्स से प्राप्त धन" नहीं है क्योंकि यह शब्द California के संविधान की धारा XIII B में उपयोग किया जाता है, और इन धनराशियों का संवितरण उस धारा के द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन नहीं आता है।

अध्याय 3. California सामुदायिक कॉलेज सुविधा-स्थल

धारा 1. सामान्य प्रावधान

101440. (a) इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त धन, जिसमें अनुभाग 101451 के अनुसार जारी किए गए किन्हीं भी धनवापसी बॉन्ड्स से प्राप्त धन शामिल नहीं है, से निधि जमा करने के लिए राज्य कोषागार में इसके द्वारा 2024 California सामुदायिक कॉलेज पूंजी परिव्यय बॉन्ड निधि की स्थापना की जाती है।

(b) अनुभाग 67353 के अनुसरण में स्थापित की गई उच्च शिक्षा सुविधा वित्त समिति को इस अध्याय के उद्देश्य से और California सामुदायिक कॉलेजों को सहायता प्रदान करने के लिए निधि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून (सरकारी कोड के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होते हुए) में परिभाषित किए गए अनुसार समिति के रूप में कार्य करने के लिए अस्तित्व में जारी रखा गया है।

धारा 2. California सामुदायिक कॉलेज प्रोग्राम के प्रावधान

101441. (a) अनुच्छेद 3 (अनुभाग 101442 से शुरू होते हुए) के अनुसरण में जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त धन में से एक बिलियन पाँच सौ मिलियन डॉलर ($1,500,000,000) की रकम इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए 2024 California सामुदायिक कॉलेज पूंजी परिव्यय बॉन्ड निधि में जमा की जाएगी। विनियोजन किए जाने पर ये निधियाँ इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए व्यय के लिए उपलब्ध होंगी।

(b) इस अध्याय के उद्देश्यों में California सामुदायिक कॉलेजों की पूँजी परिव्यय निधिकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना शामिल है।

(c) इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल इमारतों के निर्माण और संबंधित उपकरणों की अधिप्राप्ति सहित मौजूदा परिसरों के निर्माण के निधिकरण; अंतराखंडीय सुविधा-स्थलों के निर्माण; सुविधा-स्थलों के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण; स्थल की अधिप्राप्ति; नए, नवीनीकृत, या पुनर्निर्मित सुविधा-स्थलों को सुसज्जित करने, जहाँ उपकरणों का औसत उपयोगिता समय 10 वर्ष होगा; और California सामुदायिक कॉलेजों के सुविधा-स्थलों के लिए प्रारंभिक योजनाओं और कार्यकारी ड्राइंग्स सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, निर्माण से पहले की लागतों के भुगतान के लिए निधियाँ उपलब्ध करवाने के लिए किया जा सकता है।

(d) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "अंतराखंडीय" का मतलब है सार्वजनिक उच्च शिक्षा के एक से अधिक खंडों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

धारा 3. California सामुदायिक कॉलेज प्रोग्राम के वित्तीय प्रावधान

101442. (a) अध्याय 1 (अनुभाग 101400 से शुरू होते हुए) के अनुसार जारी किए जाने और बेचे जाने के लिए प्राधिकृत बॉन्ड्स की कुल राशि में से एक बिलियन पाँच सौ मिलियन डॉलर ($1,500,000,000) की राशि के बॉन्ड्स, जिनमें अनुभाग 101451 के अनुसार जारी कोई भी बॉन्ड्स की धनवापसी की राशि शामिल नहीं है, इस अध्याय में व्यक्त उद्देश्यों के लिए निधि का इस्तेमाल करने और इन्हें पूरा करने और सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार सामान्य बाध्यता बॉन्ड खर्च परिक्रामी कोष की प्रतिपूर्ति के लिए जारी किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में कोषाध्यक्ष बँटवारे के अनुसार आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी समय अनुभाग 67353 के अनुसार स्थापित उच्च शिक्षा सुविधा-स्थलों वित्त समिति द्वारा प्राधिकृत बॉन्ड्स को बेचेगा।

101443. (a) इस अध्याय द्वारा प्राधिकृत बॉन्ड, राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होते हुए) में की गई व्यवस्था के अनुसार बनाए, निष्पादित, जारी किए, बेचे जाएंगे, भुगतान किए जाएंगे और भुनाए जाएंगे। उन कानून के प्रावधान, जिसमें इसके संशोधन किए जाने वाले और पूरक सभी अधिनियम शामिल है, उन अधिकृत बॉन्ड्स और इस अध्याय पर लागू होंगे और उन्हें इसके द्वारा इस अध्याय के भीतर निर्धारित किए अनुसार इस अध्याय में शामिल किया जाता है, सिवाए इसके कि सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के उप-प्रभाग (a) और (b) इस अध्याय द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स पर लागू नहीं होंगे।

(b) राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून के उद्देश्यों के लिए 2024 सामुदायिक कॉलेज पूँजी परिव्यय बॉन्ड निधि के किसी विनियोजन का प्रबंधन करने वाली प्रत्येक राज्य एजेंसी को इस अध्याय के अनुसरण में निधि प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए "बोर्ड" के रूप में नामित किया गया है।

(c) इस अध्याय के अनुसरण में जारी किए गए औए बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त होने वाले धन इस अध्याय में निर्धारित किए गए अनुसार California सामुदायिक कॉलेजों को मौजूदा या नए परिसरों और उनके संबंधित ऑफ़-कैंपस केन्द्रों और संयुक्त उपयोग और अंतराखंडीय सुविधा-स्थलों के निर्माण में सहायता का निधिकरण करने के लिए उपलब्ध होगी।

101444. अनुभाग 67353 के अनुसार स्थापित की गई उच्च शिक्षा सुविधा वित्त समिति इस अध्याय के अंतर्गत केवल उस सीमा तक बॉन्ड्स जारी करने को प्राधिकृत करेगी जो इस अध्याय में उल्लिखित और वार्षिक बजट अधिनियम में विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत किए गए उद्देश्यों के लिए संबंधित विनियोजनों का निधिकरण करने के लिए आवश्यक हो। उस विधायी निर्देश के अनुसरण में, समिति संकल्प के द्वारा यह निर्धारित करेगी कि क्या इस अध्याय में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अध्याय के अनुसार अधिकृत बॉन्ड जारी करना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं, और अगर ऐसा है, तो जारी किए जाने और बेचे जाने वाले बॉन्ड्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उन कार्यों को क्रमिक रूप से पूरा करने के लिए बॉन्ड्स के क्रमिक इश्यू अधिकृत किए और बेचे जा

सकते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि जारी किए जाने के लिए अधिकृत सभी बॉन्ड्स किसी एक समय में ही बेचे जाएँ।

101445. उन्हें प्रत्येक वर्ष और उसी तरीके से और उसी समय एकत्र किया जाएगा जैसे कि राज्य के अन्य राजस्व को एकत्र किया जाता है, राज्य के सामान्य राजस्व के अलावा, मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रत्येक वर्ष बॉन्ड्स के लिए आवश्यक राशि में एक रकम रखी जाएगी। राजस्व संग्रह के संबंध में कानून द्वारा कोई भी कर्तव्य सौंपे गए अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे उस अतिरिक्त राशि को एकत्रित करने के लिए ज़रूरी हर कार्रवाई करें।

101446. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए राज्य के कोष में सामान्य निधि से इसके द्वारा ऐसी राशि विनियोजित की जाती है जो निम्नलिखित के योग के बराबर हो:

(a) मूलधन और ब्याज के बकाया और देय हो जाने पर, इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स के मूलधन और उन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक वार्षिक रकम।

(b) वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना विनियोजित अनुभाग 101449 को लागू करने के लिए आवश्यक रकम।

101447. जैसा कि अनुभाग 101443 के उप-प्रभाग (b) में परिभाषित किया गया है, बोर्ड इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार, पूल किए गए धन संबंधी निवेश खाते से ऋण लेने के लिए या आंतरिक वित्तपोषण के किसी भी अन्य रूप के लिए पूल किए गए धन संबंधी निवेश बोर्ड से अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि उन अनबिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी, जिन्हें उच्च शिक्षा सुविधा वित्त समिति ने संकल्प के द्वारा, इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से बेचे जाने के लिए अधिकृत किया है, अनुभाग 101451 के अनुसार अधिकृत बॉन्ड्स की धनवापसी को छोड़कर, इस अनुभाग के अनुसार उधार ली गई किसी भी उस राशि को घटाकर जो अनुभाग 101249 के अनुसार अभी तक भुगतान नहीं की गई है और सामान्य कोष से निकाल ली गई है और अभी तक वापस नहीं की गई है। अनुभाग 101443 के उप-प्रभाग (b) में परिभाषित किए अनुसार, बोर्ड ऋण प्राप्त करने और चुकाने के लिए पूल किए गए धन संबंधी निवेश बोर्ड के द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ों को निष्पादित करेगा। ऋण ली गई कोई भी राशि इस अध्याय के अनुसार बोर्ड द्वारा आबंटित किए जाने वाली 2024 की California सामुदायिक कॉलेज पूंजी परिव्यय निधि में जमा की जाएगी।

101448. इस अध्याय के या राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अध्याय के अनुसार बॉन्ड्स बेचता है जिनमें बॉन्ड परामर्शदाता की इससे संबंधित राय शामिल है कि बॉन्ड्स पर ब्याज निर्धारित शर्तों के अंतर्गत संघीय टैक्स उद्देश्यों के लिए सकल आय से बाहर रखा गया है या किसी भी संघीय टैक्स लाभ के लिए पात्र है, तो कोषाध्यक्ष बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के निवेश और उन धनराशियों पर अर्जित निवेश के लिए अलग खाते बनाए रख सकता है। कोषाध्यक्ष संघीय कानून के अंतर्गत आवश्यक रियायत, जुर्माना, या अन्य भुगतान को चुकाने के लिए या उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के निवेश और इस्तेमाल के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए या उन बॉन्ड्स की टैक्स मुक्त स्थिति को बरकरार रखने और इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के अंतर्गत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का इस्तेमाल कर सकता या उसके लिए निर्देश दे सकता है, जो संघीय कानून के अंतर्गत आवश्यक या वांछनीय है।

101449. (a) इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से, वित्त निदेशक सामान्य निधि से अनबिके बॉन्ड्स की राशि से कम की राशि को निकालने को अधिकृत कर सकता है जिसमें अनुभाग 101447 के अनुसार ऋण ली गई और अभी तक चुकाई न गई और इस अनुभाग के अनुसार सामान्य निधि से निकाली गई और अभी तक वापस न की गई कोई भी ऐसी राशि घटाकर अनुभाग 101451 के अनुसार अधिकृत धनवापसी बॉन्ड्स शामिल नहीं हैं जिसे उच्च शिक्षा सुविधा-स्थल वित्त समिति द्वारा इस अध्याय को लागू करने के उद्देश्य से अधिकृत किया गया है। निकाली गई कोई भी राशि इस अध्याय के अनुसार 2024 California सामुदायिक कॉलेज पूँजी परिव्यय बॉन्ड निधि में जमा कराई जाएगी। इस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया कोई भी धन और इस अध्याय के क्रियान्वयन के उद्देश्य से बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से, पूल किए गए धन संबंधी निवेश खाते में इस धनराशि द्वारा अर्जित ब्याज के बराबर राशि को सामान्य निधि में लौटा दिया जाएगा।

(b) California सामुदायिक कॉलेजों द्वारा इस अध्याय में निर्धारित उद्देश्यों के लिए व्यय के लिए इस बॉन्ड इश्यू से निधि के लिए विधानमंडल और वित्त विभाग को अग्रेषित किए गए अनुरोध के साथ पाँच-वर्ष की ऐसी पूँजी परिव्यय योजना होनी चाहिए जिसमें सामुदायिक कॉलेज प्रणाली की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को दर्शाया गया हो और राज्यव्यापी आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की गई हो। अनुरोधों में ऐसी अनुसूची होगी जिसमें उस कॉलेज विशेष के अनुसार कॉलेज द्वारा उच्च प्राथमिकता के रूप में चिह्नित इमारतों में भूकंपीय खतरों को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए ज़रूरी भूकंपीय रेट्रोफिटिंग को प्राथमिकता दी गई हो।

101450. इस अध्याय के अनुसार बेचे गए बॉन्ड्स पर प्रीमियम और अर्जित ब्याज से प्राप्त 2024 California सामुदायिक कॉलेज पूँजी परिव्यय बॉन्ड निधि में जमा किया गया सारा धन निधि में आरक्षित होगा और बॉन्ड पर ब्याज के लिए खर्च के क्रेडिट के रूप में सामान्य निधि में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध होगा, सिवाय इसके कि प्रीमियम से प्राप्त राशि को आरक्षित किया जा सकता है और सामान्य निधि में किसी भी हस्तांतरण से पहले बॉन्ड जारी करने की लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

101451. इस अध्याय के अनुसार जारी किए और बेचे गए बॉन्ड सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 की धारा 6 (अनुभाग 16780 से शुरू होते हुए) के अनुसार वापस किए जा सकते हैं, जो कि राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून का एक हिस्सा है। इस अध्याय में वर्णित बॉन्ड्स को जारी करने के लिए राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदन में मूल रूप से इस अध्याय के तहत जारी किए गए किसी भी बॉन्ड्स के लिए वापसी करने या पहले जारी किए गए किसी भी धन-वापसी बॉन्ड्स को जारी करने का अनुमोदन शामिल है। इस अनुभाग के द्वारा अधिकृत, धन-वापसी बॉन्ड्स की धनराशियों से वापस किए गए किसी भी बॉन्ड को कानूनी रूप से कानूनन अनुमत सीमा तक और संशोधित संकल्प में निर्धारित सीमा तक, उस धनवापसी किए गए बॉन्ड को अधिकृत करते हुए समाप्त किया जा सकता है।

101452. इस अध्याय के द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से मिला धन “टैक्स से प्राप्त धन” नहीं है क्योंकि यह शब्द California के संविधान की धारा XIII B में उपयोग किया जाता है, और इन धनराशियों का संवितरण उस धारा के द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन नहीं आता है।

अध्याय 4. पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रावधान

101460. (a) (1) स्कूल ज़िले का शासकीय बोर्ड, सामुदायिक कॉलेज ज़िले का शासकीय बोर्ड, स्कूलों का काउंटी अधीक्षक, या किसी

चार्टर स्कूल का शासी निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात को पक्का करेगा कि इस भाग द्वारा प्राधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से पूरी तरह या आंशिक रूप से निधिकरण की गई किसी परियोजना का स्वतंत्र निष्पादन लेखा-परीक्षण किया जाए कि सभी लागू होने वाले कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार खर्च के लिए लागू निधियों के इस्तेमाल की समीक्षा कर ली गई है।

(2) इस भाग द्वारा प्राधिकृत और अनुभाग 41024 के अनुसार किए गये किसी भी लेखा-परीक्षण सहित, परंतु इस तक सीमित नहीं, किसी भी अन्य कानून द्वारा अपेक्षित बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित किसी परियोजना के निष्पादन लेखा-परीक्षण को पैराग्राफ (1) की आवश्यकता को पूरा किया जाता हुआ माना जाएगा।

(3) इस उप-प्रभाग द्वारा अपेक्षित किसी भी लेखा-परीक्षण का परिणाम संबंधित स्कूल ज़िले, सामुदायिक कॉलेज ज़िले, काउंटी के शिक्षा कार्यालय, या चार्टर स्कूल की इंटरनेट वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

(b) (1) (A) इस भाग से निधियों की माँग करने वाली किसी परियोजना या परियोजनाओं को अनुमोदित करने से पहले किसी स्कूल ज़िले का शासकीय बोर्ड, काउंटी का शिक्षा बोर्ड, या किसी चार्टर स्कूल का शासी निकाय प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रस्तावित की जा रही परियोजना या परियोजनाओं के संबंध में जनता के सदस्यों से इनपुट लेने के लिए कम से कम एक सार्वजनिक सुनवाई करेगी।

(B) विधानमंडल द्वारा इस भाग द्वारा प्राधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से वित्तपोषित करने के लिए किसी परियोजना या परियोजनाओं पर विचार करने के लिए अनुरोध को अनुमोदित करने से पहले किसी सामुदायिक कॉलेज ज़िले का शासकीय बोर्ड विचार किए जाने के लिए अनुरोध की जा रही परियोजना या परियोजनाओं के संबंध में जनता के सदस्यों से इनपुट लेने के लिए कम से कम एक सार्वजनिक सुनवाई करेगा।

(2) पैराग्राफ (1) के अनुसार अपेक्षित सार्वजनिक सुनवाई उसी सार्वजनिक सुनवाई में की जा सकती है जिसमें संबंधित शासकीय बोर्ड या निकाय इस भाग से निधियों की माँग करने वाली परियोजना या परियोजनाओं को अनुमोदित करता है। जन सुनवाई को संबंधित शासकीय बोर्ड या निकाय की नियमित रूप से निर्धारित और सार्वजनिक रूप से नोटिस की गई सुनवाई के भाग के रूप में आयोजित किया जा सकता है।

(3) (A) कोई स्कूल ज़िला, काउंटी का शिक्षा कार्यालय, चार्टर स्कूल, या सामुदायिक कॉलेज ज़िला इस भाग से निधियों की माँग या अनुरोध करने वाली परियोजना या परियोजनाओं के संबंध में जानकारी अपनी सार्वजनिक इंटरनेट वेबसाइट पर पोस्ट करेगा जिन्हें संबंधित शासकीय बोर्ड या निकाय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(B) उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार इंटरनेट वेबसाइट पर दर्शाई गई परियोजना की जानकारी में परियोजना या परियोजनाओं का स्थान, अनुमानित परियोजना लागतें, और परियोजना या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानित समय-सीमा शामिल होगी, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

(4) (A) कोई स्कूल ज़िला, काउंटी का शिक्षा कार्यालय, चार्टर स्कूल, या सामुदायिक कॉलेज ज़िला उप-प्रभाग (a) के अनुसार अपेक्षित लेखा-परीक्षण के लिए आवश्यक वित्तीय लेखे, दस्तावेज़, और रिकॉर्ड्स अपने पास रखेगा।

(B) इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए कोई स्कूल ज़िला, काउंटी का शिक्षा कार्यालय, चार्टर स्कूल, या सामुदायिक कॉलेज ज़िला किन्हीं भी लागू होने वाले राज्य और संघीय कानूनों के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्डों को बनाए रख सकता है।

प्रस्ताव 3

2023–2024 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 125, 2023 के विधान) के विधान सभा संवैधानिक संशोधन 5 द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन द्वारा एक अनुभाग हटाकर या जोड़कर स्पष्ट रूप से California के संविधान में संशोधन किया जाता है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइकआउट टाइप~~ में प्रिंट किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाइप* में प्रिंट किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये नए हैं।

धारा I में प्रस्तावित संशोधन

पहला—कि धारा I का अनुभाग 7.5 रद्द किया जाता है।

~~अनुभाग. 7.5. California में केवल पुरुष और महिला के बीच ही विवाह वैध और मान्यता प्राप्त है।~~

दूसरा—कि धारा I में अनुभाग 7.5 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 7.5. (a) विवाह करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

(b) यह अनुभाग निम्नलिखित दोनों को आगे बढ़ाने के लिए है:

(1) जीवन और स्वच्छंदता का आनंद लेने और अनुभाग 1 द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा, प्रसन्नता और निजता खोजने और पाने के अहरणीय अधिकार।

(2) अनुभाग 7 द्वारा गारंटीकृत सम्यक प्रक्रिया और समान संरक्षण के अधिकार।

प्रस्ताव 4

2023–2024 के सामान्य सत्र के सीनेट बिल 867 द्वारा प्रस्तावित इस कानून (अध्याय 83, 2024 का विधान) को California संविधान की धारा XVI के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

यह प्रस्तावित कानून लोक संसाधन संहिता के अनुभागों में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह संकेत देने के लिए, कि वे नये हैं, *इटैलिक टाइप* में प्रिंट किया गया है।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. California के लोग निम्नलिखित सभी बातों को पाते और घोषित करते हैं:

(a) हर प्राणी को सुरक्षित साफ, किफायती पीने के पानी को पाने का अधिकार है। California राष्ट्र में इस अधिकार की घोषणा करने वाला सबसे पहला राज्य था।

(b) California की 60 प्रतिशत से अधिक नदियाँ और झरने स्वच्छ जल के संघीय मानकों को पूरा नहीं करते, और 1,000,000 से अधिक California वासियों को अभी तक सुरक्षित, किफायती, और साफ पीने का पानी सुलभ नहीं है। California को जहरीले प्रदूषण को हमारे पानी से बाहर रखने के लिए ज़रूरी निवेश करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के पास पीने के लिए साफ पानी मौजूद हो।

(c) हाल ही के वर्षों में California ने अब तक रिकॉर्ड की गई स से जानलेवा और सबसे विनाशकारी जंगल की आग की घटनाएँ देखी हैं। राज्य के इतिहास में जंगल की आग की से अधिक विनाशकारी 20 घटनाओं

में से पंद्रह पिछले दशक में हुई हैं जिनमें वर्ष 2018 में लगी सबसे जानलेवा कैम्प फायर शामिल है। जंगल की आग की घटनाओं ने 100 से अधिक लोगों की जान ली है, हजारों घरों और ढांचों को नुकसान पहुंचा है, और 2,000,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र आग से तबाह हो गया है।

(d) California की बदलती हुई जलवायु विनाशकारी जंगल की आग की घटनाओं, सूखे, गर्मी की गंभीर घटनाओं, और समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी का जोखिम बढ़ाती है, और कृषि, जल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता, और जंगलों, वाटरशेड, और वन्यजीवन के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है।

(e) ये जोखिम और प्रभाव क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हैं और स्थानीय सरकारों के संसाधनों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं जिन्हें जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर घटनाओं का सामना करना होगा।

(f) आग, बाढ़, सूखे, और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अन्य घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए समुदायों और प्राकृतिक प्रणालियों की जलवायु के प्रति मजबूती बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी निवेश करने की ज़रूरत है।

(g) जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों से निपटने के लिए योजना, निवेश, और कार्रवाई को स्थानीय और पारंपरिक जानकारी सहित उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विज्ञान द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

(h) राज्यपाल Gavin Newsom ने अनेक रिपोर्ट्स और कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिन्होंने California में जलवायु के प्रति मजबूती के लिए रोडमैप बनाया है जिससे निवेशों को गाइड करने और निर्देशित करने में सहायता मिलेगी।

(i) अधिक गरम, सूखे भविष्य से अनुकूलन करते हुए California की जल आपूर्ति रणनीति में वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 800,000 एकड़-फीट पानी को रिसाइकल और पुन: उपयोग करने, जल के अधिक कुशल इस्तेमाल और संरक्षण के जरिए 500,000 एकड़-फुट जल उपलब्ध करवाने, और वर्षा के जल को संग्रहीत करके और भूजल बेसिनों में खारे पानी को अलवणीकृत करके इस्तेमाल के लिए नया जल उपलब्ध करवाने के लिए ज़रूरी कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया है।

(j) जल संबंधी लचीलापन पोर्टफोलियो California को मछलियों की घटती हुई संख्या, भूजल पर ज़रूरत से अधिक निर्भरता और कई समुदायों में सुरक्षित पेयजल की कमी सहित लंबे समय से मौजूद चुनौतियों का सामना करते हुए अधिक गंभीर सूखे और बाढ़ और बढ़ते हुए तापमान से निपटने में सक्षम बनाने के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है।

(k) California की जंगलों की आग और वन लचीलापन कार्रवाई योजना में वन स्वास्थ्य परियोजनाओं की गति और पैमाने को बढ़ाने, समुदायों की सुरक्षा को मजबूत बनाने, और वनों को प्रबंधित करने, राज्य के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार को बढ़ावा देने और प्रगति को मापने के लिए रणनीति रेखांकित की गई है।

(*l*) अत्यधिक गर्मी के लिए कार्रवाई योजना में स्कूलों और घरों को ठंडा रखने, सामुदायिक लचीलेपन वाले केन्द्रों का सहयोग करके, और प्रकृति-आधारित समाधानों का विस्तार करके अत्यधिक गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित समुदायों की तैयारी और सुरक्षा में तेजी लाने के लिए बढ़ते हुए तापमान से समुदायों को सुरक्षित करने के लिए रणनीति को रेखांकित किया गया है।

(m) देश में पहले 30x30 संरक्षण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए California की रणनीति का उल्लेख Pathways to 30x30 में किया गया है: California की प्रकृति के संरक्षण में तेजी लाने संबंधी रिपोर्ट, जिसमें वर्ष 2030 तक 30-प्रतिशत संरक्षण के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ज़रूरी 6,000,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि और 500,000 एकड़ तटीय जल के संरक्षण की संकल्पना को रेखांकित किया गया है।

(n) कार्यकारी आदेश संख्या N-82-20 में पूरे California में प्रकृति-आधारित समाधानों का विस्तार करने के लिए रणनीति को रखांकित किया गया है। इस कार्यकारी आदेश में हमारी खाद्य और जल आपूर्तियों को सुरक्षित रखते हुए और पूरे California में अधिक समानता प्राप्त करते हुए हमारे जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार करने सहित अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के संबंध में डिलीवर करने के लिए प्रकृति और लैंडस्केप स्वास्थ्य का पुनरुद्धार करने का आह्वान किया गया है।

(o) अधिक गर्म, सूखे भविष्य के लिए California सायमन रणनीति में California में सायमन की स्वस्थ और बढ़ती हुई संख्या की ओर बढ़ने के मार्ग, कार्रवाइयाँ जो राज्य एजेंसियाँ पहले ही सायमन की संख्या को स्थिर करने और बहाल करने के लिए कर रही हैं, और आने वाले वर्षों में ज़रूरी अतिरिक्त या तेज कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया है।

(p) राज्यपाल Gavin Newsom ने 2021–22 नियमित सत्र का सीनेट बिल 1 (2021 के विधानों का अध्याय 236) पर हस्ताक्षर किए जिसमें California तटीय आयोग को अपने नियोजन, नीतियों, और गतिविधियों में समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है, और एक क्रॉस-गवर्नमेंट समूह स्थापित किया गया जिसे जनता को जागरूक करने और स्थानीय, क्षेत्रीय, और राज्य सरकार को समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी में कमी लाने के व्यवहार्य प्रयासों के बारे में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है।

(q) California की प्राकृतिक और कार्यकारी भूमि जलवायु स्मार्ट रणनीति में दर्शाया गया है कि समानता और जन स्वास्थ्य के लिए सतत कृषि पद्धतियों के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, और ये आर्थिक मजबूती को बढ़ावा दे सकती हैं, समुदायों को अत्यधिक गर्मी से बचा सकती हैं, वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं, और स्थानीय खाद्य स्रोत उपलब्ध करवा सकती हैं। ये परिणाम सभी California वासियों को लाभ पहुंचाते हैं, और विशेष रूप से ग्रामीण, अतिसंवेदनशील समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(r) कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए 2022 की स्कोपिंग योजना में जलवायु परिवर्तन से निपटने, वायु की गुणवत्ता में सुधार करने, और आर्थिक विकास में सहयोग करने और स्वच्छता के क्षेत्र में रोज़गार के स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर बढ़ने सहित पेट्रोलियम पर California की निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतियों में निवेश करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया है।

(s) प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के California के चौथे जलवायु परिवर्तन आकलन के अनुसार, हस्तक्षेप के बिना, California में जलवायु परिवर्तन की लागत 2050 तक सालाना $113,000,000,000 तक पहुंचने का अनुमान है।

(t) संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी का अनुमान है कि लचीलेपन पर खर्च किया गया हर डॉलर आपदा राहत में $6 की बचत करता है। $10,000,000,000 का निवेश आपदा राहत में $60,000,000,000 बचाने में मदद कर सकता है।

(u) राज्य के सभी क्षेत्रों में जलवायु लचीलेपन में व्यापक निवेश के लिए निधिकरण का स्रोत प्रदान करना किफायती और सार्वजनिक हित में है। इन निवेशों से सार्वजनिक लाभ होंगे जो सार्वजनिक निधिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यव्यापी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित करेंगे।

(v) 2024 का सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी और स्वच्छ वायु बॉन्ड अधिनियम Californiaके वर्तमान और भविष्य के जलवायु प्रभावों का सामना करने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक और वित्तीय रूप से ज़िम्मेदार दृष्टिकोण प्रदान करता है।

(w) जल अवसंरचना में निवेश करने से नौकरियाँ मिलेंगी, लचीलापन बढ़ेगा और स्थानीय सरकार का खर्च कम होगा।

(x) California के पार्कों, पगडंडियों, प्राकृतिक और कामकाजी भूमि और हरे-भरे शहरी क्षेत्रों में निरंतर निवेश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने और आगे की पीढ़ियों के लिए California के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में मदद करेगा।

(y) सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी और स्वच्छ वायु बॉन्ड अधिनियम 2024 से प्राप्त निधि का व्यय जंगल की आग, बाढ़, सूखे या अन्य जलवायु-संबंधी घटनाओं के प्रभावों से बचने और उनसे उबरने में समुदायों की मदद करेगा, और जंगल की आग, बाढ़, सूखे या अन्य जलवायु-संबंधी घटनाओं के प्रभावों से प्राकृतिक प्रणालियों को बहाल करने और उनकी रक्षा करने में मदद करेगा।

अनुभाग 2. प्रभाग 50 (अनुभाग 90000 से शुरू होते हुए) को सार्वजनिक संसाधन संहिता में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

प्रभाग 50. सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी और स्वच्छ वायु बॉन्ड अधिनियम 2024

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान

90000. इस विभाग को सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी और स्वच्छ वायु बॉन्ड अधिनियम 2024 के रूप में जाना जाएगा और इस तरह संदर्भित किया जा सकता है।

90050. (a) इस विभाग के अनुसार निधि खर्च करने में, एक प्रशासक राज्य एजेंसी उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी जो निजी, संघीय और स्थानीय निधि का लाभ उठाती हैं या सबसे ज़्यादा सार्वजनिक लाभ उत्पन्न करती हैं।

(b) जहाँ तक संभव हो, इस विभाग के अनुसार वित्तपोषित परियोजना में जनता को यह सूचित करने वाले संकेत शामिल होंगे कि परियोजना को सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी और स्वच्छ वायु बॉन्ड अधिनियम 2024 द्वारा वित्तपोषित है।

(c) इस विभाग के अनुसार वित्तपोषित परियोजनाओं में, जहाँ उपयुक्त हो, इस विभाग के उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी नियोजन, निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल होगी।

90100. इस विभाग के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होती हैं:

(a) "समिति" का मतलब है सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी और स्वच्छ वायु बॉन्ड वित्त समिति जो अनुभाग 95002 के अनुसरण में बनाई गई है।

(b) "समुदाय" का वही मतलब है जो सरकारी संहिता के अनुभाग 65302.10 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) में निर्धारित है।

(c) "महत्वपूर्ण सामुदायिक बुनियादी ढांचे" का मतलब है वह बुनियादी ढांचा है जो महत्वपूर्ण सामुदायिक और व्यक्तिगत कार्य प्रदान करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, पीने वाले पानी और अपशिष्ट जल के लिए बुनियादी ढांचा, आपातकालीन आश्रय, संचार और चेतावनी प्रणालियाँ, निकास मार्ग, आपातकालीन बिजली और सार्वजनिक चिकित्सा सुविधा-स्थल, स्कूल, टाउन हॉल्स, अस्पताल, स्वास्थ्य क्लीनिक, सामुदायिक केंद्र, आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाली सामुदायिक गैर-लाभकारी सुविधा-स्थल, लाइब्रेरी, बेघर आश्रय, वरिष्ठ और युवा केंद्र, बच्चे की देखभाल के लिए सुविधा-स्थल, खाद्य बैंक, किराने की दुकानें और पार्क और मनोरंजन स्थल।

(d) "वंचित समुदाय" का मतलब है एक ऐसा समुदाय जिसकी औसत घरेलू आय क्षेत्र के औसत के 80 प्रतिशत से कम या पूरे राज्य में औसत घरेलू आय के 80 प्रतिशत से कम हो।

(e) "आर्थिक रूप से परेशान क्षेत्र" का वही मतलब है जो जल संहिता के अनुभाग 79702 में निर्धारित है।

(f) "प्राकृतिक बुनियादी ढांचे" का वही मतलब है जो अनुभाग 71154 के उपखंड (c) के पैराग्राफ (3) में निर्धारित है।

(g) "गैर-लाभकारी संगठन" का मतलब है एक गैर-लाभकारी कॉर्पोरेशन जो California में व्यवसाय करने के लिए और आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 501(c)(3) के तहत योग्य है।

(h) "संरक्षण" में व्यक्तियों, संपत्ति या प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधनों को नुकसान या क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए किए जाने वाले ज़रूरी कार्य, सार्वजनिक खुले स्थान वाले क्षेत्रों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य या संपत्ति या प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधनों के निरंतर इस्तेमाल और आनंद की अनुमति देने वाले कार्य शामिल हैं। संरक्षण में साइट की निगरानी, अधिग्रहण, विकास, बहाली, परिरक्षण और व्याख्या शामिल है।

(i) (1) "बहाली" में भौतिक संरचनाओं या सुविधा-स्थलों में सुधार शामिल है और प्राकृतिक प्रणालियों और परिदृश्य विशेषताओं के मामले में, निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(A) क्षरण पर नियंत्रण।

(B) तूफ़ान के पानी को एकत्रित करना, उसका उपचार करना, उसका पुनः इस्तेमाल करना और भंडारण करना, या अन्यथा तूफ़ान के पानी के प्रदूषण को कम करना।

(C) आक्रामक प्रजातियों और हानिकारक शैवाल की बौरों पर नियंत्रण और उनका उन्मूलन।

(D) देशी प्रजातियों का रोपण।

(E) अपशिष्ट और मलबे को हटाना।

(F) निर्धारित किए गये अनुसार जलाना और ईंधन के जोखिम को कम करने के अन्य उपाय।

(G) मौजूदा या बहाल प्राकृतिक संसाधनों के खतरों को दूर करना।

(H) अंतर्धारा, तटवर्ती, बाढ़ के मैदान, या आर्द्रभूमि आवास की स्थितियों को बेहतर करना।

(I) संपत्ति या तटीय या महासागर संसाधनों के प्राकृतिक प्रणाली मूल्य को बढ़ाने के लिए अन्य पौधे और वन्यजीव आवास में सुधार करना।

(J) जल संहिता के अनुभाग 79737 के उपखंड (b) में वर्णित गतिविधियाँ।

(2) नियोजन, अनुमति, निगरानी और रिपोर्टिंग सहित, "बहाली" में वे गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं, जो बहाली के उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होती हैं।

4

4

(j) "गंभीर रूप से वंचित समुदाय" का मतलब है कोई ऐसा समुदाय जिसकी औसत घरेलू आय क्षेत्र के औसत के 60 प्रतिशत से कम या पूरे राज़्य में औसत घरेलू आय के 60 प्रतिशत से कम हो।

(k) "सामाजिक रूप से वंचित किसान या पशुपालक" का वही मतलब है जो खाद्य और कृषि संहिता के अनुभाग 512 में निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान कानून द्वारा स्वीकार्य सीमा तक लागू होगा।

(l) "राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून" का मतलब है वह राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 का अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होते हुए)) जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(m) "संरचना मज़बूत करना" में निर्माण सामग्री, प्रणालियों या असेंबलियों का स्थापन, प्रतिस्थापन या रेट्रोफिटिंग शामिल है, जिनका इस्तेमाल मौजूदा गैर-अनुरूप संरचनाओं के बाहरी डिज़ाइन और निर्माण में किया जाता है, जिसमें ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो California विनियमन संहिता के शीर्षक 24 के भाग 2 के अध्याय 7A (अनुभाग 701A.1 से शुरू होते हुए) या किसी भी उपयुक्त उत्तराधिकारी विनियामक संहिता के अनुरूप होती हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य जंगल की आग से संरचनाओं के जोखिम को कम करना या कम लागत वाली रेट्रोफिट सूची और उस सूची के अपडेट का अनुपालन करना होता है, जिसे सरकारी संहिता के अनुभाग 51189 के उपखंड (c) के पैराग्राफ (1) के अनुसार विकसित किया गया है।

(n) "जनजाति" का मतलब है संघ द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अमेरिकी जनजाति या गैर-संघीय रूप से मान्यता प्राप्त मूल अमेरिकी जनजाति जो मूल अमेरिकी विरासत आयोग द्वारा बनाई गई California जनजातीय परामर्श सूची में सूचीबद्ध है।

(o) "अतिसंवेदनशील आबादियों" का मतलब है किसी क्षेत्र या समुदाय की आबादी का एक उपसमूह जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुपातहीन रूप से बढ़े हुए जोखिम या बढ़ी हुई संवेदनशीलता का सामना करता है और जिसके पास ऐसे प्रभावों से निपटने, अनुकूल होने या उनसे उबरने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं।

(p) "जल बोर्ड" का मतलब राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड है।

90105. इस प्रभाग द्वारा प्रदान की गई निधियों को कानून द्वारा लगाई गईं किसी भी पर्यावरणीय शमन ज़रूरतों या अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए खर्च नहीं किया जाएगा।

90107. इस प्रभाग द्वारा प्रदान की गई निधियाँ अलग-थलग डेल्टा परिवहन सुविधाओं के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन, शमन या रखरखाव की लागतों का भुगतान करने के लिए खर्च नहीं की जाएंगी। वे लागतें उन जल एजेंसियों की ज़िम्मेदारी होंगी जो उन सुविधाओं के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन, शमन या रखरखाव से लाभान्वित होती हैं।

90110. इस प्रभाग के अंतर्गत पात्र आवेदक एक सार्वजनिक एजेंसी, स्थानीय एजेंसी, गैर-लाभकारी संगठन, विशेष ज़िला, संयुक्त शक्ति प्राधिकरण, जनजाति, सार्वजनिक उपयोगिता, स्थानीय सार्वजनिक स्वामित्व वाली उपयोगिता या पारस्परिक जल कंपनी होती है।

90115. विधानमंडल इस प्रभाग द्वारा वित्तपोषित प्रोग्रामों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बना सकता है।

90120. विधानमंडल का यह आशय है कि बॉन्ड की धनराशियों का इस्तेमाल शेयरधारक प्रोत्साहनों या निजी कॉर्पोरेशंस के शेयरधारकों के लिए लाभों के तौर पर नहीं किया जाएगा।

90130. इस विभाग के तहत परियोजनाओं के लिए दिए गए अनुदानों के पक्ष में, प्रशासक एजेंसी, परियोजना को समय पर शुरू करने के लिए राज्य से प्राप्तकर्ता, संबंधित संस्थाओं सहित, को अनुदान पुरस्कार की 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान कर सकती है। प्रशासक एजेंसी अग्रिम भुगतानों के इस्तेमाल के संबंध में अनुदान के प्राप्तकर्ता के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को अपनाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उचित इस्तेमाल किया जाए।

90133. इस विभाग के तहत परियोजनाओं के लिए दिए गए अनुदानों के पक्ष में, प्रशासक एजेंसी अनुदान देते समय अनुदानकर्ता की अप्रत्यक्ष लागतों की प्रतिपूर्ति करेगी। अनुदानकर्ता को अप्रत्यक्ष लागतों की प्रतिपूर्ति करते समय, प्रशासक एजेंसी अनुदानकर्ता द्वारा अनुरोधित अनुसार निम्नलिखित दरों में से एक को लागू करेगी:

(a) अनुदानकर्ता की मोल भाव की हुई अप्रत्यक्ष लागत दर उसके मोल भाव किए हुए अप्रत्यक्ष लागत दर समझौते के अनुसार होगी।

(b) संघीय विनियमन संहिता के शीर्षक 2 के भाग 200 में निर्दिष्ट न्यूनतम अप्रत्यक्ष लागत दर।

(c) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदानकर्ता द्वारा किसी अन्य राज्य एजेंसी के साथ मोल भाव की हुई दर।

(d) अनुदानकर्ता द्वारा प्रशासकीय राज्य एजेंसी को दिये गए अनुदानकर्ता के प्रोग्राम आवेदन में प्रस्तावित दर, यदि अनुदानकर्ता के पास कोई मौजूदा राज्य दर न हो।

90135. (a) प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव इस प्रभाग के अनुसार सभी प्रोग्राम और परियोजना व्ययों की सूची कम से कम सालाना, लिखित रूप में प्रकाशित करेंगे, और डाउनलोड होने वाले स्प्रेडशीट प्रारूप में एजेंसी की इंटरनेट वेबसाइट पर सूची का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप प्रकाशित करेंगे। स्प्रेडशीट में निम्नलिखित सभी जानकारी शामिल होंगी:

(1) प्रत्येक वित्तपोषित परियोजना के स्थान और फुटप्रिंट के बारे में जानकारी।

(2) परियोजना के उद्देश्य।

(3) परियोजना की स्थिति।

(4) प्रत्याशित परिणाम।

(5) परियोजना से होने वाले सार्वजनिक लाभ, जिसमें शामिल है कि क्या परियोजना से अतिसंवेदनशील आबादियों, वंचित समुदायों या गंभीर रूप से वंचित समुदायों को सार्थक और प्रत्यक्ष लाभ होगा।

(6) परियोजना की कुल लागत, यदि ज्ञात हो।

(7) प्रदान की गई बॉन्ड निधिकरण राशि।

(8) अनुदान प्राप्तकर्ता या अन्य भागीदारों द्वारा परियोजना के लिए प्रदान की गई कोई भी मेल खाती राशि।

(9) इस प्रभाग पर लागू होने योग्य अध्याय जिसके अनुसार प्राप्तकर्ता ने धन प्राप्त किया।

(b) वित्त विभाग इस प्रभाग के अनुसरण में खर्चों का एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षण प्रदान करेगा। यदि किसी ऐसी संस्था का, कानून द्वारा ज़रूरी होने पर, राज्य कानून के अनुसार लेखा-परीक्षण किया जाता है, जो इस प्रभाग द्वारा अधिकृत निधि प्राप्त करती है और कोई अनुचितता प्रकट होती है, तो California राज्य लेखा-परीक्षक या नियंत्रक इस प्र के अनुसार वित्तपोषित किसी भी या सभी गतिविधियों का पूर्ण लेखा-परीक्षण कर सकता है या करने की व्यवस्था कर सकता है। इस अनुभाग के अनुसरण में संघीय ऊर्जा विभाग या राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन अनुसंधान

और विकास केंद्र का कोई भी लेखा-परीक्षण संघीय प्रयोगशाला अनुबंध अधिनियम (सार्वजनिक अनुबंध संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 के अध्याय 7 (अनुभाग 12500 से शुरू होते हुए) के अनुसार किया जाएगा।

(c) इस प्रभाग द्वारा अधिकृत निधि के साथ कोई अनुदान जारी करने वाली राज्य एजेंसी के लिए अनुदान से निधि के व्यय को पर्याप्त रूप से रिपोर्ट करना ज़रूरी होगा।

(d) इस अनुभाग में दिए गए प्रकाशनों, लेखा-परीक्षणों, राज्यव्यापी बॉन्ड ट्रैकिंग, नकद प्रबंधन और संबंधित निरीक्षण गतिविधियों से जुड़ी लागतों को इस विभाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से वित्तपोषित किया जाएगा। ये लागतें इस विभाग द्वारा वित्तपोषित हर प्रोग्राम द्वारा आनुपातिक रूप से साझा की जाएंगी। इस प्रभाग द्वारा अधिकृत गैर-अनुदान प्रोग्रामों को प्रशासित करने के लिए की गई वास्तविक लागतों का भुगतान इस प्रभाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से किया जाएगा।

90140. इस प्रभाग के अनुसरण में उपलब्ध कुल निधियों का कम से कम 40 प्रतिशत उन परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाएगा जो अतिसंवेदनशील आबादियों या वंचित समुदायों को सार्थक और प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं। इस प्रभाग के अनुसरण में उपलब्ध कुल निधियों का कम से कम 10 प्रतिशत उन परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाएगा जो गंभीर रूप से वंचित समुदायों को सार्थक और प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं।

90150. जहाँ संभव हो, एक परियोजना जिसके लिए California संरक्षण कॉर्प्स या प्रमाणित सामुदायिक संरक्षण कॉर्प्स की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना शामिल है, जैसा कि अनुभाग 14507.5 में परिभाषित है, उसको इस विभाग के तहत अनुदान प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

90500. (a) इस प्रभाग के अनुसरण में जारी किये गए और बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन, अनुभाग 95012 के अनुसरण में जारी किये गए और बेचे गए धन-वापसी बॉन्ड्स को छोड़कर, की धनराशि को सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी और स्वच्छ वायु की निधि में जमा किया जाएगा, जिसे इस कारण से राज्य कोषागार में बनाया गया है। इस निधि में धनराशियाँ, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, इस प्रभाग के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होंगी।

(b) इस प्रभाग के अनुसरण में जारी किये गए और बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आबंटित किया जाएगा:

(1) अध्याय 2 (अनुभाग 91000 से शुरू होते हुए) के अनुसार सुरक्षित पेयजल, सूखा, बाढ़ और पानी के लचीलेपन प्रोग्रामों के लिए तीन बिलियन आठ सौ मिलियन डॉलर ($3,800,000,000)।

(2) अध्याय 3 (अनुभाग 91500 से शुरू होते हुए) के अनुसार जंगल की आग और जंगल के लचीलेपन प्रोग्रामों के लिए एक बिलियन पांच सौ मिलियन डॉलर ($1,500,000,000)।

(3) अध्याय 4 (अनुभाग 92000 से शुरू होते हुए) के अनुसार तटीय तन्यकता प्रोग्रामों के लिए एक बिलियन दो सौ मिलियन डॉलर ($1,200,000,000)।

(4) अध्याय 5 (अनुभाग 92500 से शुरू होते हुए) के अनुसार अत्यधिक गर्मी शमन प्रोग्रामों के लिए चार सौ पचास मिलियन डॉलर ($450,000,000)।

(5) अध्याय 6 (अनुभाग 93000 से शुरू होते हुए) के अनुसार जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति आधारित जलवायु समाधान प्रोग्रामों के लिए एक बिलियन दो सौ मिलियन डॉलर ($1,200,000,000)।

(6) अध्याय 7 (अनुभाग 93500 से शुरू होते हुए) के अनुसार जलवायु-स्मार्ट, सतत और लचीले खेतों, पशु-फार्मों और कामकाजी भूमि प्रोग्रामों के लिए तीन सौ मिलियन डॉलर ($300,000,000)।

(7) अध्याय 8 (अनुभाग 94000 से शुरू होते हुए) के अनुसार पार्क निर्माण और आउटडोर पहुँच प्रोग्रामों के लिए सात सौ मिलियन डॉलर ($700,000,000)।

(8) अध्याय 9 (अनुभाग 94500 से शुरू होते हुए) के अनुसार स्वच्छ वायु प्रोग्रामों के लिए आठ सौ पचास मिलियन डॉलर ($850,000,000)।

90600. (a) इस प्रभाग के अनुसार अनुदान प्रोग्राम के लिए आबंटित निधियों का 7 प्रतिशत या बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) जो भी कम हो, उस राशि का इस्तेमाल उस प्रोग्राम की प्रशासनिक लागतों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

(b) (1) इस प्रभाग के प्रत्येक अध्याय के अनुसार उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत तक, वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों को तकनीकी सहायता के लिए आबंटित किया जा सकता है। धन का प्रबंधन करने वाली एजेंसी, वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों के लिए एक बहु-विषयक तकनीकी सहायता प्रोग्राम संचालित करेगी।

(2) वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निधि, इस विभाग के प्रत्येक अध्याय के तहत आबंटित निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है, यदि धन का प्रबंधन करने वाली राज्य एजेंसी यह निर्धारित करती है कि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है।

90610. जहाँ तक संभव हो, इस प्रभाग के अनुसार धन प्राप्त करने वाली परियोजना, अतिसंवेदनशील आबादियों के लिए कार्यबल शिक्षा और प्रशिक्षण, ठेकेदार और नौकरी के अवसर प्रदान कर सकती है।

90620. इस प्रभाग के अनुसार आबंटित निधि का इस्तेमाल, प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और उसके विभागों, बोर्डों और संरक्षण संस्थाओं द्वारा कई लाभ प्रदान करने के लिए परिदृश्य या बहु-न्यायालयीय पैमाने पर, परियोजनाओं को सहयोगात्मक रूप से वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है।

अध्याय 2. सुरक्षित पेयजल, सूखा,
बाढ़ और पानी का लचीलापन

91000. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, सुरक्षित पेयजल, सूखा, बाढ़ और पानी के लचीलेपन प्रोग्रामों के लिए तीन बिलियन आठ सौ मिलियन डॉलर ($3,800,000,000) की राशि उपलब्ध होगी।

91010. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, California जल आपूर्ति और जल गुणवत्ता की रक्षा और वृद्धि के लिए एक बिलियन आठ सौ पिचासी मिलियन डॉलर ($1,885,000,000) उपलब्ध होंगे।

91011. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, जल गुणवत्ता में सुधार करने या स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए जल बोर्ड को छह सौ दस मिलियन डॉलर

4

($610,000,000) अनुदान या ऋण के लिए उपलब्ध होंगे। योग्य परियोजनाओं में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(1) स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करने वाली परियोजनाएँ।

(2) ऐसी परियोजनाएँ जो जल गुणवत्ता निगरानी और परफ्लुओरोएल्काइल और पॉलीफ्लुओरोएल्काइल पदार्थों के उपचार को बढ़ाती हैं।

(3) सुरक्षित पेयजल की किफायत को बढ़ाने के लिए अभिनव परियोजनाएँ।

(4) ऐसी परियोजनाएँ जो जल संहिता के प्रभाग 6 के भाग 2.55 के अध्याय 10 (अनुभाग 10609.40 से शुरू होते हुए) के अनुसरण में अपनाई गई पूरी काउंटी की सूखे और जल की कमी की आकस्मिक योजनाओं को लागू करती हैं।

(5) ऐसी परियोजनाएँ जो समुदाय के लिए पेयजल के प्रमुख स्रोत के रूप में काम करने वाले भूजल के संदूषण को रोकती हैं, कम करती हैं या उसका उपचार करती हैं।

(6) जल या अपशिष्ट जल प्रणालियों को समेकित करने या वर्तमान में अपर्याप्त ऑनसाइट सीवर उपचार प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले आवासों तक अपशिष्ट जल सेवा का विस्तार करने वाली परियोजनाएँ।

(7) पेयजल में हेक्सावेलेंट क्रोमियम को संबोधित करने वाली परियोजनाएँ और तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए अनुदान।

(8) (A) जनजातीय जल अवसंरचना परियोजनाएँ जो जनजातीय समुदायों को सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध कराती हैं।

(B) उप-पैराग्राफ (A) में वर्णित परियोजनाओं को पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से कम राशि आबंटित नहीं की जाएगी।

(b) यदि पेयजल कुएं या प्रणाली के संदूषण में योगदान देने के लिए किसी ज़िम्मेदार पार्टी की पहचान की जाती है, तो उस ढांचे के लिए ज़िम्मेदार जल प्रणाली या सार्वजनिक एजेंसी, जल गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, पेयजल अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रतिस्पर्धी राज्य अनुदान प्रोग्राम निधि के लिए आवेदन कर सकती है। अनुदान आवेदक, उस राशि के वित्तपोषण के लिए आवेदन कर सकता है जो ज़िम्मेदार पार्टी को अवसंरचना परियोजना में योगदान करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक या अतिरिक्त है।

(c) पूरे राज्य में योग्य परियोजनाओं के लिए उचित भौगोलिक आबंटन पर विचार किया जाएगा, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी California और अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्र दोनों शामिल हैं।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में किए गए आबंटन का कम से कम 40 प्रतिशत वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों को लाभान्वित करेगा।

(e) 500 से कम व्यक्तियों की आबादी वाले गंभीर रूप से वंचित समुदायों के लिए जो 100 से अधिक सेवा कनेक्शनों की सेवा नहीं करते हैं, पात्र परियोजनाओं के लिए प्रति सेवा कनेक्शन कोई अधिकतम राशि नहीं होगी।

91012. (a) अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, तीन सौ छियासी मिलियन दो लाख पचास हज़ार डॉलर ($386,250,000) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, भूजल भंडारण, भूजल बैंकिंग, भूजल पुनर्भरण, या अंतर्प्रवाह प्रवाह परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए जल संसाधन विभाग को उपलब्ध होंगे जो भूजल और सतही जल आपूर्ति के संयुक्त इस्तेमाल का समर्थन करते हैं। इस उपखंड के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई निधियों में से, कम से कम पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) उन परियोजनाओं के लिए होंगे जो आदिवासी समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं।

(b) उपखंड (a) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ तिरानबे मिलियन एक सौ पच्चीस हजार डॉलर ($193,125,000) उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे जो भूजल भंडारण को बढ़ाते हैं, भूजल भंडारण के प्रबंधन और संचालन में सुधार करते हैं, या भूजल बैंकिंग के लिए हैं, और सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम (जल संहिता के प्रभाग 6 के भाग 2.74 (अनुभाग 10720 से शुरू होते हुए)) के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।

(c) (1) उपखंड (a) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ तिरानबे मिलियन एक सौ पच्चीस हजार डॉलर ($193,125,000) उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे जो संयुक्त इस्तेमाल और भूजल पुनर्भरण का समर्थन करते हैं। परियोजनाएँ निम्नलिखित लाभ प्रदान करेंगी:

(A) बेहतर क्षेत्रीय जलग्रहण प्रबंधन प्रदान करना।

(B) किसी क्षेत्र के लिए वर्तमान और अनुमानित सूखे की स्थिति को संबोधित करना और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन प्रदर्शित करना।

(C) मछली और वन्यजीवों को पारिस्थितिकी-तंत्र लाभ प्रदान करना और एनाड्रोमस मछली के लिए अनुभाग प्रवाह में सुधार करना।

(2) पूरे राज्य में योग्य परियोजनाओं के लिए उचित भौगोलिक आबंटन पर विचार किया जाएगा, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी California और अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्र दोनों शामिल हैं।

91013. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, भूजल स्थिरता परियोजनाओं के लिए संरक्षण विभाग के ऐसे बहु-लाभ भूमि पुनर्प्रयोजन प्रोग्राम के लिए दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) उपलब्ध होंगे, जो भूजल के इस्तेमाल को कम करते हैं, सिंचित कृषि भूमि का पुनर्प्रयोजन करते हैं, वन्यजीव आवास प्रदान करते हैं, सूखे के प्रति तन्यकता या बाढ़ के पानी के प्रबंधन में सुधार करते हैं, या सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम (जल संहिता के प्रभाग 6 के भाग 2.74 (अनुभाग 10720 से शुरू होते हुए)) के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।

91014. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, तीन सौ छियासी मिलियन दो सौ पचास हज़ार डॉलर ($386,250,000) जल बोर्ड को जल के पुन: इस्तेमाल और पुनर्चक्रण से संबंधित अनुदानों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) पीने के पानी और गैर-पीने योग्य जल पुनर्चक्रण परियोजनाओं के लिए उपचार, भंडारण, परिवहन और वितरण सुविधा-स्थल।

(2) पुनर्चक्रित जल के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि और औद्योगिक अंतिम उपयोगकर्ता रेट्रोफिट परियोजनाओं की सेवा के लिए समर्पित वितरण अवसंरचना।

(3) बहु-लाभ वाली पुनर्चक्रित जल परियोजनाएँ जो जल की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय लागत हिस्सेदारी की आवश्यकता

होगी। वंचित समुदायों या गंभीर रूप से वंचित समुदायों के लिए लागत साझाकरण को निलंबित या कम किया जा सकता है, या किसी बड़े सेवा क्षेत्र परियोजना के भीतर वंचित समुदायों या गंभीर रूप से वंचित समुदायों के लिए आनुपातिक बनाया जा सकता है। कोई भी ऋण, अनुदान या अन्य प्राप्त निधि, चाहे वह किसी भी वित्तपोषण स्रोत से प्राप्त हो, स्थानीय लागत साझाकरण के तौर पर योग्य होगा।

(c) जल बोर्ड, बड़े पैमाने पर जल पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुदान वित्तपोषण आवश्यकताओं को अपनाएगा, जिसमें निम्नलिखित सभी आवश्यकताएँ शामिल हैं:

(1) सहायक सुविधा-स्थल जो बड़े पैमाने पर जल पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग परियोजनाओं का हिस्सा हैं, वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे। सहायक सुविधा-स्थलों में पाइपलाइन, निष्कर्षण कुएं, इंजेक्शन कुएं, पुनर्भरण बेसिन्स और नाइट्रोजन निष्कासन उपचार प्रणालियाँ, प्रासंगिक संरचनाएँ और कनेक्शन असेंबलीज़ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(2) यह अनुभाग जल बोर्ड को कई परियोजना चरणों या घटकों के लिए या परियोजना विकास अवधि के दौरान एक से अधिक बार बड़े पैमाने पर जल पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग परियोजना को वित्त पोषण देने से नहीं रोकता है। जल बोर्ड को जल वितरण के लिए उपयोगकर्ता समझौतों या अनुबंधों की आवश्यकता नहीं होगी, न ही अनुदान निधि प्रदान करने की शर्त के रूप में, अनुवर्ती अनुदान आवेदन को प्रस्तुत करने से पहले परियोजना का पूर्ण समापन आवश्यक होगा।

(3) अनुदान निधि का कम से कम 10 प्रतिशत, नियोजन और डिज़ाइन के उद्देश्य से प्रदान किया जाएगा।

(4) उत्तरी और दक्षिणी California और तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में पात्र परियोजनाओं के लिए उचित भौगोलिक आबंटन।

91015. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) California जल आयोग को जल भंडारण निवेश प्रोग्राम के तहत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे। इन निधियों और आयोग को लौटाई गई किसी भी निधियों के लिए प्राथमिकता, मूल अनुदान आवेदनों के बाद से, मुद्रास्फीति के कारण, लागत में वृद्धि और सार्वजनिक लाभों में किसी भी वृद्धि को दर्शाने के लिए, पूरक अनुदान प्रदान करके मौजूदा अनुमोदित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का समर्थन करना होगा।

91016. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, California के जल और सूखे के प्रति लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए खारे विलवणीकरण, संदूषक और नमक हटाने, और लवणता प्रबंधन परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए बासठ मिलियन पांच सौ हजार डॉलर ($62,500,000) उपलब्ध होंगे। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो संचालन के दौरान नए वृद्धिशील पात्र नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं और उनके निर्माण और संचालन से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं।

91017. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, जल डेटा प्रबंधन में सुधार करने और मौजूदा स्ट्रीम गेज को फिर से सक्रिय करने और नए गेज लगाने के लिए जल संसाधन विभाग और जल बोर्ड को जल संहिता के अनुभाग 144 को लागू करने के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) उपलब्ध होंगे।

91018. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) क्षेत्रीय परिवहन परियोजनाओं या मौजूदा परिवहनों की मरम्मत के लिए प्रतिस्पर्धी अनुदानों के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और जल संसाधन विभाग को उपलब्ध होंगे। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो निम्नलिखित में से एक या अधिक लाभ प्रदान करती हैं:

(a) क्षेत्रीय या अंतरक्षेत्रीय जल आपूर्ति या जल आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार।

(b) भूजल पुनर्भरण में वृद्धि या भूजल ओवरड्राफ्ट, लवणता अंतर्वेधन, जल की गुणवत्ता में गिरावट या अवतलन की स्थितियों का शमन।

(c) जलीय परिवर्तनों के प्रभावों के लिए अनुकूलन।

(d) सूखे, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य घटनाओं, जो जल आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं, से जल सुरक्षा में सुधार।

(e) वंचित समुदायों और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

91019. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) जल संसाधन विभाग को कृषि और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे।

91020. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक बिलियन एक सौ चालीस मिलियन डॉलर ($1,140,000,000) बाढ़ के जोखिम को कम करने और तूफानी जल प्रबंधन में सुधार करने के लिए उपलब्ध होंगे।

91021. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91020 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पाँच सौ पचास मिलियन डॉलर ($550,000,000) बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और उसके विभागों, बोर्डों और संरक्षणों को उपलब्ध होंगे। बाढ़ सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रकार्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं को, अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हुए, प्राथमिकता दी जाएगी। इस अनुभाग के अनुसरण में किए गए आबंटन का कम से कम 40 प्रतिशत वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों को लाभान्वित करेगा। निधि को निम्नानुसार आबंटित किया जाएगा:

(a) बाढ़ सुरक्षा बढ़ाने और जलवायु की तन्यकता को सुधारने के लिए मौजूदा तटबंधों में सुधार करने के लिए Sacramento-San Joaquin Delta में परियोजनाओं के लिए एक सौ पचास मिलियन डॉलर ($150,000,000) उपलब्ध होंगे। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "Sacramento-San Joaquin Delta" का वही मतलब है जो जल संहिता के अनुभाग 12220 में वर्णित है।

(b) बाढ़ नियंत्रण अनुदान प्रोग्राम को लागू करने वाली परियोजनाओं के लिए एक सौ पचास मिलियन डॉलर ($150,000,000) उपलब्ध होंगे।

(c) बाढ़ नियंत्रण की राज्य योजना के तटबंधों, बांधों, बाईपासों और सुविधा-स्थलों के प्रणालीगत मूल्यांकन, मरम्मत, पुनर्वासन, पुनर्निर्माण, विस्तार या प्रतिस्थापन से संबंधित परियोजनाओं के लिए दो सौ पचास मिलियन डॉलर ($250,000,000) उपलब्ध होंगे।

91022. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91020 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, जल संसाधन विभाग को, बांध सुरक्षा और जलाशय संचालन को बढ़ाने वाले और जल संहिता

4

4

के अनुभाग 6700 के अनुसार सार्वजनिक लाभों की रक्षा करने वाले बांध सुरक्षा और जलवायु की तन्यकता के लिए स्थानीय सहायता प्रोग्रामों के लिए प्रतिस्पर्धी अनुदानों के लिए चार सौ अस्सी मिलियन डॉलर ($480,000,000) उपलब्ध होंगे।

91023. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91020 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, बहु-लाभ शहरी तूफानी जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए अनुदानों के लिए जल बोर्ड को एक सौ दस मिलियन डॉलर ($110,000,000) उपलब्ध होंगे। इस अनुभाग के अनुसरण में वित्तपोषित परियोजनाएँ, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को संबोधित करेंगी और प्राकृतिक अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए बहु-लाभ प्रदान करेंगी। योग्य तूफानी-जल परियोजनाओं में शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तूफानी-जल को इकट्ठा करना और उसका पुनः उपयोग करना, कम प्रभाव वाले विकास की योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन करना, शहरी धाराओं और जलग्रहण क्षेत्रों की बहाली, मलबे के प्रवाह को कम करना और बाढ़ को कम करने में मदद करने के लिए पारगम्य सतहों को बढ़ाना।

91030. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, नदियों, झीलों और झरनों की सुरक्षा और बहाली के लिए, और जलग्रहण क्षेत्र के भीतर मछलियों और वन्यजीवों की तन्यकता सहित जलग्रहण क्षेत्र की तन्यकता में सुधार करने के लिए छह सौ पांच मिलियन डॉलर ($605,000,000) उपलब्ध होंगे।

91031. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91030 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर जलवायु तन्यकता सुधारने के लिए जल संसाधन विभाग को एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) उपलब्ध होंगे। जलवायु जोखिम से जुड़े प्रभावों को संबोधित करने के लिए विभाग, एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन प्रोग्राम के लिए दिशा-निर्देशों को अपडेट और संशोधित करेगा।

91032. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91030 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, तीन सौ पैंतीस मिलियन डॉलर ($335,000,000) नदियों, आर्द्रभूमि, धाराओं, झीलों और जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा और पुनर्स्थापना करने वाली परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे, और मछलियों और वन्यजीवों की तन्यकता में सुधार करेंगे। परियोजनाएँ जलवायु की तन्यकता, जल आपूर्ति या जल गुणवत्ता में सुधार करेंगी। जहाँ तक संभव हो, प्राकृतिक अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अनुभाग के अनुसरण में किए गए आबंटन का कम से कम 40 प्रतिशत वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों को लाभान्वित करेगा। इस अनुभाग के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई निधियों को निम्नानुसार आबंटित किया जाएगा:

(a) प्रभाग 22.8 (अनुभाग 32600 से शुरू होते हुए) के अनुसरण में उन परियोजनाओं के लिए चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000) उपलब्ध होंगे जो जलवायु की तन्यकता या Los Angeles नदी जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा में सुधार करती हैं या लोअर Los Angeles नदी पुनरोद्धार योजना के अनुरूप हैं।

(b) प्रभाग 23 (अनुभाग 33000 से शुरू होते हुए) के अनुसरण में उन परियोजनाओं के लिए चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000) उपलब्ध होंगे जो जलवायु तन्यकता या Los Angeles नदी जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा में सुधार करती हैं और अनुभाग 33220 या Los Angeles नदी मास्टर प्लान के अनुसार अपर Los Angeles नदी और सहायक नदियों के कार्य समूह द्वारा विकसित पुनरोद्धार योजना का हिस्सा हैं।

(c) जलवायु तन्यकता में सुधार करने वाली परियोजनाओं के लिए जल संहिता के अनुभाग 7049 के अनुसार स्थापित रिवराइन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम के लिए पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) उपलब्ध होंगे।

(d) Santa Ana नदी संरक्षण प्रोग्राम के लिए राज्य तटीय संरक्षण के लिए पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) उपलब्ध होंगे।

(e) जल संहिता के अनुभाग 7048 के अनुसरण में स्थापित शहरी जलधारा पुनर्स्थापन प्रोग्राम के तहत ऐसे बहु-लाभ शहरी जलधारा और नदी परियोजनाओं के लिए पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) उपलब्ध होंगे, जो तटीय आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापना करती हैं, जलवायु की तन्यकता में सुधार करती हैं, प्राकृतिक जल निकासी को बढ़ाती हैं, वाटरशेड की रक्षा और पुनर्स्थापना करती हैं, और सार्वजनिक पहुँच प्रदान करती हैं।

(f) प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को, वन्यजीव शरणस्थलों और आर्द्रभूमि आवास क्षेत्रों की स्थितियों में सुधार करने वाली परियोजनाओं के लिए पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) उपलब्ध होंगे। परियोजनाओं में, संघीय सेंट्रल वैली परियोजना सुधार अधिनियम (सार्वजनिक कानून 102-575 का शीर्षक 34) के अनुभाग 3406 के उपखंड (d) के अनुपालन को पूरा करने के इच्छुक विक्रेताओं से पानी का अधिग्रहण और वितरण और जल परिवहन अधिकार और Lower Klamath राष्ट्रीय वन्यजीव शरणस्थल के लिए पानी और परिवहन अधिकारों का अधिग्रहण शामिल हो सकता है।

(g) Lower American River संरक्षण प्रोग्राम के लिए वन्यजीव संरक्षण बोर्ड को दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) उपलब्ध होंगे।

(h) Santa Clara काउंटी में Coyote Valley संरक्षण प्रोग्राम के जरिए वाटरशेड्स की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए राज्य तटीय संरक्षण को पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) उपलब्ध होंगे।

(i) West Coyote Hills प्रोग्राम के जरिए वाटरशेड्स की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए राज्य तटीय संरक्षण को पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) उपलब्ध होंगे।

(j) (1) उन परियोजनाओं के लिए ऋण या अनुदान के लिए जल बोर्ड को पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) उपलब्ध होंगे जो California-Mexico सीमा पार नदियों और तटीय जल में उत्पन्न होने वाली जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस उपखंड के तहत Tijuana नदी घाटी वाटरशेड में जल गुणवत्ता परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराई जा सकती है, जैसा कि अनुभाग 71107 के अनुसरण में बनाई गई Tijuana नदी योजना में वर्णित है, और नई नदी जल गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नदी पार्कवे विकास प्रोग्राम के अनुरूप परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसा कि अनुभाग 71103.6 में वर्णित है।

(2) California के बाहर स्थित परियोजनाओं के लिए इस उपखंड के तहत दिए गए अनुदान या ऋण से California और उसके निवासियों के लिए पानी की गुणवत्ता का प्रलेखित लाभ होगा।

(3) संघीय रूप से प्रतिबद्ध निधि सुरक्षित होने और प्रत्येक के लिए एक-से-एक आधार पर व्यय के लिए उपलब्ध होने के बाद ही इस उपखंड के अनुसार द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों को राज्य मिलान के रूप में निधिकरण प्रदान की जा सकती है।

(k) Clear Lake वाटरशेड की जलवायु तन्यकता में सुधार या सुरक्षा के लिए बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) उपलब्ध होंगे।

91033. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91030 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ सत्तर मिलियन डॉलर ($170,000,000) Saltan Sea प्रबंधन प्रोग्राम 10-वर्षीय योजना को लागू करने के लिए, और उस योजना के किसी भी बाद के संशोधन, या वायु गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आवास लाभ प्रदान करने के लिए किसी भी बाद की योजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे।

(b) उपखंड (a) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) निम्नलिखित में से किसी एक के लिए उपलब्ध होंगे:

(1) Saltan Sea संरक्षण का निर्माण।

(2) Saltan Sea प्राधिकरण।

91040. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ पचास मिलियन डॉलर ($150,000,000) स्ट्रीम फ्लो एन्हांसमेंट प्रोग्राम के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के लिए वन्यजीव संरक्षण बोर्ड को उपलब्ध होंगे, इसमें पानी का अधिग्रहण या जल अधिकार, भूमि का अधिग्रहण के साथ जल अधिकार या जल पर संविदात्मक अधिकार, और अल्पकालिक या दीर्घकालिक जल हस्तांतरण और पट्टे शामिल हैं।

(b) उपखंड (a) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) मत्स्य पालन वृद्धि परियोजनाओं और प्रोग्रामों के लिए प्राकृतिक वास संवर्धन और बहाली प्रोग्राम के लिए वन्यजीव संरक्षण बोर्ड को उपलब्ध होंगे जो Sacramento और San Joaquin नदियों के वाटरशेड्स में ठंडे पानी के आवास में सायमन को फिर से लाने में सहायता करते हैं।

91045. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को प्रकृति और जलवायु शिक्षा और अनुसंधान सुविधा-स्थलों, गैर-लाभकारी संगठनों और सार्वजनिक संस्थानों, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों, California चिड़ियाघर और एक्वेरियमों का संघ द्वारा मान्यता प्राप्त, और भूगर्भिक विरासत स्थल जो विविध आबादियों की सेवा करते हैं, को अनुदान दिए जाने के लिए उपलब्ध होंगे। अनुदानों का इस्तेमाल इमारतों, उपकरणों, संरचनाओं और प्रदर्शन गैलरियों के लिए किया जा सकता है जो जलवायु, जैव विविधता और सांस्कृतिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए संग्रह प्रस्तुत करती हैं। परियोजनाएँ राज्य के 30x30 संरक्षण लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रजातियों की वसूली और जैव विविधता संरक्षण का समर्थन कर सकती हैं।

91050. इस अध्याय के अनुसार निधिकरण परियोजनाएँ पानी के लचीलेपन पोर्टफोलियो, California की जल आपूर्ति रणनीति, Central Valley बाढ़ संरक्षण योजना और सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम (जल संहिता के प्रभाग 6 के भाग 2.74 (अनुभाग 10720 से शुरू होते हुए) द्वारा स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी, यदि लागू होता है।

अध्याय 3. जंगल की आग और जंगल की तन्यकता

91500. सामुदायिक जंगल की आग के जोखिम को कम करने और जंगलों और परिदृश्यों के स्वास्थ्य और तन्यकता को बहाल करने सहित जंगल की आग की रोकथाम के लिए विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर एक अरब पांच सौ मिलियन डॉलर ($1,500,000,000) की राशि उपलब्ध होगी।

91510. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ पैंतीस मिलियन डॉलर ($135,000,000) जंगल की आग के शमन के अनुदान प्रोग्राम के लिए आपातकालीन सेवाओं के कार्यालय को उपलब्ध होंगे। आपातकालीन सेवाओं का कार्यालय इन पैसों के प्रबंधन में वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग के साथ समन्वय करेगा। अनुदान प्रोग्राम स्थानीय और राज्य एजेंसियों को अतिरिक्त निधियों का लाभ उठाने में सहायता करेगा, जिसमें संघीय एजेंसियों से समान अनुदान भी शामिल है। निधियों का इस्तेमाल उन परियोजनाओं के लिए ऋण, छूट, प्रत्यक्ष सहायता और मिलान निधियाँ प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जो जंगल की आग को रोकती हैं, तन्यकता को बढ़ाती हैं, वर्तमान जंगल की आग के जोखिम को कम करने वाली परियोजनाओं को बनाए रखती हैं, समुदायों के लिए जंगल की आग के जोखिम को कम करती हैं, या घर या समुदाय को मजबूत बनाती हैं। परियोजनाएँ वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों को लाभान्वित करेंगी। योग्य परियोजनाओं में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(1) जंगल की आग सुरक्षा के लिए अनुमोदित सामुदायिक योजना के अनुरूप लोगों और संपत्ति के लिए जंगल की आग के जोखिम को कम करने वाली परियोजनाओं के लिए स्थानीय एजेंसियों, राज्य एजेंसियों, संयुक्त शक्ति प्राधिकरणों, गैर-लाभकारी संगठनों, संसाधन संरक्षण ज़िलों और जनजातियों को अनुदान।

(2) स्थानीय एजेंसियों, राज्य एजेंसियों, संयुक्त शक्ति प्राधिकरणों, जनजातियों, संसाधन संरक्षण ज़िलों, अग्नि सुरक्षा परिषदों और गैर-लाभकारी संगठनों को महत्वपूर्ण सामुदायिक बुनियादी ढांचे की संरचना को मजबूत करने, जंगल की आग के धुएं को कम करने, निकासी केंद्रों के लिए अनुदान, जिसमें शामिल हैं सामुदायिक स्वच्छ वायु केंद्र, संरचना सुदृढ़ीकरण परियोजनाएँ जो पूरे पड़ोस और समुदायों के लिए जंगल की आग के खतरे को कम करती हैं, बहुत अधिक या उच्च आग के खतरे वाले क्षेत्रों में समुदायों के लिए अग्नि दमन उद्देश्यों के लिए जल वितरण प्रणाली में सुधार, जंगल की आग के बफ़र, और उन ढांचों को हटाने के लिए प्रोत्साहन जो खतरे के जोखिम को काफी हद तक बढ़ाते हैं।

(3) महत्वपूर्ण सामुदायिक बुनियादी ढांचे के लिए शून्य-उत्सर्जन बैकअप पावर, ऊर्जा भंडारण और माइक्रोग्रिड के लिए स्थानीय एजेंसियों, राज्य एजेंसियों, विशेष ज़िलों, संयुक्त शक्ति प्राधिकरणों, जनजातियों और गैर-लाभकारी संगठनों को सार्वजनिक उपयोगिता आयोग के समन्वय से अनुदान ताकि विद्युत सेवा की निरंतरता प्रदान हो सके, जंगल की आग को कम किया जा सके, और समुदायों को जंगल की आग, अत्यधिक गर्मी या अन्य आपदा के कारण ऊर्जा-विहीनता वाली घटनाओं, जंगल की आग या वायु प्रदूषण के कारण होने वाले व्यवधान से बचाया जा सके।

(4) California समुदायों की सुरक्षा के लिए जंगल की आग के उच्च जोखिम में स्थित घरों को फिर से तैयार करने, सख्त करने या सुरक्षित स्थान बनाने के लिए होम हार्डनिंग प्रोग्राम के तहत अनुदान।

(b) आपातकालीन सेवाओं का कार्यालय और वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग, अनुभाग 4290.1 के अनुसरण में, अग्नि जोखिम न्यूनीकरण समुदाय सूची के आधार पर स्थानीय एजेंसियों से जंगल की आग के शमन अनुदान निधिकरण आवेदनों को प्राथमिकता देंगे।

(c) आपातकालीन सेवाओं का कार्यालय और वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों, या अतिसंवेदनशील

4

आबादियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, इसमें पहुंच और कार्यात्मक ज़रूरतों वाले, सामाजिक रूप से वंचित किसानों या पशुपालकों और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान प्रोग्राम सबसे ज़रूरतमंद लोगों की अरक्षितता को कम करता है।

91520. स्थानीय आग की रोकथाम क्षमता में सुधार, वन स्वास्थ्य और लचीलेपन में सुधार, और जंगली इलाकों से आबादी वाले क्षेत्रों में फैलने वाली जंगल की आग के जोखिम को कम करने के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और उसके विभागों, बोर्डों और परियोजनाओं और अनुदानों के लिए संरक्षकों को, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक अरब दो सौ पांच मिलियन डॉलर ($1,205,000,000) उपलब्ध होंगे। जहाँ उपयुक्त हो, परियोजनाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाली ज़मीनों पर की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया निधिकरण निम्नानुसार आबंटित किया जाएगा:

(a) परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए संरक्षण विभाग के क्षेत्रीय वन और अग्नि क्षमता प्रोग्राम के लिए एक सौ पचासी मिलियन डॉलर ($185,000,000) उपलब्ध होंगे जिससे वन स्वास्थ्य और अग्नि तन्यकता में सुधार होगा, सामुदायिक अग्नि के लिए तैयारी प्रदर्शन परियोजनाएँ लागू होंगी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की सुविधा प्रदान होगी, और पूरे क्षेत्र और राज्य भर में जंगलों और अन्य परिदृश्यों में कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा मिलेगा। जंगल की आग और जंगल के लचीलेपन की कार्रवाई योजना के आधार पर, जहाँ तक संभव हो, निधिकरण आबंटित किया जाएगा।

(b) क्षेत्रीय परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक सौ सत्तर मिलियन डॉलर ($170,000,000) उपलब्ध होंगे, जिसमें अनुभाग 4810 में परिभाषित वन सहयोगियों द्वारा विकसित लैंडस्केप-स्केल की परियोजनाएँ, अनुभाग 4208 में परिभाषित क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा विकसित परियोजनाएँ और वे परियोजनाएँ जो विधानमंडल द्वारा ब्लॉक अनुदान और प्रत्यक्ष विनियोग के जरिए से राज्य संरक्षण द्वारा विकसित रणनीतियों को लागू करती हैं, शामिल हैं, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(c) दीर्घकालिक वन स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग के वन स्वास्थ्य प्रोग्राम को एक सौ पचहत्तर मिलियन डॉलर ($175,000,000) उपलब्ध होंगे जिसमें बेहतर वन प्रबंधन, निर्धारित आग, निर्धारित चराई, सांस्कृतिक आग, वन वाटरशेड बहाली, पुनर्वनीकरण, ऊपरी वाटरशेड, नदी तट, और पहाड़ी घास के मैदान की बहाली, और दीर्घकालिक कार्बन भंडारण और पृथक्करण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। निधियों का इस्तेमाल जनजातीय जंगल की आग से निपटने के अनुदान के लिए किया जा सकता है।

(d) प्रभाग 4 के भाग 2 के अध्याय 1 की धारा 2.5 (अनुभाग 4124 से शुरू होते हुए) के अनुरूप स्थानीय आग की रोकथाम के लिए अनुदान और आग की रोकथाम और जंगल की आग से निपटने के काम के लिए कार्यबल विकास का संचालन करने के लिए अनुदान के लिए वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग को एक सौ पचासी मिलियन डॉलर ($185,000,000) उपलब्ध होंगे। कार्यबल विकास अनुदान में जंगल की आग की रोकथाम करने वाले कर्मियों के लिए नामित आवास का निर्माण शामिल हो सकता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(e) अग्नि प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण या विस्तार के लिए वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग को पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) उपलब्ध होंगे।

(f) वनों और अन्य आवासों में वन स्वास्थ्य और वाटरशेड सुधार परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और पार्क और मनोरंजन विभाग को दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) उपलब्ध होंगे, इसमें रेडवुड्स, कॉनिफ़र, ओक वुडलैंड्स, पहाड़ी घास के मैदान, झाड़-झंखाड़ और तटीय वन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। परियोजनाओं में बहुत अधिक, उच्च और मध्यम आग के खतरे वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों की बहाली शामिल होगी और इसमें निर्धारित आग, सांस्कृतिक आग, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वनस्पति प्रबंधन, भूमि संरक्षण, विज्ञान-आधारित ईंधन कटौती, वाटरशेड संरक्षण, कार्बन पृथक्करण, पुराने आग प्रतिरोधी पेड़ों की सुरक्षा, या बेहतर वन स्वास्थ्य शामिल हो सकते हैं।

(g) पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) ईंधन कटौती, ढांचों को सख्त करने, रक्षात्मक स्थान बनाने, पुनर्वनीकरण, या वन स्वास्थ्य और अग्नि तन्यकता में सुधार करने के लिए लक्षित अधिग्रहण के लिए अनुदानों के लिए उपलब्ध होंगे।

(h) वाटरशेड सुधार, वन स्वास्थ्य, बायोमास इस्तेमाल, झाड़-झंखाड़ और जंगल की बहाली, और कार्यबल विकास के लिए Sierra Nevada संरक्षण के लिए तैंतीस मिलियन पाँच सौ हज़ार डॉलर ($33,500,000) उपलब्ध होंगे जो इस उपखंड से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे और वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों के व्यक्तियों के लिए कैरियर मार्ग बनाने के लिए तैयार किया गया है।

(i) वाटरशेड सुधार, वन स्वास्थ्य, बायोमास इस्तेमाल, झाड़-झंखाड़ और जंगल की बहाली, और कार्यबल विकास के लिए California Tahoe संरक्षण को पच्चीस मिलियन पांच सौ हज़ार डॉलर ($25,500,000) उपलब्ध होंगे जो इस उपखंड से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे और वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों के व्यक्तियों के लिए कैरियर मार्ग बनाने के लिए तैयार किया गया है।

(j) वाटरशेड सुधार, जंगल की आग से लड़ने की क्षमता, झाड़-झंखाड़ और जंगल की बहाली और कार्यबल विकास के लिए Santa Monica Mountains संरक्षण को तैंतीस मिलियन पांच सौ हजार डॉलर ($33,500,000) उपलब्ध होंगे जो इस उपखंड से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे और वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों के व्यक्तियों के लिए कैरियर मार्ग बनाने के लिए तैयार किया गया है।

(k) वाटरशेड सुधार, जंगल की आग से लड़ने की क्षमता, झाड़-झंखाड़ और जंगल की बहाली, और कार्यबल विकास के लिए राज्य तटीय संरक्षण को तैंतीस मिलियन पांच सौ हजार डॉलर ($33,500,000) उपलब्ध होंगे जो इस उपखंड से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे और वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों के व्यक्तियों के लिए कैरियर मार्ग बनाने के लिए तैयार किया गया है।

(l) वाटरशेड सुधार, जंगल की आग से लड़ने की क्षमता, झाड़-झंखाड़ और जंगल की बहाली, और कार्यबल विकास के लिए San Gabriel और लोअर Los Angeles Rivers और पर्वतों के संरक्षण के लिए तैंतीस मिलियन पांच सौ हजार डॉलर ($33,500,000) उपलब्ध होंगे जो इस उपखंड से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे और वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों के व्यक्तियों के लिए कैरियर मार्ग बनाने के लिए तैयार किया गया है।

(m) वाटरशेड सुधार, जंगल की आग से लड़ने की क्षमता, झाड़-झंखाड़ और जंगल की बहाली, और कार्यबल विकास के लिए San Diego Rivers Conservancy को पच्चीस मिलियन पांच सौ हजार डॉलर ($25,500,000) उपलब्ध होंगे जो इस उपखंड से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे और वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों या अतिसंवेदनशील आबादियों के व्यक्तियों के लिए कैरियर मार्ग बनाने के लिए तैयार किया गया है।

(n) अग्निशामक के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार, अग्नि के हमले की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सामुदायिक तन्यकता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जंगल की आग संरक्षण के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) उपलब्ध होंगे।

(o) वनस्पति शमन और ईंधन कटौती परियोजनाओं, सार्वजनिक शिक्षा और आउटरीच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, विशेष अग्निशमन उपकरण, और अग्निशामक स्वास्थ्य और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए California अग्निशामक संघ के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) उपलब्ध होंगे।

91530. California में गैर-दहनशील उपयोगों के लिए जंगल की आग को कम करने के लिए हटाए गए जंगल और अन्य वनस्पति कचरे का इस्तेमाल करने के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती को अधिकतम करते हैं, स्थानीय वायु गुणवत्ता लाभ प्रदान करते हैं, और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के खिलाफ स्थानीय समुदाय के लचीलेपन को बढ़ाने वाली उन परियोजनाओं के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) संरक्षण विभाग या राज्य ऊर्जा संसाधन संरक्षण और विकास आयोग को उपलब्ध होंगे।

91535. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग को प्रौद्योगिकियों के लिए उपलब्ध होंगे जो नई अग्नि प्रज्वलन का पता लगाने और मूल्यांकन में सुधार करते हैं।

91540. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पैंतीस मिलियन डॉलर ($35,000,000) बिजली ट्रांसमिशन से संबंधित जंगल की आग के जोखिम को कम करने के लिए उपलब्ध होंगे।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में निधिकरण किसी भी परिसंपत्ति के अनुपात को उस परिसंपत्ति के उस अनुपात के जीवनकाल के लिए इक्विटी पर रिटर्न के बिना वित्तपोषित किया जाएगा जिसे अन्यथा दरदाताओं द्वारा वहन किया जाता।

(c) इस अनुभाग के अनुसरण में दिया गया निधिकरण किसी भी परियोजना के अनुपात को दर-आधार से बाहर रखा जाएगा, और दरदाताओं से कोई लागत एकत्र नहीं की जा सकती है।

91545. (a) प्रदर्शित रोज़गार परियोजनाओं के लिए California संरक्षण कॉर्प्स या प्रमाणित सामुदायिक संरक्षण कॉर्प्स, जैसा कि अनुभाग 14507.5 में परिभाषित है, और गैर-लाभकारी कार्यबल संगठन को, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 91500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) उपलब्ध होंगे, जिसमें इनमें से कोई शामिल है:

(1) बेरोज़गारी को कम करने और जलवायु की तन्यकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, परिवहन, ऊर्जा और आवास बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन में राज्य की सहायता करने वाली परियोजनाएँ।

(2) प्राकृतिक आपदाओं, घोषित आपात स्थितियों, या समुदायों पर जलवायु संबंधी प्रभावों के लिए तैयारी, रोकथाम, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लिए परियोजनाएँ।

(b) उपखंड (a) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का कम से कम 60 प्रतिशत प्रमाणित सामुदायिक संरक्षण कॉर्प्स के लिए उपलब्ध होगा, जैसा कि अनुभाग 14507.5 में परिभाषित किया गया है।

(c) योग्य कार्यबल संगठनों में गैर-लाभकारी संस्थाएँ, स्थानीय एजेंसियाँ और संयुक्त शक्ति प्राधिकरण शामिल हैं जिनके पास ऐसे प्रोग्राम हैं जो पार्क और संरक्षण रोज़गार प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(d) California संरक्षण कॉर्प्स इस अनुभाग में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रमाणित सामुदायिक संरक्षण कॉर्प्स को अनुदान के रूप में उपलब्ध निधि खर्च कर सकता है।

91550. इस अध्याय के अनुसार निधिकरण परियोजनाएँ California जंगल की आग और जंगल के लचीलेपन की कार्रवाई योजना और प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग, यदि लागू हो, द्वारा स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी।

अध्याय 4. तटीय लचीलापन

92000. तटीय और महासागरीय लचीलेपन को बढ़ाने और तटीय भूमि, जल, समुदायों, प्राकृतिक संसाधनों और शहरी जलक्षेत्रों को समुद्र के स्तर में वृद्धि और अन्य जलवायु प्रभावों से बचाने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, एक अरब दो सौ मिलियन डॉलर ($1,200,000,000) की राशि उपलब्ध होगी। योग्य परियोजनाओं में तटीय आर्द्रभूमि को बहाल करने की परियोजनाएँ और समुद्र के स्तर में वृद्धि को संबोधित करने वाली परियोजनाएँ शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

92010. (a) तटीय लचीलापन परियोजनाओं और प्रोग्रामों के लिए राज्य तटीय संरक्षण द्वारा पहचानी गई परियोजनाओं के लिए, जिनमें समुद्र तटों, खाड़ियों, तटीय टीलों, आर्द्रभूमियों, तटीय जंगलों, वाटरशेड्स, पगडंडियों और सार्वजनिक पहुंच सुविधाओं की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए अनुदान और व्यय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के लिए विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से चार सौ पंद्रह मिलियन डॉलर ($415,000,000) उपलब्ध होंगे। इस अनुभाग के अनुसार उपलब्ध कराई गई निधियाँ निम्नलिखित में से किसी को भी आबंटित की जा सकती हैं:

(1) अनुभाग 31113 के अनुसार जलवायु के लिए तैयार प्रोग्राम के जरिए अनुदान।

(2) तटीय भूमि की रक्षा करने और आवासों को बहाल करने की परियोजनाएँ, जिनमें उप-ज्वारीय आवास, आर्द्रभूमि, तटवर्ती क्षेत्र, रेडवुड वन, घास के मैदान, ओक वुडलैंड्स और अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास शामिल हैं, जिनमें स्वस्थ समुद्री ऊदबिलाव आबादी की रक्षा और पुनर्स्थापित करने की परियोजनाएँ शामिल हैं।

(3) प्राकृतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ जो तटीय बाढ़, कटाव और अपवाह को कम करने के लिए वर्तमान प्राकृतिक क्षेत्रों का इस्तेमाल करती हैं।

4

4

(4) अतीत में फॉसिल-ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए अधिशेष भूमि पर सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए तटीय भूमि को बहाल करने की परियोजनाएँ।

(5) San Francisco खाड़ी क्षेत्र संरक्षण प्रोग्राम के प्रयोजनों के लिए परियोजनाएँ जो प्रभाग 21 के अध्याय 4.5 (अनुभाग 31160 से शुरू होते हुए) के अनुसरण में स्थापित की गईं।

(6) अनुभाग 31412 के अनुसरण में स्थापित कम लागत वाले तटीय आवास प्रोग्राम के अनुरूप कम लागत वाले तटीय आवास अनुदान।

(7) ऐसी परियोजनाएँ जो San Francisco खाड़ी पुनर्स्थापन प्राधिकरण अधिनियम (सरकारी संहिता का शीर्षक 7.25 (अनुभाग 66700 से शुरू होते हुए)) के अनुरूप हैं।

(b) उन परियोजनाओं के लिए जो San Francisco खाड़ी पुनर्स्थापन प्राधिकरण अधिनियम (सरकारी कोड के शीर्षक 7.25 (अनुभाग 66700 से शुरू होते हुए)) या प्रभाग 21 के अध्याय 4.5 (अनुभाग 31160 से शुरू होते हुए) के अनुसरण में स्थापित San Francisco खाड़ी क्षेत्र संरक्षण प्रोग्राम के अनुरूप हैं, इसमें समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़ प्रबंधन और आर्द्रभूमि बहाली को संबोधित करने वाली परियोजनाएँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, उपखंड (a) के अनुसार उपलब्ध कराई गई निधियों में से, कम से कम पिचासी मिलियन डॉलर ($85,000,000) उपलब्ध होंगे।

92015. तटीय और संयुक्त बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं और विकसित तटरेखा क्षेत्रों के लिए गतिविधियों के उद्देश्य से, जिसमें महत्वपूर्ण सामुदायिक बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण वर्तमान बाढ़ और बाढ़ के खतरे में परिवहन और बंदरगाह बुनियादी ढांचे शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, तीन सौ पचास मिलियन डॉलर ($350,000,000) राज्य तटीय संरक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करने वाली बहु-लाभकारी परियोजनाओं के लिए निधि आबंटित किया जाएगा, जिसमें बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और तटरेखा स्थिरता को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई तटरेखा लचीलापन परियोजनाएँ शामिल हैं जिनमें प्रकृति या प्रकृति-आधारित सुविधाओं के साथ इंजीनियरिंग शामिल है। ये निधियाँ स्थानीय एजेंसियों को संघीय वित्तपोषित तटीय बाढ़ जोखिम प्रबंधन और बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के लिए मिलान निधि के रूप में उपलब्ध होंगी।

92020. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लचीलापन बढ़ाने के लिए अनुदान के लिए California महासागर संरक्षण ट्रस्ट निधि में जमा करने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ पैंतीस मिलियन डॉलर ($135,000,000) उपलब्ध होंगे। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो समुद्री वन्यजीवों और स्वस्थ महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, उनका संरक्षण और पुनर्स्थापन करती हैं, जिनमें एस्तुरिन निवास स्थान, केल्प वन, ईलग्रास घास के मैदान और देशी सीप बेड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, या जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र की राज्य की प्रणाली को बनाए रखती हैं और स्थायी मत्स्य पालन का समर्थन करती हैं। उत्सर्जन को कम करने के लिए महासागरीय वर्तमान मानचित्रण बुनियादी ढांचे और नए समुद्री अनुसंधान बुनियादी ढांचे को खरीदने और स्थापित करने के लिए निधिकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अनुभाग के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई निधियों का इस्तेमाल आवास पुनर्प्राप्ति परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकड़-आधारित लक्ष्यों के साथ एक प्रोग्राम स्थापित करने के लिए किया जा सकता है जो केल्प वनों, ईलग्रास घास के मैदानों और देशी सीप बेड्स की सुरक्षा और पुनर्स्थापन में योगदान देगा।

92030. California समुद्र स्तर में वृद्धि का शमन और अनुकूलन अधिनियम 2021 (प्रभाग 20.6.5 (अनुभाग 30970 से शुरू होते हुए)) को लागू करने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) उपलब्ध होंगे।

92040. तटीय राज्य पार्कों में समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों को संबोधित करने, निरंतर पहुंच और मनोरंजन के अवसरों का समर्थन करने और तटीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए समुद्र स्तर में वृद्धि की अनुकूलन रणनीति को लागू करने के लिए पार्क और मनोरंजन विभाग को, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) उपलब्ध होंगे।

92050. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) निम्नलिखित सभी के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और मछली और वन्यजीव विभाग को उपलब्ध होंगे:

(a) द्वीप पर आक्रामक प्रजातियों के खतरे को कम करके और जैव सुरक्षा पहल को आगे बढ़ाकर द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापित करना।

(b) बदलती हुई समुद्री परिस्थितियों में अधिक कुशल निर्णय लेने और समय पर प्रबंधन प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग और अनुकूली सहकारी प्रबंधन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मत्स्य पालन डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण, और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए अवसरों का विस्तार करके जलवायु के लिए तैयार मत्स्य प्रबंधन को आगे बढ़ाना।

(c) समुद्री घास संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और प्रबंधन का समर्थन करना।

92060. पुराने या अप्रचलित बांधों को हटाने और संबंधित जल बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान या व्यय के लिए राज्य तटीय संरक्षण को, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) उपलब्ध होंगे। परियोजनाएँ जलवायु तन्यकता बढ़ा सकती हैं, तलछट आपूर्ति बढ़ा सकती हैं, वन्यजीवन और मछली मार्ग में सुधार कर सकती हैं, और संबंधित जल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर सकती हैं, जिसमें संबंधित योजना, निगरानी, अनुमति देना, आवास बहाली और मनोरंजक सुधार शामिल हैं।

92070. Central Valley चिनूक सायमन की आनुवंशिक रूप से विविध आबादी का समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रजातियों के संरक्षण और पुनरुत्पादन प्रयासों का समर्थन करने के लिए हैचरी को अपग्रेड करने और विस्तार के लिए और नई संरक्षण हैचरीज़ के लिए जो मछली उत्पादन में वृद्धि करती हैं और नवीनतम तकनीकों को शामिल करती हैं उनके लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) मछली और वन्यजीव विभाग को उपलब्ध होंगे।

92080. इस अध्याय के अनुसरण में निधिकरण परियोजनाएँ California तटीय आयोग, पार्क और मनोरंजन विभाग, महासागर संरक्षण परिषद, राज्य भूमि आयोग, San Fransisco खाड़ी संरक्षण

और विकास आयोग और राज्य तटीय संरक्षण द्वारा स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी, यदि लागू होती हो।

अध्याय 5. अत्यधिक गर्मी का शमन

92500. गंभीर मौसम और बढ़ते हुए तापमान पर प्रतिक्रिया करने और समुदायों में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं का समाधान करने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, चार सौ पचास मिलियन डॉलर ($450,000,000) की राशि उपलब्ध होगी। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों और अतिसंवेदनशील आबादियों को सार्थक प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं।

92510. अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने, शहरी तापमान के द्वीप पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक गर्मी वाले प्रभावों के प्रति संवेदनशील समुदायों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक लचीलेपन का निर्माण करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) योजना और अनुसंधान कार्यालय के अत्यधिक गर्मी और सामुदायिक तन्यकता प्रोग्राम के लिए उपलब्ध होंगे।

92520. स्थानीय आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने, और परिवर्तनकारी जलवायु समुदाय प्रोग्राम दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित प्राथमिकता आबादियों की तन्यकता में सुधार करने वाली उन परियोजनाओं के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ पचास मिलियन डॉलर ($150,000,000) अनुभाग 75240 के अनुसरण में स्थापित रणनीतिक विकास परिषद के परिवर्तनकारी जलवायु समुदाय प्रोग्राम के लिए उपलब्ध होंगे।

92530. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) शहरी हरियाली के लिए प्रतिस्पर्धी अनुदानों के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को उपलब्ध होंगे। ये निधियाँ उन परियोजनाओं का समर्थन करेंगी जो शहरी तापमान के द्वीप पर पड़ने वाले प्रभाव, बढ़ते हुए तापमान और अत्यधिक गर्मी के प्रभावों को कम करती हैं। योग्य परियोजनाओं में हरित सड़कों और गलियों का निर्माण और विस्तार, और ऐसे निवेश शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो विस्तारित शहरी हरियाली प्रोग्राम का समर्थन करते हैं, जो पार्क से वंचित समुदायों में हरित मनोरंजक पार्क और हरित स्कूल परिसरों के निर्माण का समर्थन करते हैं।

92540. अनुभाग 4799.12 के अनुसरण में California के शहरी वनों की रक्षा या संवर्द्धन करने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग को उपलब्ध होंगे। परियोजनाएँ शहरी तापमान के द्वीप पर पड़ने वाले प्रभाव और अत्यधिक ताप प्रभावों को कम करने में योगदान देंगी।

92550. (a) पात्र सामुदायिक सुविधाओं पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित सामुदायिक लचीलेपन केंद्रों के निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी अनुदान के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, साठ मिलियन डॉलर ($60,000,000) आपातकालीन सेवाओं के कार्यालय और सामरिक विकास परिषद को उपलब्ध होंगे। ये अनुदान उन पात्र सामुदायिक सुविधा-स्थलों को प्रदान किए जाएंगे जो व्यवधानों के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी का मॉडल तैयार करते हैं, जिसमें शून्य-उत्सर्जन बैकअप पावर, पीने का पानी, स्वच्छ हवा, शीतलन, खाद्य भंडारण, आश्रय, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाएँ, आर्थिक सहायता, पालतू जानवरों का आवास, और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय और किसी आपदा, आपातकाल की स्थिति, स्थानीय आपातकाल या ऊर्जा-विहीनता की घटना के दौरान आपातकालीन संसाधन शामिल हैं। उन प्रस्तावित केंद्रों को अनुदान प्राथमिकता दी जाएगी जो शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय-आधारित संगठनों और समुदाय के निवासियों की भागीदारी को प्रदर्शित करते हैं।

(b) आपातकालीन सेवाओं का कार्यालय और रणनीतिक विकास परिषद खाद्य और कृषि विभाग के साथ समन्वय करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुभाग 92560 के तहत निधिकरण में कोई दोहराव न हो।

(c) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होती हैं:

(1) "ऊर्जा-विहीनता इवेंट" का मतलब विद्युत उत्पादन, वितरण, या ट्रांसमिशन सिस्टम के सभी या एक हिस्से को ऊर्जा विहीन करने के लिए एक निवारक उपाय है, ऐसी स्थिति में बिजली प्रदाता उचित रूप से मानता है कि एक आसन्न और महत्वपूर्ण जोखिम है कि तेज हवाएँ, या अन्य चरम और संभावित खतरनाक मौसम की घटनाएँ, जंगल में आग लगने की संभावना को बढ़ाती हैं।

(2) "योग्य सामुदायिक सुविधा-स्थलों" में वरिष्ठ और युवा केंद्र, पार्क और मनोरंजन स्थल, पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, टाउन हॉल, खाद्य बैंक, आवासहीन आश्रय, बाल देखभाल सुविधा-स्थल, सामुदायिक केंद्र, आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले सामुदायिक गैर-लाभकारी सुविधा-स्थल, पूजा स्थल, मोबाइल साइट और मेले के मैदान प्रदान करना शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

92560. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 92500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000) California फेयर्स नेटवर्क द्वारा संचालित मेला मैदानों को अनुदानदेने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों में से एक या दोनों करने वाले संशोधनों या अपग्रेड के लिए खाद्य और कृषि विभाग को उपलब्ध होंगे:

(a) किसी आपदा, आपातकाल की स्थिति, स्थानीय आपातकाल, या ऊर्जा विहीनता की घटना के समय सामुदायिक तन्यकता लाभ प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय समुदाय, स्टेजिंग और निकासी केंद्रों के रूप में सेवा करने के लिए उन सुविधा-स्थलों की क्षमता को बढ़ाना।

(b) मल्टीरोल समुदाय, स्टेजिंग और निकासी केंद्रों के रूप में सेवा करने और स्थानीय दूरसंचार सेवा को बढ़ाने की क्षमता में सुधार करने के लिए उन सुविधा-स्थलों पर संचार और ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे को तैनात करना।

92570. इस अध्याय के अनुसरण में निधिकरण परियोजनाएँ California वासियों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी: सामुदायिक लचीलापन बनाने के लिए एक राज्य कार्रवाई योजना, और योजना और अनुसंधान कार्यालय का अत्यधिक गर्मी और सामुदायिक लचीलापन प्रोग्राम, यदि लागू होता हो।

अध्याय 6. जैव विविधता की रक्षा करना और प्रकृति-आधारित जलवायु समाधानों में तेजी लाना

93000. California की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए और प्रकृति की रक्षा करने और California के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिदृश्य स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, एक अरब दो सौ मिलियन डॉलर ($1,200,000,000) की राशि उपलब्ध होगी।

93010. (a) मछली और वन्यजीव संसाधनों और आवास की रक्षा और वृद्धि और राज्य की जैव विविधता, सार्वजनिक पहुंच और संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुदान प्रोग्रामों के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, आठ सौ सत्तर मिलियन डॉलर ($870,000,000) अनुदान प्रोग्रामों के लिए वन्यजीव संरक्षण बोर्ड को उपलब्ध होंगे। योग्य प्रोग्रामों में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(1) भूमि का अधिग्रहण।

(2) पर्यावास संवर्धन और पुनर्स्थापन।

(3) रेंजलैंड, चरागाह भूमि, और घासभूमि संरक्षण।

(4) अंतर्देशीय आर्द्रभूमि संरक्षण।

(5) कृषि भूमि पर पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली।

(6) जलवायु अनुकूलन और लचीलापन।

(7) मोनार्क तितली और परागणक बचाव।

(8) रेगिस्तान संरक्षण।

(9) ओक वुडलैंड संरक्षण।

(10) 2000 के प्राकृतिक विरासत संरक्षण टैक्स क्रेडिट अधिनियम (प्रभाग 28 (अनुभाग 37000 से शुरू होते हुए)) के अनुसार, सामान्य निधि की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य।

(b) उपखंड (a) के अनुसरण में उपलब्ध कराए गये गई निधिकरण का इस्तेमाल अन्यथा आवश्यक पर्यावरणीय शमन या अनुपालन दायित्वों को कम करने या ऑफ़सेट करने के लिए नहीं किया जायेगा, लेकिन शमन के लिए आवश्यक संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने, विस्तार करने या बढ़ाने के लिए निधिकरण साझेदारी के हिस्से के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि अनुभाग 80114 में वर्णित है, इस उपखंड में कुछ भी स्वैच्छिक समझौतों के लिए बॉन्ड निधि के व्यय को अधिकृत नहीं करता है।

93020. (a) समुदायों, मछली और वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के जोखिम को कम करने के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, तीन सौ बीस मिलियन डॉलर ($320,000,000) उपलब्ध होंगे, और इन्हें निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आबंटित किया जाएगा:

(1) Baldwin Hills संरक्षण, अड़तालीस मिलियन डॉलर ($48,000,000)।

(2) California Tahoe संरक्षण, उनतीस मिलियन डॉलर ($29,000,000)।

(3) Coachella Valley Mountains संरक्षण, ग्यारह मिलियन डॉलर ($11,000,000)।

(4) Sacramento-San Joaquin Delta संरक्षण, उनतीस मिलियन डॉलर ($29,000,000)।

(5) San Diego River संरक्षण, अड़तालीस मिलियन डॉलर ($48,000,000)।

(6) San Gabriel और लोअर Los Angeles नदियों और पर्वतों के संरक्षण, अड़तालीस मिलियन डॉलर ($48,000,000)।

(7) San Joaquin River संरक्षण, ग्यारह मिलियन डॉलर ($11,000,000)।

(8) Santa Monica Mountains संरक्षण, अड़तालीस मिलियन डॉलर ($48,000,000)।

(9) Sierra Nevada संरक्षण, अड़तालीस मिलियन डॉलर ($48,000,000)।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई निधि का 5 प्रतिशत तक उन सामुदायिक पहुंच परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जा सकता है जो वंचित समुदायों, गंभीर रूप से वंचित समुदायों और अतिसंवेदनशील आबादियों को लाभान्वित करती हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) परिवहन।

(2) शारीरिक गतिविधि प्रोग्रामिंग।

(3) संसाधन व्याख्या।

(4) बहुभाषी अनुवाद।

(5) प्राकृतिक विज्ञान।

(6) कार्यबल विकास और कैरियर मार्ग।

(7) शिक्षा।

(8) जल, पार्क, जलवायु, तटीय संरक्षण और अन्य बाहरी गतिविधियों से संबंधित संचार।

93030. आंतरिक कोस्ट रेंजिस और San Andreas फॉल्ट के साथ वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा और बहाली के लिए San Andreas कॉरिडोर प्रोग्राम की स्थापना के लिए अस्सी मिलियन डॉलर ($80,000,000) सहित आवास संयोजकता में सुधार और वन्यजीव क्रॉसिंग और गलियारे स्थापित करने की परियोजनाओं के लिए वन्यजीव संरक्षण बोर्ड को, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर ($180,000,000) उपलब्ध होंगे।

93040. जनजातीय प्रकृति-आधारित समाधान प्रोग्राम के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) उपलब्ध होंगे।

93050. दक्षिणी Ballona Creek वाटरशेड के स्वास्थ्य और लचीलेपन की रक्षा, संरक्षण और बहाल करने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुधार की परियोजनाओं के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93010 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, बाईस मिलियन डॉलर ($22,000,000) वन्यजीव संरक्षण बोर्ड को उपलब्ध होंगे।

93060. इस अध्याय के अनुसरण में निधिकरण परियोजनाएँ वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों, 30x30 रणनीति के रास्ते, प्राकृतिक और कार्यशील भूमि जलवायु स्मार्ट रणनीति,

कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए California की 2022 स्कोपिंग योजना, और California जलवायु अनुकूलन रणनीति, यदि लागू होता हो, के अनुरूप होंगी।

अध्याय 7. जलवायु स्मार्ट, टिकाऊ और लचीले खेत, खेत और कार्यशील भूमि

93500. कृषि भूमि के जलवायु लचीलेपन और स्थिरता में सुधार के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, तीन सौ मिलियन डॉलर ($300,000,000) की राशि उपलब्ध होगी।

93510. अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, एक सौ पांच मिलियन डॉलर ($105,000,000) कृषि भूमि की जलवायु तन्यकता और पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए खाद्य और कृषि विभाग के पर्यावरणीय खेती और नवाचार कार्यालय को उपलब्ध होंगे, जिन्हें योग्य परियोजनाओं को निम्नानुसार आबंटित किया जाएगा:

(a) खेतों और फार्मों पर उन अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान के लिए पैंसठ मिलियन डॉलर ($65,000,000) उपलब्ध होंगे जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, या वायुमंडलीय कार्बन हटाने या मिट्टी कार्बन के पृथक्करण में तेजी लाते हैं।

(b) जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन में सुधार करने और California के कृषि कार्यों में पानी की बचत करने वाली बहु-लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ खेत में पानी के इस्तेमाल की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राज्य जल दक्षता और संवर्धन प्रोग्राम के लिए चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000) उपलब्ध होंगे।

(c) इस अनुभाग के अनुसरण में आबंटित निधियाँ उन परियोजनाओं को आबंटित की जाएंगी जो सामाजिक रूप से वंचित किसानों और पशुपालकों को सार्थक और प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं।

93520. California की आक्रामक प्रजाति परिषद् द्वारा अनुशंसित आक्रामक प्रजाति परियोजनाओं और गतिविधियों के निधिकरण के प्रयोजनों के लिए, विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) को खाद्य और कृषि संहिता के अनुभाग 7706 के अनुसरण में स्थापित आक्रामक प्रजाति खाते में जमा किया जाएगा। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल और संरक्षित करती हैं। भौगोलिक समानता पर विचार किया जाएगा।

93530. शुल्क शीर्षक या सुविधाओं का अधिग्रहण जो जलवायु तन्यकता, खुली जगह की मिट्टी के स्वास्थ्य, वायुमंडलीय कार्बन हटाने, मिट्टी कार्बन पृथक्करण, क्षरण नियंत्रण, वाटरशेड स्वास्थ्य, जल गुणवत्ता, या जल प्रतिधारण में सुधार करता है जिनमें कृषि भूमि और रेंजलैंड की सुरक्षा, बहाली, संरक्षण और वृद्धि के लिए परियोजनाएँ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) संरक्षण विभाग को उपलब्ध होंगे। परियोजनाएँ कई लाभ प्रदान करेंगी। इस अनुभाग के अनुसरण में कृषि भूमि और रेंजलैंड परियोजनाओं के लिए निधिकरण देने में, संरक्षण विभाग छोटे और मध्यम आकार के खेतों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा।

93540. ऐसे अनुदानों के लिए जो छोटे और मध्यम आकार के खेतों, सामाजिक रूप से वंचित किसानों, शुरुआती किसानों या पशुपालकों, और अनुभवी किसानों या पशुपालकों को लाभान्वित करते हैं, और खाद्य प्रणालियों का समर्थन करने वाले कृषि बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थिरता को बढ़ाते हैं, और बाजार पहुंच बढ़ाते हैं, उन्हें विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, नब्बे मिलियन डॉलर ($90,000,000) खाद्य और कृषि विभाग को उपलब्ध होंगे। इस अनुभाग के अनुसरण में उपलब्ध कराया गया निधिकरण निम्नानुसार आबंटित किया जाएगा:

(a) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता और संबंधित नियमों के प्रासंगिक अनुभागों का अनुपालन करने के लिए एक गतिशील किसान बाजार वाहन, प्रशीतन और अन्य उपकरण सहित, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, प्रमाणित गतिशील किसानों के बाजारों से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) उपलब्ध होंगे।

4

(b) प्रमाणित किसानों के बाजारों के लिए, जैसा कि खाद्य और कृषि संहिता के अनुभाग 47004 में परिभाषित किया गया है, मछुआरों के बाजारों के लिए, जैसा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 113780 में परिभाषित किया गया है, या जनजाति-संचालित या मूल-सेवारत किसानों के बाजारों के लिए, वर्ष भर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) उपलब्ध होंगे, जिनमें निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) सभी मौसम के अनुकूल बुनियादी ढाँचे जैसे कि छतरियाँ और छाया संरचनाएँ, टेबल और बैठने की जगह, बाज़ार के स्टॉल, शौचालय और हाथ धोने के स्टेशन, टेंट वेट्स और टाई-डाउंस, यातायात प्रबंधन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाशिंग स्टेशन, बैरिकेड्स और बोलार्ड, साइकिल पार्किंग रैक और अन्य उपकरण तैयार करना।

(2) भोजन तैयार करने, खाना पकाने के प्रदर्शन और अन्य पोषण शिक्षा के लिए सुविधा-स्थल।

(3) CalFresh लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए बाजार प्रबंधकों और उत्पादकों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक लाभ ट्रांसफर पॉइंट-ऑफ़-सेल टर्मिनल।

(4) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 123279, या समकक्ष जनजातीय प्रोग्रामों के अनुसरण में संघीय WIC किसान बाजार पोषण अधिनियम 1992 (सार्वजनिक कानून 102-314) को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक नकद मूल्य लाभ स्वीकार करने के लिए उत्पादकों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण पॉइंट-ऑफ़-सेल टर्मिनल।

(5) वरिष्ठ किसानों के बाज़ार पोषण प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए अन्य उपकरण, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संहिता के शीर्षक 7 के अनुभाग 3007, या समकक्ष जनजातीय प्रोग्रामों में वर्णित है।

(c) ज़मीन के अंदर छोटे भूखंडों पर खेती, ऊंचे बेड्स, मशरूम उगाने, छत पर खेतों और खाली स्थानों और पार्कों में खेती के जरिए से सामुदायिक खाद्य उत्पादकों सहित, जैसा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 113752 में परिभाषित किया गया है, शहर या उपनगरीय सामुदायिक खेतों या उद्यानों का निर्माण या विस्तार करने वाली शहरी कृषि परियोजनाओं के लिए बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) उपलब्ध होंगे।

(d) क्षेत्रीय कृषि उपकरण साझाकरण के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) अनुदान के लिए उपलब्ध होंगे। उन परियोजनाओं और प्रोग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी जो छोटे और मध्यम आकार के खेतों और सामाजिक रूप से वंचित किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाते हैं।

(e) मूल अमेरिकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाले और जनजातीय उत्पादकों और विक्रेताओं के विकास का समर्थन करने वाले खाद्य पदार्थों को उगाने, उत्पादन करने, प्राप्त करने और उन्हें वितरित करने के लिए जनजातियों की खाद्य संप्रभुता को आगे बढ़ाने के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) उपलब्ध होंगे, निम्नलिखित परियोजनाओं सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

(1) सिंचाई और पानी का बुनियादी ढांचा।

(2) उपयोगिता और बिजली का बुनियादी ढांचा।

(3) खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा।

93550. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000) सामरिक विकास परिषद में California कृषि भूमि समानता कार्य बल के परामर्श से, सामाजिक रूप से वंचित किसानों या खेतों, आदिवासी उत्पादकों, और शुरुआती किसानों और पशुपालकों के लिए भूमि पहुंच और स्वामित्व में सुधार करने के लिए संरक्षण विभाग को उपलब्ध होंगे।

(b) संरक्षण विभाग द्वारा योग्य संस्थाओं को, जिसमें भूमि ट्रस्ट, गैर-लाभकारी संगठन, सार्वजनिक एजेंसियाँ, किसान सहकारी समितियाँ, आदिवासी सरकारें या आदिवासी संस्थाएँ शामिल होंगी, सामाजिक रूप से वंचित किसानों या पशुपालकों और शुरुआती किसानों और पशुपालकों को हस्तांतरित करने या लंबे समय के पट्टे प्रदान करने के लिए कृषि भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज वाले ऋण दे सकता है।

(c) इस अनुभाग के अनुसरण में अधिग्रहित किसी भी कृषि भूमि को पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से पहले एक कृषि भूमि संरक्षण सुगमता की आवश्यकता होगी, और विभाग को अतिरिक्त उचित पुनर्विक्रय प्रतिबंधों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि सामर्थ्य प्रावधान, पूर्व-निरोधक खरीद अधिकार, या इस उपखंड के प्रयोजनों के अनुरूप साझा अभिमूल्यन।

(d) संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि के भावी पुनर्विक्रय से मिलने वाले धन का इस्तेमाल इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किया जाना जारी रहे।

93560. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) वैनपूल वाहनों, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संबंधित सुविधा-स्थलों, जिनमें कम आय वाले कृषि कर्मियों द्वारा इस्तेमाल के लिए चार्जिंग और वैकल्पिक ईंधन बुनियादी ढांचे शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं, की तैनाती के अनुदान के लिए California वैनपूल प्राधिकरण को उपलब्ध होंगे।

93570. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000) खाद्य और कृषि विभाग के परामर्श से, ऐसे सार्वजनिक उच्चतर माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों को, जिन्हें कृषि प्रयोग स्टेशनों या कृषि अनुसंधान संस्थानों के रूप में नामित किया गया है, जलवायु तन्यकता में सुधार के लिए अनुसंधान फार्म विकसित करने के लिए अनुदान प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए राज्य के शिक्षा विभाग को उपलब्ध होंगे। इस अनुभाग के अनुसरण में प्रदान की गई निधि प्रति संस्था एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) से अधिक नहीं होगी और इसका पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे की प्रथाओं के साथ निर्माण और रखरखाव किया जाएगा।

93580. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 93500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) सामुदायिक सेवा और विकास विभाग के जरिए से कम आय वाले मौसमीकरण प्रोग्राम के फार्मकर्मी आवास घटक के हिस्से के रूप में, ऊर्जा की बचत करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार किए गए बिना लागत वाले ऊर्जा दक्षता अपग्रेड के लिए कम आय वाले फार्मकर्मी परिवारों को उपलब्ध होंगे। इन ऊर्जा दक्षता अपग्रेडों में इन्सुलेशन, केंद्रीय हीटिंग और शीतलन प्रणाली अपग्रेड, प्रकाश अपग्रेड और खिड़कियों को बदलना शामिल होगा, लेकिन ये इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं।

93590. इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होती हैं:

(a) "शुरुआती किसान या पशुपालक" का मतलब है ऐसा किसान या पशुपालक जिसने पांच से अधिक फसल वर्षों के लिए मालिक-संचालक, जमींदार, किरायेदार, या बटाईदार के रूप में किसी फसल या पशुधन में प्रामाणित बीमा योग्य हित के साथ किसी खेत या पशु-फार्म का सक्रिय रूप से संचालन और प्रबंधन नहीं किया है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि सचिव द्वारा निर्धारित किया गया है और जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संहिता के शीर्षक 7 के अनुभाग 1502 में परिभाषित किया गया है।

(b) "अनुभवी किसान या पशुपालक" का मतलब है ऐसा किसान या पशुपालक जो निम्नलिखित से में सभी हो:

(1) संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों में सेवा की है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संहिता के शीर्षक 38 के अनुभाग 101 में परिभाषित किया गया है।

(2) निम्नलिखित में से किसी एक को पूरा करता है:

(A) किसी खेत या पशु-फार्म का संचालन नहीं किया है।

(B) पांच साल से कम समय के लिए खेत या पशु-फार्म का संचालन किया है।

(3) भूतपूर्व सैनिक है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संहिता के शीर्षक 38 के अनुभाग 101 में परिभाषित किया गया है, जिसे पहली बार भूतपूर्व सैनिक का दर्जा सबसे हाल ही के पाँच वर्षों में प्राप्त हुआ है।

(4) शुरुआती अनुभवी किसान या पशुपालक है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संहिता के शीर्षक 7 के अनुभाग 1502 में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

93600. इस अध्याय के अनुसरण में निधिकृत परियोजनाएँ खाद्य और कृषि विभाग द्वारा स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों और प्राकृतिक और कार्यशील भूमि जलवायु स्मार्ट रणनीति, यदि लागू हो, के अनुरूप होंगी।

अध्याय 8. पार्क निर्माण और बाहरी पहुँच

94000. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, सात सौ मिलियन डॉलर ($700,000,000) की राशि, पार्कों, बाहरी पहुंच और शैक्षणिक संस्थानों और सुविधा-स्थलों के निर्माण और संरक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

94010. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) 2008 के प्रतिस्पर्धी अनुदान प्रोग्राम के राज्यव्यापी पार्क विकास और सामुदायिक पुनरोद्धार अधिनियम के प्रभाग 5 के अध्याय 3.3 (अनुभाग 5640 से शुरू होते हुए) में वर्णित अनुसार, पार्क

वर्चित पड़ोस में सुरक्षित पड़ोस पार्कों के निर्माण, विस्तार और नवीनीकरण के लिए पार्क और मनोरंजन विभाग को उपलब्ध होंगे।

(b) उपखंड (a) के अनुसार अनुदानों का प्रबंधन करते समय, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कई लाभ प्रदान करती हैं, जिनमें अत्यधिक गर्मी, समुद्र स्तर में वृद्धि या बाढ़ के प्रभावों को कम करना, तूफानी जल संग्रहण को बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना, स्थानीय जैव विविधता का समर्थन करना, और अन्य पर्यावरणीय लाभ शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(c) उपखंड (a) के अनुसरण में उपलब्ध राशि में से, कम से कम 10 प्रतिशत मौजूदा पार्क बुनियादी ढांचे के पुनर्वास, पुनर्प्रयोजन या पर्याप्त सुधार के लिए उपलब्ध होगी, जिससे उपयोग में वृद्धि होगी और उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि होगी या पहुंच में वृद्धि होगी, जिसमें 1990 के संघीय अमेरिकी विकलांगता अधिनियम (42 U.S.C. अनुभाग 12101 एवं अन्य) द्वारा परिभाषित विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

94020. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) वंचित समुदायों और अतिसंवेदनशील आबादियों पर जलवायु प्रभावों को कम करने और बाहरी मनोरंजन के अवसरों के निर्माण, संरक्षण और विस्तार के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और उसके विभागों, बोर्डों और संरक्षणों को उपलब्ध होंगे। योग्य परियोजनाओं में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(a) लचीलेपन और अनुकूलन को बढ़ावा देने या स्थानीय और क्षेत्रीय सार्वजनिक पार्क भूमि और खुली जगह की भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों और जल संरक्षण और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी ढांचे को संरक्षित करने के लिए शहर के पार्कों, काउंटी पार्कों, क्षेत्रीय पार्कों और खुली जगह की भूमि में सुधार।

(b) उन पार्क से वंचित समुदायों के लिए निधिकरण, जो जलवायु से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के परिणामस्वरूप पार्कों या खुले और मनोरंजन स्थान के महत्वपूर्ण नुकसान का सामना कर रहे हैं।

(c) बहु-लाभ परियोजनाएँ जो विषाक्त या खतरनाक सामग्रियों के संपर्क के जोखिमों को कम करती हैं जो जंगल की आग, बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि, या पानी के प्रदूषित निकायों में पानी के प्रवाह में कमी के परिणामस्वरूप बढ़ सकते हैं।

(d) बेहतर सार्वजनिक पहुंच, जिसमें 1990 के संघीय अमेरिकी विकलांगता अधिनियम (42 U.S.C. अनुभाग 12101 और अन्य) द्वारा परिभाषित विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच शामिल है, और राज्य के पार्कों, शहर के पार्कों, काउंटी पार्कों, क्षेत्रीय पार्कों और खुले स्थान के संरक्षण में बाहरी मनोरंजन।

(e) राज्य पार्क प्रणाली के प्राकृतिक संसाधन मूल्यों का संरक्षण, बहाली और वृद्धि और वंचित समुदायों के लिए सार्वजनिक पहुंच का विस्तार करने के लिए परियोजनाएँ, जिनमें कम लागत वाली तटीय आवास परियोजना विकास का विस्तार शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(f) वंचित समुदायों के लिए तटीय सार्वजनिक पहुंच बुनियादी ढांचा, जिसमें पगडंडियाँ, पार्किंग क्षेत्र, शौचालय, साइकिल लेन और परिवहन में सुधार करना शामिल हैं, जिनमें अनुभाग 30610.81 के अनुसार सार्वजनिक पहुंच प्रोग्राम के अनुरूप परियोजनाएँ शामिल हैं।

(g) जलीय केंद्रों सहित,सक्रिय मनोरंजक बुनियादी ढांचे के लिए पार्क की कमी के रूप में विभाग द्वारा पहचाने गए समुदायों में ऐतिहासिक कम निवेश को ठीक करने के लिए स्थानीय पार्कों के निर्माण और सुधार के लिए परियोजनाएँ, ताकि युवा स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोरंजक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

94030. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) राज्य पार्क प्रणाली के प्राकृतिक संसाधन मूल्यों के संरक्षण, बहाली और वृद्धि और मनोरंजक अवसरों और राज्य और सार्वजनिक पार्क गैर-मोटर चालित पगडंडियों तक सार्वजनिक पहुंच का विस्तार करने की परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी और उसके विभागों, बोर्डों और संरक्षणों को उपलब्ध होगा। परियोजनाओं में मौजूदा मार्गों का सुधार और विस्तार और नए मार्गों का निर्माण करना शामिल हो सकता है।

94040. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, एक सौ पचहत्तर मिलियन डॉलर ($175,000,000) विभाग के आस्थगित रखरखाव के बैकलॉग को संबोधित करने के लिए परियोजनाओं को लागू करने के लिए पार्क और मनोरंजन विभाग को उपलब्ध होगा।

94050. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94000 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) प्रकृति और जलवायु शिक्षा और अनुसंधान सुविधा-स्थलों, गैर-लाभकारी संगठनों और सार्वजनिक संस्थानों, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों, चिड़ियाघरों और एक्वेरियम्स के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त California के चिड़ियाघरों और एक्वेरियमों, और विविध आबादी की सेवा देने वाले भूगर्भिक विरासत स्थलों को अनुदान के लिए, प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को उपलब्ध होंगे। अनुदानों का इस्तेमाल इमारतों, उपकरणों, संरचनाओं और प्रदर्शन गैलरियों के लिए किया जा सकता है जो जलवायु, जैव विविधता और सांस्कृतिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए संग्रह प्रस्तुत करती हैं। परियोजनाएँ राज्य के 30x30 संरक्षण लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रजातियों की वसूली और जैव विविधता संरक्षण का समर्थन कर सकती हैं।

94060. इस अध्याय के अनुसार निधिकरण प्राप्त करने वाली परियोजनाएँ प्राकृतिक संसाधन एजेंसी द्वारा स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों, सभी के लिए आउटडोर रणनीति, और यदि लागू हो तो 30x30 की ओर मार्ग रणनीति के अनुरूप होंगी।

अध्याय 9. साफ हवा

94500. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, आठ सौ पचास मिलियन डॉलर ($850,000,000) की धनराशि स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी।

94510. (a) इस अनुभाग या अनुभाग 94520 या 94530 के अनुसार निधिकरण किसी भी परिसंपत्ति के अनुपात को उस परिसंपत्ति के उस अनुपात के जीवनकाल के लिए इक्विटी पर रिटर्न के बिना वित्तपोषित किया जाएगा जिसे अन्यथा दरदाताओं द्वारा वहन किया जाता।

(b) इस अनुभाग या अनुभाग 94520 या 94530 के अनुसार निधिकरण किसी भी परियोजना के अनुपात को दर-आधार से बाहर रखा जाएगा, और दरदाताओं से कोई लागत एकत्र नहीं की जा सकती है।

(c) विधानमंडल का यह आशय है कि बॉन्ड की धनराशियों का इस्तेमाल शेयरधारक प्रोत्साहनों या निजी कॉर्पोरेशंस के शेयरधारकों के लिए लाभों के तौर पर नहीं किया जाएगा।

94520. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, तीन सौ पच्चीस मिलियन डॉलर ($325,000,000) ऐसी स्वच्छ ऊर्जा संचरण परियोजनाओं के सार्वजनिक वित्तपोषण के लिए, जो राज्य के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं ताकि संचरण परियोजनाओं के सार्वजनिक लाभों से जुड़े दरदाता लागतों को कम या ऑफ़सेट किया जा सके, California अवसंरचना और आर्थिक विकास बैंक, राज्य ऊर्जा संसाधन संरक्षण और विकास आयोग, या विधानमंडल द्वारा चुने गए किसी अन्य निकाय को उपलब्ध होंगे।

(b) इस अनुभाग के अंतर्गत उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है जो एक से अधिक लाभ प्रदान करती हैं, जिनमें शामिल हैं, जंगल में आग लगने के जोखिम को कम करना, वंचित समुदायों में जीवाश्म ईंधन संयंत्रों पर निर्भरता कम करना, और रीकंडक्टरिंग और अन्य ग्रिड-संवर्द्धन प्रौद्योगिकियों सहित दर दबाव को कम करना, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

94530. विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण प्रोग्राम के समर्थन के लिए अनुदान या ऋण के लिए राज्य ऊर्जा संसाधन संरक्षण एवं विकास आयोग को उपलब्ध होंगे। योग्य उपयोगों में शून्य-उत्सर्जन वितरित ऊर्जा बैकअप संपत्ति, आभासी बिजली संयंत्र और मांग पक्ष ग्रिड समर्थन भी शामिल हो सकते हैं।

94540. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, अनुभाग 94500 द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से, चार सौ पचहत्तर मिलियन डॉलर ($475,000,000) अपतटीय पवन उत्पादन के विकास से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी का समर्थन करने के लिए राज्य ऊर्जा संसाधन संरक्षण एवं विकास आयोग को उपलब्ध होंगे:

(1) अपतटीय पवन उत्पादन के लिए हकदारियों और घटकों के विनिर्माण, संयोजन, मंचन और एकीकरण के लिए सार्वजनिक स्वामित्व वाली बंदरगाह सुविधा-स्थलों का निर्माण।

(2) अपतटीय पवन उत्पादन की स्थापना, रखरखाव और संचालन में शामिल जहाजों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुधार।

(3) बंदरगाह सुविधा-स्थलों में अपग्रेड।

(b) राज्य ऊर्जा संसाधन संरक्षण और विकास आयोग अनुभाग 25991 के अनुसार उपखंड (a) की संगतता में विकसित की गई रणनीतिक योजना के अनुरूप उपलब्ध कराई गई धनराशियों को खर्च कर सकता है।

(c) राज्य ऊर्जा संसाधन संरक्षण और विकास आयोग उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा जो मिलान निधि दिखा सकती हैं या जो ऐसे मंचन और एकीकरण बंदरगाहों पर स्थित हैं जिन्होंने 29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले California पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम प्रक्रिया के अनुसरण में तैयारी की सूचना जारी की है।

अध्याय 10. राजकोषीय प्रावधान

95000. (a) दस बिलियन मिलियन डॉलर ($10,000,000,000) की कुल राशि के बॉन्ड, जिसमें अनुभाग 95012 के अनुसार जारी किए गये किसी भी धनवापसी बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं है, इस प्रभाग में व्यक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार सामान्य दायित्व बॉन्ड खर्च परिक्रामी कोष की प्रतिपूर्ति के लिए जारी किए और बेचे जा सकते हैं। बॉन्ड, जब बेचे, जारी किए और वितरित किए जाते हैं, तो California राज्य का एक वैध और बाध्यकारी दायित्व गठित करेंगे और California राज्य का पूरा विश्वास और साख दोनों ही बॉन्ड के मूलधन और ब्याज के समय पर भुगतान के लिए एतद्द्वारा गिरवी रखे जाते हैं जब भी मूलधन और ब्याज देय और भुगतान योग्य हो जाते हैं।

(b) कोषाध्यक्ष समिति द्वारा अनुभाग 95003 के अनुसरण में आवश्यक या वांछनीय निर्धारित की गई राशि में समिति द्वारा उपखंड (a) के अनुसरण में अधिकृत बॉन्ड को जारी करवाएगा और बेचेगा। सरकारी संहिता के अनुभाग 16731 के अनुसरण में समिति द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले प्रस्ताव में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर बॉन्ड जारी किए और बेचे जाएँगे।

95001. इस खंड द्वारा अधिकृत बॉन्ड राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून में प्रदान किए गए अनुसार तैयार, निष्पादित, जारी किए, बेचे, भुगतान किए और भुनाए जाएँगे, और उस कानून के सभी प्रावधान, सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के उपखंडों (a) और (b) को छोड़कर, बॉन्ड्स और इस प्रभाग पर लागू होते हैं और इस प्रभाग में एतद्द्वारा शामिल किए जाते हैं जैसे कि इस प्रभाग में पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया है।

95002. (a) केवल इस प्रभाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स को राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के अनुसार जारी करने और बिक्री को अधिकृत करने के उद्देश्य से, एतद्द्वारा सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे के लिए तैयारी, और स्वच्छ वायु बॉन्ड वित्त समिति का गठन किया जाता है। इस प्रभाग के उद्देश्यों के लिए, सुरक्षित पेयजल, जंगल की आग की रोकथाम, सूखे की तैयारी, और स्वच्छ वायु बॉन्ड वित्त समिति ऐसी "समिति" है, जैसा कि इस शब्द का इस्तेमाल राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून में किया जाता है।

(b) इस समिति में वित्त निदेशक, कोषाध्यक्ष, नियंत्रक, प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव और पर्यावरण संरक्षण के लिए सचिव शामिल हैं। किसी भी अन्य कानून के बावजूद, कोई भी सदस्य सभी उद्देश्यों के लिए उस सदस्य के स्थान पर उस सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, मानो वह सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था।

(c) कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

(d) समिति का बहुमत समिति के लिए कार्रवाई कर सकता है।

95003. समिति संकल्प द्वारा यह निर्धारित करेगी कि इस प्रभाग में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए इस प्रभाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स को जारी करना और बेचना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं, और यदि हाँ, तो जारी किए जाने वाले और बेचे जाने वाले बॉन्ड्स की राशि। उन कार्यों को क्रमिक रूप से पूरा करने के लिए बॉन्ड्स के क्रमिक इश्यू अधिकृत किए और बेचे जा सकते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि जारी किए जाने के लिए अधिकृत सभी बॉन्ड्स किसी एक समय में ही बेचे जाएँ।

95004. राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के उद्देश्यों के लिए, "बोर्ड", जैसा कि सरकारी संहिता के अनुभाग 16722 में परिभाषित किया गया है, का मतलब है प्राकृतिक संसाधन एजेंसी का सचिव।

95005. उन्हें प्रत्येक वर्ष और उसी तरीके से और उसी समय एकत्र किया जाएगा जैसे कि राज्य के अन्य राजस्व को एकत्र किया जाता है, राज्य के सामान्य राजस्व के अलावा, मूलधन और उस वर्ष देय होने वाले बॉन्ड्स ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि में एक रकम रखी जाएगी। राजस्व संग्रह के संबंध में कानून द्वारा कोई भी कर्तव्य सौंपे गए अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे उस अतिरिक्त राशि को एकत्रित करने के लिए ज़रूरी हर कार्रवाई करें।

95006. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस प्रभाग के उद्देश्यों से और वित्तीय वर्षों पर ध्यान दिए बगैर, राज्य के राजकोष में सामान्य कोष से लगातार एक राशि विनियोजित की जाती है, जो निम्नलिखित के कुल योग के बराबर होगी:

(a) मूलधन और ब्याज के बकाया और देय हो जाने पर, इस प्रभाग के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स के मूलधन और उन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक वार्षिक रकम।

(b) वह राशि जो अनुभाग 95009 को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है।

95007. बोर्ड इस प्रभाग के क्रियान्वयन के उद्देश्य से, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार, पूल किए गए धन संबंधी निवेश खाते से ऋण लेने के लिए या आंतरिक वित्तपोषण के किसी भी अन्य रूप के लिए पूल किए गए धन संबंधी निवेश बोर्ड से अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि उन न बिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी, जिन्हें समिति ने प्रस्ताव के द्वारा, इस प्रभाग के क्रियान्वयन के उद्देश्य से बेचे जाने के लिए अधिकृत किया गया है, अनुभाग 95012 के अनुसार अधिकृत किसी भी धनवापसी बॉन्ड्स को छोड़कर, जिसमें से ऐसी किसी भी राशि को घटाया जाता है जो इस अनुभाग के अनुसार उधार ली गई है और अभी तक चुकाई नहीं गई है और जो अनुभाग 95009 के अनुसार सामान्य कोष से निकाली गई है और अभी तक सामान्य कोष में वापस नहीं की गई है। बोर्ड ऋण प्राप्त करने और चुकाने के लिए पूल किए गए धन संबंधी निवेश बोर्ड के द्वारा आवश्यक उन दस्तावेज़ों को निष्पादित करेगा। उधार ली गई कोई भी राशि इस प्रभाग के अनुसार आबंटित की जाने वाली निधि में जमा की जाएगी।

95008. इस प्रभाग के किसी भी अन्य प्रावधान के, या राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अध्याय के अनुसार बॉन्ड्स बेचता है जिसमें इस आशय के साथ किसी बॉन्ड वकील की राय शामिल है कि बॉन्ड्स पर ब्याज को निर्दिष्ट शर्तों के तहत संघीय टैक्स उद्देश्यों के लिए सकल आय से बाहर रखा जाता है या अन्यथा किसी भी संघीय टैक्स लाभ के हकदार हैं, कोषाध्यक्ष निवेश किए गये बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के लिए और उस धनराशि पर निवेश आमदनियों के लिए अलग-अलग खाते बना कर रख सकता है और संघीय कानून के तहत आवश्यक किसी भी छूट, जुर्माना, या अन्य भुगतान को अदा करने के लिए उन धनराशियों या आमदनियों का इस्तेमाल कर सकता है या इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकता है या उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के निवेश और इस्तेमाल के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि उन बॉन्ड्स की टैक्स-मुक्त स्थिति को बनाए रखने और इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए संघीय कानून के तहत आवश्यक या वांछनीय हो सकता है।

95009. इस प्रभाग के क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिए, वित्त निदेशक सामान्य कोष से किसी राशि या राशियों की निकासी को अधिकृत कर सकता है जो कि उन अनबिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी जिन्हें समिति के द्वारा क्रियान्वित करने के उद्देश्य से बेचे जाने के लिए अधिकृत किया गया है, अनुभाग 95012 के अनुसार अधिकृत किसी भी धनवापसी बॉन्ड्स को छोड़कर, अनुभाग 95007 के अनुसार उधार ली गई और अभी तक न चुकाई गई किसी भी राशि, और इस अनुभाग के अनुसार सामान्य कोष से निकाली गई कोई भी राशि और अभी तक सामान्य कोष में वापस न की गई हो, को घटाकर होगी। निकाली गई कोई भी राशि इस प्रभाग के अनुसार आबंटित की जाने वाली निधि में जमा की जाएगी। इस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया कोई भी धन, इस प्रभाग के क्रियान्वयन के उद्देश्य से बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त धन से, पूल किए गए धन संबंधी निवेश खाते में उस धन के द्वारा अर्जित दर पर ब्याज सहित, सामान्य कोष में वापस किया जाएगा।

95010. इस प्रभाग के अनुसार बेचे गए बॉन्ड्स पर प्रीमियमों और अर्जित ब्याज से प्राप्त निधि में जमा किया गया सारा धन निधि में आरक्षित होगा और बॉन्ड पर ब्याज के लिए खर्च के क्रेडिट के रूप में सामान्य कोष में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध होगा, सिवाय इसके कि प्राप्त राशियों को छोड़कर प्रीमियमों से प्राप्त राशि को आरक्षित किया जा सकता है और सामान्य कोष में किसी भी हस्तांतरण से पहले बॉन्ड जारी करने की लागतों का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

95011. राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के अनुसार, बॉन्ड जारी करने की लागत का भुगतान या प्रतिपूर्ति प्रीमियमों सहित, यदि कोई हो, बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन से की जाएगी। जहाँ तक बॉन्ड जारी करने की लागत का भुगतान बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त प्रीमियम से नहीं किया जाता है, इन लागतों को लागू होने वाली बॉन्ड बिक्री द्वारा इस प्रभाग के जरिए से निधिकृत प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आनुपातिक रूप से आबंटित किया जाएगा।

95012. इस प्रभाग के अनुसार जारी किए और बेचे गए बॉन्ड सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 की धारा 6 (अनुभाग 16780 से शुरू होते हुए) के अनुसार वापस किए जा सकते हैं, जो कि राज्य सामान्य बाध्यता बॉन्ड कानून का एक हिस्सा है। इस प्रभाग के तहत बॉन्ड्स को जारी करने के लिए राज्य के मतदाताओं द्वारा नुमोदन में इस प्रभाग के तहत मूल रूप से जारी किए गए किसी भी बॉन्ड की धनवापसी करने के लिए जारी किए गए किसी भी बॉन्ड या किसी भी पहले जारी किए गए धनवापसी बॉन्ड्स को जारी करने, बेचने या विनिमय करने का अनुमोदन शामिल होगा। इस अनुभाग के द्वारा अधिकृत, किसी धनवापसी बॉन्ड की धनराशियों के साथ वापस किए गए किसी भी बॉन्ड को कानूनी रूप से कानूनन अनुमत सीमा तक और संशोधित संकल्प में निर्धारित सीमा तक, उस धनवापसी किए गए बॉन्ड को अधिकृत करते हुए समाप्त किया जा सकता है।

95013. सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के बावजूद, इस प्रभाग के अनुसार प्रदान किए गए धन का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं के संबंध में जो इस प्रभाग के संबंधित प्रावधानों के उद्देश्य के अनुरूप हैं, वित्तीय संहिता के अनुभाग 22064 में वर्णित वित्तपोषण को चुकाने के लिए गैर-लाभकारी संगठनों को अनुदान और ऋण देने के लिए किया जा सकता है।

95014. इस प्रभाग के द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से मिला धन "टैक्स से प्राप्त धन" नहीं है क्योंकि यह शब्द California के संविधान की धारा XIII B में उपयोग किया जाता है, और इन धनराशियों का संवितरण उस धारा के द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन नहीं आता है।

95015. इस प्रभाग के तहत जारी किए गए बॉन्ड्स, जब भी व्यावहारिक हों, जलवायु शमन, अनुकूलन, या तन्यकता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आम तौर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और सर्वोत्तम प्रथाओं के दिशानिर्देशों के साथ संरेखित किए जा सकते हैं।

प्रस्ताव 5

2023–2024 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 173, 2023 के विधान) के विधान सभा संवैधानिक संशोधन 1 और नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 134, 2024 के विधान) के विधान सभा संवैधानिक संशोधन 10 द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन स्पष्ट रूप से California के संविधान के अनुभागों को संशोधित करके इसमें संशोधन करता है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइकआउट टाइप~~ में प्रिंट किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये नए हैं।

धारा XIII A और XVI में प्रस्तावित संशोधन

पहला—धारा XIII A के अनुभाग 1 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

अनुभाग 1. (a) अचल संपत्ति पर किसी भी यथामूल्य टैक्स की अधिकतम राशि ~~ऐसी~~ *उस* संपत्ति के पूर्ण नकद मूल्य के ~~एक~~ *1* प्रतिशत ~~(1%)~~ से अधिक नहीं होगी। ~~एक~~ *1* प्रतिशत ~~(1%)~~ टैक्स काउंटियों द्वारा एकत्र किया ~~जाए~~ *जाएगा* और काउंटियों के भीतर ज़िलों में कानून के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

(b) उपखंड (a) में प्रदान की गई सीमा निम्नलिखित में से किसी पर ब्याज और ऋणमुक्ति शुल्कों का भुगतान करने के लिए यथामूल्य टैक्सों या विशेष मूल्यांकनों पर लागू नहीं होगी:

(1) मतदाताओं द्वारा 1 जुलाई, 1978 ~~से पहले~~ *पहले* अनुमोदित की गई ऋणग्रस्तता।

(2) 1 जुलाई 1978 को या उसके बाद प्रस्ताव पर मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा डाले गए दो-तिहाई मतों द्वारा अनुमोदित अचल संपत्ति के अधिग्रहण या सुधार ~~के लिए~~ *के निधिकरण* के लिए बंधक ऋणग्रस्तता।

(3) किसी स्कूल ज़िले, सामुदायिक कॉलेज ज़िले या शिक्षा कार्यालय द्वारा स्कूल सुविधा-स्थलों के निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास या प्रतिस्थापन के लिए बंधक ऋणग्रस्तता, जिसमें स्कूल सुविधा-स्थलों की साज-सज्जा और सुसज्जित करना, या स्कूल सुविधा-स्थलों के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण या पट्टे पर लिया जाना शामिल है, जिसे ज़िले या काउंटी, जैसा उचित हो, के 55 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो ~~इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक की प्रभावी तिथि~~ *8 नवम्बर, 2000* को या उसके बाद प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। यह पैराग्राफ केवल तभी लागू होगा जब मतदाताओं द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, और जिसके परिणामस्वरूप बंधक ऋणग्रस्तता होती है, में निम्नलिखित सभी जवाबदेही आवश्यकताएँ शामिल हैं:

(A) यह आवश्यकता कि बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का इस्तेमाल केवल ~~धारा XIII A, अनुभाग 1(b)(3),~~ *इस पैराग्राफ* में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाए, और अध्यापक और प्रशासक के वेतनों और अन्य स्कूल परिचालन खर्चों सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए।

(B) वित्तपोषित की जाने वाली विशिष्ट स्कूल सुविधा-स्थल परियोजनाओं की सूची और यह प्रमाणीकरण कि स्कूल ज़िला बोर्ड, सामुदायिक कॉलेज बोर्ड, या काउंटी शिक्षा कार्यालय ने उस सूची को तैयार करते समय सुरक्षा, कक्षा के आकार में कमी, और सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है।

(C) यह आवश्यकता कि स्कूल ज़िला बोर्ड, सामुदायिक कॉलेज बोर्ड या काउंटी शिक्षा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक वार्षिक, स्वतंत्र प्रदर्शन लेखा-परीक्षण आयोजित करें कि धनराशि को केवल सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं पर खर्च किया गया है।

(D) यह आवश्यकता कि स्कूल ज़िला बोर्ड, सामुदायिक कॉलेज बोर्ड या काउंटी शिक्षा कार्यालय बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का तब तक वार्षिक, स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण आयोजित करें, जब तक कि उन समस्त धनराशियों को स्कूल सुविधा-स्थल परियोजनाओं पर खर्च न कर दिया जाए।

(4) (A) किसी शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िले द्वारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे या किफायती आवास के निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, या प्रतिस्थापन के लिए या सार्वजनिक बुनियादी ढांचे या किफायती आवास के लिए अचल संपत्ति के अधिग्रहण या पट्टे पर ली गई बंधक ऋणग्रस्तता, जिसे इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक वाले ही चुनाव में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान में या इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक की प्रभावी तिथि के बाद आयोजित किसी बाद के चुनाव में शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िले, जैसा उपयुक्त हो, के 55 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह पैराग्राफ केवल तभी लागू होगा जब मतदाताओं द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, और जिसके परिणामस्वरूप बंधक ऋणग्रस्तता होती है, में निम्नलिखित सभी जवाबदेही आवश्यकताएँ शामिल हैं:

(i) यह आवश्यकता कि बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का इस्तेमाल केवल इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाए, और शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला कर्मचारी वेतनों और अन्य परिचालन खर्चों सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। प्रस्ताव की परियोजनाओं और प्रोग्रामों को निष्पादित करने वाले शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िले की प्रशासनिक लागत बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) यह आवश्यकता कि बॉन्ड्स की बिक्री से मिला धन केवल उन परियोजनाओं और प्रोग्रामों पर खर्च किया जाए जो शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िले के अधिकार क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं।

(iii) विशिष्ट स्थानीय प्रोग्राम या अध्यादेश जिसके जरिए से परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा और यह प्रमाणन कि शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िले ने वैकल्पिक निधिकरण स्रोतों का मूल्यांकन किया है।

(iv) यह आवश्यकता कि शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला यह सुनिश्चित करने के लिए एक वार्षिक, स्वतंत्र प्रदर्शन लेखा-परीक्षण आयोजित करें कि परिच्छेद (iii) में निर्दिष्ट स्थानीय प्रोग्राम या अध्यादेश के अनुसरण में निधियाँ खर्च की गईं हैं।

(v) यह आवश्यकता कि शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का एक वार्षिक, स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण आयोजित करें, जब तक कि उन सभी धनराशियों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे या किफायती आवास परियोजनाओं, जैसा लागू हो, के लिए खर्च न कर दिया जाए।

(vi) यह आवश्यकता कि शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला परिच्छेद (iv) और (v) द्वारा आवश्यक लेखा-परीक्षण को इस तरह से पोस्ट करे जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

(vii) यह आवश्यकता है कि परिच्छेद (iv) और (v) द्वारा आवश्यक लेखा-परीक्षण समीक्षा के लिए California राज्य लेखा-परीक्षक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(viii) (I) यह आवश्यकता कि शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की निगरानी समिति नियुक्त करें कि बॉन्ड्स की बिक्री से मिला धन केवल मतदाताओं द्वारा अनुमोदित विधेयक में वर्णित उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है।

(II) उप-परिच्छेद (I) के अनुसार स्थापित निरीक्षण समिति में नियुक्त सदस्य बॉन्ड और राजकोषीय निरीक्षण के बारे में शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(ix) यह आवश्यकता कि स्थानीय अधिकारी के स्वामित्व या में नियंत्रित संस्था को, जो इस बारे में मतदान करती है कि क्या इस पैराग्राफ के अनुसार मतपत्र पर प्रस्ताव रखना है, को प्रस्ताव द्वारा निधिकृत किसी भी काम पर बोली लगाने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

(B) किसी भी अन्य कानून के बावजूद, यदि शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िले के मतदाताओं ने पहले इस पैराग्राफ के अनुसरण में पहले किसी प्रस्ताव को अनुमोदित किया हुआ है, तो शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला इस पैराग्राफ के अनुसार मतपत्र पर एक प्रस्ताव नहीं रखेगा जब तक कि पिछले प्रस्ताव से प्राप्त सभी निधियों को उस प्रस्ताव के विशिष्ट स्थानीय प्रोग्राम या उप-पैराग्राफ (A) के परिच्छेद (iii) में वर्णित अध्यादेश में सूचीबद्ध प्रोग्रामों और परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध न कर दिया जाए।

(C) (i) विधानमंडल, दो-तिहाई मतों से, उप-पैराग्राफ (A) में सूचीबद्ध लोगों के अलावा जवाबदेही के तरीकों को स्थापित करने वाले कानून बना सकता है, बशर्ते कि ऐसे कानून इस पैराग्राफ के उद्देश्यों और इरादे के अनुरूप हों।

(ii) विधानमंडल, दो-तिहाई मतों से, इस पैराग्राफ में वर्णित उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति के अधिग्रहण या पट्टे पर अतिरिक्त शर्तों या प्रतिबंधों को लागू करने वाले कानून लागू कर सकता है। इस पैराग्राफ में वर्णित उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति के अधिग्रहण या पट्टे पर किसी भी शर्त या प्रतिबंध को निरस्त करने के लिए दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होगी।

(D) विधानमंडल, बहुमत मतों से, इस पैराग्राफ के अनुसार स्थापित डाउनपेमेंट सहायता प्रोग्रामों के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते कि वे कानून इस पैराग्राफ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएँ।

(E) इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए:

(i) (I) "किफायती आवास" में आवासीय विकास या आवासीय विकास के ऐसे हिस्से शामिल होंगे, जो ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग लोगों, भूतपूर्व सैनिकों या पहली बार घर खरीदने वालों के लिए किफायती हैं, जो कि निम्न आय वाले परिवार या मध्यम आय वाले परिवार हैं जो काउंटी व्यापी औसत आय का 150 प्रतिशत तक कमाते हैं, जैसा कि उन शब्दों को राज्य कानून में परिभाषित किया गया है। किफायती आवास में पूंजीकृत परिचालन भंडार शामिल होंगे, जैसा कि यह शब्द राज्य कानून में परिभाषित किया गया है।

(II) "किफायती आवास" में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल होगा:

(ia) डाउनपेमेंट सहायता प्रोग्राम।

(ib) पहली बार घर खरीदने वालों के लिए प्रोग्राम।

(ic) स्थायी सहायक आवास, जिसमें लंबे समय तक बेघर होने के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए आवास शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिसमें मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(id) संबंधित सुविधा-स्थल, यदि किफायती आवास के निवासियों की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

(ii) "लंबे समय तक बेघर होने के जोखिम" में वे लोग शामिल हैं, जो लंबे समय तक या आवधिक बेघर होने के उच्च जोखिम पर हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिनमें संस्थागत स्थानों, जिनमें जेल और मानसिक स्वास्थ्य सुविधा-स्थल शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, से बाहर आने वाले मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति शामिल हैं, जो दाखिल होने से पहले बेघर थे, आवासहीनता का सामना करने वाले या आवास स्थिरता में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करने वाले परिवर्तनशील आयु के युवा, और अन्य, जैसा कि प्रोग्राम दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है।

(iii) "स्थायी सहायक आवास" का मतलब है आवास जिसमें ठहरने की लंबाई की कोई सीमा नहीं है, जिस पर लक्षित आबादी रहती है, और यह ऑनसाइट या ऑफ़साइट सेवाओं से जुड़ा हुआ है जो निवासियों को आवास बनाए रखने, उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने और उनकी क्षमता को अधिकतम करने में सहायता करता है।

(iv) "सार्वजनिक बुनियादी ढांचे" में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल होगा:

(I) शिक्षा, पुलिस, अग्नि सुरक्षा, पार्क, मनोरंजन, खुली जगह, आपातकालीन चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुस्तकालयों, बाढ़ सुरक्षा, सड़कों या राजमार्गों, सार्वजनिक परिवहन, रेलमार्ग, हवाई अड्डों और बंदरगाहों सहित सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए सुविधा-स्थल या बुनियादी ढांचा।

5

(II) उपयोगिता, सामान्य वाहक या अन्य समान परियोजनाएँ, जिनमें ऊर्जा से संबंधित, संचार से संबंधित, जल से संबंधित और अपशिष्ट जल से संबंधित सुविधा-स्थल या बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

(III) ऐसी परियोजनाएँ जिन्हें राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए पहचाना गया है।

(IV) आग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, पुलिस, या शेरिफ कर्मियों द्वारा प्रत्यक्ष और अनन्य इस्तेमाल के लिए अग्नि शमन, आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण, या अंतर-संचालनीय संचार उपकरण से संबंधित उपकरण।

(V) ऐसी परियोजनाएँ जो समुद्र के स्तर में वृद्धि से संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करती हैं।

(VI) ऐसी परियोजनाएँ जो कम सेवा वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस सेवा विस्तार प्रदान करती हैं।

(VII) सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए आकस्मिक या आवश्यक निजी इस्तेमाल।

(VIII) घरों और ढांचों की संरचनाओं को सख्त बनाने, जैसा कि राज्य कानून में परिभाषित किया गया है, के उद्देश्यों के लिए घर के मालिकों को अनुदान।

(v) "विशेष ज़िला" का वही मतलब है जो धारा XIII C के अनुभाग 1 के उपखंड (c) में प्रदान किया गया है और इसमें विशेष रूप से एक पारगमन ज़िला, क्षेत्रीय परिवहन आयोग और सरकारों का एक संघ शामिल है, सिवाय इसके कि "विशेष ज़िला" में स्कूल ज़िला, पुनर्विकास एजेंसी या विघटित पुनर्विकास एजेंसी की उत्तराधिकारी एजेंसी शामिल नहीं है।

(F) यह पैराग्राफ किसी भी शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला विधेयक पर लागू होगा, जो इस पैराग्राफ में वर्णित उन उद्देश्यों के लिए बंधक ऋणग्रस्तता पर ब्याज और ऋणमुक्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए एक यथामूल्य टैक्स लगाता है, जिसे इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक वाले चुनाव में ही या इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक की प्रभावी तिथि के बाद आयोजित होने वाले किसी बाद के चुनाव में प्रस्तुत किया जाता है।

(c) *(1)* कानून या इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, *कोई* स्कूल ~~ज़िले,~~ *ज़िला,* सामुदायिक कॉलेज ~~ज़िले और~~ *ज़िला, या* शिक्षा ~~के~~ *का* काउंटी कार्यालय उपखंड (b) *के पैराग्राफ (3) के अनुसरण में* ~~55 प्रतिशत~~ *55-प्रतिशत* मतदान यथामूल्य टैक्स लगा सकता है।

(2) कानून या इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कोई शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष ज़िला उपखंड (b) के पैराग्राफ (4) के अनुसार 55-प्रतिशत मतदान यथामूल्य टैक्स लगा सकता है।

दूसरा—धारा XVI के अनुभाग 18 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

अनुभाग 18. (a) ~~कोई भी~~ *कोई* काउंटी, शहर, कस्बा, टाउनशिप, शिक्षा बोर्ड या स्कूल ज़िला, किसी भी वर्ष में ~~ऐसे~~ *उस* वर्ष के लिए प्रदान की गई आय और राजस्व से अधिक किसी भी तरीके से या किसी भी उद्देश्य के लिए कोई ऋणग्रस्तता या देयता नहीं लेगा, उस उद्देश्य के लिए आयोजित चुनाव में मतदान करने वाले सार्वजनिक संस्था के दो-तिहाई मतदाताओं की सहमति के बिना, सिवाय इसके कि किसी ऐसे सार्वजनिक संस्था के संबंध में ~~जो~~ *जो कि* सार्वजनिक स्कूल के उद्देश्यों के लिए ऋणग्रस्तता लेने के लिए अधिकृत है, कानून द्वारा निर्धारित तरीके से स्कूल के इस्तेमाल के लिए संरचनात्मक रूप से असुरक्षित निर्धारित सार्वजनिक स्कूल भवनों की मरम्मत, ~~पुनर्निर्माण~~ *पुनर्निर्माण,* या प्रतिस्थापन के उद्देश्य से सामान्य दायित्व बॉन्ड के रूप में ऋण लेने का कोई प्रस्ताव, ~~ऐसे~~ चुनाव में प्रस्ताव पर मतदान करने वाली सार्वजनिक संस्था के मतदाताओं के बहुमत के अनुमोदन पर अपनाया जाएगा; न ही जब तक कि ऐसे ऋणग्रस्तता के समय या उससे पहले ऐसे वार्षिक टैक्स के संग्रह के लिए प्रावधान नहीं किया जाएगा जो ऐसे ऋणग्रस्तता पर देय ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो, और परिपक्वता पर या उससे पहले उसके मूलधन के भुगतान के लिए एक डूबती निधि का प्रावधान किया जाए, जो ऋणग्रस्तता के अनुबंध के समय से ~~चालीस~~ *40* वर्ष से अधिक नहीं होगी। *शिक्षा बोर्ड या स्कूल ज़िले के अलावा कोई विशेष ज़िला किसी भी लागू वैधानिक सीमा से अधिक ऋणग्रस्तता या देयता नहीं लेगा, जैसा कि विशेष ज़िले को नियंत्रित करने वाले कानूनों द्वारा निर्धारित किया गया है जैसा कि उन्हें वर्तमान में पढ़ा जाता हैं या उसके बाद विधानमंडल द्वारा संशोधित किया जा सकता है।*

(b) *(1)* उपखंड (a) के बावजूद, ~~इस उपखंड को जोड़ने वाले विधेयक की प्रभावी तिथि पर या उसके बाद, किसी भी स्कूल ज़िले, सामुदायिक कॉलेज ज़िले या शिक्षा के काउंटी कार्यालय के मामले में, स्कूल सुविधा-स्थलों के निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास या प्रतिस्थापन के लिए, जिसमें स्कूल सुविधा-स्थलों की साज-सज्जा और सुसज्जित करना, या स्कूल सुविधा-स्थलों के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण या पट्टा शामिल है,~~ सामान्य दायित्व बॉन्ड के रूप में ऋण लेने का कोई प्रस्ताव *धारा XIII A के अनुभाग 1 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (3) या (4) में वर्णित उद्देश्य* ~~ज़िले या काउंटी~~ *स्कूल ज़िला, सामुदायिक कॉलेज ज़िला, काउंटी शिक्षा कार्यालय, शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या अन्य विशेष ज़िले*, जैसा उचित हो, के 55 प्रतिशत मतदाताओं के अनुमोदन पर अपनाया जाएगा, जो एक चुनाव में प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। यह उपखंड केवल इस उपखंड में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए *केवल* सामान्य दायित्व बॉन्ड के रूप में ऋण लेने के प्रस्ताव पर लागू होगा, यदि प्रस्ताव धारा XIII A के अनुभाग 1 के उपखंड ~~(b)~~ *(b), जैसा उचित हो,* के पैराग्राफ (3) *या (4)* की सभी जवाबदेही आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(2) इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक द्वारा इस उपखंड में किए गए संशोधन धारा XIII A के अनुभाग 1 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (4) में वर्णित उद्देश्यों के लिए इस उपखंड के अनुसार सामान्य दायित्व बॉन्ड के रूप में ऋणग्रस्तता के लिए किसी भी प्रस्ताव पर लागू होंगे, जो इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक वाले चुनाव में ही या इस पैराग्राफ को जोड़ने वाले विधेयक की प्रभावी तिथि के बाद आयोजित होने वाले किसी बाद के चुनाव में प्रस्तुत किया गया हो।

(c) जब किसी ऋणग्रस्तता या दायित्व को वहन करने के लिए दो या अधिक प्रस्ताव एक ही चुनाव में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में डाले गए मतों को अलग-अलग गिना जाएगा, और ~~जब~~ *यदि* दो-तिहाई या कोई बहुमत या 55 प्रतिशत मतदाता, जैसा भी मामला हो, उन प्रस्तावों में से किसी एक पर मतदान करते हुए, उसके पक्ष में मतदान करते हैं, प्रस्ताव को अपनाया हुआ माना जाएगा।

तीसरा—यदि यह विधेयक और टैक्सों, शुल्कों और अन्य राजस्व विधेयकों को लागू करने, अपनाने, बनाने, या स्थापित करने के लिए राज्य या स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित कोई अन्य विधेयक एक ही राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर दिखाई देता या देते हैं, तो अन्य विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के साथ संघर्ष में माना जाएगा। यदि इस विधेयक को अधिक संख्या में सकारात्मक मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे, और अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान अमान्य हो जाएंगे।

प्रस्ताव 6

2023–2024 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 133, 2024 के विधान) के विधान सभा संवैधानिक संशोधन 8 द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन द्वारा किसी अनुभाग में संशोधन करके स्पष्ट रूप से California के संविधान में संशोधन किया जाता है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइकआउट टाइप~~ में प्रिंट किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाइप* में प्रिंट किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये नए हैं।

धारा I में प्रस्तावित संशोधन

धारा I के अनुभाग 6 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

अनुभाग 6. *(a)* गुलामी ~~निषिद्ध है। अपराध को दण्डित करने के अलावा अनैच्छिक दासता निषिद्ध है।~~ *और अनैच्छिक दासता निषिद्ध है।*

(b) सुधार और पुनर्वास विभाग किसी भी बंदी व्यक्ति को सौंपे गए कार्य से इनकार करने पर उन्हें दंडित नहीं करेगा।

(c) इस अनुभाग में दिया कुछ भी सुधार और पुनर्वास विभाग को किसी बंदी व्यक्ति को क्रेडिट देने से नहीं रोकेगा जो किसी सौंपे गए कार्य को स्वेच्छा से स्वीकार करता है।

(d) इस उपखंड को जोड़ने वाले विधेयक द्वारा इस अनुभाग में किए गए संशोधन 1 जनवरी, 2025 को लागू हो जाएंगे।

प्रस्ताव 32

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक श्रम संहिता के एक अनुभाग में संशोधन करता है; इसलिए, हटाए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइकआउट टाइप~~ में प्रिंट किया जाता है और जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को *तिरछे टाइप* में प्रिंट किया जाता है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

जीवन निर्वाह मजदूरी अधिनियम 2022

अनुभाग 1. नाम।

इस अधिनियम को जीवन निर्वाह मजदूरी अधिनियम 2022 के रूप में जाना जाएगा।

अनुभाग. 2. निष्कर्ष और उद्देश्य।

California के लोग पाते हैं और घोषणा करते हैं कि:

(a) जीवन निर्वाह मजदूरी अधिनियम 2022 ("अधिनियम") का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मियों को ऐसी मजदूरी मिले जो उन्हें और उनके परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता करे।

(b) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन निर्वाह मजदूरी अधिनियम 2022, 2025 तक California के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर $18 प्रति घंटा कर देगा और उसके बाद प्रत्येक वर्ष न्यूनतम वेतन को California में जीवन-यापन की लागत के बराबर रखने के लिए समायोजित किया जाएगा।

(c) 12 वर्षों से अधिक समय से, संघीय न्यून म वेतन $7.25 पर अटका हुआ है। यदि यह 1960 के बाद से उत्पादकता वृद्धि की दर से बढ़ा होता, तो यह अभी $24 होता।

(d) अत्यावश्यक कर्मियों, माता-पिता और बुज़ुर्गों सहित कई कामकाजी California वासियों के पास पूर्णकालिक नौकरियाँ हैं, फिर भी वे गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। न्यूनतम वेतन निर्वाह खर्च के अनुसार नहीं है और आज उसके मुकाबले मूल्यहीन है, जो 50 साल पहले था।

(e) California में इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 50 शहरों और Washington, D.C. में आठवीं सबसे उच्च आमदनी असमानता है, जो कई कामकाजी परिवारों को गरीबी में धकेल रही है।

(f) बिल्कुल हाल का उपलब्ध डेटा, जिसमें COVID-19 के प्रभाव शामिल नहीं हैं, दर्शाता है कि 6.3 मिलियन से ज्यादा California वासियों के पास उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी है। एक तिहाई से ज्यादा California वासी गरीबी में रह रहे हैं या गरीबी रेखा से बस थोड़ा सा ही ऊपर हैं। California के कम-वेतन वाले ज्यादातर कर्मी बालिग व्यक्ति हैं, कोई किशोर नहीं। सभी कर्मियों के लिए 40 की आयु के मुकाबले, कम-वेतन वाले कर्मियों की औसत आयु 36 है। कम-वेतन वाले छयालीस प्रतिशत कर्मियों के बच्चे हैं और 40 प्रतिशत विवाहित हैं। California वासी, $15 प्रति घंटा, या पूर्णकालिक काम करने वाले लोगों के लिए $31,200 प्रति वर्ष के मौजूदा न्यूनतम वेतन पर परिवार का पालन-पोषण नहीं कर सकते।

(g) पूर्णकालिक रोज़गार होने के बावजूद, California वासी, जिन्हें मौजूदा न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है, उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर राज्य के सामाजिक सुरक्षा जाल पर निर्भर रहना पड़ता है। California के वेतन महंगाई या हमारे राज्य के निर्वाह खर्च के अनुसार नहीं हैं। शोध में पाया गया है कि California में दो बच्चों के साथ रहने वाले एकल अभिभावक को जीवनयापन करने के लिए $50 प्रति घंटा कमाने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे राज्य का न्यूनतम वेतन केवल $15 प्रति घंटा है।

(h) न्यूनतम वेतन से खरीद का मूल्य कम होना जारी रहेगा, यदि इसे निर्वाह खर्च में वृद्धियों को दर्शाने के लिए सालाना तौर पर समायोजित नहीं किया जाता।

(i) न्यूनतम वेतन बढ़ने से कई Medi-Cal प्राप्तकर्ताओं की कमाई में वृद्धि होगी, जिससे वे California की स्वास्थ्य लाभ दर पर संघीय आर्थिक सहायता पाने के योग्य होंगे, और Medi-Cal लागतों में राज्य को लाखों डॉलर की बचत होगी।

(j) कई प्रकार की नौकरियों और उद्योगों में काम करने वाले California वासियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है, और ऐसे कर्मियों को सुरक्षित करना इस अधिनियम का लक्ष्य है, चाहे उनकी नियुक्ति एकल, बहु या संयुक्त नियोक्ताओं द्वारा की गई हो।

(k) California में आय की असमानता, कम कमाई करने वाली बढ़ती हुई आबादी और वेतन में ठहराव, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे कामकाजी परिवारों के लिए आय से मिलने वाली सहायता को बढ़ाने के लिए मजबूत समर्थन पैदा करते हैं।

अनुभाग 3. श्रम संहिता के अनुभाग 1182.12 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1182.12. *न्यूनतम वेतन*

(a) इस हिस्से के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 1 जुलाई, 2014 को और इसके बाद, सभी उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन नौ डॉलर ($9) प्रति घंटा से कम नहीं होगा, और 1 जनवरी, 2016 को और इसके बाद, सभी उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन दस डॉलर ($10) प्रति घंटा से कम नहीं होगा।

(b) उपखंड (a) के बावजूद, सभी उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन, इस उपखंड में दी गई राशियों से कम नहीं होगा, सिवाए इसके कि जब पैराग्राफ (1) और (2) में तय वृद्धियों को उपखंड (d) के अंतर्गत अस्थायी तौर पर स्थगित नहीं किया जाता।

(1) किसी भी ऐसे नियोक्ता के लिए, जो 26 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करता है, न्यूनतम वेतन निम्न प्रकार से होगा:

(A) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक—दस डॉलर और पचास सेंट ($10.50) प्रति घंटा।

(B) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक—ग्यारह डॉलर ($11) प्रति घंटा।

(C) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक—बारह डॉलर ($12) प्रति घंटा।

(D) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक—तेरह डॉलर ($13) प्रति घंटा।

(E) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक—चौदह डॉलर ($14) प्रति घंटा।

(F) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2022 से, ~~और जब तक उपखंड (c) द्वारा समायोजित न किया जाए~~ *31 दिसम्बर, 2022 तक*—पंद्रह डॉलर ($15) प्रति घंटा।

(G) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक—सोलह डॉलर ($16) प्रति घंटा।

(H) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक—सत्रह डॉलर ($17) प्रति घंटा।

(I) 1 जनवरी, 2025 से, और जब तक उपखंड (c) द्वारा समायोजित न किया जाए—अठारह डॉलर ($18) प्रति घंटा।

(2) किसी भी ऐसे नियोक्ता के लिए, जो 25 या कम कर्मचारियों को नियुक्त करता है, न्यूनतम वेतन निम्न प्रकार से होगा:

(A) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक—दस डॉलर और पचास सेंट ($10.50) प्रति घंटा।

(B) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक—ग्यारह डॉलर ($11) प्रति घंटा।

(C) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक—बारह डॉलर ($12) प्रति घंटा।

(D) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक—तेरह डॉलर ($13) प्रति घंटा।

(E) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक—चौदह डॉलर ($14) प्रति घंटा।

(F) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2023 से, ~~और जब तक उपखंड (c) द्वारा समायोजित न किया जाए~~ *31 दिसम्बर, 2023 तक*—पंद्रह डॉलर ($15) प्रति घंटा।

(G) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक—सोलह डॉलर ($16) प्रति घंटा।

(H) दोनों तारीखों सहित, 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक—सत्रह डॉलर ($17) प्रति घंटा।

(I) 1 जनवरी, 2026 से, और जब तक उपखंड (c) द्वारा समायोजित न किया जाए—अठारह डॉलर ($18) प्रति घंटा।

(3) इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, "नियोक्ता" का मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति से है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, या किसी एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के वेतन, घंटों या काम करने की स्थितियों को नियोजित करता है या नियंत्रण का उपयोग करता है। इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, "नियोक्ता" में राज्य, राज्य के राजनीतिक उपखंड और नगरपालिकाएँ शामिल है।

(4) वे कर्मचारी, जिसे राजस्व और टैक्स कोड के अनुभाग 23626 के उपखंड (h) के तहत एकल योग्य टैक्सदाता द्वारा नियुक्त किया समझा जाता है, जैसा कि इस अनुभाग की प्रभावी तारीख को व्याख्या की गई हो, उन्हें इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए उस टैक्सदाता के कर्मचारी समझा जाएगा।

(c) (1) उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ ~~(F)~~ *(I)* में निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन वृद्धि लागू करने के बाद, उस वर्ष के 1 अगस्त को या उससे पहले, उसके बाद प्रत्येक 1 अगस्त को या उससे पहले, वित्त विभाग निदेशक समायोजित न्यूनतम वेतन की गणना करेगा। यह गणना न्यूनतम वेतन में 3.5 प्रतिशत से कम तक और बिल्कुल हालिया 1 जुलाई से 30 जून, सहित, 1 जुलाई से 30 जून से पहले की अवधि, सहित, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के लिए गैर-मौसमी समायोजित शहरी वेतन कमाने वाले और लिपिक कर्मियों (U.S. CPI-W) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए अवधि के औसत में बदलाव की दर में वृद्धि करेगी। नतीजे को सबसे करीब के दस सेंट ($0.10) तक पूर्ण संख्या में तबदील कर दिया जाएगा। इस उपखंड के अंतर्गत गणना की गई प्रत्येक समायोजित न्यूनतम वृद्धि 1 जनवरी के बाद प्रभावी होगी।

(2) यदि बिल्कुल हालिया 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून से पहले की अवधि, दोनों तारीखों सहित, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के लिए गैर-मौसमी समायोजित U.S. CPI-W के लिए अवधि के औसतों में बदलाव की दर नकारात्मक है, तो अगली 1 जनवरी के बाद इस उपखंड के अनुसार न्यूनतम वेतन में वृद्धि या कमी नहीं होगी।

(3) (A) इस उपखंड के पैराग्राफ (1) में वर्णन किए गए क्रियान्वयन के समय के बावजूद, यदि बिल्कुल हालिया 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून से पहले की अवधि, दोनों तारीखों सहित, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के लिए गैर-मौसमी समायोजित U.S. CPI-W के लिए अवधि के औसत में बदलाव की दर पहले वर्ष में 7 प्रतिशत से अधिक है, जिसमें उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ ~~(F)~~ *(I)* में निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन लागू किया गया है, तो इस उपखंड के पैराग्राफ (1) में वर्णन किए गए सूचीकरण प्रावधानों को तुरंत लागू किया जाएगा, ऐसे कि सूचीकरण अगली 1 जनवरी को प्रभावी हो जाएगा।

(B) यदि बिल्कुल हालिया 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून से पहले की अवधि, दोनों तारीखों सहित, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के लिए गैर-मौसमी समायोजित U.S. CPI-W के लिए अवधि के औसत में बदलाव की दर पहले वर्ष में 7 प्रतिशत से अधिक है, जिसमें उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ ~~(F)~~ *(I)* में निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन लागू किया गया है, तो किसी अन्य कानून के बावजूद, 25 या कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए न्यूनतम वेतन, 26 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए न्यूनतम वेतन के बराबर तय किया जाएगा, जो आगे आने वाली 1 जनवरी को प्रभावी होगा, और उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ ~~(F)~~ *(I)* में निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन वृद्धि को इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए लागू कर दिया माना जाएगा।

(d) (1) 28 जुलाई, 2017 को या इससे पहले, और उसके बाद प्रत्येक 28 जुलाई को या इससे पहले, जब तक कि उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के अनुसार न्यूनतम वेतन ~~पंद्रह डॉलर ($15)~~ *अठारह डॉलर ($18)* प्रति घंटा नहीं हो जाता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक स्थितियाँ न्यूनतम वेतन वृद्धि में सहयोग दे सकती हैं, वित्त विभाग निदेशक सालाना तौर पर निर्धारण करेगा और गवर्नर और विधानसभा के समक्ष प्रमाणित करेगा, यदि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक पूरी होती हो:

(A) California के लिए कुल गैर-कृषि रोज़गार, मौसमी तौर पर समायोजित, अप्रैल से जून, दोनों तारीखों सहित, तक की तीन महीने की अवधि में, 28 जुलाई के निर्णय से पहले, कम हुआ है। यह गणना जून में मौसमी तौर पर समायोजित कुल गैर-कृषि रोज़गार की मार्च में मौसमी तौर पर समायोजित कुल गैर-कृषि रोज़गार से तुलना करेगी, जैसा कि रोज़गार विकास विभाग द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

(B) California के लिए कुल गैर-कृषि रोज़गार, मौसमी तौर पर समायोजित, जनवरी से जून, दोनों तारीखों सहित, तक की छह-महीने की अवधि में 28 जुलाई के निर्णय से पहले, कम हुआ है। यह गणना जून में मौसमी तौर पर समायोजित कुल गैर-कृषि रोज़गार की दिसम्बर में मौसमी तौर पर समायोजित कुल गैर-कृषि रोज़गार से तुलना करेगी, जैसा कि रोज़गार विकास विभाग द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

(C) दोनों तारीखों सहित, खुदरा बिक्री और 3.9375-प्रतिशत टैक्स की दर से उपयोग टैक्स नकद रसीदों, 1 जुलाई से 30 जून, 28 जुलाई निर्धारण से एक महीना पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए, दोनों तारीखों सहित, 1 जुलाई से 30 जून, 13 महीने पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए खुदरा बिक्री और 3.9375-प्रतिशत टैक्स की दर से उपयोग टैक्स नकद रसीदों से कम है। इस उप-पैराग्राफ में निर्दिष्ट स्थिति के लिए गणना निम्न प्रकार से की जाएगी:

(i) राज्य समकारी बोर्ड अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर हर महीने की 10वीं तारीख को, अपनी रोजमर्रा की खुदरा बिक्री और उपयोग टैक्स रिपोर्टों से उत्पन्न पिछले महीने के लिए कुल खुदरा बिक्री (समायोजनों से पहले की बिक्री) को प्रकाशित करेगा।

(ii) राज्य समकारी बोर्ड अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर हर महीने की 10ववीं तारीख को, पिछले महीने की खुदरा बिक्री और किसी खुदरा बिक्री में सभी टैक्स दरों से उपयोग टैक्स का कुल और 3.9375-प्रतिशत टैक्स की दर से उपयोग टैक्स को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक मासिक गुणक प्रकाशित करेगा।

(iii) वित्त विभाग अनुच्छेद (i) अनुच्छेद से मासिक गुणक के अनुसार (ii) प्रत्येक महीने के लिए, से मासिक कुलराशि को गुणा करेगा।

(iv) इस उप-पैराग्राफ में तुलना के लिए आवश्यक कुलराशि की गणना करने के लिए, वित्त विभाग अनुच्छेद (iii) में 12-महीने 1 जुलाई से 30 जून, दोनों तारीखों सहित, में गिनी गई मासिक कुलराशि को जोड़ेगा।

(2) (A) 28 जुलाई, 2017 को या इससे पहले, और उसके बाद प्रत्येक 28 जुलाई को या इससे पहले, जब तक कि उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के अनुसरण में न्यूनतम वेतन ~~पंद्रह डॉलर ($15)~~ *अठारह डॉलर ($18)* प्रति घंटा नहीं हो जाता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की सामान्य निधि वित्तीय स्थिति अगली तय न्यूनतम वेतन वृद्धि में सहयोग दे सकती है, वित्त विभाग निदेशक सालाना तौर पर निर्धारण करेगा और गवर्नर और विधानसभा के समक्ष यह प्रमाणित करेगा कि राज्य की सामान्य निधि मौजूदा वित्तीय वर्ष में, या अगले दो वित्तीय वर्षों में से किसी में भी घाटे में होगी या नहीं।

(B) इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, घाटे को आर्थिक अनिश्चितताओं के लिए विशेष निधि में नकारात्मक शेष के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि सरकारी कोड के अनुभाग 16418 में प्रदान किया गया है, जो निरपेक्ष मूल्य में, California के संविधान की धारा IV के अनुभाग 12.5 द्वारा आवश्यक वित्त विभाग के बिल्कुल हाल ही के अनुमानों के आधार पर, राज्य के कुल सामान्य निधि राजस्व और हस्तांतरणों के कुल के 1 प्रतिशत से अधिक है। इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, अनुमानों में यह पूर्वधारणा शामिल होगी कि केवल उपखंड (b) के अनुसार अगले कैलेंडर वर्ष के लिए तय न्यूनतम वेतन वृद्धियों को ही लागू किया जाएगा।

(3) (A) (i) यदि, किसी वर्ष के लिए, पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (A) या (B) में दी गई स्थितियों में से कोई पूरी होती है, और यदि पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (C) में दी गई स्थिति पूरी होती है, तो गवर्नर, उस वर्ष के 1 अगस्त को या उससे पहले, विधानसभा को अगले वर्ष के लिए उपखंड (b) के अनुसार तय की गई न्यूनतम वेतन वृद्धियों को अस्थायी तौर पर स्थगित करने के शुरुआती निर्धारण के बारे में सूचित कर सकता है।

(ii) यदि वित्त विभाग निदेशक पैराग्राफ (2) के अंतर्गत प्रमाणित करता है कि राज्य की सामान्य निधि मौजूदा वित्तीय वर्ष में, या अगले दो वित्तीय वर्षों में से किसी में भी घाटे में होगी, तो गवर्नर, उस वित्तीय वर्ष के 1 अगस्त को या उससे पहले, विधानसभा को अगले वर्ष के लिए उपखंड (b) के अनुसार तय की गई न्यूनतम वेतन वृद्धियों को अस्थायी तौर पर स्थगित करने के शुरुआती निर्धारण के बारे में सूचित कर सकता है।

(B) यदि गवर्नर उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार विधानसभा को नोटिस प्रदान करता है, तो गवर्नर, किसी भी ऐसे वर्ष की 1 सितम्बर को, इस बारे में अंतिम निर्धारण करेगा कि अगले वर्ष के लिए उपखंड (b) के अनुसरण में तय न्यूनतम वेतन वृद्धियों को अस्थायी तौर पर स्थगित करना है या नहीं। अगले वर्ष के लिए उपखंड (b) के अनुसरण में तय न्यूनतम वेतन वृद्धियों को अस्थायी तौर पर स्थगित करने का निर्धारण उद्घोषणा द्वारा लिया जाएगा।

(C) गवर्नर उप-पैराग्राफ (A) के अनुच्छेद (ii) के अनुसरण में तय न्यूनतम वेतन वृद्धियों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर सकता है, लेकिन दो बार से अधिक नहीं।

(D) यदि गवर्नर अगले वर्ष के लिए उपखंड (b) के अनुसरण में तय न्यूनतम वेतन वृद्धियों को अस्थायी तौर पर स्थगित करने का अंतिम निर्धारण करता है, तो उपखंड (b) में निर्दिष्ट सभी तारीखें, जो अंतिम निर्धारण की तारीख 1 सितम्बर के बाद है, एक अतिरिक्त वर्ष तक मुल्तवी कर दी जाएंगी।

अनुभाग 4. संशोधन।

California के संविधान की धारा II के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसरण में, यह अधिनियम राज्यव्यापी चुनाव में लोगों के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए बाद के किसी विधेयक द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह अधिनियम विधानसभा के प्रत्येक सदन के 2/3 मतदान द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, यह अधिनियम उन दरों पर राज्य के न्यूनतम वेतन में वृद्धि को ग्रहण करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, जो विधानसभा के प्रत्येक सदन के बहुमत मतदान तक इसकी प्रभावी तारीख को यहाँ निर्दिष्ट दरों से अधिक हैं।

अनुभाग 5. पृथक्करणीयता।

यह लोगों का आशय है कि इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं और यह कि यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान, या किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए उसका इस्तेमाल अवैध पाया जाता है, तो वह अवैधता इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अवैध प्रावधान या कार्यान्वयन के बिना प्रभावी किया जा सकता है।

प्रस्ताव 33

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक नागरिक संहिता में अनुभागों को रद्द करता है और जोड़ता है; इसलिए, हटाए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइकआउट टाइप~~ में प्रिंट किया जाता है और जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को *तिरछे टाइप* में प्रिंट किया जाता है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

किराएदार के लिए न्याय अधिनियम

अनुभाग 1. इस अधिनियम को, “किराएदार के लिए न्याय अधिनियम” के रूप में जाना जाएगा, और इस रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

अनुभाग 2. अनुभाग 1954.40 को नागरिक संहिता में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1954.40. राज्य किसी शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी के रिहायशी किराया नियंत्रण को बनाए रखने, नियम बनाने या इसका विस्तार करने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है।

अनुभाग 3. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.50 को रद्द किया जाता है।

~~1954.50. इस अध्याय को Costa-Hawkins किराये वाली रिहायश अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और संदर्भित किया जा सकता है।~~

अनुभाग 4. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.51 को रद्द किया जाता है।

1954.51. जैसा कि इस अध्याय में उपयोग किया गया है, निम्नलिखित शब्दों के मतलब इस प्रकार हैं:

(a) "तुलनीय यूनिटों" का मतलब है किराए की वे यूनिटें, जिनमें लगभग एक ही बैठक, एक ही संख्या में बेडरूम होते हैं, एक ही या एक जैसे आस-पड़ोस में स्थित होती हैं, और समान, एक जैसी, या बराबर सहूलियतें और हाउसिंग सेवाएँ होती हैं।

(b) "मालिक" में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है, जो प्रमुख के तौर पर या एजेंट के जरिए काम कर रहा है, जिसे रिहायशी वास्तविक संपत्ति को किराए के लिए पेशकश करने का अधिकार है, और मालिक के हित में पूर्ववर्ती शामिल है, सिवाए इसके इस शब्द में मोबाइल होम पार्क का मालिक या संचालक, या मोबाइल होम का मालिक या उसका एजेंट शामिल नहीं है।

(c) "प्रचलित बाजार किराया" का मतलब है किराए की दर, जो 42 U.S.C.A. 1437 (f) के अनुसार प्राधिकृत होगा, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा संघीय विनियमन संहिता के शीर्षक 24 के भाग 888 के अनुसरण में गणना की गई है।

(d) "सार्वजनिक संस्था" का वही मतलब है, जो सरकारी संहिता के अनुभाग 811.2 में दिया गया है।

(e) "रिहायशी अचल संपत्ति" में कोई भी आवास या यूनिट शामिल है, जो इंसानों के रहने के लिए बनाई गई है।

(f) "किराएदारी" में संपत्ति का कानूनी कब्ज़ा शामिल है और एक पट्टा या उप-पट्टा शामिल है।

अनुभाग 5. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.52 को रद्द किया जाता है।

1954.52. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, रिहायशी वास्तविक संपत्ति का मालिक आवास या यूनिट के लिए शुरुआती और बाद की सभी किराया दरें तय करता है, जिसके बारे में निम्नलिखित में से कोई भी सही हो:

(1) इसके पास 1 फरवरी, 1995 के बाद जारी किया गया कब्ज़े का प्रमाण-पत्र हो।

(2) इसे 1 फरवरी, 1995 को या इससे पहले, नई निर्मित यूनिटों के लिए स्थानीय छूट के अनुसार, पहले से ही सार्वजनिक संस्था के रिहायशी किराया नियंत्रण अध्यादेश से छूट मिली हुई हो।

(3) (A) यह किसी अन्य आवासीय यूनिट के टाइटल से हस्तांतरणीय है या उपखंड में प्रविभाजित हित है, जैसा कि व्यवसाय एवं पेशा संहिता के अनुभाग 11004.5 के उपखंड (b), (d), या (f) में निर्दिष्ट है।

(B) यह पैराग्राफ निम्नलिखित में से किसी एक पर लागू नहीं होता:

(i) आवास या यूनिट, जहाँ पूर्ववर्ती किराएदारी अनुभाग 1946.1 के अनुसरण में नोटिस देकर मालिक द्वारा समाप्त की गई है या अनुभाग 827 के अनुसरण में नोटिस दी गई किराएदारी की शर्तों में कोई बदलाव होने पर समाप्त की गई है।

(ii) कंडोमिनियम आवास या यूनिट, जो उपखंड बनाने वाले द्वारा मूल्य के लिए वास्तविक खरीदार को अलग से नहीं बेची गई है। इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए यूनिट का शुरुआती किराया राशि 7 मई, 2001 को प्रभावी वैध किराया होगा, जब तक कि किराए की राशि इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान से नियंत्रित न हो। हालांकि, यदि कंडोमिनियम आवास या यूनिट उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) या (2) के मापदंड को पूरा करती है, या यदि एक को छोड़कर सभी निवास-स्थान या यूनिटें उपखंड बनाने वाले द्वारा मूल्य के लिए वास्तविक खरीदारों को अलग से बेची गई हैं, और उपखंड बनाने वाले ने उस शेष न बेचे गए कंडोमिनियम आवास या यूनिट पर उपखंड बनाने के बाद कम से कम एक वर्ष तक के लिए अपनी मुख्य रिहायश के तौर पर कब्ज़ा किया हो, तो उस न बेचे गए कंडोमिनियम आवास या यूनिट पर पैराग्राफ (3) का उप-पैराग्राफ (A) लागू होगा।

(C) जहाँ आवास या यूनिट, जिसमें शुरुआती या बाद की किराया दर को 1 जनवरी, 1995 को प्रभावी अध्यादेश या चार्टर प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया गया है, निम्नलिखित लागू होगा:

(i) वास्तविक संपत्ति का मालिक, जैसा कि इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है, 1 जनवरी, 1999 को या बाद में प्रभावी सभी मौजूदा और नई किराएदारियों के लिए शुरुआती और बाद की सभी किराया दरें तय कर सकता है, यदि 1 जनवरी, 1999 को या बाद में प्रभावी किराएदारी, 1 जनवरी, 1996 और 31 दिसम्बर, 1998 के बीच तैयार की गई थी।

(ii) 1 जनवरी, 1999 से शुरू होते हुए, वास्तविक संपत्ति का मालिक, जैसा कि इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है, सभी नई किराएदारियों के लिए शुरुआती और बाद की सभी किराया दरें तय कर सकता है, यदि पिछली किराएदारी 31 दिसम्बर, 1995 को प्रभावी थी।

(iii) आवास या यूनिट के लिए शुरुआती किराया दर, जैसा कि इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है, जिसमें शुरुआती किराया दर को 1 जनवरी, 1995 को प्रभावी अध्यादेश या चार्टर प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया गया है, 1 जनवरी, 1999 तक, अनुभाग 1954.53 के उपखंड (c) के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक नहीं हो सकता। रिहायशी वास्तविक संपत्ति का मालिक, जैसा कि इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है, 1 जनवरी, 1999 तक, केवल वहाँ आवास या यूनिट के लिए शुरुआती किराया दर तय कर सकता है, जहाँ किराएदार ने अपनी मर्जी से खाली किया हो, छोड़ दिया हो या नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 1161 के पैराग्राफ (2) के अनुसार उसे निकाल दिया गया हो।

(b) उपखंड (a) वहाँ लागू नहीं होता, जहाँ मालिक सीधे वित्तीय योगदान या सरकारी संहिता के टाइटल 7 के प्रभाग 1 के अध्याय 4.3 (अनुभाग 65915 से शुरू होते हुए) में निर्दिष्ट सहायता के किसी अन्य किस्मों के लिए विचाराधीन सार्वजनिक संस्था के साथ अनुबंध द्वारा अन्य प्रकार से सहमत हुआ हो।

(c) इस अनुभाग में शामिल किसी भी तथ्य को सार्वजनिक संस्था के अधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा, जो अन्यथा निष्कासन के लिए आधार को नियंत्रित या निरीक्षण करने के लिए मौजूद हो सकता है।

(d) यह अनुभाग किसी ऐसे आवास या यूनिट पर लागू नहीं होता, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य, सुरक्षा, अग्नि, या बिल्डिंग कोड उल्लंघन शामिल हों, उन्हें छोड़कर जो आपदाओं के कारण हुए हों, जिनके लिए चालान उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया है और जो खाली होने से पहले छह महीनों तक या लंबे समय तक वैसी बनी रही हैं।

अनुभाग 6. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.53 को रद्द किया जाता है।

1954.53. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, रिहायशी वास्तविक संपत्ति का मालिक आवास या यूनिट के लिए शुरुआती किराया दर तय करता है, सिवाए इसके जहाँ निम्नलिखित में से कोई भी लागू होता हो:1954.53. (a)

(1) पिछले किराएदारी अनुभाग 1946.1 के अनुसार नोटिस देकर मालिक द्वारा समाप्त की गई है या अनुभाग 827 के अनुसार नोटिस दी

गई किराएदारी की शर्तों में बदलाव होने पर समाप्त की गई है, सिवाए इसके कि किराए या फीस की राशि में कानून द्वारा बदलाव की अनुमति हो।(1) इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए, सरकारी एजेंसी के साथ अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए अनुबंध की मालिक की समाप्ति या गैर-नवीनीकरण, जो योग्य किराएदार को किराया सीमा की व्यवस्था करती है, उसे अनुभाग 827 के अनुसार किराएदारी की शर्तों में बदलाव माना जाएगा।

(A) उस क्षेत्राधिकार में, जो अध्यादेश या चार्टर प्रावधान द्वारा नियंत्रित हो, आवास या यूनिट के लिए किराया दर, एक मालिक, जो सरकारी एजेंसी, जो योग्य किराएदार के लिए किराया सीमा की व्यवस्था करती है, के साथ अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए अनुबंध को समाप्त करता है या नवीनीकरण करने में असफल रहता है, अनुबंध या अनुबंध की समाप्ति या गैर-नवीनीकरण की तारीख के बाद तीन वर्ष तक शुरुआती किराया तय नहीं कर सकता। तीन-वर्षीय अवधि के दौरान तय की गई किसी नई किराएदारी के लिए, उस खाली किए गए आवास या यूनिट में तय नई किराएदारी के लिए किराया दर, सरकारी एजेंसी, जिसने योग्य किराएदार के लिए किराया सीमा के साथ ही अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए अनुबंध की समाप्ति या निराकरण के बाद अधिकृत किन्हीं वृद्धियों की व्यवस्था की है, के साथ समाप्त किए गए या गैर-नवीनीकरण वाले अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए अनुबंध के अंतर्गत किराए वाली दर के समान होगी।

(B) उप-पैराग्राफ (A) उस सरकारी एजेंसी, जो योग्य किराएदार के लिए किराया सीमा की व्यवस्था करती है, के साथ मालिक के अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए अनुबंध के अनुसार, 1 जनवरी, 2000 के बाद तय की गई 12 महीने या अधिक अवधि की किसी भी नई किराएदारी पर लागू नहीं होता, जब तक कि उस आवास या यूनिट में पिछली खाली जगह उस सरकारी एजेंसी, जो योग्य किराएदार के लिए किराया सीमा की व्यवस्था करती है, के साथ गैर-नवीनीकरण वाले या रद्द किए गए अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए अनुबंध के अनुसार नहीं थी, जैसा कि उस उप-पैराग्राफ में दिया गया है।

(2) मालिक सीधे वित्तीय योगदान या सरकारी संहिता के शीर्षक 7 के खंड 1 के अध्याय 4.3 (अनुभाग 65915 से शुरू होते हुए) में निर्दिष्ट सहायता के किसी अन्य रूपों के लिए विचाराधीन सार्वजनिक संस्था के साथ अनुबंध द्वारा अन्य प्रकार से सहमत हुआ हो।(2)

(3) आवास या यूनिट के लिए शुरुआती किराया दर, जिसकी शुरुआती किराया दर को 1 जनवरी, 1995 को प्रभावी अध्यादेश या चार्टर प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया गया है, 1 जनवरी, 1999 तक, उपखंड (c) के अनुसार गिनी गई राशि से अधिक नहीं हो सकता।

(4) (A) किसी अन्य कानून के बावजूद, अध्यादेश या चार्टर प्रावधान, जो आवास या यूनिट का किराया दर नियंत्रित करता है, के अधीन आवास या यूनिट, क्षेत्राधिकार, जिसने अध्यादेश या चार्टर प्रावधान को ग्रहण किया है, की शर्त हो सकती है कि रिहायशी वास्तविक संपत्ति का मालिक किराएदार को अनुमति दे, जो गैर-भुगतान के लिए खाली करने के अधीन नहीं है और जिसे स्थायी शारीरिक विकलांगता है, जैसा कि सरकारी संहिता के अनुभाग 12926 के उपखंड (m) में परिभाषित किया गया है और जो संपत्ति की सुलभ मंजिल पर स्थित उपलब्ध तुलनीय या छोटी यूनिट में जाने के लिए चलने-फिरने से संबंधित हो। मालिक, जो इस पैराग्राफ के अनुसार तय की गई किसी आवश्यकता के अधीन आता है, जिसके लिए किराएदार के साथ संवादात्मक प्रक्रिया में शामिल होने की किसी भी शर्त का पालन करने के बाद, किराएदार की शारीरिक विकलांगता से संबंधित उचित आवास के लिए किराएदार के अनुरोध को स्वीकार करना ज़रूरी है, जिसमें शामिल हैं California विनियमन संहिता के शीर्षक 2 के अनुभाग 12177 से 12180, दोनों सहित, किराएदार को समान किराया दर पर उनके पट्टे को और मौजूदा पट्टे की शर्तों को रखने की अनुमति देगा, यदि निम्नलिखित में से सभी लागू होते हैं:

(i) स्थान-परिवर्तन चलने-फिरने से संबंधित किराएदार की शारीरिक विकलांगता के अनुसार प्रबंध करने को ज़रूरी बनाने के लिए निर्धारित किया गया है।

(ii) कोई काम करता हुआ एलिवेटर नहीं है, जो किराएदार के मौजूदा आवास या यूनिट की मंजिल पर जाता हो।

(iii) नया आवास या यूनिट उसी इमारत में है या उसी भूखंड पर है, जहाँ कम से कम चार अन्य यूनिटें हैं और एक ही मालिक की हैं।

(iv) नए आवास या यूनिट को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की लागू होने वाली आवश्यकताओं का पालन करने के लिए नवीनीकरण की ज़रूरत नहीं है।

(v) लागू होने वाला किराया नियंत्रण बोर्ड या प्राधिकरण निर्धारित करता है कि मालिक मुनाफे की उचित दर प्राप्त करना जारी रखेगा या नई यूनिट के लिए मुनाफे की उचित दर को सुनिश्चित करते हुए प्रशासकीय प्रक्रिया पेश करता है।

(vi) किराएदार, जो भुगतान न किए जाने के लिए खाली करने के अधीन नहीं है और जिसे स्थायी शारीरिक विकलांगता है, जैसा कि सरकारी संहिता के अनुभाग 12926 के उपखंड (m) में परिभाषित किया गया है और जो चलने-फिरने से संबंधित हो, मालिक को उस यूनिट के उपलब्ध होने से पहले संपत्ति की सुलभ मंजिल पर स्थित उपलब्ध तुलनीय या छोटी यूनिट में स्थान-परिवर्तन का लिखित अनुरोध देता है।

(B) खाली किए जा रहे आवास या यूनिट के उनके किराए के संबंध में किराएदार द्वारा भुगतान की गई किसी भी प्रतिभूति को इस पैराग्राफ के अनुसार किराएदार के स्थान-परिवर्तन पर अनुभाग 1950.5 के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

33

(C) यह पैराग्राफ तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि पट्टे पर होने वाले सभी किराएदार, शारीरिक विकलांगता वाले किराएदार के अनुरोध के अनुसार संपत्ति की सुलभ मंजिल पर स्थित उपलब्ध तुलनीय या छोटी यूनिट में स्थान-परिवर्तन करने के लिए सहमति नहीं देते।

(D) इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए, "तुलनीय या छोटी यूनिट" का मतलब वह आवास या यूनिट है, जिसमें एक ही या कम संख्या में बेडरूम और गुसलखाने, स्क्वेयर फुटेज और पार्किंग की जगहें हैं, जब यूनिट को खाली किया जा रहा हो।

(E) यह पैराग्राफ तब लागू नहीं होगा, यदि मालिक, या उसका जीवनसाथी, घरेलू साथी, बच्चे, पोते-पोतियाँ, अभिभावक, या दादा-दादी, संपत्ति की सुलभ मंजिल पर स्थित उपलब्ध तुलनीय या छोटी यूनिट का कब्ज़ा लेने का इरादा रखते हैं।

(F) इस पैराग्राफ की शर्तें किसी अन्य निष्पक्ष रिहायश कानून की शर्तों के अलावा होंगी, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, California निष्पक्ष रोज़गार एवं रिहायश अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 2.8 (अनुभाग 12900 से शुरू होते हुए)) Unruh नागरिक अधिकार अधिनियम (अनुभाग 51) संघीय निष्पक्ष रिहायश अधिनियम (42 U.S.C. अनुभाग 3601 एवं अन्य) और उनके अंतर्गत लागू होने वाले कोई भी विनियम।

(G) इस पैराग्राफ को रिहायशी वास्तविक संपत्ति के मालिकों को रिहायश यूनिटें बदलने के लिए उचित प्रबंधों को स्वीकार करने और किसी विकलांगता हेतु प्रबंध करने के लिए उसी किराया दर पर मौजूदा पट्टे को

~~रखने से बचाने के मतलब में नहीं लिया जाएगा, जैसा कि सरकारी संहिता के अनुभाग 12926 के उपखंड (m) में परिभाषित किया गया है।~~

~~(b) उपखंड (a) उसी किराएदार, पट्टेदार, अधिकृत उप-किराएदार, या अधिकृत उप-पट्टेदार पर लागू होता है, और इसमें इन सबके द्वारा शुरुआती किराए पर लेने के लिए तय किराया दर पर उनके कब्जे की संपूर्ण अवधि के लिए शुरुआती किराए पर लेने का नवीनीकरण शामिल है।~~

~~(c) आवास या यूनिट का किराया दर, जिसकी शुरुआती किराया दर को 1 जनवरी, 1995 को प्रभावी अध्यादेश या चार्टर प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया गया है, 1 जनवरी, 1999 तक, इस उपखंड के अनुसरण में स्थापित किया जाएगा। जहाँ पिछले किराएदार ने अपनी मर्जी से खाली किया हो, छोड़ दिया हो या नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 1161 के पैराग्राफ (2) के अनुसार उसे निकाला गया हो, रिहायशी वास्तविक संपत्ति का मालिक, दो बार से अधिक नहीं, उस राशि में आवास या यूनिट के लिए शुरुआती किराया दर तय कर सकता है, जो पहले की किराएदारी के लिए प्रभावी किराया दर से 15 प्रतिशत से अधिक न हो या उस राशि में, जो तुलनीय यूनिटों के लिए प्रचलित बाजार किराए का 70 प्रतिशत हो, इनमें से जो भी राशि अधिक हो।~~

~~इस उपखंड के अनुसार स्थापित किया गया शुरुआती किराया दर कानून के अनुसार अन्य प्रकार से अधिकृत किराया दरों के लिए प्रतिस्थापन नहीं हो सकता या वृद्धियों की बदली नहीं कर सकता।~~

~~(d) (1) इस अनुभाग में किसी भी तथ्य या कानून के किसी अन्य प्रावधान को तब लागू होने योग्य किराया दरों के पट्टे या किराया अनुबंध में स्पष्ट रूप से स्थापना को रोकने वाला नहीं माना जाएगा, यदि उसके अधीन किराया यूनिट को किसी और को किराए पर दिया जाता है। इस अनुभाग में किसी भी तथ्य को 1 जनवरी, 1996 से पहले किए गए अनुबंधों के दायित्वों को कम करने वाला नहीं माना जाएगा।~~

~~(2) यदि असली निवासी, जिसने या जिन्होंने मालिक के साथ किराया अनुबंध के अनुसार आवास या यूनिट का कब्ज़ा लिया है, अब वहाँ स्थायी तौर पर नहीं रहता या रहते हैं, तो मालिक वैध उप-पट्टेदार या हस्तान्तरिती, जो 1 जनवरी, 1996 से पहले आवास या यूनिट में नहीं रहा था, के लिए इस अनुभाग द्वारा अनुमति दी गई किसी भी राशि तक किराया बढ़ा सकता है।~~

~~(3) यह उपखंड आवास या यूनिट के कब्जे में होने पर आंशिक बदलावों पर लागू नहीं होता, जहाँ ऊपर उपलब्ध मालिक के साथ अनुबंध के अनुसार, परिसरों के एक या अधिक निवासी, आवास या यूनिट के वैध कब्ज़े में एक निवासी की तरह रहते हैं, या जहाँ एक वैध उप-पट्टेदार या हस्तान्तरिती, जो 1 जनवरी, 1996 से पहले आवास या यूनिट में नहीं रहा है, उस आवास या यूनिट पर उसका कब्ज़ा बना रहता है। इस अनुभाग के किसी भी तथ्य को उप-पट्टेदार या हस्तान्तरिती की सहमति को रोककर रखने के मालिक के अधिकार का विस्तार करने या कम करने वाला नहीं माना जाएगा।~~

~~(4) मालिक द्वारा किराए की स्वीकृति छूट के रूप में कार्य नहीं करती या अन्यथा उप-पट्टेदार या हस्तान्तरिती को प्रतिबंधित करते हुए किसी नियम को लागू होने से नहीं रोकती या शुरुआती किराया दर निर्धारित करने के मालिक के अधिकारों के त्याग के रूप में काम नहीं करती, जब तक कि मालिक को किराएदार से लिखित सूचना न मिली हो, जो अनुबंध के लिए और उसके बाद स्वीकृत किराए के लिए पक्षकार है।~~

~~(e) इस अनुभाग में शामिल किसी भी तथ्य को सार्वजनिक संस्था के किसी अधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा, जो अन्यथा निष्कासन के लिए आधारों को नियंत्रित या निरीक्षण करने के लिए मौजूद हो सकता है।~~

~~(f) यह अनुभाग किसी भी आवास या यूनिट पर लागू नहीं होता, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:~~

~~(1) आवास या यूनिट को उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में गंभीर स्वास्थ्य, सुरक्षा, आग या बिल्डिंग कोड उल्लंघनों के रूप में चालान दिया गया है, जैसा कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 17920.3 में परिभाषित किया गया है, आपदा की वजह से हुए किसी उल्लंघन को छोड़कर।~~

~~(2) चालान खाली किए जाने की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले जारी किया गया था।~~

~~(3) चालान किया गया उल्लंघन ठीक नहीं किया गया, जब पिछले किराएदार ने खाली किया था और 60 दिनों तक या लंबे समय तक ज्यों का त्यों रहा। हालांकि, 60-दिन की समयावधि को उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जिसने चालान जारी किया था।~~

अनुभाग 7. यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान, या किसी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए उसका इस्तेमाल, अवैध पाया जाता है, तो वह अवैधता अधिनियम के अन्य प्रावधानों या कार्यान्वयनों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अवैध प्रावधान या कार्यान्वयन के बिना प्रभावी किया जा सकता है और इसके लिए इस अधिनियम के प्रावधानों की समाप्ति पृथक्करणीय है।

प्रस्ताव 34

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक कल्याण और संस्थान संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह संकेत देने के लिए, कि वे नये हैं, *तिरछे टाइप* में प्रिंट किया गया है।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. धारा 3.3 (अनुभाग 14124.39 से शुरू होते हुए) को कल्याण और संस्था संहिता के प्रभाग 9 के भाग 3 में अध्याय 7 में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

धारा 3.3. अब मरीज़ों की रक्षा करें अधिनियम 2024

14124.39. शीर्षक

इस धारा को अब मरीज़ों की रक्षा करें अधिनियम 2024 के रूप में जाना जाएगा और इस रूप में इसका उल्लेख किया जा सकता है।

14124.40. निष्कर्ष और घोषणाएँ

(a) 1992 में, संघीय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवाओं तक पहुंच देते हुए सुरक्षा जाल प्रदान करता हुआ एक प्रोग्राम स्थापित किया था। इस कानून का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उन मरीज़ों का इलाज करने के लिए छूट वाली दवाओं का प्रयोग करने के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना था, जो "चिकित्सीय तौर पर अबीमाकृत हैं, सीमांत आय पर हैं और उनके पास निवारक और मुफ्त सेवा देखभाल सेवाओं के पास जाने के अलावा कोई साधन नहीं हैं" और "अधिक पात्र मरीज़ों तक पहुंच और "कम-आय वाले और सबसे कमज़ोर मरीज़ों" के लिए अधिक व्यापक सेवाएँ प्रदान करना" था। (H.R. Rep. संख्या

102-384 (भाग 2), 12 पर (1992)(Conf. Rep.).) यह प्रोग्राम सुरक्षा नेट वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा सैकड़ों मिलियन डॉलर या उससे अधिक की भारी संपत्ति जमा करने के लिए उपयोग करना नहीं था।

(b) दुर्भाग्यवश, कुछ सुरक्षा जाल वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने उनको प्राप्त होने वाली छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर ऊंचे दाम प्राप्त करने के लिए इस प्रोग्राम का फायदा उठाया, जिससे करदाताओं को और अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। मरीज़ों की मदद के लिए इस व्यापक अप्रत्याशित लाभ का प्रयोग करने की बजाय, इन दुष्ट अपराधियों ने अपनी संपत्तियों का प्रयोग आलीशान कोस्टर कंडोमिनियम खरीदने में किया, असफल राजनीतिक अभियानों पर लाखों डॉलर बेकार किए गए, चुने हुए राजनेताओं को उनके पेरोल पर डाला, और कम-आय वाले बहु-परिवार रिहायश कॉम्पलैक्सों का अधिग्रहण किया, जो गंदी बस्तियों की तरह चलते हैं। इस तरीके से छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व का दुरुपयोग करने के परिणामस्वरूप, कम-आय वाले मरीज़ों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती। इसकी बजाय, यह कम-आय वाले मरीज़ों को उस देखभाल से बाहर रखने का झांसा देता है, जिसके वे हकदार हैं और करदाताओं के साथ किया जाने वाला घोटाला है, जिनको इसस्के बिल का भुगतान करना पड़ता है।

(c) गवर्नर Newsom ने पहले ही कार्यकारी आदेश N-01-19 द्वारा Medi-Cal प्रोग्राम में प्रिस्क्रिप्शन दवा घोटाले के इस झांसे का अंत कर दिया है, जिसके अनुसार आवश्यक है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विभाग Medi-Cal फार्मेसी सेवाओं को उन व्यवस्थाओं से परे कहीं ले जाए, जिनमें कीमत संबंधी घोटाले होने का संदेह हो। Medi-Cal Rx प्रोग्राम के रूप में जाना जाने वाला, यह प्रोग्राम राज्य द्वारा की गई प्रिस्क्रिपशन दवाओं की खरीद के लिए लागत बचतें हासिल करता है, सभी Medi-Cal मरीज़ों के लिए राज्यव्यापी फार्मेसी लाभ को मानकीकृत करता है, संपूर्ण पहुंच को बढ़ाता है, और Medi-Cal के जरिए प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों की सिस्टम से खेलने की क्षमता को समाप्त करता है। हालांकि, करदाता-वित्तपोषित दवा प्रोग्रामों में अन्य संवेदनशीलताओं पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, जिनका मूल्य में हेरफेर करने वाले अभी भी फायदा उठाते हैं।

(d) California को Medi-Cal Rx प्रोग्राम के द्वारा हासिल की गई लागत-बचतों को स्थायी बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करके कि प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों को हमारे राज्य में संचालन करते रहने को जारी रखने के लिए अन्य घोटालों को समाप्त करने की ज़रूरत है, करदाताओं के डॉलरों को बचाने के लिए अतिरिक्त सुधार करने और सबसे अधिक ज़रूरतमंद मरीज़ों की मदद करना ज़रूरी है।

14124.41. आशय का कथन

इस धारा को लागू करने में, California राज्य के लोगों का उद्देश्य और आशय निम्नलिखित सभी कार्य करने से है:

(a) Medi-Cal Rx प्रोग्राम को स्थायी रूप से अधिकृत करना ताकि इसकी विस्तृत मरीज़ पहुंच और लागत-बचतों को हमेशा जारी रखा जा सके।

(b) अन्य प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य संबंधी घोटालों को समाप्त करके मरीज़ों और करदाताओं को सुरक्षित करना, जो छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के द्वारा अभी भी हमारे राज्य में किए जा रहे हैं।

(c) उन पर छूट वाले प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के द्वारा इस राज्य में उत्पन्न उनके कुल राजस्व में से कम से कम 98 प्रतिशत को सीधे मरीज़ देखभाल पर खर्च करने की शर्त लगाकर प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों पर सख्त जवाबदेही स्थापित करना।

(d) यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, जिनका छूट वाले प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम में घोटाले करने का पिछला सिद्ध रिकॉर्ड है, सीधे मरीज़ देखभाल प्रदान करने पर दोबारा ध्यान केंद्रित करते हैं अन्यथा वे राज्य द्वारा उन्हें प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और लाभों को गंवा देंगे, जिनमें लाइसेंसों का स्थगन और निरसन, राज्य और स्थानीय अनुदान निधिकरण गंवा देना और California टैक्स-छूट स्थिति की समाप्ति होना शामिल हैं।

14124.42. Medi-Cal Rx प्रोग्राम के लिए स्थायी प्राधिकार

राज्य का स्वास्थ्य सेवा विभाग एकल राज्यव्यापी सेवा-के लिए-फीस वितरण प्रणाली के तहत Medi-Cal फार्मेसी सेवाएँ प्रदान करने और इनकी व्यवस्था करने के लिए अधिकृत है।

14124.43. प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य के हेरफेर करने वालों से जुड़े फार्मेसी बिक्री अनुबंधों पर सीमाएँ लगाना

(a) 1 जनवरी, 2025 को या इसके बाद, प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला फार्मेसी बिक्री अनुबंध नहीं कर पाएगा, या इसमें भाग नहीं ले पाएगा, जो इस राज्य पर लागू होता है, इसमें संचालित होता है, या संचालन का उद्देश्य या प्रस्ताव रखता है, या लागू होता है, जब तक कि प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला अनुभाग 14124.44 का अनुपालन नहीं करता।

(b) कोई भी फार्मेसी बिक्री अनुबंध, जो 1 जनवरी 2025 से, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में कोई हेरफेर करने वाला शामिल हो और जो अनुभाग 14124.44 का अनुपालन नहीं करता हो, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और उस सीमा तक, जहाँ तक फार्मेसी बिक्री अनुबंध इस राज्य पर लागू होता है, यहाँ संचालित होता है, या इस राज्य में संचालित होने या लागू होने का इरादा या प्रस्ताव रखता है, अमान्य और अप्रवर्तनीय है।

34

14124.44. प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों पर मरीज़ संरक्षण आवश्यकताएँ लागू की गईं

कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 1 जनवरी, 2025 को और उसके बाद, कोई प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला इस राज्य में टैक्स-मुक्त स्थिति के लिए या इस राज्य में फार्मेसी, स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन या क्लिनिक के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केवल तभी योग्य होगा जब वह निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो:

(a) पिछले कैलेंडर वर्ष में, प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले ने California में छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम में भागीदारी से अर्जित शुद्ध राजस्व का कम से कम 98 प्रतिशत प्रत्यक्ष मरीज़ देखभाल पर खर्च किया हो।

(b) पिछले कैलेंडर वर्ष में, प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य हेरफेर करने वाला व्यक्ति किसी भी गैर-पेशेवर आचरण, बेईमान व्यवहार, या California राज्य के लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए हानिकारक आचरण में शामिल नहीं हुआ था।

14124.45. प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों की निगरानी

(a) (1) 1 जनवरी, 2025 को और उसके बाद अनुभाग 14124.44 के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए:

(A) इस राज्य में टैक्स-मुक्त स्थिति रखने वाले प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों को प्रतिवर्ष अटॉर्नी जनरल को पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए California राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी सकल और शुद्ध राजस्व का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा, जो छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम में भागीदारी से उत्पन्न हुआ था, साथ ही यह भी बताना होगा कि उन शुद्ध राजस्वों को कैसे खर्च किया गया था।

(B) इस राज्य में फार्मेसी लाइसेंस रखने वाले किसी प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों को California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी को पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए California राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी सकल और शुद्ध राजस्व का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा, जो छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम में भागीदारी से उत्पन्न हुआ था, साथ ही यह भी बताना होगा कि उन शुद्ध राजस्वों को कैसे खर्च किया गया था।

(C) इस राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्लैन लाइसेंस रखने वाले किसी प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों को प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग को पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए California राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी सकल और शुद्ध राजस्व का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा, जो छूट वाले प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम में भागीदारी से उत्पन्न हुआ था, साथ ही यह भी बताना होगा कि उन शुद्ध राजस्वों को कैसे खर्च किया गया था।

(D) इस राज्य में क्लिनिक लाइसेंस रखने वाले किसी प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों को राज्य के लोक स्वास्थ्य विभाग को पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए California राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी सकल और शुद्ध राजस्व का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा, जो छूट वाले प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम में भागीदारी से उत्पन्न हुआ था, साथ ही यह भी बताना होगा कि उन शुद्ध राजस्वों को कैसे खर्च किया गया था।

34

(2) California के लोग यह पाते और घोषित करते हैं कि, राजस्व और कराधान संहिता के प्रभाग 2 के भाग 11 के अध्याय 17 (अनुभाग 25101 से शुरू होते हुए) के तहत राज्य के बाहर की जानकारी की आवश्यकता के समान, राज्य के भीतर और राज्य के बाहर के राजस्व का उचित आबंटन सुनिश्चित करने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों के लिए California राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी सकल और शुद्ध राजस्व दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

(b) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त किसी अन्य प्राधिकार के अतिरिक्त, अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, या राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग निम्नलिखित में से कोई भी कार्य कर सकते हैं:

(1) इस अनुभाग के अनुसरण में प्रस्तुत किए जाने वाले विस्तृत लेखांकन की आवश्यक सामग्री को मानकीकृत करना।

(2) अनुभाग 14124.44 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाने वाली किसी भी अन्य जानकारी के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले से अनुरोध करना।

(c) इस अनुभाग के अनुसार प्रस्तुत की गई सभी जानकारी झूठी गवाही के दंड के तहत प्रस्तुत की जाएगी।

(d) (1) अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, या राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किसी से संबंधित प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय जानकारी को गोपनीय और संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी माना जाएगा, जिसे सार्वजनिक प्रकटीकरण से छूट दी गई है:

(A) छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के जरिए प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले द्वारा प्राप्त विशिष्ट प्रिस्क्रिप्शन दवा के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले द्वारा भुगतान की गई या उससे ली गई विशिष्ट कीमतें या राशि।

(B) छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के जरिए प्राप्त विशिष्ट प्रिस्क्रिप्शन दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले द्वारा ली गई या उसे भुगतान की गई विशिष्ट कीमतें या राशि।

(2) (A) छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के जरिए प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले द्वारा उत्पन्न कुल एकत्रित सकल और शुद्ध राजस्व इस उपखंड द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं जब तक कि आंकड़े पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (A) या (B) में वर्णित विशिष्ट जानकारी को प्रकट नहीं करते हैं।

(B) पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (A) और (B) में वर्णित विशिष्ट जानकारी को हटाने या गुमनाम करने के बाद, अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग और राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अनुरोध किए जाने पर कुल एकत्रित राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी सकल और शुद्ध राजस्व आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे।

(e) (1) अटॉर्नी जनरल, California स्टेट फार्मेसी बोर्ड, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, और राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग मिलकर प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा तय करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले व्यक्ति को इस अनुभाग के तहत आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

(2) कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए, अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से आगे की नहीं होगी।

(3) इस उपखंड के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने वाले किसी प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले को अनुभाग 14124.46 के उपखंड (b) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं के अनुपालन में विफल माना जाएगा।

(f) अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, और राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, प्रत्येक, प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले पर यह निष्कर्ष निकालने से संबंधित लागतों के लिए शुल्क लगा सकते हैं कि क्या प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले ने पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था। ये शुल्क, इस अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित जांच, निरीक्षण और लेखा-परीक्षण करने के लिए संबंधित एजेंसी की उचित विनियामक लागतों से

अधिक नहीं होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रशासनिक प्रवर्तन और अधिनिर्णयन शामिल है।

(g) (1) सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू होते हुए) के बावजूद, अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग और राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, आगे कोई नियामक कार्रवाई किए बिना, बुलेटिन, नोटिस या अन्य समान निर्देशों के जरिए से इस धारा को लागू कर सकते हैं।

(2) अनुभाग 14124.46 के उपखंड (c) के अनुसार किए गए अंतर-एजेंसी समझौते के अनुसरण में की गई कार्रवाइयाँ पैराग्राफ (1) द्वारा कवर की जाएंगी।

14124.46. अनुपालन के संबंध में निष्कर्ष

(a) (1) अनुभाग 14124.45 के उपखंड (e) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के 60 कैलेंडर दिनों के भीतर, अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग और राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक अलग-अलग एक स्वतंत्र लिखित निष्कर्ष जारी करेंगे कि क्या प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला व्यक्ति अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं के अनुपालन में है या नहीं। 60 कैलेंडर दिनों के भीतर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचना अनुभाग 14124.44 के गैर-अनुपालन से छूट नहीं होगा।

(2) अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, या राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को इस उपखंड के अनुसार एक स्वतंत्र लिखित निष्कर्ष जारी करने की आवश्यकता केवल तभी होगी जब प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले को अनुभाग 14124.45 के उपखंड (a) के अनुसार संबंधित अधिकारी, बोर्ड, या विभाग को जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

(b) (1) यदि उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) में निर्धारित 60-कैलेंडर दिनों की अवधि के अंदर-अंदर, किसी प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, या राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अनुभाग द्वारा अपेक्षित लिखित निष्कर्ष जारी करने के लिए अपूर्ण या अपर्याप्त पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी, बोर्ड, या विभाग प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले को उसे सही करने के लिए एक लिखित नोटिस जारी करेगा। सुधार हेतु नोटिस में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी का विवरण शामिल होगा।

(2) प्रिस्क्रिप्शन दवा की कीमत में हेरफेर करने वाले को नोटिस की तारीख से 10 कैलेंडर दिनों के भीतर पूर्ण या पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए सुधार करना होगा। यदि प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला 10-कैलेंडर दिनों के भीतर अपूर्णता या अपर्याप्तता को दूर करने में असफल रहता है, तो प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले को लागू कैलेंडर वर्ष के लिए अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं के अनुपालन से बाहर माना जाएगा और संबंधित अधिकारी, बोर्ड या विभाग 10-कैलेंडर-दिनों की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद उस प्रभाव के लिए एक लिखित निष्कर्ष जारी करेगा।

(c) अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, या राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, सामूहिक रूप से या अलग-अलग, California राज्य के लेखा-परीक्षक के कार्यालय के साथ एक अंतर-एजेंसी समझौता कर सकते हैं, ताकि किसी प्रिस्क्रिप्शन दवा की कीमत में हेरफेर करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिल सके। इस उपखंड के अंतर्गत अंतर-एजेंसी समझौते के तहत किए गए खर्चों की वसूली अनुभाग 14124.45 के उपखंड (f) के तहत की जा सकती है।

(d) (1) यदि अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, या राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला संगठन अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले संगठन को गैर-अनुपालन का लिखित नोटिस देकर उस निष्कर्ष की सूचना दी जाएगी। गैर-अनुपालन की लिखित सूचना में उपखंड (e) के अनुसरण में सुनवाई का अनुरोध करने के निर्देश दिए जाएंगे।

(2) यदि उपखंड (e) के अनुसरण में सुनवाई का अनुरोध नहीं किया जाता है, तो इस अनुभाग के अनुसार जारी किया गया निष्कर्ष अंतिम निर्धारण बन जाएगा।

(e) (1) (A) उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) के अनुसरण में जारी किए गये गैर-अनुपालन के लिखित नोटिस के जवाब में प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला सुनवाई का अनुरोध कर सकता है।

(B) अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और अनुपालन न करने की लिखित सूचना की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर किया जाना ज़रूरी है।

(2) (A) इस अनुच्छेद में अन्यथा किए गये प्रावधान के अलावा, सुनवाई सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अध्याय 5 (अनुभाग 11500 से शुरू होते हुए) के अनुसार आयोजित की जाएगी।

34

(B) अटॉर्नी जनरल, California स्टेट बोर्ड ऑफ़ फार्मेसी, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, और राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एक ही कैलेंडर वर्ष के लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य हेरफेर से संबंधित गैर-अनुपालन के लिखित नोटिस पर सुनवाई को समेकित कर सकते हैं, और इसके लिए पारस्परिक रूप से एकल सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। सुनवाई किसी अधिकारी, बोर्ड या विभाग द्वारा नियुक्त सुनवाई अधिकारी द्वारा आयोजित की जा सकती है जिसने गैर-अनुपालन का लिखित नोटिस जारी किया हो।

(C) कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया जा सकता है।

(3) (A) यदि उपखंड (f) के अनुसार न्यायिक समीक्षा की मांग नहीं की जाती है, तो सुनवाई अधिकारी का निर्णय अंतिम निर्धारण होगा।

(B) यदि सुनवाई अधिकारी का निर्णय यह है कि प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला व्यक्ति अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो California राज्य कराधान से कोई भी छूट और प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले व्यक्ति के अनुभाग 14124.45 के उपखंड (a) में वर्णित किसी भी लाइसेंस को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद उपखंड (f) के अनुसार

न्यायिक समीक्षा की मांग की जाती है, तो राज्य टैक्स से छूट और लाइसेंस उपखंड (f) के अनुसार न्यायिक समीक्षा लंबित रहने तक निलंबित रहेंगे।

(f) (1) सुनवाई अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी पक्ष सुनवाई अधिकारी के निर्णय जारी होने के 30 कैलेंडर दिनों के अंदर-अंदर सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 1094.5 के अनुसार समीक्षा की मांग कर सकता है।

(2) यदि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 1094.5 के अनुसार समीक्षा की मांग की जाती है, तो अंतिम निर्धारण उस समीक्षा के परिणाम पर आधारित होगा।

14124.47. अंतिम निर्धारण

कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किसी प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों को अंततः अनुभाग 14124.44 की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो निम्नलिखित सभी लागू होंगे:

(a) प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले के पास मौजूद सभी California फार्मेसी लाइसेंस, स्वास्थ्य सेवा प्लैन लाइसेंस या क्लिनिक लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे।

(b) प्रिस्क्रिप्शन दवा की कीमत में हेरफेर करने वाले को 10 वर्ष की अवधि के लिए California फार्मेसी लाइसेंस, स्वास्थ्य सेवा प्लैन लाइसेंस, या क्लिनिक लाइसेंस के लिए आवेदन करने, प्राप्त करने या रखने पर प्रतिबंध होगा।

(c) कोई भी व्यक्ति जो स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, अध्यक्ष या किसी अन्य समान पद पर कार्यरत है और अनुभाग 14124.44 का उल्लंघन होने के समय प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले पर महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण रखता है, उसे 10 वर्ष की अवधि के लिए California लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी, स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन या क्लिनिक के स्वामी, अधिकारी, निदेशक या कर्मचारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

(d) प्रिस्क्रिप्शन दवा की कीमत में हेरफेर करने वाला व्यक्ति California राज्य में टैक्स मुक्त स्थिति खो देगा, और इसके लिए योग्य नहीं रहेगा, जिसमें राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 11 के अध्याय 4 (अनुभाग 23701 से शुरू होते हुए) के अंतर्गत टैक्स-मुक्त स्थिति भी शामिल है, और इसके स्थान पर वह टैक्स योग्य संगठन के रूप में राजस्व एवं कराधान संहिता और अन्य राज्य कानूनों के अधीन होगा। प्रिस्क्रिप्शन दवा की कीमत में हेरफेर करने वाले को इस राज्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए टैक्स-मुक्त दर्जे के लिए दोबारा आवेदन करने या उसे दोबारा प्रदान किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

(e) प्रिस्क्रिप्शन दवा की कीमत में हेरफेर करने वाला व्यक्ति 10 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी नए या नवीनीकृत राज्य या स्थानीय अनुदान या अनुबंध को प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा।

14124.48. परिभाषाएँ

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(a) "क्लिनिक" का मतलब स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की अनुभाग 1204 में वर्णित एक या अधिक क्लिनिकों के रूप में कार्य करने वाली संस्था है।

(b) "प्रत्यक्ष मरीज़ देखभाल" का मतलब है चिकित्सा सेवाओं, दंत चिकित्सा सेवाओं, फार्मास्युटिकल सेवाओं, या स्वभावजन्य स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान, जो सीधे उन व्यक्तिगत मरीज़ों को दी जाती हैं जिनका चिकित्सा या स्वभावजन्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इलाज किया जा रहा है या जिन्हें ये स्थितियाँ होने का संदेह है। प्रत्यक्ष मरीज़ देखभाल में निवारक देखभाल शामिल है जो सीधे मरीज़ों को दी जाती है। इसके अलावा, "प्रत्यक्ष मरीज़ देखभाल" के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए, सेवाओं का ऐसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ होना ज़रूरी है जो समुदाय या गैर-लाभकारी समुदाय-आधारित संगठनों में अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाती हैं, जिन्हें Medi-Cal, Medicaid, या Medicare प्रोग्रामों से प्रतिपूर्ति या भुगतान भी मिल रहा है।

(c) "छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम" का मतलब 1992 के भूतपूर्व स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, P.L. 102-585 अनुभाग 602, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम (अनुभाग 340B; 42 U.S.C. अनुभाग 256B) के अनुभाग 602 द्वारा स्थापित प्रोग्राम है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य संसाधन और सेवा प्रशासन में फार्मेसी मामलों के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(d) "प्रवर्तन एजेंसी" का मतलब California के भीतर किसी राज्य, काउंटी या शहर की एजेंसी का कोई भी विभाग है, जिसके पास बहु-परिवार आवास का निरीक्षण करने और स्वास्थ्य, सुरक्षा या भवन संहिताओं को लागू करने का अधिकार है, जिसमें भवन विभाग या भवन प्रभाग, आवास विभाग, आवास और सामुदायिक निवेश विभाग, अग्निशमन विभाग या अग्निशमन ज़िला और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(e) "संस्था" का मतलब है कोई व्यक्ति, निगम, या किसी भी प्रकार का अन्य कानूनी या कॉर्पोरेट संगठन, चाहे वह गैर-लाभकारी हो या लाभ के लिए, और इसमें संस्था का कोई भी मूल, सहायक या सहयोगी शामिल है।

(f) "स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन" का मतलब है 1975 के Knox-Keene स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन अधिनियम (स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 2.2 (अनुभाग 1340 से शुरू होते हुए)) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन के रूप में काम करने वाली संस्था।

(g) "Medi-Cal Rx प्रोग्राम" का मतलब है कार्यकारी आदेश N-01-19 के पैराग्राफ (1) के अनुसरण में शुरुआत में स्थापित प्रोग्राम और अनुभाग 14124.42 द्वारा स्थायी रूप से अधिकृत प्रोग्राम।

(h) "बहु-परिवार आवास" से तात्पर्य इस राज्य में स्थित किसी भी ढांचे से है जिसे मानव निवास या अधिभोग के लिए डिज़ाइन या इस्तेमाल किया गया है जिसे दो या अधिक स्वतंत्र रहने वाले निवास स्थलों में विभाजित किया गया है।

(i) "अत्यधिक खतरनाक संपत्तियों के मालिक-संचालक" का मतलब किसी संस्था से है, जिसमें उस संस्था की कोई मूल कंपनी, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी शामिल है, जो इस समय या पहले कभी, एक या एक से अधिक बहु-परिवार आवासों का मालिक है, उनका संचालन करता है या

34

उनके लिए ज़िम्मेदार पार्टी है जो संस्था केस्वामित्व, संचालन या जिम्मेदारी के समय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं या करते थे:

(1) एक या एक से अधिक बहु-परिवारीय आवासों का एक या एक से अधिक बार प्रवर्तन एजेंसी या उसके अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था।

(2) प्रवर्तन एजेंसियों या अधिकारियों ने बहु-परिवारीय आवासों में रहने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले उल्लंघनों की पहचान करते हुए एक या एक से अधिक नोटिस या निरीक्षण रिपोर्ट जारी किया था।

(3) सभी बहु-परिवार आवासों में संचयी रूप से, पैराग्राफ (2) में वर्णित नोटिस या निरीक्षण रिपोर्टों ने कम से कम 500 उल्लंघनों की संयुक्त रूप से मिलाकर पहचान की, जिन्हें उल्लंघन गंभीरता स्तर पर "उच्च" के तौर पर वर्गीकृत किया गया था।

(j) "फार्मेसी" का मतलब व्यवसाय और पेशेवर संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 9 (अनुभाग 4000 से शुरू होते हुए) के अनुसार संचालित होने वाली संस्था है।

(k) (1) "फार्मेसी बिक्री अनुबंध" का मतलब है फार्मेसी और किसी अन्य संस्था के बीच हुआ कोई अनुबंध जो छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के जरिए से प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को खरीदता है, अधिकृत करता है या प्राप्त करता है, जहाँ निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हैं:

(A) फार्मेसी, छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के तहत या उसके अनुसरण में, अन्य संस्था द्वारा तय की गई दवाओं का वितरण करती है।

(B) उप-अनुच्छेद (a) में वर्णित दवाओं के लिए फार्मेसी द्वारा ली गई कीमत, वितरण शुल्क को छोड़कर, छूट वाले प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के तहत या उसके जरिए से अन्य संस्था द्वारा बातचीत या भुगतान किए गए खरीद मूल्य से अधिक है।

(2) फार्मेसी बिक्री अनुबंध असंबंधित संस्थाओं के बीच, या संबंधित संस्थाओं के बीच हो सकता है जो एक दूसरे की मूल, सहायक या सहयोगी हों या सामान्य स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन हों।

(l) "प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला" का मतलब है ऐसी संस्था, जिसमें उस संस्था का कोई भी मूल, सहायक या सहयोगी शामिल है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने एक या अधिक मूल, सहायक या सहयोगियों के साथ मिलकर निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है:

(1) संस्था छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम के जरिए से प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की खरीद, मोल-भाव, प्राधिकरण या प्राप्ति करती है।

(2) अपने अस्तित्व के किसी भी 10-कैलेंडर वर्षों की अवधि के दौरान, संस्था ने ऐसे उद्देश्यों पर एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) से अधिक खर्च किया है जो प्रत्यक्ष मरीज़ देखभाल के रूप में योग्य नहीं हैं।

(3) यह संस्था इस समय, या पहले कभी, अत्यधिक खतरनाक संपत्तियों की स्वामी-संचालक रही है।

(4) संस्था निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करती है:

(A) संस्था के पास इस समय, या पहले कभी, स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन के रूप में कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक लाइसेंस हैं।

(B) संस्था प्रभाग 9 के भाग 3 के अध्याय 7 के अनुच्छेद 2.9 (अनुभाग 14088 से शुरू होते हुए) के अनुसार, मुख्य देखभाल मामला प्रबंधन संगठन के रूप में राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग के साथ इस समय अनुबंध करती है, या पहले कभी अनुबंध कर चुकी है।

(C) यह संस्था वर्तमान में Medicare और Medicaid सेवा केंद्रों के साथ Medicare विशेष ज़रूरतों वाले प्लैन के रूप में Medicare प्रोग्राम में सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंध करती है, या पहले कभी अनुबंध कर चुकी है।

(D) संस्था के पास इस समय, या पहले कभी, फार्मेसी के रूप में कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक लाइसेंस हैं या थे।

(E) संस्था के पास इस समय, या पहले कभी, क्लिनिक के रूप में कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक लाइसेंस हैं या थे।

14124.49. गैर-पेशेवराना आचरण, बेईमानी से व्यापार करना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के प्रतिकूल आचरण

(a) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 2.2 के अनुच्छेद 7 (अनुभाग 1386 से शुरू होते हुए) या किसी अन्य कानून या विनियमन में वर्णित किसी अन्य आचरण, मानक या आवश्यकता के अतिरिक्त, यह उस स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन के लिए बेईमानी से किया जाने वाला व्यापार माना जाएगा जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले के रूप में योग्य है, जो कि अनुभाग 14124.45 के अनुसार आवश्यक या अनुरोधित समय पर सटीक जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

(b) व्यवसाय और पेशेवर संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 9 के अनुच्छेद 19 (अनुभाग 4300 से शुरू होते हुए) में वर्णित किसी भी अन्य आचरण, मानक या आवश्यकता के अलावा, California विनियम संहिता के शीर्षक 16 के अनुभाग 1762, या किसी अन्य कानून या विनियमन के अलावा, यह एक फार्मेसी के लिए गैर-पेशेवराना आचरण माना जाएगा जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले के रूप में योग्य है, अनुभाग 14124.45 के अनुसार आवश्यक या अनुरोधित समय पर सटीक जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

34

(c) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 5 (अनुभाग 1240 से शुरू होते हुए) में वर्णित किसी अन्य आचरण, मानक या आवश्यकता के अलावा, या किसी अन्य कानून या विनियमन के अलावा, यह California राज्य के लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए प्रतिकूल आचरण माना जाएगा, यदि कोई क्लिनिक, जो कि प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले के रूप में योग्य है, अनुभाग 14124.45 के अनुसार आवश्यक या अनुरोधित समय पर सटीक जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

14124.50. राज्य और स्थानीय अनुदान और अनुबंध पात्रता

(a) (1) California के लोग यह पाते और घोषित करते हैं कि उनके राज्य और स्थानीय टैक्स डॉलरों को ऐसे प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों को नहीं दिया जाना चाहिए, जो छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम केउद्देश्य का उल्लंघन करते हैं, जिसका उद्देश्य उन मरीज़ों का इलाज करना है जो चिकित्सकीय रूप से बीमाकृत नहीं हैं, सीमांत आय पर हैं और जिनके पास निवारक और मुख्य देखभाल सेवाओं के लिए कोई अन्य स्रोत मौजूद नहीं है और अधिक योग्य मरीज़ों तक पहुंचना और कम

आय वाले और अतिसंवेदनशील मरीज़ों को अधिक व्यापक सेवाएँ प्रदान करना है।

(2) California के लोग यह भी पाते हैं और घोषणा करते हैं कि इस तरीके से अपने राज्य और स्थानीय टैक्स डॉलर की रक्षा करना राज्यव्यापी चिंता का विषय है।

(b) इसलिए, अनुभाग 14124.47 के उपखंड (e) में दी गई आवश्यकताओं के अतिरिक्त, प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाला केवल तभी कोई नया या नवीनीकृत किया गया राज्य या स्थानीय अनुदान या अनुबंध प्राप्त करने के योग्य होगा, यदि पिछले कैलेंडर वर्ष में, उस प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले ने छूट प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्राम में भागीदारी से देश भर में उत्पन्न शुद्ध राजस्व का कम से कम 98 प्रतिशत प्रत्यक्ष मरीज़ देखभाल पर खर्च किया हो।

14124.51. सार्वजनिक इनपुट

अटॉर्नी जनरल, California राज्य का फार्मेसी बोर्ड, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग, और राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग उन संस्थाओं के संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियाँ और जानकारी आमंत्रित करेंगे और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए एक प्रक्रिया उपलब्ध कराएंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वाले या अत्यधिक खतरनाक संपत्तियों के मालिक-संचालक के रूप में योग्य पाई जाती हैं। इस अनुभाग के अनुसार प्रस्तुत की जा सकने वाली जानकारी में खर्चों के रिकॉर्ड और लिखित नोटिस या निरीक्षण रिपोर्ट शामिल हैं, जो बहु-परिवार वाले आवासों में रहने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले उल्लंघनों की पहचान करती हैं।

14124.52. प्रभावी तिथि और पृथक्करण

(a) यह अनुच्छेद मतदाताओं द्वारा अपनाए जाने के बाद आगामी 1 जनवरी से प्रभावी होगा।

34

(b) इस अनुच्छेद के प्रावधान पृथक्कनीय हैं। यदि इस अनुच्छेद का कोई भाग, अनुभाग, उपखंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, धारा, उप-धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या कार्यान्वयन किसी भी कारण से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अवैध माना जाता है, तो वह निर्णय इस अनुच्छेद के शेष भागों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। California राज्य के लोग एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि वे इस अनुच्छेद और इसके हर एक और प्रत्येक भाग, अनुभाग, उपखंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, धारा, उप-धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और कार्यान्वयन को इस बात पर ध्यान दिए बिना अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं करेंगे कि इस अनुच्छेद या इसके किसी भाग या कार्यान्वयन को बाद में अवैध घोषित किया जाएगा या नहीं।

(c) जहाँ तक सक्षम न्यायालय का यह निर्णय है कि इस अनुच्छेद के प्रभावी होने के पश्चात प्रथम कैलेंडर वर्ष के दौरान इस अनुच्छेद में निर्धारित किसी तिथि या समय-सीमा का अनुपालन करना कानूनी रूप से असंभव है, California राज्य के लोग इस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए अपनी मंशा की घोषणा करते हैं और इसे राज्य और संघीय कानून के अनुरूप यथाशीघ्र लागू करने की घोषणा करते हैं।

अनुभाग. 2. परस्पर विरोधी विधेयक।

(a) यदि यह पहल विधेयक और फार्मेसी बिक्री समझौतों या प्रिस्क्रिप्शन दवा के मूल्य में हेरफेर करने वालों से निपटने वाले अन्य पहल विधेयक या ऐसा विधेयक जैसा कि इस पहल में परिभाषित किया गया है, एक ही राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर दिखाई देते हैं, तो अन्य पहल विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के साथ संघर्ष में माना जाएगा। यदि इस पहल विधेयक को अधिक संख्या में सकारात्मक मतदान प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे, और अन्य पहल विधेयक या विधेयकों के प्रावधान अमान्य और अशक्त हो जाएंगे।

(b) उपखंड (a) के बावजूद, लोग यह पाते हैं और घोषणा करते हैं कि यह पहल विधेयक 2024 के स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (23-0024) या किसी अन्य पहल विधेयक के साथ संघर्ष नहीं करता है जो Medi-Cal प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त या विस्तारित वित्तपोषण प्रदान करता है।

अनुभाग 3. उदारतावादी निर्माण।

अनुभागधिनियम को उसके इरादे और उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए

उदारतापूर्वक व्याख्यायित किया जाएगा, जैसा कि अनुभाग 14124.40 और 14124.41 में व्यक्त किया गया है।

अनुभाग 4. कानूनी बचाव।

इस अनुभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के पहल के बहुमूल्य अधिकार को राज्य के राजनेताओं द्वारा अनुचित रूप से निरस्त नहीं किया जा सके, जो मतदाताओं की इच्छा की हिफ़ाज़त करने से इनकार करते हैं। इसलिए, यदि इस अधिनियम को California राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद इसे कानूनी चुनौती दी जाती है जो किसी भी तरह से इस अधिनियम के दायरे या कार्यान्वयन को सीमित करने का प्रयास करती है, या आरोप लगाती है कि यह अधिनियम किसी राज्य या संघीय कानून का पूर्णतः या आंशिक रूप से उल्लंघन करता है, और राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल दोनों California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्णतः बचाव करने से इनकार करते हैं, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

(a) सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 12500 से शुरू होते हुए) या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, अटॉर्नी जनरल California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्णतः ईमानदारी और दृढ़ता से बचाव करने के लिए स्वतंत्र वकील की नियुक्ति करेगा।

(b) स्वतंत्र वकील की नियुक्ति करने या उसके बाद उसे प्रतिस्थापित करने से पहले, अटॉर्नी जनरल स्वतंत्र वकील की योग्यता निर्धारित करने की यथोचित कोशिश करेगा और स्वतंत्र वकील से लिखित प्रतिज्ञान प्राप्त करेगा कि स्वतंत्र वकील यथासंभव पूरी सीमा तक इस कार्रवाई का ईमानदारी और दृढ़ता से बचाव करेगा। लिखित पुष्टि अनुरोध करने पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

(c) ऐसे मामलों में, जहाँ राज्यपाल और अटार्नी जनरल मतदाताओं की इच्छा के बावजूद ऐसा करने में असफल रहते हैं, इस अधिनियम के बचाव का समर्थन करने के लिए, वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना, California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्णतः बचाव करने के लिए स्वतंत्र वकील को नियुक्त करने की लागत को कवर करने के लिए आवश्यक राशि में सामान्य निधि से नियंत्रक को निरंतर विनियोजन किया जाता है।

प्रस्ताव 35

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक कल्याण और संस्थान संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह संकेत देने के लिए, कि वे नये हैं, *तिरछे टाइप* में प्रिंट किया गया है।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. अध्याय 7.5 (अनुभाग 14199.100 से शुरू होते हुए) को कल्याण और संस्था संहिता के प्रभाग 9 के भाग 3 में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अध्याय 7.5. 2024 के
स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा अधिनियम

धारा 1. शीर्षक, निष्कर्ष और घोषणाएँ,
आशय का कथन

14199.100. शीर्षक

इस अध्याय को 2024 के स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

14199.101. निष्कर्ष और घोषणाएँ

California राज्य के लोग निम्नलिखित सभी बातों को पाते और घोषित करते हैं:

(a) 2019 में, गवर्नर Newsom और विधानमंडल ने California में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए निवेश और पहल की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की। इन कार्रवाइयों में कम आय वाले सभी California वासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना, मरीज़ों को कम लागत वाली इंसुलिन देने के लिए California की अपनी जनेरिक दवाओं का उत्पादन शुरू करना, California के सभी स्कूली बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना और Medi-Cal प्रोग्राम में सुधार के लिए एक बहुवर्षीय प्रतिबद्धता की शुरुआत करना शामिल है।

(b) हालांकि बीते कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण निवेश किए गये हैं और शुरुआती परिणाम सफल होते दिखाई दे रहे हैं, भविष्य के वर्षों में ये निवेश जोखिम पर हैं और इनका संरक्षण किए जाने की ज़रूरत है।

(c) हर 5 में से 2 California वासी, यानी 12 मिलियन से 15 मिलियन के बीच लोग, स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के लिए Medi-Cal प्रोग्राम पर निर्भर करते हैं। इसमें करीब चार मिलियन बच्चे और दो मिलियन बुज़ुर्ग और विकलांग लोग शामिल हैं।

(d) हालांकि, सिर्फ Medi-Cal प्रोग्राम में नामांकन हो जाना ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की गारंटी नहीं देता है। Medi-Cal प्रतिपूर्ति की अधिकांश दरें एक दशक से अधिक समय से समायोजित नहीं की गई हैं, और कुछ प्रदाताओं को तो 25 वर्षों से भी अधिक समय से कोई भुगतान वृद्धि देखने को नहीं मिली है। नतीजतन, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता नए Medi-Cal मरीज़ों का इलाज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से, Medi-Cal मरीज़ों और कुछ क्षेत्रों में तो सम्पूर्ण समुदायों को गंभीर और आपातकालीन देखभाल तक पहुंच में कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रसव और डिलीवरी जैसी आवश्यक अस्पताल सेवाओं को घटाने या समाप्त किए जाने का जोखिम बना हुआ है।

(e) स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी के कारण हमारे राज्य में समस्या और भी गंभीर हो गई है। हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर पड़ने वाले मौजूदा तनाव ने कई स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है, और हजारों ने इस पेशे को पूरी तरह से छोड़ दिया है। इससे हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली चरमरा गई है और California के सबसे संवेदनशील लोगों के लिए परिवार नियोजन सेवाओं और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं सहित देखभाल को हासिल कर पाना और भी कठिन हो गया है।

(f) Medi-Cal मरीज़ों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिलने के लिए हफ्तों या महीनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है, जहाँ प्रति व्यक्ति मुख्य देखभाल प्रदाताओं की संख्या कम है, जिसके चलते वहाँ के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचने में देरी होती है या वे पहुंच ही नहीं पाते हैं।

(g) समुचित स्तर की मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिल पाने में और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। California न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी से जूझ रहा है, बल्कि यहाँ गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले मरीज़ों के लिए मनोचिकित्सा संबंधी बिस्तरों और उपचार की भी कमी है। जब गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों वाले मरीज़ों को समुचित देखभाल नहीं मिल पाती, तब वे अक्सर आपातकलीन कक्ष में कई दिनों तक इंतज़ार करते रहते हैं या अंत में इलाज के बिना रह जाते हैं और बेघर व्यक्ति बन जाते हैं।

(h) सभी California वासियों का प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऊंची कीमतों से जूझना जारी है। जब California वासियों को उनकी ज़रूरत की दवाएँ नहीं मिल पातीं, तो हमारी पूरी की पूरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रभावित होती है।

(i) मरीज़ों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में कमी और किफायती प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की तंगी सभी California वासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का जोखिम पैदा करती है। जब Medi-Cal मरीज़ अपनी किसी प्रिस्क्रिप्शन को फिर से रीफ़िल नहीं करवा पाते या इलाज के लिए उन्हें डॉक्टर, मानसिक स्वास्थ्य सुविधा-स्थल, या अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता नहीं मिल पाते, तो वे अक्सर आपातकालीन कक्षों में पहुंच जाते हैं। इसका हमारे राज्य के आपातकालीन कक्षों पर अतिरिक्त, और टाला जा सकने वाला बोझ पड़ता है। जब Medi-Cal मरीज़ों को स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक स्रोत के तौर पर आपातकालीन कक्षों पर निर्भर रहने के लिए मज़बूर होना पड़ता है, तो यह अतिरिक्त दबाव सभी मरीज़ों के लिए जीवन रक्षक देखभाल मिल पाना मुश्किल बना देता है।

(j) Medi-Cal मरीज़ों को स्वास्थ्य देखभाल और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं तक वही पहुंच प्राप्त होनी चाहिए जो निजी या नियोक्ता-आधारित स्वास्थ्य बीमा वाले मरीज़ों को हासिल होती है। इसे सबसे बेहतर और सबसे सीधे तौर पर Medi-Cal मरीज़ों का इलाज करने वाले डॉक्टरों, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए प्रतिपूर्ति दरों में बढ़ोत्तरी करके प्राप्त किया जा सकता है, ताकि कम से कम देखभाल प्रदान करने की लागतें तो कवर हो पाएँ और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की लागत में भी कमी आए।

35

(k) California उन राज्यों में से एक है जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के लिए ज़रूरी भुगतान में मदद करने के लिए संघीय कोष से अतिरिक्त डॉलर हासिल करने के लिए प्रबंधित देखभाल प्लैनों पर टैक्स लगाता है। यह अध्याय Medi-Cal निधिकरण की कई मौजूदा खामियों पर ध्यान देता है। पहला, यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा टैक्स हमेशा जारी रहते हैं, ताकि California को संघीय स्वास्थ्य देखभाल निधिकरण में अपना उचित हिस्सा मिलता रहे। दूसरा, यह गारंटी देता है कि जारी रखे जा रहे टैक्स से प्राप्त सारे राजस्व को अत्यंत महत्व वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए निवेश पर खर्च किया जाएगा और यह इन डॉलरों को दूसरे असंबंधित कामों में लगाना असंभव बनाता है।

(l) इसके अलावा, यह अध्याय राज्य को जनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए निधिकरण को बढ़ाकर आवश्यक दवाओं को और ज़्यादा मरीज़ों के लिए किफायती एवं सुलभ बनाने में मदद करता है। यह अध्याय California की अपनी खुद की जनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाकर प्रिस्क्रिप्शन दवा बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और दवा की गंभीर कमियों को दूर करने में मदद करेगा। इससे सभी California वासियों के लिए प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा की कीमतों में कमी आएगी।

(m) यह अध्याय Medi-Cal प्रदाता के बढ़े हुए भुगतानों, जनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्रामों के लिए स्थायी निधिकरण सुनिश्चित करके और हमारे स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल, बिस्तर क्षमता और उपचार विकल्पों को बढ़ाकर, और इन डॉलरों को अनधिकृत इस्तेमाल से बचाकर, सभी मरीज़ों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और किफायती दवाओं तक कहीं अधिक पहुंच प्रदान करके हमारी सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बेहतर बनाएगा।

14199.102. आशय का कथन

इस अध्याय को लागू करने में, California राज्य के लोगों का उद्देश्य और आशय निम्नलिखित सभी कार्य करने से है:

(a) निधिकरण का एक स्थायी, समर्पित प्रवाह स्थापित करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ाना, जिसका इस्तेमाल Medi-Cal मरीज़ों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए प्रतिपूर्ति दरों और अन्य सहायताओं को बढ़ाने और पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल, बिस्तर क्षमता और उपचार विकल्पों के निर्माण में निवेश के लिए किया जाए।

(b) California किफायती दवा निर्माण अधिनियम, 2020 के ज़रिए जनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले निधिकरण का एक स्थायी, समर्पित प्रवाह स्थापित करके किफायती प्रिस्क्रिप्शन दवाओं तक पहुंच को बढ़ाना।

(c) इस अध्याय द्वारा स्थायी रूप से जारी राजस्व प्रवाह को कभी भी अनधिकृत या असंबंधित प्रोग्रामों का निधिकरण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकना या वर्तमान में इस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और किफायती प्रिस्क्रिप्शन दवा प्रोग्रामों का निधिकरण करने वाले धन के मौजूदा स्रोतों को बदलने या प्रतिस्थापित किए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकना।

(d) एक ऐसे समर्पित निधिकरण प्रवाह को जारी रखना जो संघीय कानून द्वारा पूरी तरह से अनुमत हो, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि करदाताओं और नियोक्ताओं को इस अध्याय के क्रियान्वयन का वित्तीय बोझ न उठाना पड़े।

धारा 2. स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा निधि

14199.103. स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा निधि का निर्माण

(a) (1) स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा निधि (फंड) को एतद्द्वारा राज्य कोषागार में स्थापित किया गया है।

(2) किसी भी अन्य कानून के बावजूद:

(A) यह निधि एक ऐसी विशेष निधि है, जो सामान्य निधि या किसी अन्य राज्य निधि या खाते से स्थायी रूप से अलग और पृथक है।

(B) सरकारी संहिता के अनुभाग 16305.7 के बावजूद, इस निधि में मौजूद धनराशि पर अर्जित किसी भी ब्याज या लाभांश को इसी निधि में ही बनाए रखा जाएगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ इस अध्याय में निर्धारित किए गए तरीके से किया जाएगा।

(b) इस निधि में एतद्द्वारा स्वास्थ्य देखभाल निगरानी और जवाबदेही उपनिधि की स्थापना की गई है।

(c) इस निधि में एतद्द्वारा स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार उप-निधि की स्थापना की गई है।

(d) किसी भी अन्य कानून के बावजूद:

(1) (A) 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी, अनुभाग 14199.82 के अनुसरण में बनाई गई प्रबंधित देखभाल नामांकन निधि में कोई भी शेष धनराशि, जो 2023, 2024, 2025 और 2026 के भुगतानों से संबंधित खर्चों के लिए अनुभाग 14199.82 के उपखंड (d) में निर्धारित Medi-Cal प्रोग्राम के उप-घटकों का समर्थन करने के लिए देनदारियों या ऋणभार का निधिकरण करने के लिए आवश्यक नहीं है, उसे Medi-Cal पहुंच और सहायता खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(B) उस तारीख से प्रभावी, जिस दिन प्रबंधित देखभाल नामांकन निधि में शेष समस्त संचित धनराशि खत्म हो जाती है, प्रबंधित देखभाल नामांकन निधि को एतद्द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, और अनुभाग 14199.82 निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने के एक साल बाद इसे एतद्द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।

(2) (A) 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी, अनुभाग 14105.200 के अनुसरण में बनाई गई Medi-Cal प्रदाता भुगतान आरक्षित निधि में कोई भी शेष धनराशि, जो 2023, 2024, 2025 और 2026 के कैलेंडर वर्षों से संबंधित खर्चों के लिए अनुभाग 14105.200 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए देनदारियों या ऋणभार का निधिकरण करने के लिए आवश्यक नहीं है, उसे Medi-Cal पहुंच और सहायता खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(B) उस तारीख से प्रभावी, जिस दिन Medi-Cal प्रदाता भुगतान आरक्षित निधि में शेष समस्त संचित धनराशि खत्म हो गई है, Medi-Cal प्रदाता भुगतान आरक्षित निधि को एतद्द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, और अनुभाग 14105.200 निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने के एक साल बाद इसे एतद्द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।

14199.104. निधि निगरानी और जवाबदेही

(a) California राज्य के लोग एतद्द्वारा अपने पूर्ण आशय की घोषणा करते हैं कि इस निधि में जमा धनराशियों का इस्तेमाल बिना किसी देरी या रुकावट के इस अध्याय में निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

इस अनुभाग का उद्देश्य इसके लिए निगरानी और जवाबदेही के तंत्र प्रदान करना है ताकि यह गारंटी दी जा सके कि लोगों के आशय को पूरा किया गया है।

(b) (1) नियंत्रक हर चार वर्ष में निधि से धनराशियाँ प्राप्त करने वाले प्रोग्रामों का एक स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण करेगा। नियंत्रक निष्कर्षों की रिपोर्ट गवर्नर और विधानमंडल के दोनों सदनों को देगा, और अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर इन निष्कर्षों को जनता के लिए उपलब्ध कराएगा।

(2) नियंत्रक के लेखा-परीक्षण में अनुभाग 14199.107 के साथ विभाग के वार्षिक अनुपालन का भी आकलन किया जाएगा।

(c) (1) नियंत्रक को इस अनुभाग के उपखंड (b) द्वारा आवश्यक वित्तीय लेखा-परीक्षण और अनुभाग 14199.107 के उपखंड (b) द्वारा आवश्यक समीक्षाएँ करने में आईं वास्तविक लागतों के लिए स्वास्थ्य देखभाल निगरानी और जवाबदेही उप-निधि में धनराशि से अलग से प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी राशि प्रति लेखा-परीक्षण और समीक्षा सात लाख पचास हजार डॉलर ($750,000) से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रति लेखा-परीक्षण और समीक्षा सात लाख पचास हजार डॉलर ($750,000) की इस अधिकतम सीमा को सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-U) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में किसी भी वृद्धि को दर्शाने के लिए दशक के आधार पर समायोजित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष का कार्यालय इस पैराग्राफ के अनुसार आवश्यक समायोजनों की गणना करेगा और इन्हें प्रकाशित करेगा।

14199.105. निधि में जमा की गईं और इसमें से खर्च की गईं धनराशियों का प्रबंध

किसी भी अन्य कानून के बावजूद:

(a) निधि, और इस निधि के भीतर की प्रत्येक उप-निधि, खाते और उपखाते को एतद्द्वारा ट्रस्ट निधि, ट्रस्ट उप-निधि, ट्रस्ट खाता, या ट्रस्ट उपखाता घोषित किया जाता है।

(b) सरकारी संहिता के अनुभागों 16310 और 16381 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, जैसा कि वे अनुभाग 1 जनवरी, 2023 को पढ़े गए, इस निधि में धन को न उधार लिया जाएगा, न इससे उधार दिया जाएगा, और न ही अन्यथा सामान्य निधि या किसी अन्य राज्य या स्थानीय निधि या खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। निधि, निधि के भीतर कोई भी उप-निधि, खाते, या उपखाते में जमा किए गए धन, जिसमें उस पर अर्जित कोई ब्याज या लाभांश शामिल है, का इस्तेमाल सिर्फ इस अध्याय में निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो निधि या निधि के भीतर किसी उप-निधि, खाते या उपखाते की स्थिति को स्थायी या अस्थायी रूप से ट्रस्ट निधि, ट्रस्ट उप-निधि, ट्रस्ट खाते, या ट्रस्ट उपखाते के रूप में बदल दे, या इस अध्याय के साथ असंगत किसी तरीके से निधि में जमा धन को उधार ले, किसी दूसरे काम में लगाए या इसे विनियोजित करे।

(c) (1) कैलेंडर वर्ष 2025 और 2026 के दौरान अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू होते हुए) और धारा 6 (अनुभाग 14199.123 से शुरू होते हुए) द्वारा लगाए गए टैक्स और उनसे प्राप्त धनराशि, जिसमें ब्याज और अर्थदंड शामिल हैं, लेकिन रीफंड के भुगतान को घटाया गया है, को धारा 3 (अनुभाग 14199.108 से शुरू होते हुए) में निर्धारित किए गए अनुसार निधि में जमा करना आवश्यक है। यह निधि एक ऐसी विशेष निधि है और ट्रस्ट निधि, सामान्य निधि से स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से अलग और पृथक है। सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस अध्याय में निर्धारित उद्देश्यों के लिए वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना निधि की धनराशियों को लगातार विभाग को विनियोजित किया जाता है।

(2) (A) इसलिए, पैराग्राफ (1) में वर्णित टैक्स और उनसे प्राप्त धनराशियों को सामान्य निधि का हिस्सा नहीं माना जाएगा, जैसे कि यह शब्द सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 2 के अध्याय 1 (अनुभाग 16300 से शुरू होते हुए) में इस्तेमाल किया जाता है, California के संविधान की धारा XVI के अनुभाग 8 और उसके लागू करने वाले विधानों के प्रयोजनों के लिए सामान्य निधि राजस्व नहीं माने जाएंगे, और California के संविधान की धारा XVI के अनुभाग 8 और उसके लागू करने वाले विधानों के उपखंड (a) और (b) के प्रयोजनों के लिए "सामान्य निधि राजस्व," "राज्य के राजस्व," "धनराशियाँ," या "टैक्स की सामान्य निधि प्राप्तियाँ" नहीं माना जाएगा।

(B) यह पैराग्राफ संघीय सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के शीर्षक XIX और शीर्षक XXI के प्रयोजनों के लिए पैराग्राफ (1) में "राज्य के राजस्व" या "राज्य के टैक्स राजस्व" के रूप में वर्णित टैक्स और उनसे उत्पन्न होने वाली धनराशि के चरित्र को परिवर्तित नहीं करता है।

14199.106. प्रशासन

(a) (1) विभाग को इस अध्याय के प्रशासन में आई वास्तविक और आवश्यक लागतों के लिए स्वास्थ्य देखभाल निगरानी और जवाबदेही उप-निधि में से हर साल प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो कि निधि में हर साल जमा की जाने वाली धनराशि के 0.0005 प्रतिशत या चार मिलियन डॉलर ($4,000,000), जो भी ज़्यादा हो, से अधिक नहीं होगी। इस अध्याय के प्रशासन के लिए विभाग द्वारा किए गए किसी भी अंतर-एजेंसी समझौते को इस उपखंड में प्रदान की गई राशि से ही कवर किया जाएगा।

(2) पैराग्राफ (1) में दी गई सीमा को सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-U) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में किसी भी वृद्धि को दर्शाने के लिए दशक के आधार पर समायोजित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष का कार्यालय इस पैराग्राफ के अनुसार आवश्यक समायोजनों की गणना करेगा और इन्हें प्रकाशित करेगा।

(b) (1) (A) 1 जनवरी, 2027 को और उसके बाद, विभाग का गैर-विवेकाधीन मंत्रिस्तरीय कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के उद्देश्यों को सालाना आधार पर पूरा करने के लिए निधि और निधि के भीतर प्रत्येक उप-निधि, खाते और उपखाते में मौजूद सभी धनराशियों का इस्तेमाल करे। इसीलिए, 1 जनवरी, 2027 को और उसके बाद, विभाग प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या वित्तीय वर्ष के अंत तक निधि में मौजूद सारी धनराशियों को समाप्त करने या अन्यथा उस पर ऋणभार डालने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।

(B) विभाग इस आवश्यकता का अनुपालन कैलेंडर वर्ष या वित्तीय वर्ष के आधार पर करने का विकल्प चुन सकता है और ऐसे खर्चों का लेखा-जोखा संचयी या नकदी आधार पर दे सकता है। विभाग अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर इस उप-पैराग्राफ के तहत अपने विकल्प प्रकाशित करेगा।

(C) इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, निधि में बची धनराशियाँ, जो कि संघीय रूप से अनुमोदित पद्धति या ऐसी पद्धति के अनुसार Medi-Cal प्रदाताओं को भुगतान से संबंधित खर्चों के लिए आबंटित की जाती है, या ऐसी पद्धति के अनुसार जिसके लिए संघीय अनुमोदन लंबित है, को प्रत्येक

35

लागू कैलेंडर वर्ष या वित्तीय वर्ष के अंत में अन्यथा ऋणभार से ग्रस्त माना जाएगा।

(2) किसी भी चुनौती में जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि विभाग इस गैर-विवेकाधीन मंत्रिस्तरीय कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है, तो अदालत अपना स्वतंत्र निर्णय लागू करेगी और विभाग की राय को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी।

(c) (1) यदि इस अध्याय के उल्लंघन को दूर करने के लिए लाई गई किसी चुनौती में, कोई निरोधक आदेश या प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो वादी या याचिकाकर्ताओं को कोई ऐसा बॉन्ड जमा करना आवश्यक नहीं होगा, जिसके तहत वे निरोधक आदेश या प्रारंभिक निषेधाज्ञा के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए सरकारी प्रतिवादियों या California राज्य को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हों।

(2) (A) यदि इस अध्याय का उल्लंघन करने वाली किसी कार्रवाई को अमान्य करने की कोई चुनौती सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा जारी अंतिम निर्णय के रूप में सफल हो जाती है, तो उस निधि, उप-निधि, खाते या उपखाते को बहाल करने के लिए ज़रूरी धनराशि, जिससे धनराशि गैरकानूनी तरीके से ली गई या अपनी वित्तीय स्थिति में अन्यत्र दूसरे काम में लगा दी गई थी, यदि गैरकानूनी कार्रवाई नहीं की गई होती, तो विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, सामान्य निधि से उस निधि, उप-निधि, खाते या उपखाते में, जैसा भी लागू हो, हस्तांतरित कर दी जाएगी। जिस तारीख या जिन तारीखों को धनराशि गैरकानूनी तरीके से ली गई थी या अन्यत्र दूसरे काम में लगा दी गई थी, उस तारीख या तारीखों से पूल किया गया धन निवेश निधि की दर पर गणना किया गया ब्याज, इस पैराग्राफ के अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों पर अर्जित होगा। विधानमंडल द्वारा किए गए विनियोजन के 30 कैलेंडर दिनों के अंदर, नियंत्रक इस पैराग्राफ के अनुसार आवश्यक हस्तांतरण करेगा और पक्षों, विभाग और समिति को एक नोटिस जारी करेगा कि हस्तांतरण पूरा हो गया है।

(B) यदि विधानमंडल उप-पैराग्राफ (A) में वर्णित अंतिम निर्णय की संतुष्टि हेतु उस निर्णय के जारी होने के 365 दिनों के भीतर पर्याप्त धनराशि का विनियोजन करने में असफल रहता है, तो अदालत नियंत्रक को निर्देश देगी कि वह Medi-Cal पहुंच और सहायता खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल करके गैरकानूनी रूप से लिए गए या अन्यत्र दूसरे काम में लगा दिए गए धन को ब्याज सहित वापस करे।

14199.107. गैर-प्रतिस्थापन

(a) (1) धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) में अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर, निधि में मौजूद धनराशि का इस्तेमाल इस अध्याय के लागू होने की तारीख से पहले से ही अस्तित्व में मौजूद राज्य के राजस्व स्रोतों को बदलने या प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जाएगा। इस निधि में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल सिर्फ स्वास्थ्य देखभाल लाभों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल, और भुगतान दरों को उनसे और आगे विस्तार देने के लिए किया जाएगा, जो कि 1 जनवरी, 2024 को पहले से लागू या अस्तित्व में थीं।

(2) पैराग्राफ (1) का अनुपालन सुनिश्चित करने और इस अध्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) में अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर, निधि में मौजूद धनराशि का इस्तेमाल सिर्फ सेवाओं और प्रोग्रामों के लिए पहले से मौजूद राज्य के प्रत्येक राजस्व स्रोत को बढ़ाने और विस्तार देने के लिए किया जाएगा, न कि उन्हें बदलने या प्रतिस्थापित करने के लिए, जो कि इस अध्याय की धारा 3 (अनुभाग 14199.108 से शुरू होते हुए) और धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

(3) धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) में अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर, निधि में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल पहले से मौजूद राज्य के किसी भी ऐसे राजस्व स्रोत को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जाएगा, जिसे Medi-Cal सेवाएँ, लाभ, या कवरेज प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वे धनराशियाँ जिनका इस्तेमाल California किफायती दवा निर्माण अधिनियम 2020, या इस अध्याय में निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल प्रावधानों के लिए किया जाता है।

(b) (1) विभाग सालाना एक सार्वजनिक लिखित रिपोर्ट जारी करेगा जिसमें इस बात का विस्तृत विवरण दिया जाएगा कि क्या उपखंड (a) के साथ अनुपालन को हासिल किया जा रहा है या नहीं, और कैसे। इस रिपोर्ट को विभाग की इंटरनेट वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

(2) अनुभाग 14199.104 के तहत नियंत्रक अपनी लेखा-परीक्षण ज़िम्मेदारियों के हिस्से के तौर पर पैराग्राफ (1) के अनुसरण में विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करेगा और उपखंड (a) का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, इस संबंध में सार्वजनिक रूप से एक अलग लिखित राय जारी करेगा। नियंत्रक के द्वारा इस आवश्यकता के कारण वहन की गई लागतें अनुभाग 14199.104 के उपखंड (c) के अनुसार प्रतिपूर्ति के योग्य होंगी।

(c) किसी भी चुनौती में जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि निधि में मौजूद धनराशि, और निधि के भीतर स्थापित उप-निधि, खाते, और उपखातों का इस्तेमाल इस अध्याय में वर्णित उद्देश्यों के लिए पहले से प्रयुक्त राज्य के राजस्वों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा रहा है, अदालत अपना स्वतंत्र निर्णय लागू करेगी और विभाग की राय को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी।

(d) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, अनुभागों 14199.84 और 14199.123 को राज्य के राजस्व का समान यानी एक ही स्रोत माना जाएगा।

(e) इस अध्याय में निधिकरण के प्रतिस्थापन पर प्रतिबंधों को लेकर अतिरिक्त व्यक्त संदर्भ उन संदर्भों वाले खातों के लिए कहीं अधिक गैरप्रतिस्थापन संरक्षण, या कि उन संदर्भों की कमी वाले खातों के लिए कुछ कम गैर-प्रतिस्थापन संरक्षण का संकेत नहीं देते हैं।

धारा 3. निधि में धनराशियाँ जमा करना और उनका आबंटन

14199.108. धनराशियाँ जमा करना और उनका आबंटन

किसी भी अन्य कानून के बावजूद:

(a) (1) 1 जनवरी, 2025 को और उसके बाद, अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू होते हुए) के अनुसार लगाए गए टैक्स से सालाना प्राप्त सभी धनराशियों को निधि में जमा किया जाएगा।

(2) 1 जनवरी, 2027 को और उसके बाद, धारा 6 (अनुभाग 14199.123 से शुरू होते हुए) के अनुसार लगाए गए टैक्स से सालाना प्राप्त सभी धनराशियों को निधि में जमा किया जाएगा।

35

(b) (1) नियंत्रक के द्वारा निधि से स्वास्थ्य देखभाल निगरानी और जवाबदेही उप-निधि में निम्नलिखित सभी को कवर करने के लिए पर्याप्त धनराशि सालाना हस्तांतरित की जाएगी:

(A) सिर्फ 2025 और 2026 कैलेंडर वर्षों के लिए, अनुभाग 14199.108.3 के अनुसरण में किए गए विनियोजन को कवर करने के लिए आवश्यक धनराशियाँ।

(B) 2025 कैलेंडर वर्ष से शुरू करते हुए और उसके बाद के प्रत्येक कैलेंडर वर्ष से, Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैनों के लिए बढ़े हुए प्रति व्यक्ति भुगतानों का गैर-संघीय हिस्सा, अनुभाग 14199.84 या धारा 6 (अनुभाग 14199.123 से शुरू करते हुए) के अनुसार, संबंधित कैलेंडर वर्ष या वर्षों के लिए, जैसा भी लागू हो, उनके अनुमानित टैक्स संबंधी दायित्व के लिए ज़िम्मेदार होगा।

(C) इस अध्याय के तहत नियंत्रक को उसके दायित्वों के लिए प्रतिपूर्ति।

(D) विभाग की प्रशासनिक लागतों का भुगतान।

(E) किसी भी रीफंड का पुनर्भुगतान, जैसा भी लागू हो।

(F) अनुभाग 14199.133 के अनुसरण में खर्च की गई लागतें।

(2) सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, स्वास्थ्य देखभाल निगरानी और जवाबदेही उप-निधि के तहत सभी धनराशियों को, वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना, एतद्द्वारा इस उपखंड में निर्धारित किए गए अनुसार इस्तेमाल के लिए विभाग को सतत रूप से विनियोजित किया जाता है।

(3) किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में स्वास्थ्य देखभाल निगरानी और जवाबदेही उप-निधि में शेष कोई भी अभारित धनराशि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार उप-निधि में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(c) प्रत्येक लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए, उपखंड (b) के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल निगरानी और जवाबदेही उप-निधि में आवश्यक हस्तांतरण के बाद, निधि में बची सारी धनराशियाँ स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार उप-निधि में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(d) हर कैलेंडर वर्ष में, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बेहतर बनाने की उप-निधि को हस्तांतरित किए गए पहले चार बिलियन तीन सौ मिलियन डॉलर ($4,300,000,000) नियंत्रक द्वारा निम्नलिखित खातों में निम्नलिखित राशियों में जमा किये जाएंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बेहतर बनाने की उप-निधि के लिए बनाए गए हैं:

(1) बाईस प्रतिशत मुख्य देखभाल खाते में।

(2) बाईस प्रतिशत विशिष्ट देखभाल खाते में।

(3) दो और 1 प्रतिशत का आधा आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों के खाते में।

(4) पांच और 1 प्रतिशत का तीन-चौथाई आउटपेशेंट और क्लिनिक पहुंच खाते में।

(5) पांच और 1 प्रतिशत का आधा परिवार नियोजन खाते में।

(6) एक और 1 प्रतिशत का एक-चौथाई प्रजनन स्वास्थ्य खाते में।

(7) तीन प्रतिशत आपातकालीन मेडिकल परिवहन खाते में।

(8) आठ और 1 प्रतिशत का तीन-चौथाई आपातकालीन विभाग और अस्पताल सेवाओं के खाते में।

(9) तीन और 1 प्रतिशत का आधा उपखंड (g) के अधीन नामित सार्वजनिक अस्पताल खाते में।

(10) चार और 1 प्रतिशत का आधा उपखंड (g) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य सुधार खाते में।

(11) छह और 1 प्रतिशत का एक-चौथाई स्वास्थ्य देखभाल कर्मी खाते में।

(12) तीन और 1 प्रतिशत का एक-चौथाई क्लिनिक गुणवत्ता खाते में।

(13) तीन और 1 प्रतिशत का आधा एडवांस दंत-चिकित्सा सेवा खाते में।

(14) आठ प्रतिशत Medi-Cal तक पहुंच और सहायता खाते में।

(e) 1 जनवरी, 2027 से शुरू करते हुए, और सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, उपखंड (d) में वर्णित खातों, और उसमें किसी भी उप-खातों, की सारी धनराशियाँ, वित्तीय वर्षों पर ध्यान दिए बिना, विभाग को धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) में निर्धारित अनुसार उपयोग किए जाने के लिए लगातार विनियोजित की जाती है।

(f) (1) 1 जनवरी, 2030 को और उसके बाद, उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित किसी भी खाते में अभारित धनराशियों का अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि तत्काल पूर्ववर्ती दो कैलेंडर वर्षों के दौरान उसमें जमा की गई औसत वार्षिक राशि का 200 प्रतिशत होगा। इसे "अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि"के तौर पर जाना जाएगा।

(2) जब तक उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित खाता अपने अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि पर या उससे ऊपर है, तब तक उस खाते में जमा की जाने वाली धनराशि को उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित अन्य खातों में आनुपातिक आधार पर जमा किया जाएगा, जो अपनी अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि पर या उससे ऊपर नहीं हैं।

(3) यदि विभाग द्वारा अनुभाग 14199.106 के उपखंड (b) में निर्धारित अपने गैर-विवेकाधीन मंत्रीस्तरीय कर्तव्य का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप कोई खाता अपनी अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि तक पहुंच जाता है, तो यह उपखंड लागू नहीं होता है।

(4) यदि उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित सभी खाते एक साथ अपनी अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि पर या उससे ऊपर हैं, तो यह उपखंड लागू नहीं होता है।

(g) (1) उपखंड (d) के पैराग्राफ (9) में वर्णित प्रतिशत आबंटन के बावजूद, निर्दिष्ट सार्वजनिक अस्पताल खाते में जमा की जाने वाली अधिकतम डॉलर राशि प्रति कैलेंडर वर्ष एक सौ पचास मिलियन डॉलर ($150,000,000) से अधिक नहीं होगी। किसी कैलेंडर वर्ष में उस निर्दिष्ट सार्वजनिक अस्पताल खाते में जमा की गई राशि एक सौ पचास मिलियन डॉलर ($150,000,000) तक पहुंच जाने के बाद, उपखंड (d) के पैराग्राफ (9) के अनुसरण में आबंटित की गई कोई भी अतिरिक्त धनराशि आपातकालीन विभाग और अस्पताल सेवा खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपखंड (d) के पैराग्राफ (10) में वर्णित प्रतिशत आबंटन के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य सुधार खाते में जमा की जाने वाली अधिकतम डॉलर राशि प्रति कैलेंडर वर्ष दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) से अधिक

35

नहीं होगी। किसी कैलेंडर वर्ष में मानसिक स्वास्थ्य सुधार खाते में जमा की गई राशि दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) तक पहुंच जाने के बाद, उपखंड (d) के पैराग्राफ (10) के अनुसरण में आबंटित की गई कोई भी अतिरिक्त धनराशि आपातकालीन विभाग और अस्पताल सेवा खाते में जमा की जाएगी।

(h) उपखंड (d) के अनुसरण में चार बिलियन तीन सौ मिलियन डॉलर ($4,300,000,000) पहले जमा किए जाने के बाद, हर कैलेंडर वर्ष में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार उप-निधि में ट्रांसफर किये गए अगले चार सौ मिलियन डॉलर ($400,000,000) Medi-Cal पहुंच और सहायता खाते में जमा किए जाएंगे।

(i) (1) उपखंड (d) के अनुसरण में चार बिलियन तीन सौ मिलियन डॉलर ($4,300,000,000) पहले जमा किए जाने के बाद और उपखंड (h) के अनुसरण में अगले चार सौ मिलियन डॉलर ($400,000,000) जमा किए जाने के बाद, हर कैलेंडर वर्ष में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार उप-निधि ट्रांसफर किये गए अगले दो सौ छब्बीस मिलियन डॉलर ($226,000,000) निम्नानुसार जमा किए जाएंगे:

(A) बत्तीस मिलियन डॉलर ($32,000,000) सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी खाते में।

(B) चौसठ मिलियन डॉलर ($64,000,000) स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल ऋण वापसी भुगतान खाते में।

(C) एक सौ बीस मिलियन डॉलर ($120,000,000) Medi-Cal कार्यबल उप-खाते में।

(D) दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) वहनीय प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के खाते में।

(2) 1 जनवरी, 2027 से, और सरकारी संहिता की अनुभाग 13340 के बावजूद, पैराग्राफ (1) में वर्णित खातों, और उसमें मौजूद कोई भी उपखातों, का सारी धनराशियाँ, वित्तीय वर्षों पर ध्यान दिए बिना, विभाग को धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) में निर्धारित अनुसार उपयोग करने के लिए लगातार विनियोजित की जाती हैं।

(j) उपखंड (d), (h) और (i) द्वारा ज़रूरी जमा राशियाँ पूरी हो जाने के बाद, एक कैलेंडर वर्ष में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार उप-निधि में हस्तांतरित सारी शेष धनराशियाँ निम्नानुसार जमा की जाएंगी और इस्तेमाल की जाएंगी:

(A) उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) से (13), दोनों सहित, में वर्णित खातों में पच्चीस प्रतिशत, उन पैराग्राफों के बीच सापेक्ष वितरण के अनुसार और उसके अनुरूप आनुपातिक आधार पर।

(B) पचहत्तर प्रतिशत Medi-Cal पहुंच और समर्थन खाते में।

14199.108.3. कैलेंडर वर्ष 2025 और 2026 के दौरान के खर्चे

(a) केवल प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 2025 और कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान, और सरकारी संहिता की अनुभाग 13340 के बावजूद, वित्तीय वर्षों पर ध्यान दिये बिना, स्वास्थ्य देखभाल निरीक्षण और जवाबदेही उप-निधि से विभाग को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित राशियों में धनराशियाँ लगातार विनियोजित की जाती हैं:

(1) दो बिलियन डॉलर ($2,000,000,000) बच्चों, वयस्कों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों और Medi-Cal और Medicare प्रोग्रामों के लिए दोहरे रूप से योग्य व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए Medi-Cal प्रबंधित देखभाल दरों के गैर-संघीय हिस्से के एक भाग को कवर करने के लिए।

(2) छह सौ इक्यानबे मिलियन डॉलर ($691,000,000) मुख्य देखभाल के लिए, जिसमें प्रसूति और गैर-विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ भी शामिल हैं।

(3) पांच सौ पचहत्तर मिलियन डॉलर ($575,000,000) विशिष्ट देखभाल के लिए।

(4) दो सौ पैंतालीस मिलियन डॉलर ($245,000,000) समुदाय और बाहरी मरीज़ों की कार्यविधियों के लिए।

(5) नब्बे मिलियन डॉलर ($90,000,000) गर्भपात और परिवार नियोजन सेवाओं के लिए।

(6) पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) मुख्य देखभाल हेतु सेवाओं और सहायताओं के लिए।

(7) तीन सौ पचपन मिलियन डॉलर ($355,000,000) आपातकालीन कक्ष सुविधा-स्थलों और डॉक्टरों के लिए।

(8) एक सौ पचास मिलियन डॉलर ($150,000,000) निर्दिष्ट सार्वजनिक अस्पतालों के लिए।

(9) पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) ज़मीनी आपातकालीन मेडिकल परिवहन के लिए।

(10) तीन सौ मिलियन डॉलर ($300,000,000) व्यवहारिक स्वास्थ्य सुविधा-स्थल प्रवाहों के लिए।

(11) पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) स्नातक मेडिकल शिक्षा के लिए।

(12) पचहत्तर मिलियन डॉलर ($75,000,000) Medi-Cal कार्यबल के लिए।

(b) उपखंड (a) के अनुसार विनियोजित धनराशियों का आबंटन अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन होगा।

(c) यह अनुभाग 1 जनवरी, 2027 को निष्क्रिय हो जाएगा, और 1 जनवरी, 2028 को निरस्त कर दिया जाएगा।

14199.108.5. बढ़े हुए या पूरक भुगतानों का निपटान

अनुभाग 14199.108.3, 14199.109, 14199.110, 14199.110.5, 14199.112, 14199.113, 14199.114, 14199.115, 14199.116, 14199.117, 14199.119, 14199.120.5, और 14199.120.6 के अनुसरण में किए गए बढ़े हुए या पूरक भुगतान:

(a) मौजूदा प्रतिपूर्ति दरों और Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन या विभाग द्वारा किए गए किसी भी अन्य भुगतान के अतिरिक्त होगा और ऐसी राशियों का स्थान नहीं लेगा जो अन्यथा Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन या विभाग द्वारा धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) द्वारा प्रदान किए गए धन के प्राप्तकर्ता को देय होगीं।

(b) किसी भी अन्य प्रतिपूर्ति से पृथक और अलग माना जाएगा, और किसी भी वार्षिक समन्वय के दौरान या उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

35

धारा *4. स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का संरक्षण*

14199.109. मुख्य देखभाल खाता

(a) मुख्य देखभाल खाते की धनराशियों का इस्तेमाल Medi-Cal मरीज़ों को इस अनुभाग में निर्धारित गुणवत्तापूर्ण मुख्य देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के प्रयोजन से किया जाएगा।

(b) (1) विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, 1 जनवरी, 2024 को प्रभावी मुख्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति दरों में बढ़ोतरी करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन इस अध्याय के इरादे और उद्देश्यों के अनुरूप तरीके से उन वृद्धियों को प्रदान करते हैं।

(2) पैराग्राफ (1) के अतिरिक्त, इस अनुभाग को लागू करने में, विभाग, संघीय स्वीकृति के अधीन और अनुभाग 14199.121 के अनुसार हितधारक इनपुट प्राप्त करने के बाद, Medi-Cal में मुख्य देखभाल प्रदाता को भर्ती करने, बनाए रखने और उनकी भागीदारी को बढ़ाने और गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए गुणवत्ता प्रोत्साहन भुगतान या मूल्य-आधारित भुगतान मॉडल सहित विभिन्न भुगतान तंत्रों का इस्तेमाल कर सकता है।

14199.110. विशिष्ट देखभाल खाता

(a) विशिष्ट देखभाल खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल इस अनुभाग में निर्धारित अनुसार विशिष्ट देखभाल सेवाओं तक Medi-Cal मरीज़ की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, एक या अधिक भुगतान पद्धतियों को स्थापित और कार्यान्वित करेगा जो संघीय ज़रूरतों को पूरा करती हों और जिनके लिए हर Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन या उसकी उप-अनुबंधित संस्थाओं को Medi-Cal द्वारा कवर की जाने वाली विशिष्ट देखभाल सेवाओं तक लाभार्थी की पहुंच को बढ़ाना ज़रूरी हो। विभाग द्वारा विकसित भुगतान पद्धति या पद्धतियाँ निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेंगी:

(1) Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन-अनुबंधित वाले विशेषज्ञों की संख्या को बढ़ाना।

(2) प्लैन के अनुबंधित प्रदाताओं के नेटवर्क के भीतर मौजूदा Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन-अनुबंधित वाले विशेषज्ञों को बनाए रखना।

(3) उन Medi-Cal मरीज़ों की संख्या बढ़ाना, जिन्हें मौजूदा Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन-अनुबंधित विशेषज्ञ सेवा प्रदान करता है।

(4) Medi-Cal मरीज़ों के लिए विस्तारित विशेषज्ञ अपॉइंटमेंट उपलब्धता प्रदान करना।

(5) बहुविषयक देखभाल टीम के एक भाग के रूप में मरीज़ों की देखभाल को संयोजित करने और निगरानी करने में विशेषज्ञों की सहायता करना।

(c) Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन या उप-अनुबंधित संस्था, इस अनुभाग के अनुसार विभाग द्वारा विकसित भुगतान पद्धतियों के अनुरूप विशेषज्ञों का भुगतान करेगी।

14199.110.5. आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों का खाता

(a) आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों के खाते में जमा धनराशियों का इस्तेमाल, Medi-Cal मरीज़ों का उपचार करने वाले आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों के लिए प्रतिपूर्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से उसी प्रकार किया जाएगा जैसा इस अनुभाग में निर्धारित किया गया है।

(b) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा, Medi-Cal मरीज़ों का उपचार करने वाले आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों के लिए प्रतिपूर्ति बढ़ाने के लिए एक या अधिक भुगतान पद्धतियों की स्थापना और कार्यान्वयन किया जाएगा। भुगतान पद्धति या पद्धतियाँ, इस अध्याय के उद्देश्यों के अनुरूप होंगी, आपातकालीन विभाग सेवाओं के लिए पहुँच और सहायता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन की जाएँगी, और किसी डॉक्टर की अनुबंधित नेटवर्क प्रदाता स्थिति के अनुकूलन में नहीं होंगी।

14199.111. सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी खाता

(a) सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी खाता, स्वास्थ्य देखभाल उप-निधि तक पहुंच में सुधार के तहत बनाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी खाते में जमा धनराशियों का इस्तेमाल, जैसा इस अनुभाग में निर्धारित किया गया है, Medi-Cal प्रोग्रामों में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा सामुदायिक-आधारित संगठनों, सामुदायिक प्रदाताओं, और क्लीनिकों की ओर से सेवाएँ प्रदान करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले स्थानों और आबादियों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अनुदान प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा।

(c) (1) 1 जनवरी, 2030 को और उसके बाद, इस खाते में अभारित धनराशि की अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि चौसठ मिलियन डॉलर ($64,000,000) होगी। जब तक इस खाते में चौसठ मिलियन डॉलर ($64,000,000) या उससे अधिक की राशि है, तब तक इस खाते में अनिवार्य रूप से जमा की जाने वाली धनराशियों को, उपखंड (d) की धारा (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित खातों, जिसमें उनके लिए अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि या उससे अधिक नहीं हैं, में आनुपातिक आधार पर जमा किया जाएगा।

(2) यदि विभाग ने अनुभाग 14199.106 के उपखंड (b) में निर्धारित अपने गैर-विवेकाधीन मंत्रिस्तरीय कर्तव्य का उल्लंघन किया है, या यदि उपखंड (d) की धारा (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित सभी खातों में, एक साथ, उनके लिए अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि या उससे अधिक हैं तो इसके परिणामस्वरूप यदि इस खाते में चौसठ मिलियन डॉलर ($64,000,000) या उससे अधिक है, तो यह उपखंड लागू नहीं होगा।

14199.112. बाहरी मरीज़ और क्लिनिक तक पहुंच खाता

(a) बाहरी मरीज़ और क्लिनिक तक पहुंच खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल, आउटपेशेंट सुविधा-स्थलों सहित उन एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर और क्लीनिक के लिए शुद्ध प्रतिपूर्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा, जो Medi-Cal मरीज़ों को योग्य आउटपेशेंट सेवाएँ और कार्यविधियाँ प्रदान करते हैं।

(b) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा एक या अधिक ऐसे भुगतान पद्धतियों को विकसित किया जाएगा, उनके लिए संघीय अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा जो इस अध्याय के उद्देश्यों के अनुरूप तरीके से, लाइसेंस की किस्म पर ध्यान दिए बिना, योग्य बाहरी मरीज़ सुविधा-स्थलों के लिए बढ़ी हुई शुद्ध प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं।

(c) बाहरी मरीज़ और क्लिनिक तक पहुंच खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल, केवल उन योग्य बाहरी मरीज़ सेवाओं और कार्यविधियों के लिए शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जो 1 जनवरी, 2024 तक योग्य बाहरी मरीज़ सेवाओं और कार्यविधियों के लिए प्रभावी मौजूदा शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों से ऊपर होंगे।

14199.113. परिवार नियोजन खाता

(a) परिवार नियोजन खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल, जैसा इस अनुभाग में निर्धारित किया गया है, परिवार नियोजन सेवाओं के दायरे और उपलब्धता का विस्तार करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) विभाग द्वारा, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल निम्नलिखित सभी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

(1) केवल-राज्य परिवार नियोजन प्रोग्राम और परिवार PACT प्रोग्राम के अनुसार दिए जाने वाले लाभों के दायरे का विस्तार करना।

(2) इनके लिए प्रतिपूर्ति दरों में वृद्धि करना:

(A) Medi-Cal प्रोग्राम में परिवार नियोजन सेवाएँ और परिवार नियोजनसंबंधी सेवाएँ।

(B) फैमिली PACT प्रोग्राम में व्यापक नैदानिक परिवार नियोजन सेवाएँ।

(C) केवल-राज्य परिवार नियोजन प्रोग्राम में परिवार नियोजन सेवाएँ।

(3) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, कार्यपद्धति परिवर्तन गतिविधियों को निधि देने और वैकल्पिक भुगतान पद्धतियाँ स्थापित करने के लिए विभाग को अधिकृत करना, जिसमें बंडल भुगतान, नेटवर्क और गैर-नेटवर्क प्रदाताओं दोनों को निर्देशित भुगतान, कैपिटेटेड भुगतान और परिवार नियोजन, परिवार नियोजन-संबंधी सेवाओं और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मूल्य-आधारित भुगतान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(4) बिना मुआवजे वाली बाहरी मरीज़ सेवाएँ और सहायताएँ प्रदान करने की लागतों की भरपाई के लिए योग्य परिवार नियोजन प्रदाताओं को अनुदान निधि प्रदान करना।

35

14199.114. प्रजनन स्वास्थ्य खाता

(a) प्रजनन स्वास्थ्य खाते में धनराशियों का इस्तेमाल, इस अनुभाग में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(b) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा, गर्भपात और गर्भपात से संबंधित सेवाओं तक पहुंच की सुरक्षा, संरक्षण और विस्तार के उद्देश्य से प्रजनन स्वास्थ्य खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें गर्भपात और गर्भपात से संबंधित सेवाओं के लिए भुगतान दरों में वृद्धि करना शामिल है।

14199.115. आपातकालीन मेडिकल परिवहन खाता

(a) आपातकालीन मेडिकल परिवहन खाते में धनराशियों का इस्तेमाल, इस अनुभाग में निर्धारित निजी ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन प्रदाताओं और आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन प्रदाताओं को भुगतान बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) खाते में अस्सी प्रतिशत धन, ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन उप-खाते में जमा किया जाएगा, जिसे इसके द्वारा आपातकालीन मेडिकल परिवहन खाते में बनाया गया है। इस उप-खाते में धनराशियों का इस्तेमाल निजी ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन प्रदाताओं को बढ़े हुए भुगतान के उद्देश्य से किया जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित है:

(1) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी दरों से ऊपर ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन के लिए निजी ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन प्रदाताओं को बढ़ी हुई शुद्ध प्रतिपूर्ति को स्थापित और कार्यान्वित किया जाएगा। संघीय कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, विभाग उस क्षेत्रीय जीवन-यापन लागत के आधार पर शुद्ध प्रतिपूर्ति बढ़ाएगा जहाँ परिवहन प्रदान किया गया था।

(2) पैराग्राफ (1) में वर्णित, बढ़े हुए Medi-Cal भुगतान, निजी ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन प्रदाताओं को सेवा-के लिए-शुल्क दरों और Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैनों से निजी ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन प्रदाताओं के भुगतान पर लागू होंगे। विभाग द्वारा, इस उपखंड के अनुसरण में Medi-Cal प्रबंधित देखभाल भुगतान में वृद्धि को संरचित किया जाएगा, ताकि निजी ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन प्रदाता, जो अनुभाग 14129.3 या किसी आनुक्रमिक कानून के अनुसार प्रबंधित देखभाल मरीज़ों को प्रदान किए गए ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं, वे इस उपखंड के अनुसरण में Medi-Cal प्रबंधित देखभाल मरीज़ों को प्रदान किए गए ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल परिवहन के लिए भुगतान प्राप्त करने के योग्य हैं।

(3) ज़मीनी आपातकालीन मेडिकल परिवहन उप-खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल, केवल निजी ग्राउंड आपातकालीन मेडिकल ट्रांसपोर्ट प्रदाताओं के लिए, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी मौजूदा शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों से ऊपर शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। निदेशक द्वारा, अध्याय 7 की धारा 3.91 (अनुभाग 14129 से शुरू करते हुए) में निर्दिष्ट किसी भी पद्धति, शुल्क राशि या अन्य प्रावधान को, केवल संघीय कानून या विनियमों की ज़रूरतों को पूरा करने या इस उपखंड के कार्यान्वयन के बाद अनुभाग 14129.6 के अनुसार संघीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी सीमा तक, संशोधित या समायोजित किया जा सकता है, जैसा कि अनुभाग 14129.6 के उपखंड (b) द्वारा अधिकृत है ।

(c) खाते में मौजूद धनराशियों का बीस प्रतिशत, एयर एम्बुलेंस आपातकालीन मेडिकल परिवहन उप-खाते में जमा किया जाएगा, जिसे इसके द्वारा आपातकालीन मेडिकल परिवहन खाते में बनाया गया है। इस उप-खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल, आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन प्रदाताओं के लिए Medi-Cal भुगतान में वृद्धि के उद्देश्य से निम्नानुसार किया जाएगा:

(1) विभाग द्वारा, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी दरों से अधिक, एयर आपातकालीन एम्बुलेंस परिवहन प्रदाताओं के लिए बढ़े हुए Medi-Cal भुगतान स्थापित और कार्यान्वित किए जाएंगे।

(2) पैराग्राफ (1) में वर्णित बढ़ी हुई दरें, आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन प्रदाताओं को Medi-Cal सेवा-के लिए-शुल्क भुगतान दरों और Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैनों से आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन प्रदाताओं को किए जाने वाले भुगतानों पर लागू होंगी।

(3) इस उपखंड के अनुसार किए गए भुगतान, आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन प्रदाताओं को किए जाने वाले किसी भी अन्य Medi-Cal भुगतानों के अतिरिक्त होंगे और ऐसी राशियों को प्रतिस्थापित

नहीं करेंगे जो अन्यथा आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन प्रदाता को Medi-Cal के तहत देय होती।

14199.116. आपातकालीन विभाग और अस्पताल सेवा खाता

(a) आपातकालीन विभाग और अस्पताल सेवा खाते में जमा धनराशियों का इस्तेमाल, जैसा कि इस अनुभाग में निर्धारित किया गया है, Medi-Cal मरीज़ों के लिए अस्पताल देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा, जिसमें इनपेशेंट तीव्र देखभाल और आपातकालीन विभागों तक पहुंच शामिल है, और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा, की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा एक या अधिक ऐसे भुगतान पद्धतियों को विकसित किया जाएगा, उनके लिए संघीय अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा जो योग्य अस्पताल सेवाओं के लिए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को बढ़ी हुई शुद्ध प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं। विभाग द्वारा, खाते में जमा धनराशियों से भुगतानों को समायोजित किया जा सकता है।

(c) आपातकालीन विभाग और अस्पताल सेवा खाते में धनराशियों का इस्तेमाल, केवल उन योग्य अस्पताल सेवाओं के लिए शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जो 1 जनवरी, 2024 तक योग्य अस्पताल सेवाओं के लिए प्रभावी मौजूदा शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों से ऊपर होंगे।

14199.117. नामित सार्वजनिक अस्पताल खाता

(a) नामित सार्वजनिक अस्पताल खाते में धनराशियों का इस्तेमाल, नामित सार्वजनिक अस्पताल प्रणालियों में अस्पताल और गैर-अस्पताल देखभाल तक पहुंच को बनाए रखने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा, विशिष्ट सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए बढ़ी हुई शुद्ध प्रतिपूर्ति या नए भुगतान प्रदान करने के लिए खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मौजूदा या आनुक्रमिक भुगतान तंत्रों के तहत गुणवत्ता प्रोत्साहन भुगतान या विशिष्ट अस्पताल प्रणालियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के समर्थन में भुगतान या उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, या नामित सार्वजनिक अस्पताल प्रणालियों को Medi-Cal भुगतान के गैर-संघीय हिस्से के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। विभाग, इन उद्देश्यों के लिए नामित सार्वजनिक अस्पताल खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल कर सकता है।

(c) नामित सार्वजनिक अस्पताल खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल, केवल 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी योग्य सेवाओं के लिए मौजूदा शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों से ऊपर की योग्य सेवाओं के लिए नामित सार्वजनिक अस्पताल प्रणालियों के लिए शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

14199.118. वहनीय प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का खाता

(a) वहनीय प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का खाता, इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल उप-निधि तक पहुंच में सुधार करने के अंतर्गत बनाया गया है। वहनीय प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के खाते में मौजूद धनराशियों का इस्तेमाल, इस अनुभाग में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(b) अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट ज़रूरतों के अधीन, विभाग द्वारा, California वहनीय दवा विनिर्माण अधिनियम 2020 के लिए बढ़ी हुई निधि प्रदान करने के उद्देश्य से, वहनीय प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के खाते की धनराशियों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके, कीमतें कम की जा सकें और जनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लिए बाजार में कमी को दूर किया जा सके, सार्वजनिक और निजी खरीदारों, करदाताओं और उपभोक्ताओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की लागत कम की जा सके और वहनीय दवाओं तक मरीज़ों की पहुंच बढ़ाई जा सके।

(c) (1) 1 जनवरी, 2030 को और उसके बाद, इस खाते में अभारित धनराशियों की अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) होगी। जब तक इस खाते में बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) या उससे अधिक राशि है, तब तक इस खाते में अनिवार्य रूप से जमा की जाने वाली धनराशियों को, उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित खातों, जिसमें उनके लिए अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि या उससे अधिक नहीं हैं, में आनुपातिक आधार पर जमा किया जाएगा।

(2) यदि विभाग ने अनुभाग 14199.106 के उपखंड (b) में निर्धारित अपने गैर-विवेकाधीन मंत्रिस्तरीय कर्तव्य का उल्लंघन किया है, या यदि उपखंड (d) की धारा (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित सभी खातों में, एक साथ, उनके लिए अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि या उससे अधिक हैं तो इसके परिणामस्वरूप यदि इस खाते में बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) या उससे अधिक है, तो यह उपखंड लागू नहीं होगा।

14199.119. मानसिक स्वास्थ्य सुधार खाता

(a) (1) मानसिक स्वास्थ्य सुधार खाते में धनराशियों का इस्तेमाल इस अनुभाग में निर्धारित मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्रामों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(2) खाते में उपस्थित धनराशियों का इस्तेमाल उपखंड (b) के अनुसार आंतरिक मरीज़ मनोरोग सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधिकरण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(b) विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, लाइसेंस प्राप्त तीव्र देखभाल अस्पतालों और तीव्र मनोरोग अस्पतालों में मनोरोग मरीज़ दिनों के लिए पूरक भुगतान प्रदान करके मानसिक स्वास्थ्य मरीज़ मनोरोग बिस्तरों की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से खाते में धनराशियों का इस्तेमाल करेगा। इन भुगतानों से ये कार्य होंगे:

(1) 1 जनवरी, 2024 तक उन सेवाओं के लिए प्रभावी मौजूदा शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तरों से ऊपर उन सेवाओं के संबंध में इन अस्पतालों को भुगतान किए गए शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तर में वृद्धि होगी।

(2) इन अस्पतालों को किसी भी अन्य भुगतानों को प्रभावित या प्रतिस्थापित नहीं करेंगे।

(3) काउंटी मानसिक स्वास्थ्य प्लैन या Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन या अन्य प्रबंधित देखभाल संस्था के साथ अनुबंध की स्थिति के बावजूद इन अस्पतालों में शामिल किया जाना चाहिए, जो विभाग के साथ अनुबंध के तहत मनोरोग मरीज़ अस्पताल सेवाओं के लिए वित्तीय रूप से उत्तरदायी है, जैसा लागू होता हो।

35

14199.120. स्वास्थ्य देखभाल कर्मी खाता

(a) विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, इस अनुभाग में बताए अनुसार Medi-Cal मरीज़ों के इलाज के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के पूल को आकर्षित करने, बनाए रखने और बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के खाते की धनराशियों का इस्तेमाल करेगा।

(b) खाते में पचहत्तर प्रतिशत धनराशियाँ स्नातक मेडिकल शिक्षा उप-खाते में जमा की जाएगी, जो इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल कर्मी खाते में बनाई गई है। 31 दिसंबर, 2023 को रेजीडेंसी स्लॉट और प्रोग्राम स्थलों की संख्या की तुलना में, डॉक्टर और सर्जन रेजीडेंसी स्लॉट्स की संख्या बढ़ाने और डॉक्टर और सर्जन रेजीडेंसी प्रोग्रामों की पेशकश करने वाले स्थानों की संख्या का विस्तार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्नातक मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने के लिए अन्य योग्य संस्थाओं के प्रशासन और खर्चे के लिए इस उप-खाते में मौजूद धनराशियों को University of California को हस्तांतरित किया जाएगा। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, संघ द्वारा मान्यता देने वाले संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त और California में स्थित सभी एलोपैथिक और ऑस्टियोपैथिक रेजीडेंसी प्रोग्राम California में निवासी शिक्षा का समर्थन करने के लिए निधि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। 1 जनवरी, 2027 तक, विभाग इस उपखंड के अनुसार बनाए गए या विस्तारित प्रोग्रामों के लिए संघीय अनुमोदन मांग सकता है। हालाँकि, स्नातक मेडिकल शिक्षा प्रोग्राम संघीय अनुमोदन और संघीय वित्तीय भागीदारी पर निर्भर नहीं हैं।

(c) खाते में पच्चीस प्रतिशत धनराशियाँ Medi-Cal कार्यबल उप-खाते में जमा की जाएगी, जो इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल कर्मी में बनाई गई है। विभाग इस उपखंड में निर्धारित Medi-Cal कार्यबल उप-खाते द्वारा वित्तपोषित अनुदान प्रोग्राम को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार की एजेंसी या संस्था के साथ एक अंतर-एजेंसी समझौता कर सकता है।

(1) (A) प्रामाणिक श्रम-प्रबंधन सहयोग समितियों के जरिए Medi-Cal कार्यबल के विकास और प्रतिधारण को मजबूत करने और उसका समर्थन करने के लिए, 1 जनवरी, 2027 तक, विभाग या इसकी नामित राज्य सरकार एजेंसी या संस्था Medi-Cal कार्यबल उप-खाते में उपलब्ध धनराशियों के साथ इस उपखंड के अनुसार अनुदान जारी करेगी।

(B) उच्च-गुणवत्ता वाले कार्यबल विकास प्रोग्रामों के विकास का समर्थन करने के लिए प्रामाणिक श्रम-प्रबंधन सहयोग समितियों को अनुदान देने के लिए, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अनुसार मानदंड स्थापित किए जाएंगे।

(2) अनुदान पुरस्कारों के मानदंड में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(A) मरीज़ सुरक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण परिणामों में सुधार और कर्मचारी कैरियर के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यबल प्रशिक्षण प्रोग्राम लागू करना।

(B) स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल प्रशिक्षुता और पूर्व-शिक्षुता प्रोग्रामों का विकास और समर्थन करना।

(C) कार्यबल की भर्ती करना और उसे बनाए रखना।

(D) कार्यबल के विकास का समर्थन करने के लिए Taft-Hartley प्रशिक्षण निधि, जैसे प्रशिक्षण संगठनों के लिए वित्तपोषण।

(E) कार्यबल क्षमता में अतिरिक्त निवेश।

(3) इस उपखंड के अनुसार अनुदान जारी करने में, विभाग या उसकी नामित राज्य सरकार एजेंसी या संस्था एक वास्तविक श्रम-प्रबंधन सहयोग समिति को प्राथमिकता दे सकती है जो बहु-नियोक्ता आधार पर आयोजित की जाती है और जिसमें कई श्रमिक संगठन शामिल होते हैं।

14199.120.5. क्लिनिक गुणवत्ता खाता

(a) क्लिनिक गुणवत्ता खाते में धनराशियों का इस्तेमाल उन क्लीनिकों के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा जो बेहतर गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं और इस अनुभाग में बताए गए अनुसार Medi-Cal मरीज़ों की देखभाल तक पहुंच में वृद्धि करते हैं।

(b) विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों को पूरा करने वाले क्लीनिकों के लिए एक निर्देशित भुगतान प्रोग्राम, वैकल्पिक भुगतान पद्धति, या अन्य उन्नत भुगतान पद्धति के लिए संघीय अनुमोदन प्राप्त करेगा और विकसित करेगा:

(1) विशेष सेवाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक नियुक्ति की उपलब्धता या पहुंच को बढ़ाना।

(2) बेहतर गुणवत्ता उपायों को पूरा करना।

(3) डेटा गुणवत्ता और रिपोर्टिंग में सुधार करना।

(4) देखभाल समन्वय को बढ़ाना।

(c) इस अनुभाग के अनुसार विकसित किया गया कोई भी निधिकरण पद्धति 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद भाग लेने वाले क्लीनिकों को बढ़े हुए भुगतान के लिए होगी, और इस अनुभाग के अनुसरण में प्रदान किये गए निधिकरण का इस्तेमाल 31 दिसंबर, 2024 से पहले Medicare और Medicaid सेवाओं के लिए संघीय केंद्रों को विकसित और प्रस्तुत की गई किसी भी पूर्व भुगतान पद्धति के लिए धन को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जाएगा।

14199.120.6. बेहतर बनाई गई दंत-चिकित्सा सेवा खाता

(a) बेहतर बनाई गई दंत-चिकित्सा सेवा खाते में धनराशियों का इस्तेमाल इस अनुभाग में बताए गए अनुसार विशेष और पुनर्स्थापनात्मक दंतचिकित्सा देखभाल के लिए Medi-Cal मरीज़ों को बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, सामान्य दंत-चिकित्सकों और दंत विशेषज्ञों जैसे ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन, एंडोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, ऑर्थोडॉन्टिस्ट, प्रोस्थोडॉन्टिस्ट और बच्चों के दंत चिकित्सकों के लिए भुगतान पद्धति, दर वृद्धि, निर्देशित भुगतान या अन्य वित्तीय प्रोत्साहन के लिए संघीय अनुमोदन विकसित करेगा और उसकी मांग करेगा।

(c) विभाग इस खाते में धनराशियों का इस्तेमाल, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, Medi-Cal मरीज़ों का इलाज करने वाले दंत-चिकित्सा प्रदाता कार्यालयों में कार्यपद्धति परिवर्तन गतिविधियों का समर्थन करने के उद्देश्य से भी कर सकता है। कार्यपद्धति परिवर्तन गतिविधियों में मूल्य-आधारित भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल

35

रिकॉर्ड का उपयोग या अधिक उपयोग, प्राथमिक और विशेष देखभाल प्रदाताओं के साथ देखभाल समन्वय, और दंत-चिकित्सा कर्मचारियों और चिकित्सकों के प्रशिक्षण और प्रतिधारण शामिल हैं, परन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

14199.120.7. स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल ऋण वापसी भुगतान खाता

(a) स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल ऋण वापसी भुगतान खाता इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल उप-निधि तक पहुंच में सुधार के अंतर्गत बनाया गया है। स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल ऋण वापसी भुगतान खाते में धनराशियों का इस्तेमाल, इस अनुभाग में बताए अनुसार किया जाएगा।

(b) खाते में उपस्थित निधिकरण का पचास प्रतिशत उन्नत अभ्यास चिकित्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल ऋण वापसी भुगतान उप-खाते में जमा किया जाएगा, जो इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल ऋण वापसी भुगतान खाते में बनाया गया है। इस उप-खाते में धनराशियों का इस्तेमाल उन्नत अभ्यास चिकित्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए शैक्षिक ऋण वापसी भुगतान प्रोग्राम स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, ऋण वापसी भुगतान के लिए पात्रता और योग्यता निर्धारित करेगा।

(c) खाते की पचास प्रतिशत धनराशियाँ CalHealthCares उप-खाते में जमा की जाएंगी, जो इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल ऋण वापसी भुगतान खाते में बनाया गया है। इस उप-खाते में धनराशियों का इस्तेमाल CalHealthCares प्रोग्राम के जरिए चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों के लिए शैक्षिक ऋण वापसी भुगतान के लिए बढ़ाये गए निधिकरण को प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(d) (1) 1 जनवरी, 2030 को और उसके बाद, इस खाते में अभारित धनराशियों की अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि एक सौ अट्ठाईस मिलियन डॉलर ($128,000,000) होगी। जब तक यह खाता एक सौ अट्ठाईस मिलियन डॉलर ($128,000,000) पर या उससे अधिक है, तब तक इस खाते में जमा करने के लिए आवश्यक धनराशियों को आनुपातिक आधार पर उपखंड (d) के पैराग्राफ (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित खातों में जमा किया जाएगा, जो उनकी अधिकतम स्वीकार्य शेष राशि पर या उससे ऊपर नहीं हैं।

(2) यदि यह खाता अनुभाग 14199.106 के उपखंड (b) में निर्धारित अपने गैर-विवेकाधीन मंत्रिस्तरीय कर्तव्य का उल्लंघन करने वाले विभाग के परिणामस्वरूप एक सौ अट्ठाईस मिलियन डॉलर ($128,000,000) या उससे अधिक है, या यदि उपखंड (d) में पैराग्राफ (1) से (8), दोनों सहित, और (11) से (13), दोनों सहित, में वर्णित सभी खाते एक साथ अपने अधिकतम स्वीकार्य शेष पर या उससे ऊपर हैं, तो यह उपखंड लागू नहीं होता है।

14199.120.9. Medi-Cal पहुंच और सहायता खाता

(a) Medi-Cal पहुंच और सहायता खाते में उपस्थित धनराशियों का इस्तेमाल इस अनुभाग में बताए गए अनुसार किया जाएगा।

(b) इस खाते में उपस्थित धनराशियों का इस्तेमाल विभाग द्वारा Medi-Cal प्रोग्राम को समग्र सहायता प्रदान करने और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच बनाए रखने के लिए किया जाएगा।

(c) अनुभाग 14199.107 इस खाते में उपस्थित धनराशियों पर लागू नहीं होता है।

धारा 5. इनपुट, अनुमोदन और समायोजन

14199.121. हितधारक इनपुट

(a) (1) विभाग, या कोई अन्य राज्य सरकार एजेंसी या संस्था जो इस अध्याय के किसी भी हिस्से को लागू करती है, वह इस अध्याय के घटकों के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में हितधारक सलाहकार समिति के साथ परामर्श करेगी और लिखित इनपुट प्राप्त करेगी।

(2) ऐसे विषयों के उदाहरण जिनके लिए विभाग परामर्श करेगा और लिखित इनपुट प्राप्त करेगा, समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(A) भुगतान दर, अनुपूरक भुगतान, निर्देशित भुगतान, या अन्य भुगतान पद्धति या पद्धतियों के लिए एक प्रस्ताव या उसका विकास।

(B) बढ़े हुए भुगतानों या अनुदानों के लिए मानदंड या योग्यता की स्थापना।

(C) प्रदाता बुलेटिन, सर्व-योजना पत्र, या अन्य समान निर्देश या विभागीय मार्गदर्शन जारी करना।

(b) इस अध्याय के अनुसरण में नई भुगतान पद्धति या वर्तमान भुगतान पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव करने से पहले, विभाग हितधारक सलाहकार समिति के साथ परामर्श करेगा और उससे लिखित इनपुट प्राप्त करेगा।

(c) हितधारक समिति से इनपुट प्राप्त करने के लिए इस अध्याय में कहीं और एक व्यक्त संदर्भ का अर्थ यह नहीं है कि इस अध्याय के अन्य भागों के लिए हितधारक समिति इनपुट की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कोई व्यक्त संदर्भ उपस्थित नहीं होता है।

14199.122. कार्यान्वयन; संघीय वित्तीय भागीदारी; संघीय अनुमोदन के लिए आवश्यक संशोधन और समायोजन

(a) विभाग इस अध्याय को लागू करने के लिए आवश्यक किसी भी संघीय अनुमोदन को प्राप्त करेगा।

(b) विभाग, जहाँ भी संभव हो और जहाँ तक किए जाने योग्य हो, इस अध्याय को लागू करने में संघीय वित्तीय भागीदारी की अधिकतम राशि प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

35

(c) (1) विभाग निम्नलिखित में से किसी एक को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) में निर्धारित भुगतान प्रावधानों को संशोधित या समायोजित कर सकता है:

(A) संघीय विधानों या विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

(B) संघीय अनुमोदन प्राप्त करना या बनाए रखना।

(C) सुनिश्चित करना कि संघीय वित्तीय भागीदारी उपलब्ध है या अन्यथा खतरे में नहीं है।

(2) पैराग्राफ (1) में वर्णित कोई भी भुगतान प्रावधान संशोधन या समायोजन निम्नलिखित सभी शर्तों के अधीन होगा:

(A) वह संशोधन या समायोजन जहाँ अन्यथा इस अध्याय के उद्देश्यों के साथ टकराव नहीं होता है।

(B) वह संशोधन या समायोजन इस अध्याय के अनुसार भुगतान और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सुसंगत है।

(C) विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

(d) (1) धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) के अनुसरण में किए गए भुगतान 1 जनवरी, 2027 को और उसके बाद की सेवा की तारीखों के लिए प्रभावी होंगे। इस अध्याय के उद्देश्यों के अनुरूप सीमा तक, और जब तक कि धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू होते हुए) में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, विभाग, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू करते हुए) के अनुसरण में, 2027 कैलेंडर वर्ष और उसके बाद के कैलेंडर वर्षों में, जैसा लागू होता हो, बढ़े हुए भुगतानों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए अनुभाग 14105.202 के अनुसरण में 2026 कैलेंडर वर्ष के लिए लक्षित भुगतान वृद्धि के लिए उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भुगतान पद्धतियों का विस्तार कर सकता है।

(2) जब तक धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू करते हुए) में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, धारा 4 (अनुभाग 14199.109 से शुरू करते हुए) के अनुसार किए गए भुगतान निम्नलिखित में से एक या अधिक का इस्तेमाल करके कार्यान्वित किए जा सकते हैं:

(A) Medi-Cal प्रदाता दर में वृद्धि, जिसमें Medi-Cal सेवा-के लिएशुल्क वितरण प्रणाली में भुगतान की गई दरों में वृद्धि, या Medi-Cal प्रबंधित देखभाल में न्यूनतम शुल्क अनुसूची के स्तर को स्थापित करना या बढ़ाना, या दोनों शामिल हैं।

(B) Medi-Cal प्रदाताओं के लिए नए या विस्तारित पूरक भुगतान।

(C) Medi-Cal प्रदाताओं के लिए नए या विस्तारित निर्देशित भुगतान।

(D) इस अध्याय के प्रावधानों और मंशा के अनुरूप, Medi-Cal प्रदाताओं के लिए बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति के अन्य रूप।

(e) विभाग को Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैनों और लागू होने वाली सेवाओं के प्रदाताओं से यह अपेक्षा हो सकती है कि वे विभाग द्वारा निर्दिष्ट समय और प्रारूप और तरीके से इस अध्याय के कार्यान्वयन और अनुपालन की निगरानी के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें।

(f) (1) सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू करते हुए) के बावजूद, लेकिन अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, विभाग आगे नियामक कार्रवाई किए बिना, प्रदाता बुलेटिन, सभी-योजना पत्र, या अन्य समान निर्देशों के जरिए इस अध्याय को कार्यान्वित कर सकता है। विभाग कार्रवाई करने से कम से कम पांच कार्य दिवस पहले वित्त विभाग, संयुक्त विधायी बजट समिति और विधानमंडल की प्रासंगिक वित्तीय और नीति समितियों को अधिसूचना प्रदान करेगा।

(2) यदि विभाग इस अध्याय के एक हिस्से को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार की एजेंसी या संस्था के साथ एक अंतर-एजेंसी समझौता करता है, तो वह अन्य एजेंसी या विभाग पैराग्राफ (1) के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

(g) इस अध्याय को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, विभाग या इसकी नामित राज्य सरकार एजेंसी या संस्था बोली या समझौते के आधार पर विशिष्ट या गैर-विशिष्ट अनुबंधों में प्रवेश कर सकती है, या मौजूदा अनुबंधों में संशोधन कर सकता है। इस अनुभाग के अनुसार किए गए या संशोधित किए गए अनुबंधों को सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 5.5 के अध्याय 6 (अनुभाग 14825 से शुरू करते हुए) और सार्वजनिक अनुबंध संहिता, राज्य अनुबंध मैनुअल के प्रभाग 2 के भाग 2 (अनुभाग 10100 से शुरू करते हुए) से छूट दी जाएगी और सामान्य सेवा विभाग के किसी भी प्रभाग की समीक्षा या अनुमोदन से छूट दी जाएगी।

धारा 6. प्रबंधित देखभाल संगठन प्रदाता टैक्स की निरंतरता

14199.123. टैक्स का लगातार अधिरोपण

(a) California राज्य के लोगों की मंशा अनुभाग 14199.84 द्वारा लगाए गए टैक्स की समाप्ति पर प्रबंधित देखभाल संगठन प्रदाता टैक्स को स्थायी रूप से अस्तित्व में जारी रखना है।

(b) इसलिए, अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू करते हुए) के अनुसार लगाए गए टैक्स की तिथि समाप्त हो जाने पर, 1 जनवरी, 2027 को और उसके बाद एक प्रबंधित देखभाल संगठन प्रदाता टैक्स को लगाया जाना जारी रहेगा, जैसा कि इस धारा में बताया किया गया है।

(c) विभाग इस धारा में निर्धारित किए गये अनुसार टैक्स को लागू और प्रशासित करेगा।

(d) संघीय कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, 2023 के विधान के अध्याय 13 के लिए विकसित मॉडल और पद्धतियायों का इस्तेमाल इस धारा द्वारा लगाए गए टैक्स को लागू करने में विभाग द्वारा काफी हद तक इस्तेमाल किया जाएगा।

14199.124. टैक्स का कार्यान्वयन

(a) अनुभाग 14199.123 के उपखंड (b) द्वारा लगाए गए टैक्स को लागू करने में, विभाग निम्नलिखित सभी का पालन करेगा:

(1) टैक्स अनुभाग 14199.126 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।

(2) विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडल और पद्धति काफी हद तक अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू करते हुए) में निर्धारित टैक्स लगाने के लिए निर्भर मॉडल और पद्धति के समान होंगे।

(3) टैक्स अनुमेय स्वास्थ्य देखभाल-संबंधी टैक्स पर लागू संघीय Medicaid आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, जिसमें संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 42 का अनुभाग 433.68 शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(4) अनुभाग 14199.126 में निर्धारित सीमाओं के अनुरूप, विभाग संघीय मिलान निधि की मात्रा को अधिकतम करने का प्रयास करेगा।

(b) (1) पैराग्राफ (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, यदि संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 433.68 में निर्धारित आवश्यकताएँ, या संघीय कानून का कोई अन्य प्रावधान जिसके साथ इस धारा द्वारा लगाए गए टैक्स का अनुपालन होना अनिवार्य है, संशोधित या उत्तराधिकारी आवश्यकताओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो विभाग सुनिश्चित करेगा कि इस धारा के अनुसरण में लगाया गया टैक्स उन संशोधित या उत्तराधिकारी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

(2) पैराग्राफ (1) के बावजूद, अनुभाग 14199.126 में निर्धारित सीमाएँ पार नहीं की जाएंगी।

(c) (1) इस अध्याय की प्रभावी तिथि से शुरू होकर, विभाग को इस धारा द्वारा लगाए गए टैक्स को जारी रखने के लिए आवश्यक संघीय नवीनीकरण और पुन: प्राधिकरण की मांग करनी होगी।

(2) विभाग इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक संघीय Medicare और Medicaid सेवाओं के केंद्रों से अनुमोदन का अनुरोध करेगा। विभाग इस धारा के अनुसरण में लगाए गए टैक्स को तब तक नहीं लगाएगा या एकत्र नहीं करेगा जब तक कि विभाग को Medicare और Medicaid सेवाओं के लिए संघीय केंद्रों से मंजूरी नहीं मिल जाती है कि टैक्स संघीय विनियमों की संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 433.68 के अनुसार एक अनुमेय स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित टैक्स है और यह संघीय वित्तीय भागीदारी के लिए योग्य है।

(d) (1) अनुभाग 14199.126 में निर्धारित सीमाओं के अनुरूप, विभाग, प्रभावित करदाताओं के परामर्श पर, इस धारा में निर्दिष्ट किसी भी पद्धति, टैक्स राशि, टैक्स लगाने का स्तर, या अन्य प्रावधानों को उस सीमा तक संशोधित या मामूली समायोजन कर सकता है, जिस सीमा तक यह संघीय विधान या विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है, ताकि संघीय अनुमोदन प्राप्त कर सके या उसे बनाए रख सके, या यह सुनिश्चित कर सके कि संघीय वित्तीय भागीदारी उपलब्ध है या अन्यथा खतरे में नहीं है।

(2) पैराग्राफ (1) में वर्णित कोई भी समायोजन करते समय, या ऐसा करने पर विचार करते समय, विभाग समायोजन के लिए संघीय अनुमोदन प्राप्त करने से कम से कम 90 कैलेंडर दिन पहले प्रभावित करदाताओं और हितधारक सलाहकार समिति के साथ प्रासंगिक जानकारी, प्रस्ताव, ड्राफ्ट और टैक्स दायित्व को प्रभावित करने वाली किसी भी जानकारी को साझा करेगा। विभाग समायोजन प्रभावी होने से कम से कम 45 कैलेंडर दिन पहले प्रभावित करदाताओं को टैक्स दायित्व में किसी भी अंतिम समायोजन की सूचना प्रदान करेगा।

(e) इस धारा को लागू करने में, विभाग आधार वर्ष के रूप में एक विशिष्ट कैलेंडर वर्ष स्थापित कर सकता है और प्रत्येक स्वास्थ्य प्लैन के लिए अनुभाग 14199.83 के उपखंड (a) सहित, पैराग्राफ (1) से (6), दोनों सहित, में वर्णित प्रत्येक नामांकन कुलयोग को निर्धारित करने के लिए आधार डेटा स्रोत का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि उस अनुभाग में 2023 के विधान के अध्याय 13 में बताया गया है।

14199.125. टैक्स गणना एवं संग्रहण

(a) प्रत्येक लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष या वर्षों से पहले, विभाग अनुभाग 14199.123 द्वारा लगाए गए टैक्स के अधीन प्रत्येक करदाता के लिए वार्षिक टैक्स देयता की गणना करेगा।

(b) प्रत्येक टैक्स अवधि के लिए, विभाग निम्नलिखित सभी को स्थापित करेगा:

(1) Medi-Cal टैक्स लगाने का निर्धारण स्तर एक स्वास्थ्य प्लैन में गणनीय Medi-Cal नामांकनों पर आधारित है।

(2) प्रत्येक Medi-Cal टैक्स लगाने के निर्धारण स्तर के लिए Medi-Cal प्रति नामांकित टैक्स राशि।

(3) अनुभाग 14199.126 की सीमाओं के अधीन, स्वास्थ्य प्लैन में गणनीय अन्य नामांकनों के आधार पर अन्य टैक्स लगाने के स्तर।

(4) अनुभाग 14199.126 में सीमाओं के अधीन, प्रत्येक अन्य टैक्स लगाने के निर्धारण स्तर के लिए प्रति नामांकित टैक्स राशि।

(c) टैक्स के संग्रहण और भुगतान की प्रक्रियाएँ, नोटिस प्रदान करना, देर से भुगतान के लिए प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज शुल्क नहीं होना, अर्थ दंड, धन वापसी और स्वास्थ्य प्लैन के हस्तांतरण के बाद टैक्स देयता, विभाग द्वारा अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू करते हुए) के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुरूप उत्तरदायित्व स्थापित की जाएंगी जब तक कि इस अध्याय में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

(d) (1) निदेशक, डेटा में किसी भी पहचानी गई सामग्री या महत्वपूर्ण त्रुटि को ठीक कर सकता है, जिसमें समग्र संचयी नामांकन, Medicare संचयी नामांकन, Medi-Cal संचयी नामांकन, प्लैन से प्लैन में संचयी नामांकन, 1959 (सार्वजनिक कानून 86-382) का संघीय कर्मचारी स्वास्थ्य लाभ अधिनियम के जरिए संचयी नामांकन, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और अन्य संचयी नामांकन शामिल हैं। इस उपखंड के तहत विवेक का प्रयोग करना है या नहीं, इस पर निदेशक का निर्धारण और इस उपखंड के तहत निदेशक द्वारा किया गया कोई भी निर्धारण न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा, सिवाय इसके कि कोई स्वास्थ्य प्लैन नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 1085 के तहत जनादेश की याचिका ला सकती है ताकि उस स्वास्थ्य प्लैन के डेटा को सही करने में विभाग द्वारा विवेक के दुरुपयोग को सुधारा जा सके जब उस सुधार के परिणामस्वरूप उस स्वास्थ्य प्लैन के लिए अधिक टैक्स राशि हो जाती है।

(2) इस उपखंड द्वारा निदेशक को दिया गया अधिकार अनुभाग 14199.126 में निर्धारित सीमाओं को पार करने की अनुमति नहीं देता है।

14199.126. टैक्स राशि पर सीमाएँ

(a) इस अध्याय या किसी अन्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, और उप-प्रभागों (b) और (c) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस धारा द्वारा लगाया गया टैक्स निम्नलिखित दोनों का अनुपालन करेगा:

(1) किसी भी अन्य टैक्स लगाने के स्तर के लिए प्रति नामांकित टैक्स राशि दो डॉलर और पचास सेंट ($2.50) प्रति माह से अधिक नहीं होगी।

(2) अन्य सभी टैक्स लगाने के स्तरों पर या उनके जरिए लगाई गई कुल टैक्स राशि एक कैलेंडर वर्ष में छत्तीस मिलियन डॉलर ($36,000,000) से अधिक नहीं होगी।

(b) उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) और पैराग्राफ (2) में निर्धारित डॉलर राशियों को विभाग द्वारा सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-U) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में किसी भी वृद्धि को दर्शाने के लिए हर पांच वर्षों में बढ़ाया जा सकता है जो कि 1 जनवरी 2030 से शुरू होगा। विभाग के अनुरोध पर, नियंत्रक का कार्यालय इस उपखंड द्वारा अनुमत समायोजनों की गणना और प्रकाशन करेगा।

(c) 1 जनवरी, 2027 को या उसके बाद शुरू होने वाले कैलेंडर वर्षों के लिए संघीय नवीनीकरण और पुन: प्राधिकरण की मांग करते समय, यदि ऐसा करना संघीय विधान या विनियमों का अनुपालन करने, संघीय वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित करने, या अन्यथा संघीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो विभाग निम्नलिखित में से किसी को भी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा सकता है:

(1) उपखंड (a) में निर्धारित सीमाएँ, उपखंड (b) के अनुसार संशोधित हैं।

(2) उपखंड (a) में निर्धारित सीमाएँ, उपखंड (b) के अनुसरण में संशोधित के अनुसार, और इस उपखंड के अनुसार किए गए किसी भी पूर्व समायोजन की राशि भी शामिल है।

(d) उपखंड (b) और (c) द्वारा प्रदान किए गए को छोड़कर, उपखंड (a) में निर्धारित सीमाओं में अन्य सभी परिवर्तन केवल अनुभाग 14199.134 के अनुसार किए जाएंगे।

14199.127. परिचालन

(a) यह धारा कैलेंडर वर्ष के किसी भी हिस्से के दौरान निष्क्रिय रहेगा, जिसके लिए विभाग अनुभाग 14199.123 के अनुसार लगाए गए टैक्स के लिए आवश्यक संघीय अनुमोदन प्राप्त नहीं करता है।

(b) यह धारा किसी भी प्रभावित टैक्स अवधि या अवधियों के लिए प्रभावी नहीं रहेगी, जब सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, या Medicare और Medicaid सेवाओं के संघीय केंद्रों द्वारा यह अंतिम निर्धारण किया जाता है कि इस धारा के अनुसरण में लगाया गया टैक्स प्रभावित टैक्स अवधि या अवधियों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

(c) उपखंड (a) में वर्णित किए अनुसार संघीय अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होने पर, या उपखंड (b) में वर्णित अंतिम निर्धारण पर, निदेशक वित्त विभाग और हितधारक सलाहकार समिति के परामर्श से, कोई भी रीफंड जारी करने सहित सभी उचित समापन और बंद करने की गतिविधियों के संचालन के लिए एक योजना लागू करेगा।

(d) यह अध्याय California की Medicaid राज्य प्लैन या संघ द्वारा अनुमोदित छूट के तहत प्रदाता की भागीदारी और लाभार्थी की पात्रता सेवाओं तक पहुंच की निगरानी करने के लिए राज्य और संघीय कानून के तहत विभाग की कानूनी और वित्तीय ज़िम्मेदारी को बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं करता है या निरस्त नहीं करता है। विभाग के पास इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रोग्रामों, प्रदाताओं या लाभों के लिए, साथ ही उन प्रोग्रामों के लिए भी जिनका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, दरों, भुगतान पद्धतियों और प्राधिकरण प्रक्रियाओं को समायोजित करने की पूर्ण कानूनी और वित्तीय ज़िम्मेदारी बनी हुई है।

धारा 7 परिभाषाएँ

14199.128. परिभाषाएँ

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(a) "गर्भपात" का वही अर्थ है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 123464 के उपखंड (a) में निर्धारित है।

(b) "तीव्र मनोरोग अस्पताल" का वही अर्थ है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1250 के उपखंड (b) में निर्धारित है। उपयुक्त स्वास्थ्य पेशे के करियर शामिल करने के लिए,

(c) "उन्नत अभ्यास चिकित्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों" को, अनुभाग 14199.121 की हितधारक इनपुट आवश्यकताओं के अधीन, विभाग द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

(d) "धारा 7.1" का अर्थ अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू करते हुए) है, जैसा कि 2023 के विधान के अध्याय 13 द्वारा जोड़ा गया है।

(e) "आधार डेटा स्रोत" का अर्थ है उस अपडेट किए गए आधार वर्ष के लिए प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग को स्वास्थ्य प्लैनों द्वारा प्रस्तुत सबसे हालिया उपलब्ध त्रैमासिक वित्तीय विवरण फाइलिंग या वार्षिक नामांकन डेटा, जिसे विभाग द्वारा पुनर्प्राप्त किया जाता है, और आवश्यकतानुसार, विभाग द्वारा बनाए गए अपडेट किए गए आधार वर्ष के लिए Medi-Cal नामांकन डेटा द्वारा पूरक किया जाता है, और विभाग द्वारा संशोधित ज्ञात या प्रत्याशित उन अनुबंध परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए संशोधित किया गया है जो Medi-Cal नामांकन को प्रभावित करेंगे।

(f) "आधार वर्ष" का अर्थ है विभाग द्वारा चयनित कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलने वाली 12 महीने की अवधि। विभाग, संघीय विधान या विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने, संघीय अनुमोदन प्राप्त करने या बनाए रखने, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघीय वित्तीय भागीदारी उपलब्ध है या अन्यथा खतरे में नहीं है, आधार वर्ष को उस हद तक अपडेट करने का चुनाव कर सकता है जिस हद तक वह आवश्यक समझता है।

(g) "प्रामाणिक श्रम-प्रबंधन सहयोग समिति" या "प्रामाणिक LMCC" का अर्थ है संयुक्त श्रम-प्रबंधन समिति है जो 1978 के संघीय श्रम प्रबंधन सहयोग अधिनियम (29 U.S.C. Sec. 175a) के अनुसार स्थापित है और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:

(1) प्रामाणिक LMCC किसी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के प्रशासन में शामिल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य श्रमिकों के प्रशिक्षण, कार्यबल के विस्तार और प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को सहायता प्रदान करना है।

(2) प्रामाणिक LMCC की संरचना इस प्रकार है:

(A) समिति के पचास प्रतिशत सदस्य राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठित श्रमिक संघों के प्रतिनिधि हैं।

(B) समिति के पचास प्रतिशत सदस्य मुख्य रूप से राज्य में स्थित Medi-Cal मरीज़ों को सेवा देने वाले स्वास्थ्य देखभाल नियोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं।

(h) "CalHealthCares प्रोग्राम" का अर्थ है अनुभाग 14114 के अनुसार स्थापित किया गया Medi-Cal चिकित्सक और दंत चिकित्सक ऋण वापसी भुगतान प्रोग्राम अधिनियम।

(i) "California वहनीय दवा विनिर्माण अधिनियम 2020" का अर्थ है स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 107 के भाग 2 के अध्याय 10 (अनुभाग 127690 से शुरू होकर) के अनुसरण में स्थापित प्रोग्राम।

(j) "क्लिनिक" का अर्थ है निम्नलिखित में से कोई भी:

(1) संघीय रूप से योग्य स्वास्थ्य केंद्र (FQHC), जिनमें संघीय स्वास्थ्य संसाधन और सेवाओं के प्रशासन द्वारा नामित FQHC जैसे दिखने वाले क्लीनिक शामिल हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 1395x(aa)(4)(B) और 1396d(1)(2)(B) में निर्धारित FQHC प्रोग्राम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(2) ग्रामीण स्वास्थ्य क्लीनिक (RHC) संयुक्त राज्य अमेरिका संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 1396d(l)(1) में निर्धारित परिभाषा को पूरा करते हैं।

(3) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1204 के उपखंड (a) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त क्लीनिक।

(4) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1206 के उपखंड (c) के अनुसार लाइसेंस लेने से छूट प्राप्त जनजातीय क्लीनिक।

(5) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1206 के उपखंड (h) के अनुसार लाइसेंस लेने से छूट प्राप्त अनिरंतर क्लीनिक।

(6) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1206 के उपखंड (c) के अनुसार लाइसेंस लेने से छूट प्राप्त क्लीनिक। यदि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1206 के उपखंड (b) के अनुसार लाइसेंस लेने से छूट प्राप्त क्लीनिक अनुभाग 14199.120.5 में वर्णित किसी निर्देशित भुगतान प्रोग्राम में भाग लेने का चुनाव करते हैं, तो निर्देशित भुगतान प्रोग्राम उन क्लीनिकों के लिए स्तर बनाने के लिए कम से कम "प्रदाता की श्रेणियाँ" कार्यक्षमता का उपयोग करेगा और उन क्लीनिकों को भुगतान उनके वर्ग के पूल में आबंटित राशि पर आधारित करने की अनुमति देगा।

(7) इंडियन स्वास्थ्य क्लीनिक जो California में इंडियन स्वास्थ्य प्रोग्राम के अनुसार सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 106 के भाग 4 के अध्याय 4 (अनुभाग 124575 से शुरू होते हुए) में निर्धारित है।

(k) "समिति" या "हितधारक सलाहकार समिति" का अर्थ है अनुभाग 14199.129 के अनुसार स्थापित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा अधिनियम हितधारक सलाहकार समिति।

(l) "समुदाय-आधारित संगठन" का अर्थ है सिद्ध प्रभावशीलता वाला गैर-लाभकारी संगठन, जो किसी समुदाय या समुदाय के महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है और समुदाय के व्यक्तियों तक पहुंच को बढ़ावा देता है, या उन्हें शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है।

(m) "सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी" का वही अर्थ होगा जैसा कि अनुभाग 18998 के उपखंड (b) में परिभाषित किया गया है।

(n) "सामुदायिक प्रदाता" का अर्थ है व्यवसाय एवं पेशा संहिता के अनुभाग 2050 में वर्णित प्रमाणपत्र धारक जो Medi-Cal मरीज़ों को सेवा देता है।

(o) "व्यापक नैदानिक परिवार नियोजन सेवाएँ" का अर्थ है अनुभाग 14132 के उपखंड (aa) में दी गई सेवाएँ।

(p) "गणनीय नामांकित व्यक्ति" का अर्थ है आधार डेटा स्रोत के अनुसार आधार वर्ष के किसी महीने के दौरान स्वास्थ्य प्लैन में नामांकित व्यक्ति। "गणनीय नामांकित व्यक्ति" में Medicare योजना में नामांकित व्यक्ति, योजना-दर-योजना नामांकित व्यक्ति, या संघीय कर्मचारी स्वास्थ्य लाभ अधिनियम 1959 (सार्वजनिक कानून 86-382) के अनुसार स्वास्थ्य प्लैन में नामांकित व्यक्ति शामिल नहीं है, इस हद तक कि इस अध्याय की धारा 6 (अनुभाग 14199.123 से शुरू होते हुए) या अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू होते हुए) के तहत टैक्स लगाने को संयुक्त राज्य अमेरिका संहिता के शीर्षक 5 के अनुभाग 8909(f) के अनुसार पहले से छूट-प्राप्त है।

(q) "काउंटी मानसिक स्वास्थ्य प्लैन" का अर्थ है कोई संस्था या स्थानीय एजेंसी जो अनुभाग 14184.400 और अध्याय 8.9 (अनुभाग 14700 से शुरू होते हुए) के अनुसार कवर की गई विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभाग के साथ अनुबंध करती है।

(r) "विभाग" का अर्थ है राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग।

(s) "नामित सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली" का अर्थ है अनुभाग 14184.10 के उपखंड (f) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित किए गए अनुसार नामित सार्वजनिक अस्पताल और इसके संबद्ध सरकारी प्रदाता और अनुबंधित सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ जो अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनती हैं। एकल नामित सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली में समान सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत एक से अधिक नामित सार्वजनिक अस्पताल शामिल हो सकते हैं।

(t) (1) "निर्देशित भुगतान" का अर्थ है ऐसी भुगतान व्यवस्था जिसके तहत विभाग Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन द्वारा किए गए कुछ खर्चों को निर्देशित करता है जिसे संघीय विनियमन संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 438(c) में वर्णित किए गए अनुसार Medicare और Medicaid सेवाओं के लिए संघीय केंद्रों द्वारा अनुमोदित किया गया है, संघीय विनियमन संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 438(c) के अनुसार स्थापित किया गया है, या अन्यथा Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन अनुबंध द्वारा आवश्यक है, और जैसा लागू हो Medicare और Medicaid सेवाओं के लिए संघीय केंद्रों अनुमोदित दर प्रमाणीकरण में दस्तावेजित किया गया है।

(2) संघीय विनियमन संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 438(c) के इस उपखंड के संदर्भों में उसके बाद किए गए कोई भी संशोधन शामिल होंगे।

(u) "निदेशक" का अर्थ है राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग का निदेशक।

(v) "आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन" का अर्थ है हवाई मार्ग द्वारा आपातकालीन चिकित्सा परिवहन, जैसा कि California विनियम संहिता के शीर्षक 22 के अनुभाग 51323 के उपखंड (c) के पैराग्राफ (1) में वर्णित है, एयर एम्बुलेंस द्वारा, जैसा कि California विनियम संहिता के शीर्षक 22 के अनुभाग 100280 में परिभाषित किया गया है।

(w) "परिवार PACT" का अर्थ है अनुभाग 14132 के उपखंड (aa) के अनुसरण में स्थापित परिवार नियोजन, पहुंच, देखभाल और उपचार प्रोग्राम।

(x) "Medi-Cal प्रोग्राम में परिवार नियोजन सेवाएँ और परिवार नियोजन-संबंधी सेवाएँ" का अर्थ है अनुभाग 14132 के उपखंड (n) के अनुसरण में Medi-Cal प्रोग्राम द्वारा कवर की जाने वाली सेवाएँ।

35

(y) "केवल राज्य परिवार नियोजन प्रोग्राम में परिवार नियोजन सेवाएँ" का अर्थ खंड 24 (अनुभाग 24000 से शुरू होते हुए) के अनुसार उस प्रोग्राम द्वारा कवर की जाने वाली सेवाएँ हैं।

(z) "निधि" का अर्थ है अनुभाग 14199.103 के अनुसार राज्य कोषागार में स्थापित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा निधि।

(aa) "सामान्य तीव्र देखभाल अस्पताल" का वही अर्थ है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1250 के उपखंड (a) में है।

(ab) "ज़मीनी आपातकालीन चिकित्सा परिवहन" का अर्थ है आपातकालीन चिकित्सा परिवहन, जैसा कि अनुभाग 14129 में परिभाषित किया गया है, जो 911 कॉल सेंटर या बराबर के सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेह बिंदु से उत्पन्न होता है।

(ac) "स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन" या "स्वास्थ्य प्लैन" का अर्थ है ऐसा स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन, केवल विशिष्ट या छूट वाली सेवाएँ प्रदान करने वाले प्लैन के अलावा, जिसे 1975 के Knox-Keene स्वास्थ्य

देखभाल सेवा प्लैन अधिनियम (स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के खंड 2 के अध्याय 2.2 (अनुभाग 1340 से शुरू होते हुए)) के तहत प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त है या Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन है जिसका पूर्ण-दायरे वाली Medi-Cal सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभाग के साथ अनुबंध किया गया है।

(ad) "Medi-Cal मरीज़" का अर्थ है अनुभाग 14252 में परिभाषित Medi-Cal लाभार्थी।

(ae) "Medi-Cal नामांकित व्यक्ति" का अर्थ है उपखंड (ac) में परिभाषित किए गए अनुसार स्वास्थ्य प्लैन में नामांकित व्यक्ति, जो Medi-Cal मरीज़ है, जिसके लिए विभाग सीधे स्वास्थ्य प्लैन को निश्चित भुगतान करता है।

(af) "Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैन" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था जो इस अध्याय या अध्याय 8 (अनुभाग 14200 से शुरू होते हुए) के अनुसार नामांकित Medi-Cal मरीज़ों को कवर किए गए पूर्ण-दायरे वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभाग के साथ एक व्यापक जोखिम अनुबंध में प्रवेश करती है।

(ag) "Medi-Cal प्रति नामांकित व्यक्ति टैक्स राशि" का अर्थ है Medi-Cal टैक्स स्तर के भीतर प्रति गणनीय Medi-Cal नामांकित व्यक्ति पर निर्धारित टैक्स की राशि।

(ah) "Medi-Cal टैक्स निर्धारण स्तर" का अर्थ है आधार वर्ष के लिए गणनीय Medi-Cal नामांकितों के संचयी नामांकन की रेंज।

(ai) "शुद्ध प्रतिपूर्ति" या "शुद्ध प्रतिपूर्ति स्तर" का अर्थ है 1 जनवरी, 2024 तक प्राप्त लागू होने वाली सेवाओं और प्रक्रियाओं के लिए Medi-Cal प्रदाताओं को किया गया कुल भुगतान, जिसमें प्रदाता टैक्सों या शुल्कों, प्रमाणित सार्वजनिक व्ययों या अंतर-सरकारी हस्तांतरणों के जरिए उन भुगतानों के गैर-संघीय हिस्से के रूप में Medi-Cal प्रदाताओं द्वारा वित्तपोषित कोई भी राशि घटा दी जाती है।

(aj) "नेटवर्क प्रदाता" का वही अर्थ है जो संघीय विनियमन संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 438.2 में दिया गया है।

(ak) "अन्य नामांकित व्यक्ति" का अर्थ है स्वास्थ्य प्लैन में नामांकित व्यक्ति जो Medi-Cal नामांकित व्यक्ति नहीं है।

(al) "प्रति नामांकित व्यक्ति अन्य टैक्स राशि" का अर्थ है किसी अन्य टैक्स स्तर के अंतर्गत प्रति गणनीय अन्य नामांकित व्यक्ति पर लगाई गई टैक्स राशि।

(am) "अन्य टैक्स निर्धारण स्तर" का अर्थ है आधार वर्ष के लिए गणनीय अन्य नामांकितों के संचयी नामांकन की रेंज।

(an) "प्लैन से प्लैन में नामांकित व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी अन्य स्वास्थ्य प्लैन से उप-अनुबंध के अनुसरण में स्वास्थ्य प्लैन के जरिए अपनी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्राप्त करता है।

(ao) "मुख्य देखभाल" का वही अर्थ है जो California विनियम संहिता के शीर्षक 22 के अनुभाग 51170.5 में दिया गया है।

(ap) "निजी ज़मीनी आपातकालीन चिकित्सा परिवहन प्रदाता" का अर्थ है वह ज़मीनी आपातकालीन चिकित्सा परिवहन प्रदाता है जो अनुभाग 14105.945 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

(aq) "योग्य परिवार नियोजन प्रदाता" का अर्थ है Medi-Cal प्रदाता जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

(1) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1204 के उपखंड (a) के अनुसरण में लाइसेंस प्राप्त सामुदायिक क्लिनिक है।

(2) अनुभाग 14132 के उपखंड (aa) में वर्णित किए गए अनुसार, परिवार PACT प्रोग्राम में नामांकित है।

(3) गर्भपात और गर्भनिरोधन दोनों सेवाएँ प्रदान करता है।

(ar) "विशेषज्ञ" का अर्थ है चिकित्सा अभ्यास अधिनियम (व्यवसाय एवं पेशा संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 5 (अनुभाग 2000 से शुरू होते हुए)) या ऑस्टियोपैथिक अधिनियम (व्यवसाय एवं पेशा संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 8 (अनुभाग 3600 से शुरू होते हुए)) के अनुसार चिकित्सक या सर्जन या अन्य लाइसेंसधारी, जो Medi-Cal मरीज़ों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ, उपचार, या कार्यविधि प्रदान करता है जिनमें से कम से कम कुछ मुख्य देखभाल के रूप में योग्य नहीं हैं।

(as) "विशेष देखभाल" का अर्थ है किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।

(at) "केवल राज्य परिवार नियोजन प्रोग्राम" का अर्थ है प्रभाग 24 (अनुभाग 24000 से शुरू होते हुए) के अनुसार स्थापित प्रोग्राम।

(au) "टैक्स अवधि" का अर्थ है अधिकतम 12 महीने की अवधि जिसके लिए धारा 6 (अनुभाग 14199.123 से शुरू होते हुए) के अनुसार लगाए गए टैक्स का मूल्यांकन किया जाता है।

धारा 8. हितधारक सलाहकार समिति

14199.129. हितधारक सलाहकार समिति की स्थापना

(a) एतद्द्वारा विभाग के भीतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुरक्षा अधिनियम हितधारक सलाहकार समिति की स्थापना की जाती है।

(b) संघीय, राज्य, जनजातीय या स्थानीय निर्वाचित या नियुक्त पद पर आसीन व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी या कर्मचारी समिति में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है।

(c) समिति के छह सदस्यों से मतदान और समिति के व्यवसाय के संचालन के उद्देश्यों के लिए एक कोरम का गठन होता है।

(d) समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगी। अध्यक्ष दो वर्ष तक उस पद पर कार्यरत रहेगा और दोबारा निर्वाचित होने के योग्य होगा। अध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसके पास अन्य समिति सदस्यों की सभी शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे।

(e) समिति की बैठक कम से कम दो वर्ष में एक बार होगी और समिति या अध्यक्ष के आह्वान पर अतिरिक्त नियमित एवं विशेष बैठकें भी आयोजित की जा सकेंगी।

(f) विभाग के कम से कम दो कर्मचारियों को समिति का काम करने और समिति के काम में सहायता करने के लिए पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया जाएगा।

14199.130. समिति की सदस्यता

(a) समिति में निम्न अनुसार 10 सदस्य होंगे:

(1) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर प्राथमिक और विशेषज्ञ चिकित्सकों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।

35

(2) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर, लाइसेंस के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है।

(3) एक सदस्य जो एक निजी आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदाता का प्रतिनिधित्व करता है जो इस राज्य में प्रति कैलेंडर वर्ष 500,000 या अधिक आपातकालीन चिकित्सा ज़मीनी परिवहन प्रदान करता है।

(4) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है।

(5) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर वाणिज्यिक, गैर-सरकारी Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैनों का प्रतिनिधित्व करता है।

(6) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

(7) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर सार्वजनिक, गैर-लाभकारी Medi-Cal प्रबंधित देखभाल प्लैनों का प्रतिनिधित्व करता है।

(8) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर दंत चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है।

(9) एक सदस्य जो राज्यव्यापी आधार पर संगठित श्रमिक समूहों का प्रतिनिधित्व करता है।

(10) एक सदस्य जो ऐसे निजी आपातकालीन एयर एम्बुलेंस परिवहन प्रदाता का प्रतिनिधित्व करता है जो इस राज्य में प्रति वर्ष 2,000 से अधिक आपातकालीन एम्बुलेंस परिवहन के लिए बिल देता है।

(b) समिति के सदस्यों की नियुक्ति निम्न अनुसार की जाएगी:

(1) गवर्नर उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) से (6), दोनों सहित, तक में वर्णित सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

(2) विधानसभा का अध्यक्ष उपखंड (a) के पैराग्राफ (7) और (8) में वर्णित सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

(3) सीनेट अस्थायी अध्यक्ष उपखंड (a) के पैराग्राफ (9) और (10) में वर्णित सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

(c) किसी संस्था या संगठन में किसी भी समय समिति में उस संस्था या संगठन से एक से अधिक कर्मचारी, अधिकारी या निदेशक नियुक्त नहीं होंगे।

(d) समिति का प्रत्येक सदस्य या तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक और निवासी होगा या सरकारी संहिता के अनुभाग 1020 के उपखंड (b) की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

14199.131. समिति सदस्य के कार्यकाल

(a) अनुभाग 14199.130 के उपखंड (b) में वर्णित प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपनी प्रारंभिक नियुक्तियाँ इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद 30 कैलेंडर दिनों के भीतर करेंगे।

(b) समिति में प्रारंभिक नियुक्तियों का कार्यकाल इस अध्याय की प्रभावी तिथि के पश्चात 45वें कैलेंडर दिवस से शुरू होगा। समिति में प्रारंभिक नियुक्तियों के कार्यकाल निम्न अनुसार होंगे:

(1) अनुभाग 14199.130 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) से (4), दोनों सहित, में वर्णित गवर्नर द्वारा नियुक्त किए गए प्रारंभिक व्यक्ति चार वर्ष के कार्यकाल के लिए काम करेंगे।

(2) अनुभाग 14199.130 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (5) और (6) में वर्णित गवर्नर द्वारा नियुक्त किए गए प्रारंभिक व्यक्ति तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए काम करेंगे।

(3) अनुभाग 14199.130 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (7) में वर्णित विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया प्रारंभिक व्यक्ति तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए काम करेगा।

(4) अनुभाग 14199.130 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (8) में वर्णित विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया प्रारंभिक व्यक्ति दो वर्ष के कार्यकाल के लिए काम करेगा।

(5) सीनेट अस्थायी अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रारंभिक व्यक्ति दो वर्ष के कार्यकाल के लिए काम करेगा।

(c) प्रारंभिक कार्यकाल के बाद, प्रत्येक नियुक्त या पुनर्नियुक्त समिति सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष का होगा। समिति का प्रत्येक सदस्य तब तक काम करेगा जब तक कि उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है।

(d) समिति के किसी सदस्य को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद पर कदाचार या कर्तव्य की उपेक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं हटाया जाएगा। किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे हटाने का कारण लिखित रूप में न प्रस्तुत किया जाए।

(e) (1) अनुभाग 14199.130 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) से (10), दोनों सहित, में वर्णित विशिष्ट श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया समिति का सदस्य यदि अब उस विशिष्ट श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है या समिति के सदस्य के रूप में सेवा जारी रखने में असमर्थ हैं तो उसे अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करना होगा। इस पैराग्राफ द्वारा अपेक्षित सूचना, परिस्थिति में परिवर्तन के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित सूचना प्राप्त होने पर समिति में सदस्य का पद खाली माना जाएगा। लिखित नोटिस प्राप्त होने के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर, नियुक्ति प्राधिकारी पूर्व सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति करेगा। शेष कार्यकाल की समाप्ति पर, उत्तराधिकारी को एक पूर्ण अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

14199.132. समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य

(a) (1) समिति केवल सलाहकार है और उसके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। समिति की स्थापना इस अध्याय के घटकों के विकास और कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध और विश्लेषण करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए की गई है, जिसमें रिपोर्ट या सिफारिशें तैयार करना और विभाग को प्रस्तुत करने के लिए सलाह प्रदान करना शामिल है। इस अध्याय के अंतर्गत एकमात्र एवं अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विभाग के पास है।

(2) समिति इस अध्याय को लागू करने और अनुभाग 14199.101 और 14199.102 में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में विभाग को सलाह देगी और लिखित सिफारिशें करेगी।

(b) समिति को निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने की अनुमति है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) जांच-पड़ताल या अध्ययन करना।

(2) लिखित रिपोर्टें जारी करना।

35

(3) किसी भी रिपोर्ट या सिफारिश को विभाग की इंटरनेट वेबसाइट पर समिति के स्वयं के लिंक के तहत इंटरनेट वेबसाइट पर पोस्ट करना।

(c) समिति का कोई भी सदस्य इस अध्याय द्वारा स्थापित की गई या बनाई गई किसी निधि, उप-निधि, खाते या उपखाते में जमा, अंतरण या खर्च का लिखित लेखा या रिकार्ड मांग सकता है, और नियंत्रक और विभाग उसे उपलब्ध कराएंगे।

(d) समिति अपने एक या अधिक सदस्यों से मिलकर उप-समितियाँ स्थापित कर सकती है, और समिति को दिए गए किसी भी अधिकार या ज़िम्मेदारी को किसी उप-समिति को सौंप सकती है, जिसमें किसी विषय पर विभाग को सलाह और लिखित राय प्रदान करने का अधिकार या ज़िम्मेदारी भी शामिल है।

14199.133. मुआवज़ा

समिति के सदस्य बिना किसी मुआवज़े के काम करेंगे, लेकिन विभाग द्वारा अनुमोदन के अधीन, आवश्यक खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

धारा 9. संशोधन, गठन, स्थिति

14199.134. अध्याय का संशोधन

(a) विधानसभा इस अध्याय में उस विधान के द्वारा संशोधन कर सकती है, जो दैनिकी में शामिल किए गए मौखिक मतदान द्वारा, तीन-चौथाई सदस्यता की सहमति से, विधानसभा के प्रत्येक सदन में पारित किया गया था, बशर्ते कि विधान, इस अध्याय के अनुरूप हो और इसके उद्देश्य को आगे बढ़ाता हो।

(b) इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद इस अध्याय को संशोधन करने की मांग करने वाला बिल पारित नहीं किया जाएगा या मूलभूत रूप में एक विधान नहीं बनेगा, जब तक कि विधानसभा के दोनों में से किसी भी सदन में इसके पारित होने से कम से कम 10 दिन पहले बिल को, इसके अंतिम रूप में, प्रिंट करवाकर सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता और इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं किया जाता।

14199.135. अध्याय का गठन

(a) पृथक्करणीयता। इस अध्याय के प्रावधान पृथक्कनीय हैं। यदि इस अध्याय का कोई भाग, अनुभाग, उपखंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, धारा, उप-धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या कार्यान्वयन किसी भी कारण से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अवैध माना जाता है, तो वह निर्णय इस अध्याय के शेष भागों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। California राज्य के लोग एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि वे इस अध्याय और इसके हर एक और प्रत्येक भाग, अनुभाग, उपखंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, धारा, उप-धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और कार्यान्वयन को इस बात पर ध्यान दिए बिना अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं करेंगे कि इस अध्याय या इसके किसी भाग या कार्यान्वयन को बाद में अवैध घोषित किया जाएगा या नहीं।

(b) उदारतावादी निर्माण। यह अध्याय संविधान की धारा II और धारा IV के अनुसरण में California राज्य के लोगों की पहल शक्ति का इस्तेमाल है, और इस अध्याय में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उदार दृष्टि से इसका गठन किया जाएगा।

(c) वैधानिक संदर्भ। जब तक कि अन्यथा न बताया जाए, इस अध्याय के बाहर संहिताबद्ध किए गए विधानों के लिए इस अध्याय में दिए गए सभी संदर्भ, उन विधानों का हवाला देते हैं, जैसे कि वे 1 जुलाई, 2023 को मौजूद थे।

(d) प्रभावी तारीख। यह अध्याय California के मतदाताओं द्वारा इसके अनुमोदन के बाद आगामी 1 जनवरी से प्रभावी होगा।

14199.136. बचाव के लिए खड़े होना अध्याय

किसी अन्य कानून के बावजूद, यदि California राज्य या इसके अफसर या अधिकारी, मतदाताओं द्वारा इसके अनुमोदन के बाद, इस अध्याय की वैधानिकता का बचाव करने में असफल होते हैं, तो इस राज्य की किसी अन्य राज्य या स्थानीय सरकारी एजेंसी को California राज्य या विभाग की तरफ से, इसकी वैधानिकता का बचाव करने के उद्देश्य से इस अध्याय की वैधानिकता को चुनौती देती अदालती कार्रवाई में दखल देने का अधिकार होगा, चाहे वह कार्रवाई राज्य या संघीय निचली अदालत में हो, अपील पर हो, या California के उच्चतम न्यायालय या संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा विवेकाधीन समीक्षा पर हो। अन्य राज्य या स्थानीय सरकारी एजेंसी द्वारा कार्रवाई में बचाव करने की उचित फीसें और लागतें न्याय विभाग के लिए विनियोजित निधियों पर उत्तरदायी होंगी, जिसे तुरंत पूरा किया जाएगा।

अनुभाग 2. विनियोजन सीमा।

(a) California के संविधान की धारा XIII B के अनुभाग 4 के अनुसार, 2025–26 वित्तीय वर्ष से शुरू होते हुए, California राज्य के निर्वाचक इसके द्वारा California राज्य के लिए विनियोजन सीमा में वृद्धि को ग्रहण करते हैं, जो इस अधिनियम की धारा 6 (अनुभाग 14199.123 से शुरू होते हुए) कल्याण एवं संस्था संहिता के भाग 3 के अध्याय 7 की धारा 7.1 (अनुभाग 14199.80 से शुरू होते हुए) में शामिल किए गए टैक्सों से उत्पन्न राजस्वों की राशि के बराबर होगी।

(b) इस अनुभाग के अनुसार California राज्य की विनियोजन सीमा में ग्रहण की गई वृद्धि की अवधि, California के संविधान की धारा XIII B के अनुभाग 4 के अंतर्गत अनुमति दी गई अधिकतम समयावधि के लिए होगी।

अनुभाग 3. परस्पर विरोधी पहल विधेयक।

California राज्य के लोग इसके द्वारा पाते और घोषित करते हैं:

(a) यदि यह पहल विधेयक और कोई दूसरा पहल विधेयक या विधेयक, जो एक ही राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर स्थित Medi-Cal सेवाओं, लाभों और कवरेज के निधिकरण के लिए प्रबंधित देखभाल संगठन प्रदाता टैक्स एकत्र करता है या इसका विस्तार करता है, तो अन्य पहल विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा। यदि इस पहल विधेयक को अधिक संख्या में सकारात्मक मतदान प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे, और अन्य पहल विधेयक या विधेयकों के प्रावधान अशक्त हो जाएंगे।

(b) यह अधिनियम प्रबंधित देखभाल संगठन प्रदाताओं, एक प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल प्लैन पर मौजूदा टैक्स को जारी रखता है, जिसका प्रयोग Medi-Cal प्रोग्राम के अंतर्गत अदायगी दरों या भुगतानों में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है। पहल संख्या 21-0042 संशोधन #1 “टैक्स” की परिभाषा से छूट देता है, जो सरकार की स्थानीय संस्थाओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, या स्वास्थ्य देखभाल प्लैनों से एकत्र की गई उगाही, शुल्क या मांग है, जिसका प्रयोग California राज्य द्वारा मुख्य तौर पर

35

Medi-Cal प्रोग्राम के अंतर्गत अदायगी दरों या भुगतानों में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस कारण से, इस अधिनियम और पहल संख्या 21-0042 संशोधन #1 के बीच कोई विरोध मौजूद नहीं है।

(c) यह अधिनियम पहल संख्या 23-0021 संशोधन #1 में शामिल मुद्दों को बदलता नहीं है, उन पर लागू नहीं होता या उन पर ध्यान नहीं देता। इसलिए, इस अधिनियम और पहल संख्या 23-0021 संशोधन #1 के बीच कोई विरोध मौजूद नहीं है।

प्रस्ताव 36

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता और दंड संहिता में संशोधन करता है और अनुभागों को जोड़ता है और सरकारी संहिता में एक अनुभाग को जोड़ता है; इसलिए, हटाए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइकआउट टाइप~~ में प्रिंट किया जाता है और जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को *तिरछे टाइप* में प्रिंट किया जाता है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

आवासहीनता, नशे की लत और चोरी में कमी अधिनियम

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को आवासहीनता, नशे की लत और चोरी में कमी अधिनियम के रूप में जाना जाएगा।

अनुभाग 2. उद्देश्य एवं आशय।

यह विधेयक उन कानूनों में सुधार करेगा, जिन्होंने संपूर्ण California में आवासहीनता, नशे की लत और चोरी में नाटकीय ढंग से वृद्धि की है।

यह विधेयक निम्नलिखित कार्य करेगा:

(a) उन लोगों के लिए नशे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज प्रदान करना, जिन्हें घातक नशों की लत है, जिनमें शामिल हैं, फेंटानिल, कोकेन, हेरोइन, और मेथामफेटामीन।

(b) फेंटानिल को उन मौजूदा कानूनों में जोड़ना, जो भरी बंदूक से हथियारबंद होने के समय घातक नशे रखने को प्रतिबंधित करते हैं।

(c) फेंटानिल को उन मौजूदा कानूनों में जोड़ना, जो भारी माला में घातक नशे के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करते हैं।

(d) नशे के व्यापारियों को काउंटी की जेल की बजाय राज्य के जेल में सजा देने में न्यायाधीशों को उनके विवेक का इस्तेमाल करने की अनुमति देना, जब वे भारी माला में घातक नशे के अवैध व्यापार में दोषी पाए जाते हैं या नशे के अवैध व्यापार में शामिल होने के समय बंदूक के साथ हथियारबंद होते हैं।

(e) घातक दोषी नशे के व्यापारियों और निर्माताओं को चेतावनी देना कि यदि वे घातक नशे का अवैध व्यापार जारी रखते हैं और इसके परिणामस्वरूप किसी की मौत हो जाती है तो उन पर कत्ल का दोषारोपण किया जा सकता है।

(f) घातक नशे के व्यापारियों के लिए जुर्मानों को फिर से बहाल करना, जिनके अवैध व्यापार के कारण नशे का सेवन करने वाले की मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से चोट पहुंचती है।

(g) उन लोगों के लिए जुर्मानों में वृद्धि करना, जो बार-बार चोरी में शामिल होते हैं।

(h) "तोड़-फोड़ करके की गई" उन चोरियों की बढ़ती समस्या पर ध्यान देने के लिए नए कानून जोड़ना, जिनके परिणामस्वरूप काफी ज़्यादा नुकसान और क्षति होती है, या जो एक साथ काम करने वाले कई चोरों द्वारा की जाती हैं।

अनुभाग 3. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग निम्नलिखित को पाते और घोषित करते हैं:

(a) नशा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज द्वारा आवासहीनता को कम करना

(1) California अपने आवासहीनता, नशे, मानसिक स्वास्थ्य और चोरी के संकटों में चरम पर पहुंच गया है। हमारे राज्य में देश के किसी भी राज्य से प्रति व्यक्ति आवासहीनता की उच्चतम दर है। साथ ही, अब California में नशे की अधिक माला से होने वाली कार दुर्घटनाओं में दो से तीन गुणा अधिक लोगों की मौत होती है।

(2) 2014 में प्रस्ताव 47 की स्वीकृति के बाद से, California में आवासहीनता में 51 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि इसी समयावधि में देश के बाकी हिस्सों में, यह 11 प्रतिशत तक कम हुई है। प्रस्ताव 47 ने घातक नशों (फेंटानिल, कोकेन, हेरोइन, मेथामफेटामीन, और फेनसाइक्लिडीन) और चोरी का सामान दोनों को रखने के कानूनी परिणामों को कम कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि खुदरा स्टोरों में चोरी सहित, नशे की लत, मानसिक बीमारी और संपत्ति संबंधी अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई, जो नशेड़ियों द्वारा अपनी लत को पूरा करने के लिए किए गए थे। उसी समय, California ने इलाज करवाने के घटे हुए प्रोत्साहनों के कारण बेघर लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और नशे संबंधी इलाज में भारी कमी देखी है। हमारी आवासहीनता की मस्या सीधे प्रस्ताव 47 के इन अनपेक्षित नतीजों से जुड़ी है, जिसे मतदाता अब ठीक करना चाहते हैं।

(3) प्रगतिशील राज्य, जिनमें शामिल हैं New Jersey, Maryland, Illinois, और Michigan, में California के मुकाबले घातक नशों संबंधी काफी ज़्यादा ठोस कानून हैं, और उनकी बेघर व्यक्ति दर California की दर से 4 से 5 गुणा कम है।

(4) यह प्रस्ताव "उपचार-अनिवार्य अपराध" नामक अपराध की नई श्रेणी का नियम बनाकर इन राज्यों में निदेशन का विनम्र कदम उठाता है। इस नए "उपचार-अनिवार्य अपराध," के अंतर्गत, अभियोक्ताओं को पिछली नशे की दो दोषसिद्धियों के बाद घातक नशा रखने के अपराध के लिए आरोपित करने का अधिकार होता। यदि तीसरे या उसके बाद के नशे के अपराध के लिए इस "उपचार-अनिवार्य अपराध" का दोषारोपण होता है, तो अपराधी को नशे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज करवाने का विकल्प दिया जाएगा। यदि अपराधी नशे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज को सफलतापूर्वक पूरा करता है, तो आरोप को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, और अपराधी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपराधी नशे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज से इन्कार करता है, तो उसे घातक नशा रखने के लिए जेल की सजा होगी। उपचार-अनिवार्य अपराध की दूसरी दोषसिद्धि के लिए (घातक नशा रखने के लिए कुल चौथी दोषसिद्धि),

जज के पास जेल या राज्य कारागार में भेजने का विकल्प होता। नशे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज के साथ, लत और आवासहीनता का चक्र तोड़ने के लिए उपचार-अनिवार्य अपराध के दोषारोपण वाले अपराधियों को आश्रय, नौकरी प्रशिक्षण, और तैयार की गई अन्य सेवाओं की पेशकश की जाएगी।

(b) घातक नशे के व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई करना

(1) फेंटानिल सबसे खतरनाक नशा है, जो हमारे देश ने अब तक देखा है। क्योंकि कृत्रिम रूप से बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है, फेंटानिल आमतौर पर अन्य घातक नशों से सस्ता है। इसके परिणामस्वरूप, नशे के व्यापारी अब नियमित रूप से अन्य दवाईयों में फेंटानिल को मिला देते हैं, जिनमें शामिल हैं, आहार, चिंता, और नींद की गोलियाँ, कोकेन और हेरोइन। इसके अलावा, फेंटानिल हेरोइन से 50 गुणा ज़्यादा तेज है। इस कारण से, फेंटानिल की मामूली मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। एक किलोग्राम (2.2 पाउंड) फेंटानिल, चार से दस मिलियन खुराकों के निर्माण जितना, या 500,000 लोगों को मारने जितना नशा प्रदान करती है। अंत में, क्योंकि फेंटानिल की थोड़ी-सी मात्रा लत पैदा करने के लिए काफी है, इसलिए थोड़ी, लेकिन कहीं ज़्यादा जानलेवा मात्रा में सीमा के पार इसकी तस्करी करना आसान है।

(2) यह अधिनियम घातक नशे के व्यापारियों के लिए बड़े नतीजे भुगतने का प्राधिकार देगा, जिनका अवैध व्यापार किसी व्यक्ति को मार देता है या गंभीर रूप से जख़्मी करता है, जो उन नशों का सेवन करता है, और यह दोषी नशे के व्यापारियों और निर्माताओं को चेताने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा कि यदि वे घातक नशे का अवैध व्यापार जारी रखते हैं और इसके परिणामस्वरूप किसी की मौत हो जाती है तो उन पर कत्ल का दोषारोपण किया जा सकता है।

(3) यह अधिनियम हेरोइन, कोकेन और मेथामफेटामीन सहित, घातक नशों की मौजूदा सूची में गैर-प्रिस्क्रिप्शन फेंटानिल को जोड़ेगा, जिसके अनुसार भरी बंदूक के साथ हथियारबंद होने के समय नशा रखना गैर-कानूनी है।

(4) यह अधिनियम हेरोइन, कोकेन और मेथामफेटामीन सहित, घातक नशों की मौजूदा सूची में गैर-प्रिस्क्रिप्शन फेंटानिल को जोड़ेगा, जो उन घातक नशे के व्यापारियों के लिए बड़े नतीजे भुगतने का प्राधिकार देता है, जो बड़ी मात्रा में घातक नशे बेचते हैं।

(5) यह अधिनियम न्यायाधीशों को उन नशे के व्यापारियों को स्थानीय काउंटी जेलों की बजाय राज्य कारागार में भेजने की सजा देने की अनुमति भी देता है, जो बड़ी मात्रा में घातक नशे का अवैध व्यापार करते हैं या जो घातक नशों का अवैध व्यापार करते समय बंदूक के साथ हथियारबंद होते हैं। केवल हमारे राज्य कारागार ही घातक नशे के व्यापारियों के लिए सुरक्षा को संभालने और उन्हें पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए लैस हैं, जिनकी उन्हें समाज में सुरक्षित रूप से दुबारा शामिल होने के लिए ज़रूरत है।

(c) बार-बार चोरी और तोड़-फोड़ करके की जाने वाली चोरियों के लिए जवाबदेही

(1) प्रस्ताव 47 से पहले, जो व्यक्ति बार-बार चोरी करने में शामिल थे, उन पर घोर अपराध का दोषारोपण किया जा सकता है। प्रस्ताव 47 ने इस बार-बार उल्लंघन करने के अपराध को समाप्त कर दिया और इसकी बजाय शर्त लगाई कि $950 तक के मूल्य की कोई भी चोरी अब छोटा अपराध है—चाहे अपराधी ने कितनी ही बार चोरी क्यों न की हो। व्यवहारिक तौर पर, इसका अर्थ है कि जो अपराधी $950 तक के मूल्य की बार-बार चोरी करता है, उसे असल में कोई कानूनी नतीजे नहीं भुगतने पड़ते।

(2) इसका नतीजा यह हुआ कि खुदरा स्टोरों और कार्गो में बेतहाशा चोरियाँ हुईं, जिससे पूरे California के स्टोर, कर्मचारियों और ग्राहकों को उस आपराधिक गतिविधि से सुरक्षित करने के लिए बंद होने लगे, जो उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादों की प्रभावी डिलीवरी को नाकाम करता है और जिससे हमारे स्थानीय समुदायों और राज्य को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। खुदरा स्टोरों और कार्गो चोरी में इस तीव्र वृद्धि ने बढ़ती महंगाई में भी योगदान दिया है, क्योंकि व्यापार अपने आर्थिक नुकसान के कारण मूल्य बढ़ाने पर मजबूर हो गए। खुदरा स्टोरों और कार्गो चोरी में इस बेतहाशा वृद्धि का टकराव फेंटानिल प्रकोप से हुआ, क्योंकि घातक नशे का सेवन करने वाले अपनी नशे की आदतों को पूरा करने के लिए खुल्लम-खुल्ला चोरी में शामिल हो गए, उनको पता था कि उनकी चोरी या उनके घातक नशे के सेवन, दोनों में से किसी के लिए भी कोई नतीजे नहीं भुगतने पड़ेंगे।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत, चोरी की दो पिछली दोषसिद्धियों वाले अपराधी पर घोर अपराध का दोषारोपण किया जा सकता है, चाहे चोरी की हुई संपत्ति कितने भी मूल्य की हो। विचलन प्रोग्राम बना रहेगा, जिसका अर्थ है कि न्यायाधीश के पास दो चोरी दोषसिद्धियों से अधिक के अपराधी को जेल की सजा न देने का अधिकार रहेगा। लेकिन अभियोक्ताओं के पास उपद्रवियों, बार-बार अपराध करने वालों, जो चोरी में शामिल होना जारी रखते हैं, के खिलाफ घोर अपराध का दोषारोपण करने की क्षमता होगी। न्यायाधीशों को अधिकार होगा कि वे उपयुक्त मामलों में बार-बार अपराध करने वाले को जेल या राज्य कारागार की सजा दें, यदि अपराधी चार से अधिक बार चोरी के लिए दोषी पाया जाता है।

(4) यह अधिनियम न्यायाधीशों को बढ़ी हुई सजा देने के उनके अधिकार का इस्तेमाल करने का भी अधिकार देता है, जब अपराधी दो या अधिक अपराधियों के साथ इकट्ठे मिलकर किसी संपत्ति की चोरी करता है, तोड़-फोड़ करता है या उसको नष्ट करता है या $50,000 या अधिक का नुकसान पहुंचाता है। इन परिदृश्यों में अधिकार की अनुमति देने से, न्यायाधीश ऐसी सजाएँ देने में सक्षम होंगे, जो किए गए अपराध के लिए उपयुक्त हों, गिरोहों या इकट्ठे काम करने वाले लोगों के विशाल समूहों द्वारा की गई और कथित "तोड़-फोड़ करके की गई" चोरी सहित।

(5) कई चोरियों में चोरी की गई संपत्ति का मूल्य साथ में जोड़े जाने की अनुमति होगी ताकि उपयुक्त मामलों में अपराधी पर मामूली चोरी की बजाय बड़ी चोरी का दोषारोपण किया जा सके। यह प्रावधान उन अपराधियों की समस्या पर ध्यान देता है, जो खुद को घोर अपराध के आरोपों से बचाने के लिए, सिलसिलेवार चोरियाँ करते हैं, जिनमें प्रत्येक चोरी के दौरान चुराई गई संपत्ति का मूल्य किसी बड़ी चोरी की सीमा $950 से कम हो।

(6) इस अधिनियम में घातक नशे संबंधी प्रावधानों के साथ, चोरी संबंधी ये कानून बदलाव घातक नशों का सेवन करने वालों के शातिर चक्र को बंद करेंगे, जो अपने कृत्यों के लिए कानूनी सजा न मिलने से अपनी आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं।

अनुभाग 4. अनुभाग 11369 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

11369. (a) इस अनुभाग को Alexandra कानून के रूप में जाना जाएगा और इस रूप में इसका उल्लेख किया जा सकता है।

(b) अदालत उस व्यक्ति को, जिसकी घातक नशे से जुड़े अनुभाग 11351, 11351.5, 11352, 11378, 11378.5, 11379, 11379.5, या 11379.6 के उल्लंघन में दोषसिद्धि हुई है, या दोष स्वीकार कर लेता है या विरोध नहीं करता है, निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगी:

"एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि किसी भी रूप में किन्हीं नशों का, असली या जाली नशों या गोलियों सहित, गैरकानूनी तरीके से उत्पादन करना, वितरित करना, बेचना, तैयार करना, प्रबंध करना या देना मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा है। आप इस आचरण में शामिल होकर किसी की जान ले सकते हैं। सभी नशे और जाली गोलियाँ मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। ये पदार्थ अकेले, या मिलाकर, बहुत थोड़ी खुराकों में भी मनुष्यों की जान ले लेते हैं। यदि आप किसी भी असली या जाली नशों या दवाइयों का गैरकानूनी तरीके से उत्पादन करते, वितरित करते, बेचते, तैयार करते, प्रबंध करते या देते हैं, और उस आचरण के परिणामस्वरूप किसी मनुष्य की मौत हो जाती है, तो आप पर दंड संहिता के अनुभाग 187 के अर्थ के अधीन, कत्ल के अपराध तक और इस सहित, मानव हत्या का दोषारोपण किया जा सकता है।"

(c) यह परामर्शी कथन प्रतिवादी को लिखित में, या दलील फार्म में प्रदान किया जाएगा, यदि प्रयोग किया गया है, तो दलील फार्म में परिशिष्ट के तौर पर, या सजा सुनाने पर, और यह तथ्य कि परामर्श दिया गयाथा, रिकॉर्ड पर निर्दिष्ट और दोषसिद्धि के सारांश में रिकॉर्ड किया जाएगा।

(d) (1) पैराग्राफ (2) में प्रदान किए गए को छोड़कर, जैसा कि इस अनुभाग में प्रयोग किया गया है, "घातक नशे" का अर्थ है, अनुभाग 11054 या 11055 में सूचीबद्ध पदार्थ, जिसमें शामिल है, फेंटानिल, हेरोइन, कोकेन, कोकेन बेस, मेथामफेटामीन, या फेनसाइक्लिडीन वाला कोई पदार्थ, और इन पदार्थों के कोई समकक्ष, जैसा कि अनुभागों 11400 और 11401 में परिभाषित किया गया है।

(2) जैसा कि इस अनुभाग में प्रयोग किया गया है, "घातक नशे" में भांग, भांग के उत्पाद, पीयोट, लेसर्जिक और डाइएथिलामाइड (LSD), अन्य साइकेलेडिक नशे, मेस्कलीन और साइलोसाइबिन (मशरूम), अनुभाग 11054 के उपखंडों (d) और (e) में सूचीबद्ध कोई अन्य पदार्थ, या, मेथामफेटामाइन के अपवाद के साथ, अनुभाग 11055 के उपखंड (d) में सूचीबद्ध कोई अन्य पदार्थ शामिल नहीं है।

अनुभाग 5. अनुभाग 11370.1 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

11370.1. (a) अनुभाग 11350 या 11377 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति, जो भरी हुई, चलाने लायक बंदूक के साथ हथियारबंद होते हुए गैरकानूनी तरीके से कितनी भी मात्रा में कोकेन बेस वाला पदार्थ, कोकेन वाला पदार्थ, हेरोइन वाला पदार्थ, मेथामफेटामीन वाला पदार्थ, *फेंटानिल वाला पदार्थ,* फेनसाइक्लिडीन वाला क्रिस्टलाइन पदार्थ, फेनसाइक्लिडीन वाला तरल-पदार्थ पदार्थ, फेनसाइक्लिडीन वाली पादप सामग्री, या फेनसाइक्लिडीन के साथ संसाधित बीड़ी रखता है, वह दो, तीन, या चार वर्षों के लिए राज्य कारागार में दंडनीय अपराध का दोषी है।

(b) उपखंड (a) वैध प्रिस्क्रिप्शन के साथ रखने सहित, वैध रूप से फेंटानिल रखने वाले किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता।

(c) जैसा कि इस उपखंड *(a)* में प्रयोग किया गया है, "हथियारबंद" का अर्थ है, तुरंत आक्रमण या रक्षात्मक प्रयोग के लिए उपलब्ध होना।

~~(b)~~ *(d)* कोई भी व्यक्ति, जिसकी इस अनुभाग के अंतर्गत दोषसिद्धि हुई है, दंड संहिता के भाग 2 के शीर्षक 6 के अध्याय 2.5 (अनुभाग 1000 से शुरू होते हुए) के अंतर्गत फैसले के विषयांतर या आस्थगित प्रविष्टि के लिए अयोग्य होगा।

अनुभाग 6. अनुभाग 11370.4 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

11370.4. (a) (1) यदि कोई व्यक्ति अनुभाग 11054 के उपखंड (f) के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित हेरोइन, ~~फेंटानाइल,~~ कोकेन बेस वाले किसी पदार्थ या अनुभाग 11055 के उपखंड (b)के पैराग्राफ (6) में उल्लिखित कोकेनके संबंध में अनुभाग 11351, 11351.5, या 11352 का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने का षड्यंत्र करने का दोषी ठहराया जाता है, ~~जब उस व्यक्ति को पदार्थ की प्रकृति या नियंत्रित पदार्थ के रूप में उसके चरित्र के बारे में पता होता है,~~ तब उसे निम्नानुसार अतिरिक्त राज्य कारावास की *सजा* दी जाएगी:

(A) यदि पदार्थ का वजन एक किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद प्राप्त होगी।

(B) यदि पदार्थ का वजन चार किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को पाँच वर्ष की अतिरिक्त कैद प्राप्त होगी।

(C) यदि पदार्थ का वजन 10 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 10 वर्ष की अतिरिक्त कैद प्राप्त होगी।

(D) यदि पदार्थ का वजन 20 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 15 वर्ष की अतिरिक्त कैद प्राप्त होगी।

(E) यदि पदार्थ का वजन 40 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 20 वर्ष की अतिरिक्त कैद प्राप्त होगी।

(F) यदि पदार्थ का वजन 80 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 25 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(2) इस उपखंड में उल्लिखित साजिश के लिए सजा में बढ़ोतरी तब तक लागू नहीं की जाएगी जब तक कि तथ्यों का मुकदमा चलाने वाले को यह न पता चले कि प्रतिवादी साजिशकर्ता संबंधित अपराध की योजना बनाने, निर्देशित करने, निष्पादन करने, या वित्तपोषण करने में प्रमुख रूप से शामिल था।

(b) (1) मेथामफेटामीन, एम्फ़ैटेमीन, फेनसाइक्लिडीन (PCP) और इनसे मिलते-जुलते घटकों वाले पदार्थ के संबंध में अनुभाग 11378, 11378.5, 11379, या 11379.5 का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने की साजिश करने के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को निम्नानुसार अतिरिक्त *राज्य कैद की* सजा दी जाएगी:

(A) यदि पदार्थ का वजन एक किलोग्राम से अधिक हो, या तरल-पदार्थ की मात्रा 30 लीटर से अधिक हो, तो व्यक्ति को तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(B) यदि पदार्थ का वजन चार किलोग्राम से अधिक हो, या तरल-पदार्थ की मात्रा 100 लीटर से अधिक हो, तो व्यक्ति को पाँच वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(C) यदि पदार्थ का वजन 10 किलोग्राम से अधिक हो, या तरल-पदार्थ की मात्रा 200 लीटर से अधिक हो, तो व्यक्ति को 10 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(D) यदि पदार्थ का वजन 20 किलोग्राम से अधिक हो, या तरल-पदार्थ की मात्रा 400 लीटर से अधिक हो, तो व्यक्ति को 15 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(2) इस उपखंड में मात्रा की गणना करने में जब्त किए गए पौधे या वनस्पति संबंधी सामग्री को शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) इस उपखंड में उल्लिखित साजिश के लिए सजा में बढ़ोतरी तब तक लागू नहीं की जाएगी जब तक कि तथ्यों का मुकदमा चलाने वाले को यह न पता चले कि प्रतिवादी साजिशकर्ता संबंधित अपराध की योजना बनाने, निर्देशित करने, निष्पादन करने, या वित्तपोषण करने में प्रमुख रूप से शामिल था।

(c) (1) फेंटानिल वाले पदार्थ के संबंध में अनुभाग 11351 या 11352 का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने की साजिश करने के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को निम्नानुसार अतिरिक्त राज्य कारावास की सजा दी जाएगी:

(A) यदि पदार्थ का वजन 28.35 ग्राम (एक औंस) से अधिक हो, तो व्यक्ति को तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(B) यदि पदार्थ का वजन 100 ग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को पाँच वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(C) यदि पदार्थ का वजन 500 ग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को सात वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(D) यदि पदार्थ का वजन एक किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 10 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(E) यदि पदार्थ का वजन चार किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 13 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(F) यदि पदार्थ का वजन 10 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 16 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(G) यदि पदार्थ का वजन 20 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 19 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(H) यदि पदार्थ का वजन 40 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 22 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(I) यदि पदार्थ का वजन 80 किलोग्राम से अधिक हो, तो व्यक्ति को 25 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

(2) इस उपखंड में उल्लिखित साजिश के लिए सजा में बढ़ोतरी तब तक लागू नहीं की जाएगी जब तक कि तथ्यों का मुकदमा चलाने वाले को यह न पता चले कि प्रतिवादी साजिशकर्ता संबंधित अपराध की योजना बनाने, निर्देशित करने, निष्पादन करने, या वित्तपोषण करने में प्रमुख रूप से शामिल था।

~~(c)~~ *(d)* इस अनुभाग में उल्लिखित अतिरिक्त कैद की सजा तब तक लागू नहीं की जाएगी जब तक कि आरोप संबंधी याचिका में यह आरोप आरोपित न किया जाए और तथ्यों के संबंध में मुकदमा चलाने वाले द्वारा स्वीकार न किया जाए या सही न पाया जाए क अनुभाग 11054 के उपखंड (f) के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित हेरोइन, फेंटानिल, कोकेन बेस वाले पदार्थ, अनुभाग 11055 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (6) में उल्लिखित कोकेन, मेथामफेटामीन, एम्फ़ैटामीन, फेनसाइक्लिडीन (PCP) और इनसे मिलते-जुलते घटकों वाले पदार्थ का भार इस अनुभाग में निर्धारित मात्रा से अधिक है।

(e) दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के पैराग्राफ (9) के बावजूद, यदि इस अनुभाग में उल्लिखित संबंधित उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध प्रतिवादी, जो इस अनुभाग के अनुसरण में सजा में बढ़ोतरी को स्वीकार करता है या जिसके लिए इस अनुभाग के अनुसरण में सजा में बढ़ोतरी को सही पाया जाता है, तो उसे राज्य कारागार में कैद की सजा दी जाएगी और उसे दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में सजा नहीं दी जाएगी।

~~(d)~~ *(f)* इस अनुभाग में उल्लिखित अतिरिक्त कैद की सजा कानून द्वारा निर्धारित किसी अन्य सजा के अतिरिक्त होगी।

~~(e)~~ *(g)* किसी अन्य कानून के बावजूद, न्यायालय इस अनुभाग में उल्लिखित कैद की सजा में बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त सजा को खारिज कर सकता है यदि न्यायालय यह तय करता है कि अतिरिक्त सजा को कम करने के लिए परिस्थितियाँ हैं और अतिरिक्त सजा को खारिज करने के लिए अपने कारणों का रिकॉर्ड में उल्लेख करता है।

अनुभाग 7. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 10 के अध्याय 6 में धारा 8 (अनुभाग 11395 से शुरू होते हुए) को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाती है:

धारा 8. उपचार-अनिवार्य अपराध

11395. (a) इस धारा को उपचार-अनिवार्य अपराध अधिनियम कहा और उद्धृत किया जाएगा।

(b) (1) किसी अन्य कानून के बावजूद, उपखंड (d) में किए गए प्रावधान को छोड़ कर, उपखंड (c) में उल्लिखित किसी व्यक्ति को किसी राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर, दंत-चिकित्सक, पोडियाट्रिस्ट, या पशु चिकित्सक द्वारा लिखित दवा पर्ची के सिवाए, कठोर नशीले पदार्थ रखने पर काउंटी जेल में एक वर्ष तक की कैद की सजा या दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार सजा दी जाएगी। इस अनुभाग के तहत दूसरी बार या बाद की दोषसिद्धि होने पर काउंटी जेल में एक वर्ष तक की कैद या राज्य कारागार में कैद की सजा दी जाती है।

(2) किसी व्यक्ति को तब तक इस अनुभाग के अनुसार जेल या कारागार में कैद की सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि कोई न्यायालय यह न निर्धारित करे कि वह व्यक्ति उपचार के लिए योग्य या उपयुक्त नहीं है या उपखंड (d) के पैराग्राफ (4) में उल्लिखित कोई अन्य परिस्थिति उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती।

(c) उपखंड (d) ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसे इस अनुभाग की प्रभावी तारीख से पहले हुई किसी दोषसिद्धि सहित अनुभाग 11350, 11351, 11351.5, 11352, 11353, 11353.5, 11353.7, 11370.1, 11377, 11378, 11378.5, 11379, 11379.5, 11379.6, 11380, या 11395 के उल्लंघन में किसी घोर अपराध या दुराचार के लिए दो या अधिक बार दोषसिद्ध किया जा चुका है। पूर्व दोषसिद्धियों को आरोप संबंधी याचिका में उल्लिखित किया जाएगा, और

36

या तो प्रतिवादी द्वारा खुले न्यायालय में स्वीकार किया जाएगा या तथ्यों के संबंध में मुकदमा चलाने वाले द्वारा सही पाया जाएगा।

(d) (1) (A) जेल या कारागार में कैद की सजा के बदले, या परिवीक्षा की शर्त के रूप में जेल के साथ परिवीक्षा देने के लिए, इस अनुभाग के उल्लंघन का आरोपी प्रतिवादी स्वयं को दोषी मान कर या इस अनुभाग का उल्लंघन करने के आरोप का प्रतिरोध न करके और आरोपित पूर्वदोषसिद्धियों को स्वीकार करके, सजा देने और फैसला सुनाए जाने के लिए समय में छूट लेते हुए, और नशे की लत छुड़ाने वाले किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए और न्यायालय द्वारा अनुमोदित विस्तृत उपचार प्रोग्राम में शामिल होने और इसे पूरा करने के लिए सहमति देकर उपचार करवाने का विकल्प चुन सकता है। प्रतिवादी द्वारा स्वयं दोष मान लेने या प्रतिरोध न करने से किसी भी उद्देश्य के लिए दोषसिद्धि निर्धारित नहीं होगी, जब तक कि इस अनुभाग के उल्लंघन के लिए निर्णय को पैराग्राफ (4) के अनुसरण में, दर्ज नहीं किया गया हो।

(B) इस अनुभाग के उल्लंघन के लिए दोषारोपण होने पर या उसके बाद, और प्रतिवादी या उसके वकील के अनुरोध पर या उनकी सहमति से, न्यायालय मादक द्रव्य व्यसन विशेषज्ञ को प्रतिवादी के मादक द्रव्य सेवन और मानसिक स्वास्थ्य के आकलन के लिए आदेश देगा। विशेषज्ञ आकलन की रिपोर्ट न्यायालय और पक्षकारों को प्रस्तुत करेगा। यह आकलन प्रतिवादी या संबद्ध जानकारी वाले अन्य व्यक्तियों के साक्षात्कार और चिकित्सा रिकॉर्डों, आपराधिक इतिहास, पिछले उपचार इतिहास और वर्तमान अपराध से संबंधित रिकॉर्डों सहित विशेषज्ञ द्वारा उचित समझे जाने वाले रिकॉर्डों की समीक्षा पर आधारित हो सकता है। यदि प्रतिवादी इस साक्षात्कार में भाग लेता है तो प्रतिवादी द्वारा असंगत रूप से गवाही दिए जाने पर जवाबतलब करने के उद्देश्यों के सिवाए प्रतिवादी के साक्षात्कार और साक्षात्कार से व्युत्पन्न साक्ष्य दोनों का ही तत्काल अपराध के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध किसी भी बाद के मुकदमे में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस आकलन में प्रतिवादी की मादक द्रव्यों के सेवन या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों, यदि कोई हो, का विवरण दिया जाएगा ताकि न्यायालय और पक्षकार प्रतिवादी के मामले को बेहतर ढंग से संभाला जाना तय कर सकें।

(C) प्रतिवादी के मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य आकलन के आदेश के साथ-साथ, और प्रतिवादी की सहमति से, न्यायालय यह भी आदेश देगा कि मामले से जुड़ा कर्मचारी या कोई अन्य सुयोग्य व्यक्ति यह तय करे कि प्रतिवादी इस अनुभाग के तहत किसी भी प्रोग्राम या आकलन के लिए Medi-Cal, Medicare या कोई अन्य संबद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं। यदि प्रतिवादी ने अभियोग के समय योग्यता निर्धारण के लिए पहले सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय प्रतिवादी के इस उपखंड में वर्णित उपचार प्रोग्राम में भाग लेने और इसे पूरा करने की सहमति की शर्त के बाद और इसके रूप में इस योग्यता को निर्धारित करने का आदेश देगा।

(2) उपचार प्रोग्राम में नशे की लत का उपचार, मानसिक स्वास्थ्य उपचार, काम के लिए प्रशिक्षण, और उपचार से संबंधित कोई अन्य शर्त या न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के लिए उचित पाए गए सफल परिणाम शामिल हो सकते हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रतिवादी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए न्यायालय को नियमित सुनवाइयाँ अवश्य करनी चाहिए। न्यायालय ऐसे प्रोग्रामों के लिए संदर्भित करेगा जिनमें प्रतिभागी को बिना किसी लागत के सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और जिन्हें न्यायालय, नशे की लत संबंधी विशेषज्ञ और पक्षकारों द्वारा विश्वसनीय और प्रभावी माना जाता है। कोई प्रतिवादी ऐसे प्रोग्राम के लिए भुगतान करने का निर्णय भी ले सकता है जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो।

(3) प्रतिवादी द्वारापैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट उपचार प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर, उपचार प्रोग्राम की सकारात्मक अनुशंसा और प्रतिवादी, अभियोजन पक्ष के वकील, न्यायालय, या परिवीक्षा विभाग के प्रस्ताव पर, न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध इस आरोप को खारिज कर देगा और प्रतिभागी की आस्थगित की गई गिरफ्तारी को इस तरह माना जाएगा मानो यह कभी हुई ही नहीं, संबंधी प्रावधान सहित इस अनुभाग की प्रभावी तारीख को वर्णित दंड संहिता की अनुभाग 1000.4 के प्रावधान लागू होंगे। उपचार के सफलतापूर्वक पूरे होने के आधार पर बर्खास्त किए जाने को उप खंड (b) के अनुसरण में, दंड निर्धारित किए जाने सहित किसी भी उद्देश्य के लिए दोषसिद्धि के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(4) यदि किसी भी समय ऐसा लगता है कि प्रतिवादी प्रोग्राम में असंतोषजनक प्रदर्शन कर रहा है, उपचार से लाभान्वित नहीं हो रहा है, उपचार का पालन नहीं कर रहा है, उसने उपचार से इनकार कर दिया है या उसे उपचार शुरू किए जाने के बाद किए गए किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो अभियोजन पक्ष के वकील, न्यायालय स्वयं या परिवीक्षा विभाग निर्णय और सजा दिए जाने को दर्ज करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिवादी को नोटिस देने के बाद, न्यायालय यह तय करने के लिए सुनवाई करेगा कि क्या निर्णय दर्ज किया जाना चाहिए और प्रतिवादी को सजा दी जानी चाहिए। निर्णय तब लागू किया जाएगा और प्रतिवादी को सजा दी जाएगी यदि न्यायालय ऊपर दी गई एक या अधिक परिस्थितियाँ सत्य पाता है। हालांकि, प्रतिवादी को जब उपचार शुरू करने के बाद किए गए किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, ऐसे मामले के सिवाए न्यायालय को यदि लगता है कि ऐसा करना न्याय के हित में है, कि प्रतिवादी वर्तमान में उपचार पालन कर रहा है और यदि प्रतिवादी इस अनुभाग में वर्णित उपचार प्रोग्राम में भाग लेने और उसे पूरा करने के लिए सहमत हो तो न्यायालय प्रतिवादी को उपचार के लिए दोबारा सर्दर्भित कर सकता है।

(5) आवासीय उपचार में बिताए गए समय के लिए, प्रतिवादी दंड संहिता के अनुभाग 2900.5 के अनुसरण में, केवल वास्तविक क्रेडिट अर्जित कर सकता है और दंड संहिता के अनुभाग 4019 या किसी भी अन्य प्रावधान के अनुसरण में, आचरण क्रेडिट्स अर्जित नहीं करेगा। किसी भी अन्य प्रकार के प्रोग्राम या परामर्श में बिताया गया समय किसी भी क्रेडिट के लिए योग्य नहीं है।

(e) (1) पैराग्राफ (2) में प्रदान किए गए को छोड़कर, जैसा कि इस अनुभाग में प्रयोग किया गया है, "घातक नशे" का अर्थ है, अनुभाग 11054 या 11055 में सूचीबद्ध पदार्थ, जिसमें शामिल है, फेंटानिल, हेरोइन, कोकेन, कोकेन बेस, मेथामफेटामीन, या फेनसाइक्लिडीन वाला कोई पदार्थ, और इन पदार्थों के कोई समकक्ष, जैसा कि अनुभागों 11400 और 11401 में परिभाषित किया गया है।

(2) जैसा कि इस अनुभाग में प्रयोग किया गया है, "घातक नशे" में भांग, भांग के उत्पाद, पीयोट, लेसर्जिक और डाइएथिलामाइड (LSD), अन्य साइकेलेडिक नशे, मेस्कलीन और साइलोसाइबिन (मशरूम), अनुभाग 11054 के उपखंडों (d) और (e) में सूचीबद्ध कोई अन्य पदार्थ, या, मेथामफेटामाइन के अपवाद के साथ, अनुभाग 11055 के उपखंड (d) में सूचीबद्ध कोई अन्य पदार्थ शामिल नहीं है।

(f) इस अनुभाग के उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी होने पर, न्यायालय यह अपेक्षा करेगा कि रिहाई से पहले सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति जोखिम और

36

न्यायालय में वापस आने की संभावना के अलग-अलग निर्धारण के लिए यह न्यायिक समीक्षा की जाए।

(g) इस अनुभाग का किसी भी अन्य कानून के अनुसरण में, अभियोजन या दंड को रोकने के लिए अर्थ निरूपण नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 8. अनुभाग 490.3 को दंड संहिता में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

490.3. किसी भी अन्य कानून में चाहे कुछ भी हो, अनुभाग 459.5, 484, 488 और 490.2 के उल्लंघन वाले लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, चोरी या दुकान से सामान उठा लेने के एक या अधिक कृत्यों से जुड़े हर मामले में, चोरी की गई संपत्ति या माल का मूल्य एक ही मामले या आरोप में जोड़ा जा सकता है जिसमें चोरी का परिमाण निर्धारित करने में सारी संपत्ति या माल के मूल्य के योग पर विचार किया जाएगा।

अनुभाग 9. अनुभाग 666.1 को दंड संहिता में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

666.1. (a) (1) किसी भी अन्य कानून में चाहे कुछ भी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे पैराग्राफ (2) में सूचीबद्ध किसी भी अपराध के प्रति दो या अधिक बार पहले ही दोषी पाया गया हो और जो छिटपुट चोरी या दुकान से सामान उठाने का दोषी हो तो उसे काउंटी जेल में अधिकतम एक वर्ष की कैद या अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुरूप दंड मिलेगा। इस अनुभाग के तहत दूसरी बार या बाद की दोषसिद्धि होने पर काउंटी जेल में एक वर्ष तक की कैद या राज्य कारागार में कैद की सजा दी जाती है।

(2) यह अनुभाग इस अनुभाग की प्रभावी तारीख से पहले हुई दोषसिद्धि सहित निम्नलिखित अपराधों पर लागू होता है:

(A) छिटपुट चोरी, जैसा कि अनुभाग 488 या 490.2 में वर्णन किया गया है।

(B) बड़ी चोरी, जैसा कि अनुभाग 487, 487h और भाग 1 के शीर्षक 13 के अध्याय 5 (अनुभाग 484 से शुरू होते हुए) में वर्णन किया गया है।

(C) किसी बड़ी आयु के या आश्रित वयस्क से चोरी, जैसा कि अनुभाग 368 में वर्णन किया गया है।

(D) किसी वाहन की चोरी या इसका अनधिकृत उपयोग, जैसा कि वाहन संहिता के अनुभाग 10851 में वर्णन किया गया है।

(E) सेंधमारी, जैसा कि अनुभाग 459 में वर्णन किया गया है।

(F) कार की चोरी, जैसा कि अनुभाग 215 में वर्णन किया गया है।

(G) डकैती, जैसा कि अनुभाग 211 में वर्णन किया गया है।

(H) चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना, जैसा कि अनुभाग 496 में वर्णन किया गया है।

(I) दुकान से चोरी करना, जैसा कि अनुभाग 459.5 में वर्णन किया गया है।

(J) पहचान की चोरी और डाक की चोरी, जैसा कि अनुभाग 530.5 में वर्णन किया गया है।

(b) इस अनुभाग के तहत आरोप लगाए जाने के अधीन या वास्तव में इस अनुभाग के तहत आरोपित व्यक्ति को अभियोजन पक्ष वकील के कार्यालय या काउंटी परिवीक्षा विभाग द्वारा अनुभाग 1001.81 के अनुसरण में, चोरी से विचलन या निर्णय प्रोग्राम के आस्थगित प्रविष्टि के लिए संदर्भित किया जा सकता है। यदि ऐसा करना उपयुक्त हो, तो ऐसे प्रोग्राम में भर्ती व्यक्ति को नशे की लत के उपचार प्रोग्राम के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है।

(c) इस अनुभाग के उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी होने पर, न्यायालय यह अपेक्षा करेगा कि रिहाई से पहले सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति जोखिम और न्यायालय में वापस आने की संभावना के अलग-अलग निर्धारण के लिए यह न्यायिक समीक्षा की जाए।

(d) इस अनुभाग का किसी भी अन्य कानून के अनुसरण में, अभियोजन या दंड को रोकने के लिए अर्थ निरूपण नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 10. दंड संहिता के अनुभाग 12022 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

12022. (a) (1) उपखंड (c) और (d) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी घोर अपराध या घोर अपराध की कोशिश में आग्नेयास्त्र से लैस रहा हो, उसे अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में, एक वर्ष के लिए कारावास की अतिरिक्त और लगातार अवधि का दंड दिया जाएगा, बशर्ते कि हथियार रखना उस अपराध का घटक हो। संबंधित व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप से आग्नेयास्त्र से लैस हो या नहीं, फिर भी कोई घोर अपराध करने या घोर अपराध की कोशिश में एक या एक से अधिक मुख्य आरोपी के पास आग्नेयास्त्र हो तो उस व्यक्ति पर, जो इसका मुख्य आरोपी है, यह अतिरिक्त अवधि लागू होगी।

(2) उपखंड (c) में दिए गए प्रावधान के सिवाए और उपखंड (d) के बावजूद, आग्नेयास्त्र यदि अनुभाग 30510 या 30515 में यथा परिभाषित हमलावर हथियार है या अनुभाग 16880 में यथा परिभाषित मशीनगन है या अनुभाग 30530 में परिभाषित .50 BMG राइफल है, तब अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में, इस उपखंड में वर्णित अतिरिक्त और लगातार अवधि तीन साल का कारावास होगी, चाहे व्यक्ति को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, उसमें हथियार का उपयोग चाहे एक घटक हो या न हो। इस पैराग्राफ में उल्लिखित अतिरिक्त कारावास अवधि तब घोर अपराध करने या घोर अपराध करने का प्रयास करने वाले मुख्य व्यक्ति पर लागू होगी, यदि एक या अधिक मुख्य व्यक्तियों के पास हमला करने का हथियार, मशीनगन या 50 BMG की राइफल हो, चाहे व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से हमला करने वाला हथियार, मशीनगन या .50 BMG की राइफल हो या न हो।

(b) (1) घोर अपराध या घोर अपराध की कोशिश में व्यक्तिगत रूप से घातक या खतरनाक हथियार का उपयोग करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष के लिए राज्य की जेल में कारावास की अतिरिक्त और लगातार अवधि से दंडित किया जाएगा, बशर्ते कि घातक या खतरनाक हथियार का उपयोग अन्यथा उस अपराध का घटक हो।

(2) यदि पैराग्राफ (1) में वर्णित व्यक्ति पर कारजैकिंग या कारजैकिंग की कोशिश का दोष सिद्ध हो जाता है, तो कैद की अतिरिक्त अवधि एक, दो, या तीन वर्षों के लिए राज्य कारावास की सजा होगी।

(3) जब किसी व्यक्ति द्वारा इस उपखंड में दिए गए किसी घोर अपराध या घोर अपराध की कोशिश में व्यक्तिगत रूप से घातक या खतरनाक हथियार का उपयोग किया जाना पाया जाता है और उस हथियार पर उस व्यक्ति का स्वामित्व है तो न्यायालय आदेश देगा कि हथियार को उपद्रव माना जाए और इसे अनुभाग 18000 और 18005 में दिए गए तरीके से नष्ट किया जाए।

(c) *(1)* उपखंड (a) में उल्लिखित संवर्धन के बावजूद, स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11351, 11351.5, 11352, 11366.5,

36

11366.6, 11378, 11378.5, 11379, 11379.5, या 11379.6 का उल्लंघन करने वाले या उल्लंघन की कोशिश करने वाले व्यक्तिगत रूप से आग्नेयास्त्र से लैस व्यक्ति ~~को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में,~~ राज्य कारागार में तीन, चार, या पांच वर्षों के लिए कारावास की अतिरिक्त और लगातार अवधि से दंडित किया जाएगा।

(2) दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के पैराग्राफ (9) के बावजूद, यदि इस उपखंड में उल्लिखित संबंधित उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध प्रतिवादी, जो इस उपखंड के अनुसरण में सजा में बढ़ोतरी को स्वीकार करता है या जिसके लिए इस उपखंड के अनुसार सजा में बढ़ोतरी को सही पाया जाता है, तो उसे राज्य कारागार में कैद की सजा दी जाएगी और उसे दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में सजा नहीं दी जाएगी।

(d) उपखंड (a) में निर्धारित संवर्धन के बावजूद, कोई अन्य मुख्य आरोपी व्यक्तिगत रूप से आग्नेयास्त्र से लैस है, यह जानकारी रखने वाला व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से आग्नेयास्त्र से लैस न होने पर भी उपखंड (c) में निर्दिष्ट अपराध या अपराध की कोशिश का मुख्य आरोपी होता है, उसे अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार एक, दो या तीन साल के कारावास की अतिरिक्त और लगातार अवधि से दंडित किया जाएगा।

(e) अनुभाग 1170.1 के तहत संवर्धन आरोपित करने के उद्देश्यों के लिए, इस अनुभाग के तहत संवर्धनों को एकल संवर्धन के रूप में गिना जाएगा।

(f) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान में चाहे कुछ भी हो, ऐसे किसी असामान्य मामले में जहाँ न्याय के हित में ऐसा करना सबसे सही होगा, यदि न्यायालय इसे रिकॉर्ड में लेता है और विवरण में यह संकेत देने वाली परिस्थितियाँ दर्ज करता है कि उस परिस्थिति में न्याय के हित के लिए ऐसा करना ही सबसे सही है, न्यायालय उपखंड (c) या (d) में दिए गए संवर्धनों के लिए अतिरिक्त दंड को समाप्त कर सकता है।

अनुभाग 11. अनुभाग 12022.6 को दंड संहिता में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

12022.6. (a) जब कोई व्यक्ति कोई घोर अपराध करने या इसकी कोशिश में किसी भी संपत्ति को हथिया लेता है, नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है या अनुभाग 496 का उल्लंघन करके घोर अपराध करता है तब प्रतिवादी को जिस घोर अपराध या घोर अपराध की कोशिश के लिए दोषी ठहराया गया है, न्यायालय उसके लिए निर्धारित दंड के अतिरिक्त और इसके लगातार एक अवधि के दंड की आज्ञा देगा जो कि नीचे दिए गये अनुसार होगा:

(1) यदि हानि या संपत्ति का मूल्य पचास हजार डॉलर ($50,000) से अधिक है, तो न्यायालय एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा देगा।

(2) यदि हानि या संपत्ति का मूल्य दो सौ हजार डॉलर ($200,000) से अधिक है, तो न्यायालय दो वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा देगा।

(3) यदि हानि या संपत्ति का मूल्य एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) से अधिक है, तो न्यायालय तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा देगा।

(4) यदि हानि या संपत्ति का मूल्य तीन मिलियन डॉलर ($3,000,000) से अधिक है, तो न्यायालय चार वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा देगा।

(5) तीन मिलियन डॉलर ($3,000,000) की प्रत्येक अतिरिक्त हानि या संपत्ति मूल्य के लिए, न्यायालय पैराग्राफ (4) में निर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त एक वर्ष के दंड की आज्ञा देगा।

(b) हथियाने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के कई आरोपों या अनुभाग 496 के कई उल्लंघनों से संबंधित किसी भी अभियोगात्मक याचिका में, यदि सभी घोर अपराधों से पीड़ितों को होने वाले कुल नुकसान या कुल संपत्ति का मूल्य इस अनुभाग में निर्दिष्ट राशियों से अधिक हो और किसी साझे षडयंत्र या योजना से उत्पन्न हो, तो इस अनुभाग में वर्णित अतिरिक्त कारावास अवधियों की आज्ञा दी सकती है। इस अनुभाग के अंतर्गत सभी याचिकाएँ अनुभाग 954 में उल्लिखित संयोजन और पृथक्करण के अधीन होंगे।

(c) इस अनुभाग में दी गईं अतिरिक्त कारावास अवधियाँ तब तक नहीं लगाई जाएंगी, जब तक कि इस अनुभाग में दी गईं राशियों से संबंधित तथ्य अभियोगात्मक याचिका में आरोपित न किए जाएँ और जब तक प्रतिवादी द्वारा स्वीकार न किए जाएँ या जब तक इन्हें तथ्यों के संबंध में मुकदमा चलाने वालों द्वारा सही न पाया जाए।

(d) किसी अन्य कानून के बावजूद, न्यायालय एकल आरोप के लिए अनुभाग 12022.65 के अनुसरण में सजा बढ़ाने सहित इस अनुभाग के अनुसार और किसी अन्य अनुभाग के अनुसार सजा बढ़ा सकता है।

अनुभाग 12. दंड संहिता में अनुभाग 12022.65 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

12022.65. (a) किसी घोर अपराध को करने या करने का प्रयास करने में संपत्ति को हथियाने, हथियाने का प्रयास करने, नुकसान पहुँचाने, या नष्ट करने के लिए दो या अधिक लोगों के साथ मिल कर काम करने वाले किसी व्यक्ति को एक, दो, या तीन वर्ष की अतिरिक्त और लगातार कैद की सजा दी जाएगी।

(b) इस अनुभाग में दी गईं अतिरिक्त कारावास अवधि तब तक नहीं लगाई जाएगी, जब तक कि उपखंड (a) में अपेक्षित तथ्यों की मौजूदगी को अभियोगात्मक याचिका में आरोपित न किया जाए और जब तक प्रतिवादी द्वारा स्वीकार न किया जाए या जब तक इन्हें तथ्यों के संबंध में मुकदमा चलाने वालों द्वारा सही न पाया जाए।

(c) किसी अन्य कानून के बावजूद, न्यायालय एकल आरोप के लिए अनुभाग 12022.6 के अनुसार सजा बढ़ाने सहित इस अनुभाग के अनुसार और किसी अन्य अनुभाग के अनुसार सजा बढ़ा सकता है।

36

अनुभाग 13. दंड संहिता के अनुभाग 12022.7 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

12022.7. (a) किसी घोर अपराध को करने या करने का प्रयास करने में सह-अपराधी को छोड़ कर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने वाले किसी व्यक्ति को राज्य कारावास में तीन वर्ष की अतिरिक्त और लगातार कैद की सजा दी जाएगी।

(b) किसी घोर अपराध को करने या करने का प्रयास करने, जिसमें पीड़ित मस्तिष्क की चोट लगने के कारण कोमा में चला जाता है या उसे स्थायी तौर पर लकवा हो जाता है, तो ऐसे में सह-अपराधी को छोड़ कर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने वाले किसी व्यक्ति को राज्य कारावास में पाँच वर्ष की अतिरिक्त और लगातार कैद की सजा दी जाएगी। जैसा कि इस उपखंड में उपयोग किया गया है, “लकवा” का

मतलब है, तंत्रिका तंत्र या किसी मांसपेशी प्रणाली को लगने वाली चोट के परिणामस्वरूप चलने-फिरने के कार्य की अत्यधिक या पूर्ण क्षति।

(c) किसी घोर अपराध को करने या करने का प्रयास करने में सह-अपराधी को छोड़ कर किसी 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने वाले किसी व्यक्ति को राज्य कारावास में पाँच वर्ष की अतिरिक्त और लगातार कैद की सजा दी जाएगी।

(d) किसी घोर अपराध को करने या करने का प्रयास करने में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे को व्यक्तिगत रूप से गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाता है, उसे राज्य कारावास में चार, पांच या छह वर्ष के लिए अतिरिक्त और लगातार कैद की सजा की सजा दी जाएगी।

(e) किसी घोर अपराध को करने या करने का प्रयास करने में घरेलू हिंसा से संबंधित परिस्थितियों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य कारावास में तीन, चार या पाँच वर्ष की अतिरिक्त और लगातार कैद की सजा दी जाएगी। इस उपखंड में उपयोग किए गए अनुसार "घरेलू हिंसा " का अर्थ अनुभाग 13700 के उपखंड (b) में दिए गए अर्थ से है।

(f) *(1)* इस अनुभाग में उपयोग किए गए अनुसार "गंभीर शारीरिक चोट" का अर्थ उल्लेखनीय या बहुत अधिक शारीरिक चोट से है।

(2) इस अनुभाग में उपयोग किए गए अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी नियंत्रित नशीली दवा को बेचने, उपलब्ध करवाने, सेवन करवाने, या देने को तब व्यक्तिगत रूप से गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाना माना जाएगा जब जिस व्यक्ति को यह नशीली दवा बेची, उपलब्ध करवाई गई, सेवन कारवाई गई, या दी गई हो, उसे इस नशीली दवा का प्रयोग करने से उल्लेखनीय या बहुत अधिक शारीरिक चोट पहुँचती है।

(g) यह अनुभाग हत्या या मानववध या अनुभाग 451 या 452 के उल्लंघन पर लागू नहीं होगा। उपखंड (a), (b), (c), और (d) तब लागू नहीं होंगे यदि गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना अपराध का एक घटक है।

(h) न्यायालय उपखंड (a), (b), (c), या (d) के अंतर्गत ~~या तो~~ अतिरिक्त कैद की सजा देगा, परंतु एक ही अपराध के लिए उनमें से एक से अधिक कैद की सजाएँ नहीं दे सकता।

अनुभाग 14. अध्याय 36 (अनुभाग 7599.200 से शुरू होते हुए) को इस प्रकार से पढ़े जाने के लिए सरकारी संहिता के शीर्षक 1 के प्रभाग 7 में जोड़ा जाता है:

अध्याय 36. आवासहीनता,
नशे की लत और चोरी में कमी के लिए निधिकरण अधिनियम

7599.200. (a) इस अध्याय को आवासहीनता, नशे की लत और चोरी में कमी के लिए निधिकरण अधिनियम के रूप में जाना जाएगा।

(b) दंड संहिता के अनुभाग 7599.2 और अनुभाग 6046.2 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) के अनुसार राज्य एवं सामुदायिक सुधार बोर्ड को वितरित की गई धनराशि में से राज्य एवं सामुदायिक सुधार बोर्ड, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11395 में उल्लिखित प्रोग्रामों के लिए काउंटियों और स्थानीय सरकारों को उचित निधि आबंटित कर सकता है। इस प्रावधान से अनुभाग 30025 के अंतर्गत स्थापित स्थानीय राजस्व निधि 2011 और नशीली दवाओं के प्रयोग और मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए निर्धारित अन्य निधियों सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, किसी अन्य स्रोत से इस अधिनियम के लिए निधिकरण को बाहर नहीं रखा जाएगा।

(c) किसी उपचार अनिवार्य घोर अपराध का आरोपी कोई प्रतिवादी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11395 में उल्लिखित प्रतिवादी के प्रोग्रामों के लिए अनुभाग 30025 के उपखंड (f) के पैराग्राफ (16) के उप-पैराग्राफ (B) सहित खंड (iii) से (v), दोनों सहित, में उल्लिखित, परंतु इन्हीं तक ही सीमित नहीं, कोई उचित Medi-Cal या Medicare प्रोग्राम या सेवाएँ प्राप्त करने का योग्य है। कोई काउंटी या स्थानीय सरकार किसी लागू Medi-Cal या Medicare उपचार प्रोग्रामों के प्रावधान या प्रबंधन करने के लिए राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग या किसी अन्य लागू राज्य एजेंसी के साथ सीधे अनुबंध कर सकती है।

अनुभाग 15. संशोधन।

(a) उपखंड (b) में किए गए प्रावधान को छोड़ कर, इस अधिनियम को विधानमंडल द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाय किसी ऐसे कानून के जो अधिनियम के उद्देश्यों, इरादे, निष्कर्षों और घोषणाओं को आगे बढ़ाता हो और प्रत्येक सदन में जर्नल में प्रविष्ट किए गए उपस्थिति मतदान द्वारा पारित किया जाता हो, जिसमें प्रत्येक सदन के दो-तिहाई सदस्य सहमत होते हों, या किसी ऐसे कानून द्वारा जो मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होने पर ही प्रभावी होता हो।

(b) विधान मंडल केवल "कठोर नशीले पदार्थ" के रूप में प्रमाणित दवाओं की सूची का विस्तार करने और जिन दोषसिद्धियों पर यह लागू होती है उनमें विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11369 में बहुमत से संशोधन कर सकता है, और केवल "कठोर नशीले पदार्थ" के रूप में प्रमाणित दवाओं की सूची का विस्तार करने और जिन पूर्व-दोषसिद्धियों पर यह लागू होती है, उनमें विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11395 में बहुमत से संशोधन कर सकता है और केवल जिन लागू होने वाली पूर्व-दोषसिद्धियों पर यह लागू होती है उनमें विस्तार करने के लिए दंड संहिता के अनुभाग 666.1 में बहुमत से संशोधन कर सकता है।

अनुभाग 16. पृथक्करणीयता।

यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान, या किसी प्रावधान के किसी भाग, या प्रावधान या इसके भाग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर लागू किए जाने को किसी भी कारण से अवैध या असंवैधानिक माना जाता है, तो शेष प्रावधानों और प्रावधानों को लागू किए जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु ये पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे, और इस उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधान पृथक किए जा सकते हैं।

अनुभाग 17. परस्पर विरोधी पहलें।

(a) यह अधिनियम नशीली दवाओं के उपचार का नया विधान बनाता है और पेशेवर और बार-बार चोरी करने वाले चोरों के लिए दंडों में बदलाव करता है। यदि यह अधिनियम और उसी विषय पर कोई अन्य पहल विधेयक या विधेयक एक ही राज्यव्यापी मतपत्र में दिखाई देता/देते हैं, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के टकराव में माना जाएगा। यदि इस विधेयक को अधिक संख्या में सकारात्मक मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे, और अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान अमान्य हो जाएंगे।

(b) यदि मतदाताओं द्वारा इस विधेयक को अनुमोदित किया जाता है परंतु उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी टकराव वाले विधेयक से कानून द्वारा इसका अधिक्रमण किया जाता है, और टकराव वाले मतपत्र विधेयक को बाद में अवैध करार दिया जाता है, तो यह विधेयक स्वत: लागू हो जाएगा और इसे पूरी तरह से लागू और प्रभावी किया जाएगा।